

2103C21

(संग्रह)

मई भाग-2 2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोनः 8750187501

ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक ∕प्रशासनिक घटनाक्रम	7
 कमजोर जनजातीय समूहों में कोविड संक्रमण का प्रसार 	7
भारत द्वारा सामुदायिक प्रसार टैग का विरोध	8
विधान परिषद	9
 निर्वाचन आयोग के लिये स्वतंत्र कॉलेजियम 	10
🕨 यूएस ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम	12
प्रामीण विकास योजनाएँ	13
चुनावी बॉण्ड	15
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	16
मलेरकोटला: पंजाब का 23वाँ जिला	17
भारत में डेटा संरक्षण	18
भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग	20
> MCA 21 संस्करण 3.0: डिजिटल कॉर्पोरेट अनुपालन पोर्टल	21
हेट स्पीच की परिभाषा	22
लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन मसौदा, 2021	24
वन स्टॉप सेंटर	25
> CBI निदेशक की नियुक्ति	27
 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना 	28

नए आईटी नियम, 2021 में ट्रेसेबिलिटी का प्रावधान	30
मेकेदातु परियोजना:कावेरी नदी	31
 ACCR पोर्टल और आयुष संजीवनी एप 	33
वीर सावरकर जयंती	36
► मिड-डे-मील' योजना के लिये DBT	37
 राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम 	39
आर्थिक घटनाक्रम	39
▶ स्वामी फंड	40
स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज	41
 कन्वेंशन सेंटर्स को बुनियादी ढाँचे का दर्जा 	42
> DAP पर सब्सिडी बढ़ी	43
> कॉर्पोरेट ऋण के लिये व्यक्तिगत गारंटर का दायित्त्व	45
ठिखरीफ रणनीति-2021	46
 सफेद मिक्खयाँ: कृषि के लिये खतरा 	47
> GI प्रमाणित घोलवाड़ सपोटा (चीकू) का निर्यात: महाराष्ट्र	49
> FDI अंतर्वाह में बढ़ोतरी	50
> बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित नए नियम	51
 असंगठित श्रिमकों का पंजीकरण 	53
मुद्रा विनिमय सुविधा	54
> RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21	56
 GST परिषद की 43वीं बैठक 	57
> वैश्विक प्रेषण पर रिपोर्ट : विश्व बैंक	59

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम	59
भारत और मंगोलिया	60
फरजाद-बी गैस फील्ड: ईरान	62
▶ भारत- ओमान समझौता	64
चीन का नया सामिरक राजमार्ग	65
 ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य-समूह (BAWG) की बैठक 	66
चीन के 17+1 से लिथुआनिया का इस्तीफा	68
कृषि सहयोग पर भारत-इजरायल समझौता	69
 यूरोपीय संघ ने लगाए बेलारूस पर प्रतिबंध 	71
🕨 इजरायल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिये स्थायी आयोग	72
 गुटिनरपेक्ष आंदोलन: स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 	74
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी े डेंगू: रोकथाम और पहचान	76
 मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट : तेलंगाना 	76
 तियानवेन-1 : चीन का मंगल मिशन 	79
 कोविसेल्फ : सेल्फ टेस्टिंग किट 	80
	82
	83
 वाहन निर्माण में 'अर्द्धचालक चिप' की कमी 	85
रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ	87
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	87
10 वर्षों में 186 हाथियों की मौत	88

>	एकल-उपयोग प्लास्टिक	90
>	अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस	92
>	सुंदरलाल बहुगुणाः चिपको आंदोलन	93
>	शुद्ध शून्य उत्सर्जन: आईईए	95
>	कोप-28	98
>	प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, 2020	99
>	कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन	102
>	वन गुज्जरों के अधिकार	103
>	ओडिशा में कृष्णमृग (Blackbuck) की आबादी में वृद्धि	105
>	क्लाइमेट ब्रेकथ्रू सिमट	106
>	जयंती: झींगुर की नई प्रजाति	107
>	चक्रवात ताउते	109
	चक्रवात ताउते	109 109
भू	गोल एवं आपदा प्रबंधन	109
भू >	गोल एवं आपदा प्रबंधन A-76: विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड	109
भू >	पो ल एवं आपदा प्रबंधन A-76: विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपरमून	109 111 112
भू	पो ल एवं आपदा प्रबंधन A-76: विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपरमून चक्रवात यास (Yaas)	109 111 112 113
भू	पोल एवं आपदा प्रबंधन A-76: विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपरमून चक्रवात यास (Yaas) पोस्ट-कोविड शिक्षा हेतु नया दृष्टिकोण	109 111 112 113 115
भूर > > सा	पोल एवं आपदा प्रबंधन A-76: विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपरमून चक्रवात यास (Yaas) पोस्ट-कोविड शिक्षा हेतु नया दृष्टिकोण	109 111 112 113 115
भूर A A HII	भोल एवं आपदा प्रबंधन A-76: विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपरमून चक्रवात यास (Yaas) पोस्ट-कोविड शिक्षा हेतु नया दृष्टिकोण माजिक न्याय जबरन या अनैच्छिक विलुप्ति	109 111 112 113 115 116

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिभा पलायन	125
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020	126
 ट्रांसजेंडर को तत्काल निर्वाह सहायता 	128
क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज	129
 एनजीटी ने बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रखा 	130
 30 जनवरी: विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 	132
 विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल छ: स्थल 	133
कला एवं संस्कृति	133
वेसाक समारोह	134
≻ बेगम सुल्तान जहाँ	136
चर्चा में	138
 बसव जयंती 	138
 पीएम किसान 	139
> अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस	139
≻ ई-वे बिल	140
व्हाइट फंगस	141
 कार्बन प्रौद्योगिकी के पुनर्चक्रण के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार 	142
WHO 'बायो हब' इनीशिएटिव	143
▶ 22 डिग्री सर्कुलर हेलो	144
> यलो फंगस	145
विविध	146

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

कमज़ोर जनजातीय समूहों में कोविड संक्रमण का प्रसार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण ओडिशा के आठ विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) के कई सदस्य संक्रमित हो गए।

• संक्रमित सुभेद्य जनजातियों में मलकानिगिर पहाड़ियों की बोंडा जनजाति (Bonda Tribe) और नियमिगिर पहाड़ियों की डोंगरिया कोंध जनजाति (Dongaria Kondh Tribe) शामिल हैं।

प्रमुख बिंदुः

ओडिशा में जनजातीय समूह:

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनजातीय आबादी का 9% ओडिशा में पाया जाता है।
- राज्य की कुल जनसंख्या में 22.85 % जनजातीय समूह पाए जाते हैं।
- अपनी जनजातीय आबादी की संख्या के मामले में ओडिशा भारत में तीसरे स्थान पर है।
- ओडिशा में रहने वाले 62 जनजातीय समूहों में से 13 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
 - ओडिशा की 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातियों में बोंडा (Bonda), बिरहोर (Birhor), चुक्तिया भुंजिया (Chuktia Bhunjia), दीदई (Didayi), डोंगरिया कोंध (Dungaria Kandha), हिल खरिया (Hill Kharia), जुआंग (Juang), कुटिया कोंध (Kutia Kondh), लांजिया सोरा (Lanjia Saora), लोढ़ा (Lodha), मनकींडिया (Mankirdia), पाउड़ी भुइयां (Paudi Bhuyan) और सौरा (Saora) शामिल हैं।
- राज्य में जनजातीय आबादी सात जिलों कंधमाल, मयूरभंज, सुंदरगढ़, नबरंगपुर, कोरापुट, मलकानिगरि और रायगढ़ के अलावा 6 अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs):

- आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) का निर्माण: वर्ष 1973 में ढेबर आयोग (Dhebar Commission) ने आदिम जनजातीय समूहों (Primitive Tribal Groups- PTGs) को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया, जो कि जनजातीय समूहों के मध्य कम विकसित होते हैं।
- वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा PTGs का नाम परिवर्तित कर PVTGs कर दिया गया।
 - ◆ वर्ष 1975 में भारत सरकार द्वारा PVTGs नामक एक अलग श्रेणी के रूप में सबसे कमज़ोर आदिवासी समूहों की पहचान की गई जिसमें ऐसे 52 समूहों को शामिल किया गया। वर्ष 1993 में इस श्रेणी में 23 और ऐसे अतिरिक्त समूहों को शामिल किया गया जिसमें 705 जनजातियों में से 75 को विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूह (PVTG's) में शामिल किया गया।
 - ♦ 75 सूचीबद्ध PVTG's में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।
- PVTGs की विशेषताएँ: सरकार PVTGs को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत करती है:
 - अलगाव की स्थिति
 - स्थिर या घटती जनसंख्या
 - साक्षरता का निम्न स्तर
 - लिखित भाषा का अभाव

- अर्थव्यवस्था का पूर्व-कृषि आदिम चरण जैसे- शिकार, भोजन एकत्र करना, और स्थानांतिरत खेती।
- PVTGs हेतु योजनाएँ: जनजातीय समूहों में PVTGs अत्यधिक कमज़ोर हैं जिस कारण इनके विकास हेतु आदिवासी विकास निधि का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। PVTGs को अपने विकास हेतु निर्देशित से अधिक धन की आवश्यकता होती है।
 - ♦ जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने "पीवीटीजी के विकास" (Development of PVTGs) की योजना लागू की है जिसमें 75 PVTGs को उनके व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु शामिल किया गया है।
 - इस योजना के तहत राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के आधार पर संरक्षण-सह-विकास (Conservation-cum-Development- CCD) योजनाएँ प्रस्तुत करती हैं।
 - योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

भारत द्वारा सामुदायिक प्रसार टैग का विरोध

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कोविड -19 महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक भारत ने स्वयं को बिना किसी सामुदायिक प्रसार (Community Transmission- CT) वाले देश के रूप में चिह्नित करना जारी रखा है।

 अमेरिका, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस जैसे देशों ने स्वयं को 'सामुदायिक प्रसार' चरण में होने के रूप में चिह्नित किया है, जबिक इटली और रूस ने स्वयं को 'सामुदायिक प्रसार/संचरण' वाले देश के रूप चिह्नित नहीं किया है।

प्रमुख बिंदुः

- सामुदायिक प्रसार (CT):
 - ◆ CT महामारी के चरणों में से एक है।
 - मोटे तौर पर, सामुदायिक प्रसार की स्थिति तब मानी जाती है जब महामारी के नए मामलों को पिछले 14 दिनों के दौरान किसी अंतर्राष्ट्रीय
 यात्रा के रिकॉर्ड से न जोड़ा जा सके और न ही संक्रमण के मामले किसी विशिष्ट समूह से संबंधित हों।
 - ◆ CT के वर्गीकरण को चार चरणों में विभाजित किया जाता है, जिसमें निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक प्रसारण शामिल होता है।

महामारी के चार चरण:

- चरण 1- आयातित संचरण:
 - यह यात्रियों के बीच सीमाओं और हवाई अड्डों के माध्यम से महामारी के देश में प्रवेश करने से संबंधित है। इसे थर्मल स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।
- चरण 2- स्थानीय ट्रांसिमशन:
 - इस चरण को देश के भीतर एक संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने के माध्यम से महामारी के संचरण के रूप में पिरभाषित किया
 जाता है।
- चरण 3-सामुदायिक प्रसार:
 - ◆ यह दर्शाता है कि एक वायरस समुदाय में संचरित हो रहा है तथा उन लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिनका महामारी संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा करने या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने का कोई इतिहास नहीं है।
- चरण ४- महामारी:
 - चरण 4 तब आता है जब रोग वास्तव में एक देश में महामारी का रूप धारण कर लेता है, जैसा कि चीन में हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए और मृत्यु की बढ़ती संख्या का कोई अंत नहीं था। तब महामारी को स्थानिक या क्षेत्र में प्रचलित माना जाता है।
- भारत का वर्तमान वर्गीकरण:
 - भारत द्वारा महामारी को लेकर निम्नतर, कम गंभीर वर्गीकरण का विकल्प चुना गया है जिसे 'क्लस्टर ऑफ केस' (Cluster Of Case) कहा जाता है।

- भारत के मुताबिक, ऐसा देखा गया है कि 'पिछले 14 दिनों में सामने आए मामले कुछ विशिष्ट क्लस्टर्स तक ही सीमित हैं जिनका सीधे तौर पर बाहर से आयातित महामारी के मामलों से कोई संबंध नहीं है।
- ऐसा माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में कई मामले अज्ञात हैं। इसका मतलब है कि अगर इन समूहों के संपर्क में आने से बचा जाए तो बड़े समुदाय में संक्रमण का खतरा कम होगा।
- स्वयं को सीटी में वर्गीकृत नहीं करने के भारत के निहितार्थ:
 - ♦ भारत द्वारा स्वयं को सामुदायिक प्रसार से युक्त होने से इंकार करना "Ostrich In The Sand" यानी "एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तविकता का सामना करने या सच्चाई को मानने से इनकार करता है" के दृष्टिकोण को दर्शाता है क्योंकि CT को स्वीकार करना विफलता का संकेतक है जो दर्शाता है कि अधिकारियों/प्राधिकारियों/प्राधिकरणों ने किस तरह से इस महामारी की समस्या को संबोधित किया है।
 - यदि मामले अभी भी एक क्लस्टर में सामने आते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि सरकार को संक्रमण फैलने से रोकने हेतु परीक्षण,
 कांटेक्ट ट्रैकिंग और आइसोलेशन को प्राथमिकता देनी होगी। दूसरी ओर CT में होने का मतलब इलाज को प्राथमिकता देना और सुरक्षित रहने हेतु दी गई सलाह का पालन करना होगा।
 - सामुदायिक प्रसार का मतलब है कि स्वास्थ्य प्रणाली अब वायरस के प्रक्षेप पथ (Trajectory) का ट्रैक खो चुकी है और संक्रमण के स्रोत के बिना ही संक्रमण हो रहा है।
 - ◆ एक बार जब सरकार सामुदायिक प्रसार को स्वीकार कर लेती है, तो महामारी नियंत्रण रणनीति अगले चरण में आगे बढ़ जाएगी, जिसे 'शमन चरण' (Mitigation Phase) कहा जाता है, जिसमें इस बात को सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा कि केवल उन्हीं लोगों को अस्पताल पहुँचाया जाए, जिन्हें वास्तव में चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। संक्रमणों पर नज़र रखना या उन्हें नियंत्रित करना प्राथमिक रणनीति में शामिल नहीं होगा।

विधान परिषद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में विधान परिषद (Legislative Council) की स्थापना का निर्णय लिया है

 पिरषद की स्थापना के लिये एक विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद राज्यपाल की मंज़ूरी की आवश्यकता होती है। वर्ष 1969 में पश्चिम बंगाल में विधान पिरषद को समाप्त कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदुः

गठन का आधार:

- भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है।
- जिस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है।
 - विधान परिषद वाले छह राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक।
- वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। अंतत: परिषद को समाप्त करने के लिये भारत की संसद द्वारा इस प्रस्ताव को मंज़्री दी जानी बाकी है।
- वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया।

अनुच्छेद 169 (गठन और उन्मूलन):

• संसद एक विधान परिषद को (जहाँ यह पहले से मौजूद है) का विघटन कर सकती है और (जहाँ यह पहले से मौजूद नहीं है) इसका गठन कर सकती है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। इस तरह के किसी प्रस्ताव का राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है।

- विशेष बहुमत का तात्पर्यः
 - विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत और
 - विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत।

संरचना:

- संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे।
- राज्य सभा के समान विधान परिषद एक सतत् सदन है, अर्थात् यह एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं होता। विधान परिषद के एक सदस्य (Member of Legislative Council- MLC) का कार्यकाल छह वर्ष का होता है, जिसमें एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।

निर्वाचन पद्धतिः

- एक तिहाई MLC राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं,
- इसके अलावा 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे- नगरपालिका और जिला बोर्डों आदि द्वारा चुने जाते हैं,
- 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं तथा 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं।
- शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव हो।

राज्य सभा की तुलना में विधान परिषदः

- पिरषदों की विधायी शक्ति सीमित है। राज्यसभा के विपरीत, जिसके पास गैर-वित्तीय विधान को आकार देने की पर्याप्त शक्तियाँ हैं, विधान परिषदों के पास ऐसा करने के लिये संवैधानिक जनादेश नहीं है।
- विधानसभाएँ, परिषद द्वारा कानून में किये गए सुझावों/संशोधनों को रद्द कर सकती हैं।
- इसके अलावा राज्यसभा सांसदों के विपरीत, MLCs, राष्ट्रपित और उपराष्ट्रपित के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपित राज्यसभा का सभापित होता है जबिक पिरिषद का अध्यक्ष पिरिषद के किसी एक सदस्य को ही चुना जाता है।

विधान परिषद की भूमिका:

- यह उन व्यक्ति विशेष की स्थिति को सुनिश्चित कर सकती है जिन्हें चुनाव के माध्यम से नहीं चुना जा सकता है परंतु वे विधायी प्रक्रिया (जैसे कलाकार, वैज्ञानिक, आदि) में योगदान करने में सक्षम हैं।
- यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में लिये गए फैसलों पर नज़र रख सकती है।

विधान परिषद के खिलाफ तर्क:

- यह विधि निर्माण की प्रक्रिया में देरी कर सकता है, साथ ही इसे राज्य के बजट पर बोझ माना जाता है।
- इसका उपयोग उन नेताओं को संगठित करने के लिये भी किया जा सकता है जो चुनाव नहीं जीत पाए हैं।

निर्वाचन आयोग के लिये स्वतंत्र कॉलेजियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) में एक याचिका दायर कर निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिये एक स्वतंत्र कॉलेजियम के गठन की मांग की गई थी।

भारत निर्वाचन आयोग

पृष्ठभूमि:

- भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
- यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपित और उपराष्ट्रपित के चुनाव का संचालन करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 324: यह चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिये एक चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

निर्वाचन आयोग की संरचना:

- निर्वाचन आयोग में मूलत: केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989 के बाद इसे एक बह-सदस्यीय निकाय बना दिया गया है।
- आयोग में वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner- CEC) और दो निर्वाचन आयुक्त
 (Election Commissioners- EC) शामिल हैं।
- आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

प्रमुख बिंदु

नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली:

- संविधान के अनुसार, CEC और EC की नियुक्ति के लिये कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है।
- लेन-देन के व्यापार नियम 1961 के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर CEC और EC की नियुक्ति करेगा।
 - ◆ इसलिये CEC और EC की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है।
- हालाँकि अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, संसद के पास चुनाव आयोग की सेवा शर्तों और कार्यकाल को विनियमित करने की शक्ति है।
 - ◆ चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यापार का लेन-देन) अधिनियम, 1991 CEC और अन्य चुनाव आयोगों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने और ECI द्वारा व्यापार के लेन-देन की प्रक्रिया प्रदान करने के लिये पारित किया गया था।
- आज तक संसद ने अनुच्छेद 324(5) के तहत कानून बनाए हैं, न कि अनुच्छेद 324(2) के तहत जिसमें संसद राष्ट्रपित द्वारा की गई
 नियुक्तियों को विनियमित करने के लिये एक चयन सिमित की स्थापना कर सकती है।
 - अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपित, मंत्रिपिरषद की सहायता और सलाह से CEC और EC की नियुक्ति तब तक करेगा जब तक कि संसद अधिनियम (Parliament Enacts), सेवा की शर्तों और कार्यकाल के लिये मानदंड तय करने वाला कानून नहीं बनाती।

स्वतंत्र कॉलेजियम की आवश्यकताः

- सिमितियों की सिफारिश:
 - ◆ चुनाव आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिये एक तटस्थ कॉलेजियम की सिफारिश वर्ष 1975 से कई विशेषज्ञ सिमितियों के आयोगों द्वारा की गई है।
 - यह सिफारिश मार्च 2015 में विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट का भी हिस्सा थी।
 - ◆ वर्ष 2009 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में CEC और EC के लिये एक कॉलेजियम प्रणाली का सुझाव
 दिया।
 - वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी सिमिति (Dinesh Goswami Committee) ने चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिये भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता जैसे तटस्थ अधिकारियों के साथ प्रभावी परामर्श की सिफारिश की।
 - ◆ वर्ष 1975 में न्यायमूर्ति तारकुंडे सिमिति (Justice Tarkunde Committee) ने सिफारिश की कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपित द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक सिमिति की सलाह पर नियुक्त किया जाना चाहिये।

- राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से रोधन:
 - चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में कार्यपालिका की अभिरुचि उस आधार का उल्लंघन करती है जिस पर इसे बनाया गया था, इस प्रकार आयोग को कार्यपालिका की एक शाखा बना दिया गया।
- अनुचित चुनाव प्रक्रियाः
 - ◆ चुनाव आयोग न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये जिम्मेदार है, बिल्क यह सत्तारूढ़ सरकार और अन्य दलों सिहत विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एक अर्द्ध न्यायिक कार्य भी करता है।
 - ऐसी परिस्थितियों में कार्यकारिणी चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में एकमात्र भागीदार नहीं हो सकती है क्योंकि यह सत्ताधारी पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिये स्वतंत्र विवेक (Unfettered Discretion) प्रदान करती है जिसकी उसके प्रति वफादारी सुनिश्चित है और इस तरह चयन प्रक्रिया में हेरफेर की संभावना बनी रहती है।

चुनौतियाँ:

- अन्य के लिये भी इसी तरह की मांग:
 - अन्य संवैधानिक पदों के लिये ऐसी ही मांगें उठाई जा सकती हैं जहाँ कार्यपालिका के लिये महान्यायवादी (Attorney General)
 या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller & Auditor-General) जैसी नियुक्तियाँ करना अनिवार्य है।
 - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (Central Vigilance Commissioner-CVC) की नियुक्ति के लिये समितियों का गठन किया जाता है लेकिन ये संवैधानिक पद हैं। अभी तक संवैधानिक नियुक्तियों के लिये कोई समिति नहीं है।
- CEC और EC के बीच अंतर:
 - ♦ CEC और EC के पदों के बीच अंतर होता है। दोनों पदों पर नियुक्तियाँ उनके द्वारा किये गए कार्य के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
 - ◆ इसिलये नियुक्ति की प्रक्रिया में अंतर करना जो अभी भी तदर्थ आधार पर (किसी संवैधानिक कानून की अनुपस्थिति के कारण) की जाती है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है जिसे आयोग के स्वतंत्र कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये ठीक से संबोधित करने की आवश्यकता है।
- न्यायिक अतिरेकः
 - सर्वोच्च न्यायालय संविधान के प्रावधानों के आधार पर किसी भी कानून की व्याख्या करता है और संवैधानिक रूप से EC की नियुक्ति
 प्रिक्रया का निर्णय कार्यकारी डोमेन के अंतर्गत आता है।
 - ♦ इस प्रकार इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संभवत: शक्ति के सामंजस्यपूर्ण संतुलन को हिला सकता है।

आगे की राह

- नियुक्ति प्रक्रिया की वर्तमान प्रणाली की किमयों को दूर करने की आवश्यकता है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिये कि नैतिक और सक्षम लोग संबंधित पदों पर आसीन हों।
- भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के मुद्दे पर संसद में बहस और चर्चा की आवश्यकता है और इसके आधार पर आवश्यक कानून पारित कराया जाना चाहिये।

यूएस ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम

चर्चा में क्यों?

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले दो वर्षों में 9,000 से अधिक भारतीयों के पूर्वर्ती स्थितियों (Antecedent) की जाँच की, जो यूएस के ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (Global Entry Programme) के लिये नामांकन करना चाहते थे।

 पूर्ववृत्त सत्यापन के लिये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (Crime and Criminal Tracking Network and System- CCTNS) का इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

युएस ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के विषय में:

- यह प्रोग्राम अमेरिका का एक सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (Customs and Border Protection- CBP) कार्यक्रम है जो कम जोखिम वाले यात्रियों को अपने देश में आने पर एयरपोर्ट से त्वरित निकासी की सुविधा देता है।
- हालाँकि यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2008 में शुरू किया गया था, लेकिन भारत वर्ष 2017 में इसका सदस्य बना।
- यात्रियों की संदिग्ध पृष्ठभूमि की जाँच के बाद इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व-अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
- यात्रियों का अनुरोध प्राप्त होने के बाद अमेरिकी अधिकारी इसे विदेश मंत्रालय (MEA) के पास भेजता है। विदेश मंत्रालय इसे गृह मंत्रालय को भेजता है, जो पृष्ठभूमि की जाँच करने के लिये अन्य मंत्रालयों, राज्य पुलिस और अन्य डेटाबेस को टैप करता है।
- सीबीपी प्राप्त आवेदन को उस स्थिति में आगे नहीं बढ़ाता है यदि किसी व्यक्ति को "किसी भी अपराध का दोषी ठहराया गया है या आपराधिक आरोप न्यायालय में लंबित है, साथ ही यदि उसे किसी भी देश में सीमा शुल्क, आप्रवास, कृषि नियमों या कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।"

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम:

- यह एक केंद्रीय वित्तपोषित योजना है, जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) द्वारा विकसित किया गया है।
 - ♦ यह गृह मंत्रालय के नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (National e-Governance Plan) के तहत स्थापित एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है।
 - इसे वर्ष 2009 में मंज़्री दी गई थी।
- यह एक सुरक्षित एप्लीकेशन है जो देश के 97% से अधिक पुलिस स्टेशनों को जोड़ता है।
- उद्देश्यः
 - पुलिस थानों के कामकाज को पारदर्शी करके पुलिस के कामकाज को नागरिक हितैषी और अधिक पारदर्शी बनाना।
 - आईसीटी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार लाना।
 - अपराध और अपराधियों की सटीक एवं तीव्र जाँच के लिये जाँच अधिकारियों को अद्यतित उपकरण, तकनीक और जानकारियाँ प्रदान करना।

ग्रामीण विकास योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के बावजूद, देश में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में प्रगति परिलक्षित होती रही है।

प्रमुख बिंदु

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजनार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005:

- परिचय :
 - ♦ इस योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में प्रदर्शित किया गया था जो "रोजगार के अधिकार" की गारंटी देती है। इस योजना के
 संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है।
- प्रमुख उद्देश्य:
 - मनरेगा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक संपत्ति का निर्माण होता है।
 - मनरेगा की संपत्तियों में प्रमुख रूप से खेत, तालाब, रिसाव टैंक, चेक डैम, सड़क की मरम्मत, सिंचाई प्रणाली आदि शामिल हैं।

- अन्य विशेषताएँ :
 - ♦ इसमें शामिल ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा के तहत कार्यों की प्रकृति को मंजूरी देकर उनकी प्राथमिकता तय की जाती है।
 - मनरेगा के तहत किये गए कार्यों का सामाजिक-लेखांकन (Social Audit) अनिवार्य है, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही और पारदर्शिता में विस्तार होता है।
- उपलिब्धयाँ:
 - ◆ वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.95 करोड़ व्यक्तियों को 5.98 लाख संपत्ति निर्माण कार्य को पूरा करने और 34.56 करोड़ व्यक्ति-दिनों का सुजन करने के लिये काम की पेशकश की गई है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):

- परिचय:
 - ♦ यह जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है।
- उद्देश्यः
 - इस योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब पिरवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।
- कार्यप्रणाली:
 - ◆ इसमें स्व-सहायित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से सामुदायिक संस्थाओं के साथ कार्य किया जाना शामिल
 है जो DAY-NRLM का एक अनूठा प्रस्ताव है।
 - ◆ स्वयं-सहायता संस्थानों और बैंकों के वित्तीय संसाधनों तक पहुँच के माध्यम से अन्य सुविधाओं के साथ-साथ प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में शामिल कर, उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उनकी सूक्षम-आजीविका योजनाओं को सुविधाजनक बनाना और उन्हें अपनी आजीविका योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाकर सार्वभौमिक सामाजिक लामबंदी के माध्यम से आजीविका को प्रभावित करना है।
- उपलब्धियाँ:
 - ♦ वित्त वर्ष 2021 में लगभग 56 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड महिला स्वयं सहायता समूहों को जारी किया गया जो कि वित्त वर्ष 2020 की समान अविध में 32 करोड़ रुपए था।
 - इस कार्यक्रम के तहत कृषि और गैर-कृषि आधारित आजीविका पर प्रशिक्षण, कोविड प्रबंधन और कृषि-पोषक उद्यानों को बढ़ावा देना
 शामिल है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):

- आरंभ: 25 दिसंबर , 2000.
- उद्देश्य:
 - 🔷 इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली असंबद्ध बस्तियों को बारहमासी सड़क नेटवर्क प्रदान करना है।
- लाभार्थी:
 - ♦ इसमें निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण करना शामिल है। योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार (2001 की जनगणना के अनुसार) मैदानी क्षेत्रों में 500+ और उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250+ निर्धारित किया गया है।
- उपलिब्धयाँ:
 - ◆ विगत 3 वर्षों की में तुलनीय अविध में इस योजना के तहत सड़कों की सर्वाधिक लंबाई का निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीणः

- आरंभ:
 - वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु 1 अप्रैल, 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana-IAY) का पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) कर दिया गया था।

- उद्देश्य:
 - पूर्ण अनुदान सहायता प्रदान करके आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा गैर-लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रह रहे ग्रामीण लोगों की मदद करना।
- लाभार्थी:
 - इसके लाभार्थियों में एससी/एसटी, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी श्रेणियाँ, विधवाओं या कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मियों के
 परिजन, पूर्व सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक शामिल हैं।
 - ♦ 2011 की सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना (SECC) से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
- उपलिब्धयाँ:
 - ◆ वित्त वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत 5854 करोड़ रुपए का सबसे अधिक व्यय दर्ज किया गया जो वित्त वर्ष 2020 की तुलनीय अविध के मुकाबले दोगुना है।

चुनावी बॉण्ड

चर्चा में क्यों?

विधानसभाओं के चुनाव के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में 695.34 करोड़ रुपए के चुनावी बॉण्ड बेचे गए। वर्ष 2018 में योजना शुरू होने के बाद से किसी भी विधानसभा चुनाव में चुनावी बॉण्ड से प्राप्त यह राशि सबसे अधिक थी।

प्रमुख बिंदु

- चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है।
- चुनावी बॉण्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किये जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्डों को जारी करने और भुनाने (Encash) के लिये अधिकृत बैंक है, ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं।
- यह बॉण्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है।
 - ♦ केवल वे राजनीतिक दल ही चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के योग्य हैं जो जन-प्रितिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(A) के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने बीते आम चुनाव में कम-से-कम 1% मत प्राप्त किया है।
- बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
 - एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।
 - बॉण्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।
- इसमें दो प्रमुख समस्याएँ हैं-
 - ♦ एक, पारदर्शिता की कमी, क्योंकि जनता को यह नहीं पता कि कौन किसको क्या दे रहा है और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है।
 - ♦ दूसरा, मंत्रालयों के माध्यम से केवल सरकार के पास ही इसकी जानकारी रहती है।
- हालाँकि भारत के चुनाव आयोग ने कहा है कि यह योजना नकद वित्तपोषण की पुरानी प्रणाली की तुलना में एक कदम आगे है, जो कि जवाबदेह नहीं थी।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू करने के लिये प्रमुख संस्था केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission- CIC) ने फैसला किया है कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड योजना के माध्यम से चंदा देने वालों के विवरण का खुलासा करने में कोई सार्वजनिक हित नहीं है और इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana) के अंतर्गत अब तक 22 नए क्षेत्रीय एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) की स्थापना को मंज़ूरी दे दी गई है।

प्रमुख बिंदु

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के विषय में:

- लॉन्च:
 - इस योजना की घोषणा वर्ष 2003 में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा अस्पतालों की उपलब्धता से जुड़े असंतुलन को दूर करने और देश में चिकित्सा
 शिक्षा में सुधार के लिये की गई थी।
- नोडल मंत्रालय:
 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
- दो घटक:
 - एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करना।
 - विभिन्न राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना।
 - प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की लागत केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वहन की जाती है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि:
 - यह निधि स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त 'सिंगल नॉन लैप्सेबल रिज़र्व फंड' है।
- प्रधानमंत्री आत्मिनर्भर स्वस्थ भारत योजनाः
 - इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी।
 - इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों (अंतिम मील तक) में प्राथिमक, माध्यिमक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना तथा देश में ही अनुसंधान, परीक्षण एवं उपचार के लिये एक आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन:
 - ◆ यह मिशन चार प्रमुख डिजिटल पहलों यथा- हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रिजस्ट्री के साथ एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है।
- आयुष्मान भारत (दोतरफा दृष्टिकोण):
 - स्वास्थ्य देखभाल सुविधा घरों के करीब सुनिश्चित करने के लिये स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण।
 - स्वास्थ्य देखभाल से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम से गरीब और कमज़ोर पिरवारों की रक्षा के लिये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) का निर्माण।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017:
 - ♦ इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है, साथ ही बदलते सामाजिक-आर्थिक, तकनीकी और महामारी परिदृश्यों से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान का प्रयास करना है।
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषि परियोजनाः
 - ♦ इस पिरयोजना के अंतर्गत जन औषिध केंद्रों को गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता वाली महँगी ब्रांडेड दवाओं के समतुल्य जेनेरिक दवाइयों को कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिये स्थापित किया गया है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:
 - ♦ इस मिशन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर शुरू किया गया था।
 - ◆ इसके तहत प्रजनन-मातृ-नवजात शिशु-बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य (Reproductive-Maternal-Neonatal-Child and Adolescent Health- RMNCH+A) तथा संक्रामक व गैर-संक्रामक रोगों के दोहरे बोझ से निपटने के लिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

मलेरकोटला: पंजाब का 23वाँ ज़िला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य के 23वें जिले के रूप में मलेरकोटला (Malerkotla) के गठन की घोषणा की है।

 पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 5 के अनुसार, "राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तहसीलों, जिलों तथा डिवीजनों जिनमें राज्य विभाजित है, की संख्या में परिवर्तन कर सकती है या उन्हें बदल सकती है"

प्रमुख बिंदुः

मलेरकोटला का इतिहास:

- मलेरकोटला एक पूर्व रियासत है और पंजाब का एकमात्र मुस्लिम बहुल शहर है।
- ऐतिहासिक रूप से मलेरकोटला की नींव 15वीं शताब्दी में सूफी संत शेख सदरूद्दीन सदर-ए-जहां ने रखी इन्हें हैदर शेख के नाम से भी जाना जाता है।
- मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मलेरकोटला के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किया और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के साथ गठबंधन कर लिया जब उसने भारत पर आक्रमण किया।
 - अहमद शाह अब्दाली ने वर्ष 1748-1767 तक भारत पर आठ बार आक्रमण किया।
- 19वीं शताब्दी में मलेरकोटला सीस-सतलज (cis-Sutlej) राज्यों में से एक बन गया।
- मलेरकोटला वर्ष 1947 तक (जब यह पूर्वी पंजाब में एकमात्र मुस्लिम बहुल सिख राज्य बन गया) ब्रिटिश संरक्षण और पड़ोसी सिख राज्यों के साथ गठबंधन के तहत अस्तित्व में रहा।
- वर्ष 1948 में रियासतों के विघटन के बाद मलेरकोटला पेप्सू या पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) के नए राज्य में शामिल हो गया। पेप्सू को वर्ष 1954 में ही भंग कर दिया गया तथा मलेरकोटला पंजाब का हिस्सा बन गया।

सीस-सतलज राज्य (Cis-Sutlej Sates):

- सिस-सतलज राज्य 19वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र में छोटे राज्यों का एक समूह था जो उत्तर में सतलज नदी, पूर्व में हिमालय, दिक्षण में यमुना नदी और दिल्ली जिला तथा पश्चिम में सिरसा जिले के बीच स्थित था।
- इन राज्यों को अंग्रेज़ो द्वारा सिस-सतलज कहा जाता था क्योंकि वे ब्रिटिश या दक्षिणी सतलज नदी के किनारे पर स्थित थे।
- सिस-सतलुज राज्यों में कैथल, पिटयाला, जींद, थानेसर, मलेरकोटला और फरीदकोट शामिल थे।
- सिख महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में इसके विलय के खतरे के कारण उन्होंने अंग्रेज़ो से अपील की जिन्होंने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि (1809) द्वारा उन पर प्रभुत्व स्थापित किया।
- राज्य, भारत की स्वतंत्रता (1947) तक अस्तित्व में रहे, उस समय वे पिटयाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) में संगठित हो गए थे।
- बाद में वे भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा में समाहित हो गए।

- मलेरकोटला और सिख समुदाय:
 - ♦ 'हा दा नारा' एपिसोड 1705 (Haa Da Naara' Episode 1705):
 - वर्ष 1705 में सरिहंद के नवाब वजीर खान द्वारा गुरु गोविंद सिंह के छोटे सािहबजादे के सबसे छोटे बेटों [जोरावर सिंह (9) और फतेह सिंह (6)] के क्रूर निष्पादन के खिलाफ मलेरकोटला नवाब शेर मोहम्मद खान ने अपनी आवाज ('हा दा नारा') उठाई थी।
 - शेर मोहम्मद खान द्वारा उठाई गई आवाज की याद में मलेरकोटला में गुरुद्वारा हा दा नारा साहिब की स्थापना की गई।
 - 🔷 वड्डा घल्लूगारा (1762): नवाब भीकम शाह ने वर्ष 1762 में सिखों के खिलाफ लड़ाई में अब्दाली की सेना की तरफ से युद्ध लड़ा।
 - इस युद्ध को 'वड्डा घल्लुगारा' या महान प्रलय के रूप में जाना जाता है जिसमें हजारों सिख मारे गए थे।
 - ◆ मित्रता की संधि (1769): वर्ष 1769 में मलेरकोटला के तत्कालीन नवाब द्वारा पटियाला के राजा अमर सिंह के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किये गए।
 - नामधारी नरसंहार (1872): 15 जनवरी, 1872 को हीरा सिंह और लहना सिंह के नेतृत्व में नामधारी (सिखों का एक पंथ) की टुकड़ियों
 ने मलेरकोटला (पंजाब) के ब्रिटिश प्रशासन पर हमला किया।
 - ब्रिटिश प्रशासन ने आदेश दिया कि नामधारी क्रांतिकारियों को परेड ग्राउंड में लाया जाए और तोपों से उड़ा दिया जाए।
 - शहादत के प्रतीक के रूप में उस मैदान का नाम अब 'कुिकया दा शहीदी पार्क' (Kukian Da Shaheedi Park) रखा गया है।

नए ज़िले का निर्माण

- राज्य की भूमिका: नए ज़िले बनाने या मौजूदा ज़िलों की स्थिति बदलने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है।
 - ♦ ऐसा या तो एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके किया जा सकता है।
 - ♦ अधिकांश राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके जिले संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करना पसंद करते हैं।
- निर्माण का उद्देश्य: राज्यों का तर्क है कि छोटे जिले बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देते हैं।
 - ◆ उदाहरण के लिये वर्ष 2016 में असम सरकार ने 'प्रशासिनक सुविधा' के लिये 'माजुली उप-मंडल' को 'माजुली जिले' में परिवर्तित करने के लिये एक अधिसूचना जारी की थी।
- केंद्र की भूमिका: जिलों के परिवर्तन या नए जिलों के निर्माण में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। राज्य इस संबंध में निर्णय लेने के लिये पूर्णत:
 स्वतंत्र हैं।
 - गृह मंत्रालय: गृह मंत्रालय की भूमिका तब महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब कोई राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहता है।
 - राज्य सरकार के अनुरोध को अन्य विभागों और एजेंसियों- जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुिफया विभाग, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग, विज्ञान एवं रेल मंत्रालय को मंज़्रिरी के लिये भेजा जाता है।
 - इन विभागों और मंत्रालयों द्वारा आवश्यक जाँच के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।
- भारत में जिलों की संख्या
 - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 593 जिले थे।
 - वर्ष 2001-2011 के बीच राज्यों द्वारा कुल 46 जिलों का निर्माण किया गया।
 - यद्यपि वर्ष 2021 की जनगणना अभी बाकी है, लेकिन वर्तमान समय में देश में लगभग 718 जिले हैं।
 - देश में जिलों की संख्या में वृद्धि का एक प्रमुख कारण वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन और तेलंगाना के निर्माण को माना जा सकता है।

भारत में डेटा संरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर अपनी गोपनीयता नीति के एक विवादास्पद अपडेट को वापस लेने के लिये कहा है जो भारतीयों के डेटा संरक्षण हेतु खतरा हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

विवाद के विषय में:

- व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार इसके उपयोगकर्त्ता फेसबुक के साथ व्हाट्सएप को डेटा (जैसे लोकेशन और नंबर) शेयर करने से नहीं रोक पाएंगे। इसे रोकने के लिये इन्हें अपने अकाउंट को पूरी तरह से बंद करना होगा।
 - ◆ इस प्रकार के नए अपडेट को फेसबुक पर विज्ञापनों को वैयक्तिकृत करने के साथ-साथ इसके प्लेटफॉर्म पर होने वाले व्यावसायिक इंटरैक्शन को आसान बनाने के लिये डिजाइन किया गया है।
- सरकार के अनुसार, व्हाट्सएप की यह नई नीति यूरोप में इसके उपयोगकर्त्ताओं की तुलना में भारतीय उपयोगकर्त्ताओं के साथ भेदभाव करती
 है।
 - यूरोप में व्हाट्सएप उपयोगकर्त्ता यूरोपीय संघ (EU) में लागू सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation) नामक कानूनों के कारण इस नई नीति से बच सकते हैं। इस विनियमन से वे अपने डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करने से मना कर सकते हैं।

डेटा संरक्षण का अर्थः

- डेटा सुरक्षा भ्रष्टाचार, समझौता या नुकसान से महत्त्वपूर्ण जानकारियों की सुरक्षा की प्रक्रिया है।
 - डेटा सूचना का एक बड़ा संग्रह है जो कंप्यूटर या नेटवर्क पर संग्रहीत होता है।
- डेटा सुरक्षा का महत्त्व बढ़ता जा रहा है क्योंिक नई और संग्रहीत डेटा की मात्रा तेज़ी से बढ़ती जा रही है।

आवश्यकताः

- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Internet and Mobile Association of India) की डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट, 2019 के अनुसार लगभग 504 मिलियन सिक्रय वेब उपयोगकर्त्ता हैं और भारत का ऑनलाइन बाजार चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
- व्यक्तियों और उनकी ऑनलाइन खरीदारी आदतों के बारे में जानकारी लाभ का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया है। यह निजता के हनन का एक संभावित तरीका भी है क्योंकि यह अत्यंत व्यक्तिगत पहलुओं को प्रकट कर सकता है।
 - इसे कंपनियाँ, सरकारें और राजनीतिक दल महत्त्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि ये इसका उपयोग लोगों ऑनलाइन विज्ञापन देने के लिये कर सकते हैं।

विश्व में डेटा सुरक्षा के लिये कानून:

- यूरोपीय संघः जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण प्रदान करना
 है।
- अमेरिका: इसके पास डिजिटल प्राइवेसी के मामलों से निपटने के लिये क्षेत्रीय कानून हैं जैसे- यूएस प्राइवेसी एक्ट, 1974, ग्राम्म-लीच-ब्लिले एक्ट (Gramm-Leach-Bliley Act) आदि।

भारत में पहल:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:
 - यह कंप्यूटर सिस्टम से डेटा के संबंध में कुछ उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और उसमें संग्रहीत डेटा के अनिधकृत उपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना, जिसके बाद केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण के अनुशासन में कानून का प्रस्ताव करने के लिये न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की नियुक्ति की थी।

- 🔷 इस सिमिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 के रूप में अपनी रिपोर्ट और मसौदा सरकार को सौंपा।
- ♦ संसद ने वर्ष 2019 में फिर से संशोधित किया और नए बिल को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (Personal Data Protection Bill), 2019 नाम दिया है।
 - इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा से संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा करना और उक्त उद्देश्यों तथा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित मामलों के लिये भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण (Data Protection Authority of India) की स्थापना करना है।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 से संबंधित चिंताएँ:

- यह दो तरफा तलवार की तरह है। जहाँ यह भारतीयों के व्यक्तिगत डेटा को मूल अधिकारों के साथ सशक्त बनाकर उनकी रक्षा करता है, वहीं
 दूसरी ओर यह केंद्र सरकार को ऐसी छूट देता है जो व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
 - डेटा सिद्धांतों की अस्पष्टता के कारण सरकार जरूरत पड़ने पर संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भी संसाधित (Process) कर सकती है।

आगे की राह

- इस डिजिटल युग में डेटा एक मूल्यवान संसाधन है जिसे अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इस संदर्भ में भारत को एक मज़बूत डेटा संरक्षण व्यवस्था बनानी चाहिये।
- अब समय आ गया है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 में आवश्यक परिवर्तन किये जाएँ, जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर जोर देने के साथ उपयोगकर्ता अधिकारों पर केंद्रित हो। इन अधिकारों को लागू करने के लिये एक गोपनीयता आयोग की स्थापना करनी होगी।
- सरकार को सूचना के अधिकार को मज़बूत करते हुए नागरिकों की निजता का भी सम्मान करना होगा। इसके अतिरिक्त पिछले दो-से तीन वर्षों में हुई तकनीकी विकास की भी इस संदर्भ में आवश्यकता है कि इनमें डेटा को सुरक्षित करने की क्षमता है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) का 12वाँ वार्षिक दिवस (20 मई को) मनाया गया।

प्रमुख बिंदू

आयोग के बारे में:

- सांविधिक निकाय:
 - 🔷 भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिये जिम्मेदार है।
 - ◆ CCI की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्तूबर, 2003 को की गई थी, लेकिन इसने 20 मई, 2009 से पूरी तरह से कार्य करना शुरू किया।
- CCI की संरचना:
 - प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
 CCI का गठन:
- CCI की स्थापना प्रतिस्पद्धी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी:
 - ♦ प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2007 को प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद अधिनियमित किया गया था, जिसके कारण CCI और प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय अधिकरण की स्थापना हुई।
 - सरकार ने 2017 में प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) में बदल दिया।

CCI की भूमिका और कार्य:

- प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्निलिखित उपाय करता है:
 - उपभोक्ता कल्याण: उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लिये बाजारों को कार्यसक्षम बनाना।
 - अर्थव्यवस्था के तीव्र तथा समावेशी विकास एवं वृद्धि के लिये देश की आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना।
 - आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग के उद्देश्य से प्रतिस्पर्द्धा नीतियों को लागू करना।
 - क्षेत्रीय नियामकों के साथ प्रभावी संबंधों व अंत:क्रियाओं का विकास व संपोषण तािक प्रतिस्पर्द्धा कानून के साथ क्षेत्रीय विनियामक कानूनों का बेहतर संरेखण/तालमेल सुनिश्चित हो सके।
 - प्रतिस्पर्धा के पक्ष में समर्थन को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाना और सभी हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के लाभों को लेकर सूचना का प्रसार करना ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा की संस्कृति का विकास तथा संपोषण किया जा सके।

CCI की आवश्यकताः

- मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिये: आर्थिक स्वतंत्रता और हमारे मुक्त उद्यम प्रणाली के संरक्षण के लिये प्रतिस्पर्द्धा महत्त्वपूर्ण है।
- बाजार को विकृतियों से बचाने के लिये: प्रतिस्पर्द्धा कानून की आवश्यकता इसलिये उत्पन्न हुई क्योंिक बाजार विफलताओं एवं विकृतियों
 का शिकार हो सकता है और अपनी प्रधान स्थिति के दुरुपयोग जैसे प्रतिस्पर्द्धा विरोधी गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं जो आर्थिक दक्षता
 और उपभोक्ता कल्याण पर प्रतिकृल प्रभाव डालते हैं।
- घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये: ऐसे युग में जहाँ अर्थव्यवस्थाएँ बंद अर्थव्यवस्थाओं से खुली अर्थव्यवस्थाओं में पिरणत हो रही हैं, घरेलू उद्योगों की निरंतर व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये एक प्रभावी प्रतिस्पर्द्धा आयोग का होना आवश्यक है जो संतुलन को बनाए रखते हुए उद्यमों को प्रतिस्पर्द्धा के लाभों का अवसर प्रदान करती है।

MCA 21 संस्करण 3.0: डिजिटल कॉर्पोरेट अनुपालन पोर्टल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने अपने डिजिटल कॉर्पोरेट अनुपालन पोर्टल, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs- MCA) 21 संस्करण 3.0 के नवीनतम अपडेट के पहले चरण की शुरुआत की।

 यह भारत में व्यापार सुगमता सूचकांक (Ease Of Doing Business) को बेहतर बनाने में मदद करेगा। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट- 2020 में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- यह कॉर्पोरेट अनुपालन तथा हितधारकों के अनुभव को और कारगर बनाने के लिये नवीनतम तकनीकों के उपयोग का लाभ उठाएगा।
- MCA 21 भारत सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं का हिस्सा रहा है।
 - ◆ MCA 21 संस्करण 3.0 बजट 2021 की घोषणा का हिस्सा है।
 - ◆ MCA 21 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) का ऑनलाइन पोर्टल है जिसने कंपनी से संबंधित सभी जानकारियों को विभिन्न हितधारकों और आम जनता के लिये सुलभ बना दिया है। इसे वर्ष 2006 में शुरू किया गया था।
- संपूर्ण परियोजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू करने का प्रस्ताव है और यह डेटा एनालिटिक्स तथा मशीन लर्निंग पर आधारित होगी।
- MCA 21 V3.0 से न सिर्फ मौजूदा सेवाओं और मॉड्यूल्स में पूर्ण रूप से सुधार होगा, बल्कि ई-न्यायिक निर्णय, अनुपालन प्रबंधन प्रणाली, बेहतर हेल्पडेस्क, फीडबैक सेवाएँ, यूजर डैशबोर्ड, सेल्फ-रिपोर्टिंग टूल और बेहतर मास्टर डेटा सेवाएँ मिलेंगी।

• इसमें एक संशोधित वेबसाइट, MCA अधिकारियों के लिये नई ईमेल सेवाएँ और दो नए मॉड्यूल अर्थात् ई-बुक और ई-परामर्श शामिल हैं।

उद्देश्य:

• इसे कंपनी अधिनियम, 1956, नई कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत सिक्रिय प्रवर्तन एवं कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित करने के लिये डिजाइन किया गया है। इससे व्यवसायिक समुदाय को अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी।.

लाभ:

- कानून में ऐतिहासिक परिवर्तनों के लिये एक ट्रैकिंग तंत्र के साथ-साथ अद्यतन कानूनों तक आसान पहुँच।
- यह कॉर्पोरेट अनुपालन संस्कृति को नया अर्थ देगा तथा कॉर्पोरेट नियामक एवं शासन प्रणाली में विश्वास को और बढ़ाएगा।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार के लिये किये गए अन्य उपाय:

- एकीकृत निगमन प्रपत्र:
 - कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिये सरलीकृत प्रोफार्मा (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically- SPICe) पेश किया गया था जो एक ही प्रपत्र के माध्यम से तीन मंत्रालयों की 8 सेवाओं का विस्तार करता है।
- RUN- आरक्षित अद्वितीय नाम:
 - यह एक वेब सेवा (Web Service) है जिसका उपयोग किसी नई कंपनी के लिये नाम आरक्षित करने या उसका मौजूदा नाम बदलने के लिये किया जाता है। वेब सेवा यह सत्यापित करने में मदद करती है कि कंपनी के लिये चुना गया नाम अद्वितीय है या नहीं।
- दिवाला और दिवालियापन संहिता:
 - ◆ दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 ने भारत में दिवालियापन की समस्या को हल करने में नए आयाम पेश किये हैं। यह कॉपोरिट दिवाला का भारत का पहला व्यापक कानून है।

हेट स्पीच की परिभाषा

चर्चा में क्यों?

चूँिक भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) में "हेट स्पीच" (Hate Speech) की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसिलये पहली बार इस तरह की भाषा को परिभाषित करने के लिये ब्रिटिश समय की इस संहिता में सुधारों का सुझाव देने हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक कानूनों पर सुधार सिमित (Committee for Reforms in Criminal Law) प्रयास कर रही है।

प्रमुख बिंदु

हेट स्पीचः

- सामान्य तौर पर यह उन शब्दों को संदर्भित करता है जिनका इरादा किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना है, यह समूह एक समुदाय,
 धर्म या जाति हो सकता है। इस भाषा का अर्थ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप हिंसा होने की संभावना होती है।
- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने हाल ही में साइबर उत्पीड़न के मामलों पर जाँच एजेंसियों के लिये एक मैनुअल प्रकाशित किया है, जिसमें हेट स्पीच को एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति की पहचान और अन्य लक्षणों जैसे- यौन, विकलांगता, धर्म आदि के आधार पर उसे बदनाम, अपमान, धमकी या लक्षित करती है।

- भारत के विधि आयोग (Law Commission) की 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया है।
- यह निर्धारित करने के लिये कि भाषा अभद्र है या नहीं, भाषा का संदर्भ एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हेट स्पीच के प्रमुख कारण:

- लोग उन रूढ़ियों में विश्वास करते हैं जो उनके दिमाग में बसी हुई हैं और ये रूढ़ियाँ उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिये प्रेरित करती हैं कि
 एक वर्ग या व्यक्तियों का समूह उनसे हीन है तथा इसलिये सभी के एक समान अधिकार नहीं हो सकते।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के अधिकार की परवाह िकये बिना िकसी विशेष विचारधारा को मानते रहने की जिद हेट स्पीच को और बढ़ाती है।

हेट स्पीच से संबंधित भारतीय दंड प्रावधान:

- भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत:
 - ♦ धारा 153A और 153B: दो समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाता है।
 - ♦ धारा 295A: यह धारा जान-बूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से लोगों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है।
 - ◆ धारा 505(1) और 505(2): यह धारा ऐसी सामग्री के प्रकाशन तथा प्रसार को अपराध बनाती जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न हो सकती है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत:
 - ♦ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People's Act), 1951 की धारा 8 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकती है।
 - ◆ आरपीए की धारा 123(3A) और 125: चुनावों के संदर्भ में जाति, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने पर रोक लगाती है और इसे भ्रष्ट चुनावी कृत्य के अंतर्गत शामिल करती है।

आईपीसी में बदलाव के लिये सुझाव:

- विश्वनाथन समिति, 2019:
 - ♦ इसने धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के आधार पर
 अपराध करने के लिये उकसाने हेतु आईपीसी में धारा 153 सी (बी) और धारा 505 ए का प्रस्ताव रखा।
 - इसने 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ दो वर्ष तक की सजा का प्रस्ताव रखा।
- बेजबरुआ समिति, 2014:
 - ◆ इसने आईपीसी की धारा 153 सी (मानव गरिमा के लिये हानिकारक कृत्यों को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास) में संशोधन कर पाँच वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों तथा धारा 509 ए (शब्द, इशारा या कार्य किसी विशेष जाति के सदस्य का अपमान करने का इरादा) में संशोधन कर तीन वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रस्ताव दिया।

आगे की राह

- विविध पृष्ठभूमि और संस्कृति की विशाल आबादी वाले भारत जैसे देश के लिये हेट स्पीच जैसे विषयों से निपटना एक जिटल मुद्दा बन जाता है क्योंकि स्वतंत्र स्पीच तथा हेट स्पीच के बीच अंतर करना मुश्किल है।
- भाषा को प्रतिबंधित करते समय कई कारकों जैसे- लोगों की राय और इसका लोगों की गरिमा, स्वतंत्रता तथा समानता के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव आदि पर विचार किया जाना चाहिये। निश्चित रूप से भारत में इस तरह के कृत्यों के लिये कानून हैं लेकिन पूरी तरह से इनका क्रियान्वयन होना अभी भी बाकी है।
- इसलिये हेट स्पीच की एक उचित परिभाषा देना खतरे से निपटने के लिये पहला कदम होगा, इसके साथ ही इस विषय पर जनता के बीच जागरूकता फैलाना समय की जरूरत है।

लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन मसौदा, 2021

चर्चा में क्यों?

लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण (LDA) के निर्माण के लिये जारी नवीनतम लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन मसौदा, 2021 के प्रति लक्षद्वीप के लोगों द्वारा व्यापक रूप से नाराजगी व्यक्त की गई है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण का गठन:
 - यह विनियमन सरकार, जिसे प्रशासक के रूप में पहचाना जाता है, को इसके तहत योजना और विकास प्राधिकरणों का गठन करने का अधिकार देता है तािक "खराब लेआउट या अप्रचलित विकास" के रूप में पहचाने जाने वाले किसी भी क्षेत्र के विकास की योजना बनाई जा सके।
 - इस प्रकार बनाया गया एक प्राधिकरण सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, एक नगर नियोजन अधिकारी और दो स्थानीय प्राधिकरण प्रतिनिधियों के अलावा तीन 'विशेषज्ञ' सरकारी नामितों के साथ एक निगमित निकाय होगा।
 - ◆ इन प्राधिकरणों को भूमि उपयोग के नक्शे तैयार करना, भूमि उपयोग के प्रकार के लिये ज्ञोन या क्षेत्र निर्धारित करना और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों, मुख्य सड़कों, रिंग रोड, प्रमुख गलियों, रेलवे, ट्रामवे, हवाई अड्डों, थिएटरों, संग्रहालयों आदि के लिये क्षेत्रों को इंगित करना हैं।
 - ♦ केवल छावनी क्षेत्रों (cantonment areas) को इससे छूट दी गई है।
- 'विकास' की परिभाषा:
 - ◆ यह विकास को भवन, इंजीनियरिंग, खनन, उत्खनन या अन्य कार्यों में संलग्न ऊपरी या निचली भूमि पर किसी पहाड़ी या उसके किसी भाग को काटने या किसी भवन या भूमि में किसी भी भौतिक परिवर्तन या किसी भवन या भूमि के उपयोग के रूप में परिभाषित करता है।
- ज्ञोन परिवर्तन के लिये शुल्कः
 - यह निर्धारित करता है कि द्वीप वासियों को क्षेत्र परिवर्तन के लिये प्रभावी शुल्क का भुगतान करना होगा।
 - ♦ इसका तात्पर्य यह है कि विकास योजना के अनुसार क्षेत्रों को पिरविर्तित करने या अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्थानीय लोगों को शुल्क का
 भुगतान करना होगा, साथ ही अपनी भूमि विकसित करने की अनुमित के लिये शुल्क भी देना होगा।
- दंड:
 - ◆ यह विकास योजना के कार्यों या श्रमिकों के मार्ग में बाधा डालने पर कारावास जैसे दंड का प्रावधान करता है।

लोगों की चिंताएँ:

- अचल संपत्ति हित:
 - ♦ लोगों को संदेह है कि यह मसौदा 'अचल संपित्त हितों' के इरादे से जारी किया गया हो सकता है जो द्वीप वासियों के स्वामित्व वाली संपित्त की लघु जोत पर कब्ज़ा करने की कोशिश है, उनमें से अधिकांश (2011 की जनगणना के अनुसार 94.8%) अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित हैं।
 - लक्षद्वीप में 'हस्तांतरणीय विकास अधिकार' जैसी अचल संपत्ति विकास अवधारणाओं को शामिल करने के प्रस्तावों ने लोगों के सामूहिक प्रवासन के भय को उत्पन्न किया है।
- जबरन स्थानांतरण (पुनर्वास) और निष्कासन:
 - इसमें अधिकार के अतिरिक्त ऐसी शिक्तयाँ निहित हैं कि यह किसी भी क्षेत्र के लिये व्यापक विकास योजनाएँ तैयार कर सकती है और लोगों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध उनको स्थानांतरित कर सकता है।

- ◆ यह ज़बरन निष्कासन का अधिकार देता है, मालिक को प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार अपनी संपत्ति विकसित करने का दायित्व प्रदान करता है और साथ ही गैर-अनुपालन की स्थिति में उन्हें भारी दंड देने का भी प्रावधान करता है।
- संस्कृति का विनाश:
 - द्वीप के समुदायों का एक घनिष्ठ समूह है जिसमें पिरवार निकटता में रहते हैं। यह विनियमन उनके द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही तौर-तरीकों को नष्ट कर देगा।
- पारिस्थितिक चिंताएँ:
 - यह मसौदा न तो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ है और न ही सामाजिक रूप से व्यवहारपूर्ण है तथा इस मसौदे को तैयार करने से पहले स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों से सलाह नहीं ली गई थी।

लक्षद्वीप (Lakshadweep)

परिचय:

- 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश, लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, जिसमें कुल 36 द्वीप शामिल हैं।
- यह एक प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है।
- लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल तीन उप-द्वीप समूह शामिल हैं:
 - अमीनदीव द्वीप समूह
 - ♦ लेकाडाइव द्वीप समूह
 - मिनिकॉय द्वीप समृह
- अमीनदीव द्वीप समूह सबसे उत्तर में है, जबिक मिनिकॉय द्वीप समूह सबसे दक्षिण में है।
- यहाँ के सभी छोटे द्वीप प्रवाल मुलक (एटोल) हैं और ये चारों तरफ से फ्रिंजिंग रीफ से घिरे हुए हैं।
- राजधानी कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है।
- पिट्टी द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है। यह एक निर्जन द्वीप है।

जनसंख्या:

- यहाँ की 93% से अधिक आबादी स्वदेशी हैं जिनमें मुस्लिम धर्म के अधिकांश सुन्नी संप्रदाय के शफी पंथ (Shafi School) से संबंधित हैं।
- यहाँ के सभी द्वीपों (मिनिकॉय को छोड़कर) में मलयालम भाषा बोली जाती है, यहाँ के स्थानीय लोग महल (Mahl) बोली बोलते हैं जो दिवेही (Divehi) लिपि में लिखी जाती है और यह मालदीव में भी बोली जाती है।
- सभी स्वदेशी आबादी को उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस केंद्रशासित प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति नहीं है।
- लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, नारियल की खेती और रस्सी बनाना (Coir Twisting) है। यहाँ पर्यटन एक उभरता हुआ उद्योग है।

जैविक कृषि क्षेत्र: हाल ही में भारत की भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) के तहत संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है।

वन स्टॉप सेंटर

चर्चा में क्यों?

महिला और बाल विकास मंत्रालय लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिये 10 देशों में वन स्टॉप सेंटर (One Stop Centres- OSC) स्थापित करेगा।

- इनमें बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के जेद्दा और रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा सिंगापुर शामिल है जहाँ वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे।
- यह सभी जिलों में लगभग 700 मौजूदा OSC के अलावा देश में 300 OSC भी स्थापित करेगा।

प्रमुख बिंदु

वन स्टॉप सेंटर के बारे में:

- यह मिहलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था।
- यह इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (Indira Gandhi Mattritav Sahyaog Yojana) सिहत राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के लिये अंब्रेला योजना की एक उप-योजना है।
- एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिये देश भर में वन स्टॉप सेंटर और विश्व भर में प्रत्येक मिशन के लिये कम-से-कम एक OSC स्थापित किया जाएगा।
 - भारतीय मिशन विश्व भर में भारतीयों और भारत सरकार के बीच संपर्क हेतु एक महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

उद्देश्य:

- परिवार के भीतर या कार्यस्थल पर या समुदाय के भीतर, निजी या सार्वजिनक स्थानों पर होने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करना।
 - ◆ विशेष रूप से उन महिलाओं के लिये जो अपनी जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग, शिक्षा की स्थिति, उम्र, संस्कृति या वैवाहिक स्थिति के बावजूद
 यौन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना करती हैं।

अनुदान:

 यह निर्भया फंड के माध्यम से वित्तपोषित है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

निर्भया फंड

- निर्भया फंड फ्रेमवर्क महिलाओं की सुरक्षा के लिये एक नॉन-लैप्सेबल कॉर्पस फंड प्रदान करता है।
 - इसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी।
- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (MoF) के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) द्वारा प्रशासित है।
- इसका उपयोग महिला सुरक्षा से संबंधित पिरयोजनाओं और पहलों के लिये किया जा सकता है।

लेखा परीक्षाः

 लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मानदंडों के अनुसार की जाएगी और सामाजिक लेखा परीक्षा भी नागरिक समाज समृहों द्वारा की जाएगी।

सेवाएँ:

- आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएँ।
- मेडिकल सहायता।
- प्राथिमकी दर्ज करने में महिलाओं की सहायता।
- मनो-सामाजिक समर्थन और परामर्श।
- कानूनी सहायता और परामर्श।
- आश्रय।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिये भारतीय कानूनी ढाँचा:

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO), 2012
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961।

महिलाओं के लिये कुछ अन्य पहलें:

- शी-बॉक्स पोर्टल।
- सुकन्या समृद्धि योजना।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना।
- राष्ट्रीय शिशुगृह योजना।
- महिला ई-हाट।
- गति योजना।
- किरण योजना।

CBI निदेशक की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'सुबोध कुमार जायसवाल' को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) का नया निदेशक नियुक्त किया है।

• CBI के निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (Delhi Special Police Establishment Act), 1946 की धारा 4ए के तहत की जाती है।

प्रमुख बिंदु

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के बारे में:

- CBI की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
 - अब CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training- DoPT) के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम सिमित (1962-1964) द्वारा CBI की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
- CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) केंद्र सरकार की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है।
 - यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है।
 - यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।
- CBI का नेतृत्व एक निदेशक करता है।
- CBI के पास IPC में 69 केंद्रीय कानूनों, 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित अपराधों की जाँच करने का अधिकार क्षेत्र है।

CBI निदेशक की नियुक्तिः

- CBI का निदेशक पुलिस महानिरीक्षक, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में संगठन के प्रशासन के लिये जिम्मेदार है।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (1946) में संशोधन किया और CBI के निदेशक की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किये।
 - ♦ नियुक्ति सिमिति: केंद्र सरकार तीन सदस्यीय सिमिति की सिफारिश पर CBI के निदेशक की नियुक्ति करेगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शामिल होंगे।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 ने CBI के निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति की संरचना में बदलाव किया।
 - ◆ इसमें कहा गया है कि जहाँ लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता उस समिति का सदस्य होगा।
- निदेशक का कार्यकाल: CBI के निदेशक को CVC अधिनियम, 2003 द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है।

CBI निदेशक से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले:

- छह महीने के न्यूनतम अविशष्ट कार्यकाल नियम को सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2019 के आदेश में पेश किया था।
 - ♦ छह महीने से कम के कार्यकाल वाले किसी भी अधिकारी को प्रमुख पद के लिये विचार नहीं किया जा सकता है।
 - ♦ हालाँकि प्रकाश सिंह मामले में आदेश DGP की नियुक्ति से संबंधित था, लेकिन इसे CBI निदेशक तक भी बढ़ा दिया गया था।
- प्रकाश सिंह मामले, 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि DGP की नियुक्ति "पूरी तरह से योग्यता के आधार पर और कार्यालय को सभी प्रकार के प्रभावों और दबावों से बचाने के लिये होनी चाहिये"।
 - ♦ उच्च स्तरीय सिमिति की पूर्व सहमित के बिना उसका तबादला नहीं किया जा सकता है।
- भारत संघ बनाम सी. दिनाकर (Union of India versus C. Dinakar), 2001 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि
 "आमतौर पर CBI निदेशक की सेवानिवृत्ति की तिथि पर सेवा में सबसे विरष्ठ चार बैचों के IPS अधिकारी उनके पैनल के बावजूद CBI
 निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये विचार के पात्र होंगे।"

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System- NPS) और अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) के अंतर्गत एसेट अंडर मैनेजमेंट (Assets Under Management- AUM) 6 लाख करोड़ (6 ट्रिलियन) रुपए की सीमा को पार कर गया है।

एसेट अंडर मैनेजमेंट निवेश का कुल बाजार मूल्य है जिसे कोई व्यक्ति या संस्था निवेशकों की तरफ से संभालती है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विषय में:
 - इस प्रणाली की शुरुआत केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 में (सशस्त्र बलों को छोड़कर) की।
 - इसको वर्ष 2018 में सुव्यवस्थित करने तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभपहुँचाने हेतु योजना में बदलाव को मंज़्री दी।

- एनपीएस को देश में पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित और विनियमित किया जा रहा है।
- ♦ पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (National Pension System Trust) एनपीएस के तहत आने वाली सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है।
- संरचना: एनपीएस की संरचना द्विस्तरीय है:
 - ♦ टियर- 1 खाता:
 - यह गैर-निकासी योग्य स्थायी सेवानिवृत्ति खाता है, जिसमें संग्रहीत राशि को ग्राहक के विकल्प के अनुसार निवेश किया जाता है।
 - टियर- 2 खाता:
 - यह एक स्वैच्छिक निकासी योग्य खाता है जिसकी अनुमित केवल तभी दी जाती है जब ग्राहक के नाम पर एक सिक्रय टियर-I खाता हो।
 - अभिदाता अपनी इच्छानुसार इस खाते से अपनी बचत राशि को निकालने के लिये स्वतंत्र है।
- लाभार्थीः
 - एनपीएस मई 2009 से भारत के सभी नागरिकों के लिये उपलब्ध है।
 - ♦ 18-65 वर्ष के आयु वर्ग में भारत का कोई भी नागरिक (निवासी और अनिवासी दोनों) एनपीएस में शामिल हो सकता है।
 - ♦ लेकिन इसके अंतर्गत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (Overseas Citizens of India) और भारतीय मूल के व्यक्ति (Person of Indian Origin) कार्डधारक तथा हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family) खाते खोलने के लिये पात्र नहीं हैं।

अटल पेंशन योजनाः

- अटल पेंशन योजना के विषय में:
 - यह योजना मई 2015 में सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रिमकों के लिये एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
 - ♦ इस योजना को पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू िकया गया है जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना से जुड़ने वालों में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात 57:43 का है।
 - हालाँकि इसके अंतर्गत अभी तक केवल 5% पात्र आबादी को कवर किया गया है।
- प्रशासितः
 - 🔷 इस योजना को एनपीएस के माध्यम से 'पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण' द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- योग्यताः
 - इस योजना में 18-40 वर्ष के बीच की आयु वाला भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है।
 - ◆ इस योजना में देर से शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि ज्यादा और जल्दी शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि कम होती है।
- लाभ:
 - ♦ यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करता है।
 - अभिदाता की मृत्यु होने पर पित या पत्नी को जीवन भर के लिये पेंशन की गारंटी दी जाती है।
 - ♦ अभिदाता और उसकी/उसका पत्नी/पित दोनों की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।

पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण

पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के विषय में:

 यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिये संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है। • यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Service) के अंतर्गत काम करता है।

कार्यः

- यह विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे- पेंशन फंड मैनेजर (Pension Fund Manager), सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (Central Record Keeping Agency) आदि की नियुक्ति का कार्य करता है।
- यह एनपीएस के तहत पेंशन उद्योग को विकसित, बढ़ावा और नियंत्रित करता है तथा एपीवाई का प्रबंधन भी करता है।

नए आईटी नियम, 2021 में ट्रेसेबिलिटी का प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने नए आईटी नियम, 2021 में शामिल ट्रेसेबिलिटी (Traceability) प्रावधान को चुनौती देने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ रुख किया है।

• इससे पूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर अपनी गोपनीयता नीति के एक विवादास्पद अपडेट को वापस लेने के लिये कहा था, जो भारतीयों के डेटा संरक्षण हेतु खतरा हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

ट्रेसेबिलिटी (Traceability) प्रावधानः

- इसके लिये मध्यस्थों को इस प्लेटफॉर्म पर सूचना के पहले संकेतक या उत्प्रेरक की पहचान करने हेतु सक्षम करने की आवश्यकता है।
- राज्यों की मध्यस्थता के नियम 4 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि एक महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ जो मुख्य रूप से मैसेजिंग की प्रकृति में सेवाएँ प्रदान करता है, अपने कंप्यूटर संसाधन पर सूचना के पहले संकेतक की पहचान को सक्षम करेगा जैसा कि न्यायिक आदेश या आदेश द्वारा आवश्यक हो जो सूचना और प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 के तहत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया।
- इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफल पाए जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति को वापस ले लेगा।

उत्पन्न समस्याएँ:

- निजता और वाक-स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन:
 - ◆ यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (end-to-end encryption) प्रावधानों को खत्म करता है और उपयोगकर्ताओं की निजता और वाक्-स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
 - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
 - अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में तथा संविधान के भाग III (पुट्टास्वामी जजमेंट 2017, Puttaswamy Judgement 2017) द्वारा स्वतंत्रता की गारंटी के अंग के रूप में संरक्षित किया गया है।
 - विश्व भर के राष्ट्रों ने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-to-End Encryption) के "महत्त्वपूर्ण लाभ" और उस सुरक्षा प्रोटोकॉल को कमजोर करने वाले खतरों की पहचान की है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हतोत्साहित करना:
 - वाक्-स्वतंत्रता और निजता का अधिकार उपयोगकर्त्ताओं को अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करने, गैरकानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट करने और प्रतिशोध के डर के बिना लोकप्रिय विचारों को चुनौती देने के लिये प्रोत्साहित करता है, जबिक भारत में सूचना के पहले संकेतक की पहचान को सक्षम करने से गोपनीयता भंग होती है और यह विचारों की मुक्त अभिव्यक्ति को हत्तोत्साहित करता है।

- मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगाना:
 - ◆ इस तरह की आवश्यकता से पत्रकारों को अलोकप्रिय, नागरिक या कुछ अधिकारों पर चर्चा करने और राजनेताओं या नीतियों की आलोचना या वकालत करने वाले मुद्दों की जाँच पर प्रतिशोध का खतरा हो सकता है।
 - म्राहक और अधिवक्ता (Clients and Attorneys) इस डर से गोपनीय सूचना को साझा करने से मना कर सकते हैं कि उनके संचार की निजता और सुरक्षा अब लंबे समय तक सुनिश्चित नहीं है।
- ट्रेसेबिलिटी की क्षमता उत्प्रेरक खोजने में प्रभावी नहीं है:
 - ♦ किसी विशेष संदेश के उत्प्रेरक या संकेतक का पता लगाने में ट्रेसेबिलिटी प्रभावी नहीं होगी क्योंकि लोग आमतौर पर वेबसाइटों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री देखते हैं और फिर उन्हें चैट में कॉपी-पेस्ट करते हैं।
 - मूल रूप से इसे किस रूप में साझा किया गया था, इसके संदर्भ को समझना भी असंभव होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79

- यह स्पष्ट करता है कि किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट किये गए किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, संचार या डेटा लिंक के लिये कानूनी या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
 - 🔷 वृतीय पक्ष की जानकारी से आशय एक नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा मध्यस्थ के रूप में उसकी क्षमता से संबंधित किसी जानकारी से है।
- अधिनियम कहता है कि यह सुरक्षा तब लागू होगी जब उक्त मध्यस्थ किसी भी तरह से विचाराधीन संदेश के प्रसारण की पहल नहीं करता है, प्रसारण में निहित किसी भी जानकारी को संशोधित नहीं करता है या प्रेषित संदेश के रिसीवर का चयन नहीं करता है।
- सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा सूचित या अधिसूचित किये जाने के बावजूद यदि मध्यस्थ, प्रश्नाधीन सामग्री तक तत्काल पहुँच को अक्षम नहीं बनाता है, तो इसे अनुमोदित नहीं किया जाएगा।
- इस अधिनियम के अनुसार, मध्यस्थ को इन संदेशों या उस मंच पर मौजूद सामग्री के किसी भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिये, ऐसा न करने पर वह अधिनियम के अंतर्गत अपनी प्रतिरक्षा खो देगा।

एंड-ट-एंड एन्क्रिप्शन बनाम ट्रेसेबिलिटी

- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को यह सुनिश्चित करने में मदद करने हेतु तैयार किया गया था कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी यह नहीं जान सकता कि आपने एक विशेष संदेश भेजा है। जबिक ट्रेसेबिलिटी यह पता लगाने की क्षमता के ठीक विपरीत है, जिससे पता चलता है कि किसने किसे क्या संदेश भेजा है।
 - ◆ एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एक संचार-प्रणाली है जहाँ केवल संचार करने वाले उपयोगकर्त्ता ही संदेशों को पढ़ सकते हैं।
- ट्रेसिबिलिटी द्वारा निजी कंपनियों को प्रत्येक दिन भेजे जाने वाले अरबों संदेशों (किसने-क्या भेजा और क्या संग्रहीत किया) की जानकारी एकत्रित करने के लिये मज़बूर किया जाएगा। इसके लिये एक प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता होगी जो इन सूचनाओं को केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपने के उद्देश्य से अधिक डेटा एकत्र करने में सक्षम होगी।

मेकेदातु परियोजनाःकावेरी नदी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) द्वारा संयुक्त समिति गठित करने के निर्णय को चुनौती देने का फैसला किया है।

- यह संयुक्त सिमिति मेकेदातु में अनिधकृत निर्माण गितिविधि के आरोपों की जाँच करेगी, जहाँ कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर एक बाँध बनाने का प्रस्ताव किया गया था।
 - मेकेदात (जिसका अर्थ है बकरी की छलांग) कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती निदयों के संगम पर स्थित एक गहरी खाई है।

प्रमुख बिंदुः

मेकेदातु परियोजनाः

- इस परियोजना की कुल लागत 9,000 करोड़ रुपए है जिसका उद्देश्य बंगलूरु शहर के लिये पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति करना है। परियोजना के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट (मेगावाट) बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है।
- वर्ष 2017 में सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था।
- परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट को पहले ही जल संसाधन मंत्रालय (Ministry of Water Resources) से मंज़ूरी मिल मिल चुकी है तथा अब इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) से मंज़ूरी मिलना शेष है।
 - ♦ MoEFCC का अनुमोदन प्राप्त होना इसिलये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे कावेरी वन्यजीव अभयारण्य (Cauvery Wildlife Sanctuary) का 63% वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा।
- वर्ष 2018 में, तिमलनाडु राज्य द्वारा पिरयोजना के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) में अपील की गई, हालाँकि कर्नाटक द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था यह पिरयोजना तिमलनाडु में जल के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगी।
- जून 2020 में, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority) की बैठक के दौरान, तिमलनाडु ने परियोजना को लेकर पुन: अपना विरोध व्यक्त किया।

तमिलनाडु द्वारा विरोध के कारण:

- तिमलनाडु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने तक ऊपरी तट (Upper Riparian) पर प्रस्तावित किसी भी पिरयोजना का विरोध करता है।
- कर्नाटक को इस मामले में निचले तटवर्ती राज्य यानी तिमलनाडु की सहमित के बिना अंतरराज्यीय नदी पर कोई जलाशय बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
 - ◆ यह परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal-CWDT) के उस अंतिम निर्णय के विरुद्ध है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी राज्य विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है या अन्य राज्यों को अंतरराज्यीय निदयों के जल से वंचित करने का अधिकार नहीं रखता है।
- CWDT और SC ने पाया है कि कावेरी बेसिन में उपलब्ध मौजूदा भंडारण सुविधाएँ जल भंडारण और वितरण हेतु पर्याप्त थीं, इसलिये कर्नाटक का प्रस्ताव प्रथम दृष्टि में सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिये।

कावेरी नदी विवाद

कावेरी नदी (कावेरी):

- तिमल भाषा में इसे 'पोन्नी' के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को दक्षिण की गंगा (Ganga of the south) भी कहा जाता है और यह दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है।
- यह दक्षिण भारत की एक पिवत्र नदी है। इसका उद्गम दिक्षण-पिश्चमी कर्नाटक राज्य के पिश्चमी घाटों में स्थित ब्रह्मिगरी पहाड़ी से होता है तथा यह कर्नाटक एवं तिमलनाडु राज्यों से होती हुई दिक्षण-पूर्व दिशा में बहती है और एक शृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है इसके बाद पांडिचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मणतीर्थ, शिमसा, कािबनी, भवानी, हरंगी आिद इसकी कुछ सहायक निदयाँ हैं।

विवाद:

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
 - ♦ चूँिक इस नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है और केरल से आने वाली प्रमुख सहायक निदयों के साथ यह तिमलनाडु से होकर बहती है तथा पांडिचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिये इस विवाद में 3 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।

- ♦ इस विवाद का इतिहास लगभग 150 साल पुराना है तथा तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर के बीच वर्ष 1892 एवं वर्ष 1924 में हुए दो समझौते भी इससे जुड़े हुए हैं।
- ◆ इन समझौतों में इस सिद्धांत को शामिल किया गया था कि ऊपरी तटवर्ती राज्य को किसी भी निर्माण गतिविधि (उदाहरण के लिये कावेरी नदी पर जलाशय) के लिये निचले तटवर्ती राज्य की सहमित प्राप्त करनी होगी।
- हालिया विकास:
 - ◆ वर्ष 1974 से, कर्नाटक ने अपने चार नए बने जलाशयों में तिमलनाडु की सहमित के बिना पानी को मोड़ना शुरू कर दिया, जिसके पिरणामस्वरूप विवाद उत्पन्न हुआ।
 - इस मामले को सुलझाने के लिये, वर्ष 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal-CWDT) की स्थापना की गई थी। सामान्य वर्षा की स्थिति में कावेरी नदी के जल को 4 तटवर्ती राज्यों के बीच किस प्रकार साझा किया जाना चाहिये इस संदर्भ में अंतिम आदेश (2007) तक पहुँचने में न्यायाधिकरण को 17 वर्षों का समय लगा।
 - → न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि संकट के वर्षों में जल साझाकरण हेतु आनुपातिक आधार का उपयोग किया जाना चाहिये। सरकार ने पुन: 6 वर्ष का समय लिया और वर्ष 2013 में आदेश को अधिसूचित किया।
 - इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसके तहत कर्नाटक को तिमलनाडु के लिये 12000 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के बाद राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ।
 - ◆ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय वर्ष 2018 में आया जिसमें न्यायालय ने कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपित्त घोषित किया और CWDT द्वारा जल-बंटवारे हेतु अंतिम रूप से की गई व्यवस्था को बरकरार रखा तथा कर्नाटक से तिमलनाडु को किये जाने वाले जल के आवंटन को भी कम कर दिया।
 - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, कर्नाटक को 284.75 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (tmcft), तिमलनाडु को 404.25 tmcft,
 केरल को 30 tmcft और पुदुचेरी को 7 tmcft जल प्राप्त होगा।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को कावेरी प्रबंधन योजना (Cauvery Management Scheme) को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने जून 2018 में 'कावेरी जल प्रबंधन योजना' अधिसूचित की, जिसके तहत 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' (Cauvery Water Management Authority- CWMA) और 'कावेरी जल विनियमन समिति' (Cauvery Water Regulation Committee) का गठन किया गया।

आगे की राहः

- राज्यों को क्षेत्रीय दृष्टिकोण को त्यागने की ज़रूरत है क्योंकि समस्या का समाधान सहयोग और समन्वय में निहित है न कि संघर्ष में। स्थायी एवं पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य समाधान के लिये बेसिन स्तर पर योजना तैयार की जानी चाहिये।
- दीर्घाविध में वनीकरण, रिवर लिंकिंग आदि के माध्यम से नदी का पुनर्भरण किये जाने और जल के दक्षतापूर्ण उपयोग (जैसे- सूक्ष्म सिंचाई आदि) को बढ़ावा देने के साथ-साथ जल के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु लोगों को जागरूक करने तथा जल स्मार्ट रणनीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

ACCR पोर्टल और आयुष संजीवनी एप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एक आभासी समारोह में अपना 'आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी' (ACCR) पोर्टल और आयुष संजीवनी एप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदुः

आयुष क्लिनिकल केस रिपोज़िटरी पोर्टल:

 यह आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष चिकित्सकों और जनता दोनों का समर्थन करने के लिये एक मंच के रूप में संकिल्पत और विकित्त िकया गया है।

- यह सभी के लाभ हेतु सफलतापूर्वक इलाज किये गए मामलों के बारे में जानकारी साझा करने के लिये दुनिया भर के आयुष चिकित्सकों का स्वागत करता है।
- जिन मामलों का विवरण इस पोर्टल पर दिया जाता है, उनकी विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जाएगी और उनकी समीक्षा को सभी को पढ़ने के लिये अपलोड किया जाएगा।
- लक्ष्य:
 - ♦ विभिन्न रोगों के उपचार के लिये आयुष प्रणाली की शक्ति को व्याख्यायित करना।

आयुष संजीवनी एप का तीसरा संस्करण:

- इसे आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा विकसित किया गया है।
 - इसका पहला संस्करण मई 2020 में लॉन्च किया गया था।
- इसका लक्ष्य देश में 50 लाख लोगों तक पहुँच स्थापित करना है।
- इस एप का उद्देश्य आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा तथा होम्योपैथी) के उपयोग व जनसंख्या के बीच के उपायों और कोविड -19 की रोकथाम में इसके प्रभाव संबंधी आँकडे एकत्रित करना है।
- लक्ष्य
 - कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों में रोग प्रितरोधक क्षमता बढ़ाने और खुद को स्वस्थ रखने के लिये जनता द्वारा अपनाए गए उपायों को समझना।
 - विश्लेषित आँकड़े आयुष तंत्र के अग्रणी विकास में सहायक होंगे।
- लाभः
 - यह आयुष विज्ञान के तरीकों एवं उनकी प्रभावकारिता के बारे में महत्त्वपूर्ण अध्ययन और प्रलेखन की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें आयुष-64 और 'कबसुरा कुदिनीर दवाएँ' शामिल हैं जो स्पर्शोन्मुख और हल्के से मध्यम लक्षणों वाले कोविड -19 रोगियों के प्रबंधन में शामिल हैं।
 - आयुष-64 'केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद' (CCRAS) द्वारा विकसित एक पॉली-हर्बल फॉर्मूलेशन है। यह मानक देखभाल सहयोगी के रूप में स्पर्शोन्मुख, हल्के और मध्यम कोविड -19 संक्रमण के उपचार में उपयोगी है।
 - प्रारंभ में मलेरिया हेतु वर्ष 1980 में यह दवा विकसित की गई थी और अब इसे कोविड -19 के लिये पुन: तैयार किया गया है।
 - 'काबासुरा कुदिनीर' एक पारंपिरक फॉर्मूलेशन है जिसका उपयोग सिद्ध चिकित्सकों द्वारा सामान्य श्वसन स्वास्थ्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिये किया जाता है।

संबंधित पहल:

- राष्ट्रीय आयुष मिशन: भारत सरकार आयुष चिकित्सा प्रणाली के विकास और संवर्द्धन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) नामक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है।
- आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र।
- हाल ही में एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से विशिष्ट सर्जिकल प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया है तथा कहा गया है कि आयुर्वेद के स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को इस प्रणाली से परिचित होने के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने हेतु व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित होना चाहिये।

आयुष तंत्रः

आयुर्वेद:

- 'आयुर्वेद' शब्द दो अलग-अलग शब्दों 'आयु' अर्थात जीवन और 'वेद' यानी ज्ञान के मेल से बना है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में आयुर्वेद का अर्थ 'जीवन का विज्ञान' है।
- इसका उद्देश्य संरचनात्मक और कार्यात्मक संस्थाओं को संतुलन की स्थिति में रखना है, जो विभिन्न प्रक्रियाओं, आहार, स्वास्थ्य, दवाओं और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है।

योगः

- योग एक प्राचीन शारीरिक, मानिसक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी।
- 🕨 'योग' शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकत्रित होना अर्थात शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक।
- आज दुनिया भर में विभिन्न रूपों में इसका अभ्यास किया जाता है और इसकी लोकप्रियता में वृद्धि जारी है (अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून)।

प्राकृतिक चिकित्साः

- प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर को स्वयं को स्वास्थ्य रखने में मदद करने के लिये प्राकृतिक उपचार का उपयोग करती है। यह जड़ी-बूटियों, मालिश, एक्यूपंक्चर, व्यायाम और पोषण संबंधी परामर्श सिंहत कई उपचारों को अपनाता है।
- इसके कुछ उपचार सिदयों पुराने हैं लेकिन वर्तमान में यह पारंपिरक उपचारों को आधुनिक विज्ञान के कुछ पहलुओं के साथ जोड़ती है।

यूनानी:

- यूनानी प्रणाली की उत्पत्ति ग्रीस में हुई थी और इसकी नींव हिप्पोक्रेटस ने रखी थी।
- हालाँकि यह प्रणाली अपने वर्तमान स्वरूप का श्रेय अरबों को देती है, जिन्होंने न केवल ग्रीक साहित्य को अरबी में प्रस्तुत करके बचाया, बल्कि अपने स्वयं के योगदान से अपनी चिकित्सा पद्धित को भी समृद्ध किया।
- इसे भारत में अरबों और फारिसयों द्वारा ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास पेश किया गया था।
- भारत में यूनानी शैक्षिक, अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की सबसे बड़ी संख्या है।

सिब्द:

- दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में सिद्ध चिकित्सा पद्धति का अभ्यास किया जाता है।
- 'सिद्ध' शब्द 'सिद्धि' से बना है जिसका अर्थ है उपलिब्ध। सिद्ध वे पुरुष थे जिन्होंने चिकित्सा, योग या तप (ध्यान) के क्षेत्र में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया।

सोवा-रिग्पाः

- "सोवा-रिग्पा" जिसे आमतौर पर तिब्बती चिकित्सा पद्धित के रूप में जाना जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी, जीवित और अच्छी तरह से प्रलेखित चिकित्सा परंपराओं में से एक है।
- यह चिकित्सा पद्धित तिब्बत में उत्पन्न हुई और भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया तथा रूस में लोकप्रिय रूप से प्रचलित है। सोवा-रिग्पा के अधिकांश सिद्धांत और व्यवहार "आयुर्वेद" के समान हैं।
- सोवा-रिग्पा इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं के शरीर 'जंग-वा-नगा' (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) के पाँच ब्रह्मांडीय भौतिक तत्त्वों से निर्मित हैं।
- जब हमारे शरीर में इन तत्त्वों का अनुपात असंतुलित हो जाता है तो विकार उत्पन्न होते हैं।

होम्योपैथी:

- होम्योपैथी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, होमोइस का अर्थ 'समान' और पाथोस का अर्थ है 'पीड़ा'। इसे भारत में 18वीं शताब्दी में पेश किया गया था।
- होम्योपैथी का सीधा सा अर्थ है कि उपचार के साथ बीमारियों का इलाज छोटी खुराक से निर्धारित किया जाता है, जो स्वस्थ लोगों द्वारा लिये जाने पर रोग के समान लक्षण पैदा करने में सक्षम होते हैं, अर्थात- "सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटूर" का सिद्धांत, इसका अर्थ है कि रोगी उन्हीं औषिधयों से निरापद रूप से शीघ्रातिशीघ्र और अत्यंत प्रभावशाली रूप से निरोग होते हैं जो रोगी के रोगलक्षणों से मिलते-जुलते लक्षण उत्पन्न करने में सक्षम हैं।।
- यह मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्तरों पर आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देकर बीमार व्यक्ति के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाता है।

वीर सावरकर जयंती

चर्चा में क्यों?

28 मई को भारत ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) की जयंती मनाई।

- वीर सावरकर एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील और लेखक थे।
- उन्हें स्वातंत्र्यवीर सावरकर (Swatantryaveer Savarkar) के नाम से भी जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु

- इनका जन्म 28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था।
- संबंधित संगठन और कार्यः
 - ♦ इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक भूमिगत सोसाइटी (Secret Society) की स्थापना की।
 - सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस (India House) तथा फ्री इंडिया सोसाइटी (Free India Society)
 जैसे संगठनों से जुड़े।
 - वे वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे।
 - ◆ सावरकर ने 'द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस' नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किये गए छापामार युद्ध (Guerilla Warfare) के तरीकों (Tricks) के बारे में लिखा था।
 - ◆ उन्होंने 'हिंदुत्व: हिंदू कौन है ?' पुस्तक भी लिखी।
- मुकदमे और सजाः
 - वर्ष 1909 में उन्हें मॉर्ले-मिंटो सुधार (भारतीय परिषद अधिनियम 1909) के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
 - 1910 में क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के लिये गिरफ्तार किया गया।
 - सावरकर पर एक आरोप नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिये उकसाने का था और दूसरा भारतीय दंड संहिता 121-ए के तहत
 राजा (सम्राट) के खिलाफ साजिश रचने का था।
 - दोनों मुकदमों में सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के कारावास की सज्जा सुनाई गई, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, उन्हें वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल ले जाया गया।
- मृत्यु : 26 फरवरी, 1966 को अपनी इच्छा से उपवास करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

अभिनव भारत सोसाइटी (यंग इंडिया सोसाइटी)

- यह वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक भूमिगत सोसाइटी (Secret Society) थी।
- प्रारंभ में नासिक में मित्र मेला के रूप में स्थापित समाज कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ भारत तथा लंदन के विभिन्न हिस्सों में शाखाओं से जुड़ा था।

इंडिया हाउस

- इसकी स्थापना श्यामजी किशन वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में की थी।
- इसे लंदन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिये खोला गया था।

फ्री इंडिया सोसाइटी

 सावरकर वर्ष 1906 में लंदन गए। उन्होंने जल्द ही इटैलियन राष्ट्रवादी ग्यूसेप माजिनी (सावरकर ने माजिनी की जीवनी लिखी थी) के विचारों के आधार पर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।

हिंदू महासभा

- अखिल भारत हिंदू महासभा (Akhil Bharat Hindu Mahasabha) भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक है क्योंकि इसका
 गठन वर्ष 1907 में हुआ था। प्रतिष्ठित नेताओं ने वर्ष 1915 में अखिल भारतीय आधार पर इस संगठन का विस्तार किया।
- इस संगठन की स्थापना करने वाले और अखिल भारतीय सत्रों की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों में पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, वीर विनायक दामोदर सावरकर आदि शामिल थे।

मिड-डे-मील' योजना के लिये DBT

चर्चा में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय ने सभी पात्र छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 'मिड-डे-मील' (MDM) योजना के तहत दिये जाने वाले भोजन की लागत को मौद्रिक सहायता के रूप में प्रदान करने के प्रस्ताव को मंज़्री दे दी है।

प्रमुख बिंदु

एमडीएम योजना के लिये DBT के निहितार्थ:

- कोविड-19 महामारी के कारण महीनों से स्कूल बंद हैं और इस कदम से 'मिड-डे-मील' कार्यक्रम को गति मिलेगी।
- यह योजना लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न वितरण करने से संबंधित भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ ही कार्यान्वित की जाएगी।
- यह बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करने के साथ-साथ महामारी के इस मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में उनकी प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
- इस एकमुश्त विशेष कल्याण उपाय से देश भर के 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक में पढ़ने वाले लगभग 11.8 करोड़ बच्चों को लाभ होगा।
- केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराएगी।

'मिड-डे-मील' कार्यक्रम

- लॉन्च: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था।
 - इसे प्राथिमक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम माना जाता है।
- नोडल मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
- उद्देश्य: भूख और कुपोषण को दूर करने, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार करने, जमीनी स्तर पर विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करना।
- पातधान
 - ◆ योजना के तहत कक्षा I से VIII तक पढ़ने वाले छह से चौदह वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता
 है।
 - ◆ इसके तहत प्राथमिक (कक्षा I से V तक) स्तर के लिये 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक (कक्षा I-VIII) के लिये 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन मिलता है।
 - ◆ खाद्यान्न की अनुपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से यदि विद्यालय में किसी दिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार आगामी माह की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी।
- लाभार्थी: सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों और समग्र शिक्षा के तहत समर्थित मदरसों के सभी बच्चे इस योजना में शामिल हैं।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना

- उद्देश्य: इस योजना को लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिये सहायता के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- क्रियान्वयन: इसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया
 था।
 - महालेखाकार कार्यालय की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के पुराने संस्करण यानी 'सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम' को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये एक सामान्य मंच के रूप में चुना गया था।
- DBT के घटक: प्रत्यक्ष लाभ योजना के क्रियान्वयन के प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली; RBI, NPCI, सार्वजिनक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत एक मजबूत भुगतान एवं समाधान मंच शामिल है (जैसे बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की निपटान प्रणाली और NPCI की आधार पेमेंट प्रणाली आदि)।
- DBT से जुड़ी अन्य योजनाएँ:
 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान योजना, स्वच्छ भारत मिशन
 ग्रामीण, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन।



आर्थिक घटनाक्रम

राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत रसायन बैटरी (Advanced Chemistry Cell) के आयात को कम करने के लिये इसके निर्माताओं हेत् 18,100 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना को मंज़री दी है।

• इस योजना को राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम (National Programme on Advanced Chemistry Cell Battery Storage) के नाम से जाना जाता है। यह योजना भारी उद्योग और सार्वजिनक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises) के अधीन है।

प्रमुख बिंदु

- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के विषय में:
 - ♦ इस योजना का उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देना है।
 - यह विदेशी कंपिनयों को भारत में इकाइयाँ स्थापित करने के लिये आमंत्रित करता है, हालाँकि इसका उद्देश्य स्थानीय कंपिनयों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार करने हेतु प्रोत्साहित करना है।
 - इस योजना को ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी हार्डवेयर जैसे-लैपटॉप, मोबाइल फोन और दूरसंचार उपकरण, रासायिनक बैटरी आदि क्षेत्रों के लिये भी मंजूरी दी गई है।
- उन्नत रसायन बैटरी के विषय में:
 - यह प्रौद्योगिकी की नई पीढ़ी है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत अथवा रासायिनक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे पुन: विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है।
 - 🔷 इस तरह की बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और बिजली ग्रिड में हो सकेगा।
- राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम के विषय में:
 - ◆ इस कार्यक्रम के तहत लगभग 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करके देश मं ि 50 गीगावॉट ऑवर्स की एसीसी निर्माण क्षमता स्थापित करने की योजना है।
 - प्रत्येक चयनित ACC बैटरी स्टोरेज निर्माता को न्यूनतम 5 GWh क्षमता की ACC निर्माण सुविधा स्थापित करने, 25% का घरेलू मूल्यवर्द्धन (Domestic Value Addition) प्राप्त करने और 2 वर्षों के भीतर 225 करोड़ रुपए/GWh का अनिवार्य निवेश करने की आवश्यकता होती है।
 - ♦ इसके अलावा लाभार्थी फर्मों को पाँच वर्षों के भीतर परियोजना स्तर पर न्यूनतम 60% घरेलू मूल्यवर्द्धन सुनिश्चित करना होगा।
 - प्रोत्साहन राशि पाँच वर्ष की अविध में वितिरत की जाएगी। इसका भुगतान बिक्री, ऊर्जा दक्षता, बैटरी जीवन चक्र और स्थानीयकरण स्तरों के आधार पर किया जाएगा।
- एनपीएसीसी योजना के अपेक्षित लाभ:
 - भारत में बैटरी निर्माण की मांग को पूरा करना।
 - मेक इन इंडिया और आत्मिनिर्भर भारत को सुगम बनाना।
 - इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को सुगम बनाना, जिनसे कम प्रदूषण होता है।
 - ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी में कमी आएगी।

- प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 करोड रुपए का आयात बचेगा।
- एसीसी में उच्च विशिष्ट ऊर्जा सघनता को हासिल करने के लिये अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन।
- नई और अनुकूल बैटरी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन।

स्वामी फंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने सस्ते और मध्यम आय वाले आवासों (Special Window for Affordable & Mid-Income Housing- SWAMIH) के लिये विशेष विंडो के माध्यम से अपनी पहली आवासीय परियोजना पूरी की।

 उपनगर मुंबई में स्थित आवासीय पिरयोजना, रिवाली पार्क, भारत की पहली ऐसी आवासीय पिरयोजना थी जिसे स्वामी फंड के तहत धन प्राप्त हुआ था।

प्रमुख बिंदु

- स्वामी फंड के बारे में:
 - यह सरकार समर्थित फंड है जिसे सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी- II AIF (वैकल्पिक निवेश कोष) ऋण फंड के रूप में स्थापित किया
 गया था, इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था।
 - ◆ स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड (SWAMIH Investment Fund) का गठन RERA-पंजीकृत किफायती और मध्यम आय वर्ग की आवास परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिये किया गया था, जो धन की कमी के कारण रुकी हुई है।
 - ♦ फंड का निवेश प्रबंधक SBICAP वेंचर्स (SBICAP Ventures) है जो कि SBI कैपिटल मार्केट्स के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
 - SBI कैपिटल मार्केट्स, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
 - भारत सरकार की ओर से कोष का प्रायोजक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव है।

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण

- शुरुआतः
 - ◆ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA) 2016 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 1 मई, 2017 से पूरी तरह से लागू हुआ।
 - अधिनियम ने रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन के लिये प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority- RERA) की स्थापना की और त्वरित विवाद समाधान के लिये एक निर्णायक निकाय के रूप में भी कार्य करता है।
- लक्ष्य:
 - यह घर-खरीदारों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ रियल एस्टेट की बिक्री/खरीद में दक्षता और पारदर्शिता लाकर रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- वैकल्पिक निवेश कोष (AIF):
 - AIF का अर्थ भारत में स्थापित या निगमित कोई भी फंड है जो एक निजी रूप से जमा निवेश वाहन है जो अपने निवेशकों के लाभ के लिये एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने के लिये परिष्कृत निवेशकों, चाहे भारतीय हो या विदेशी, से धन एकत्र करता है।
 - ♦ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) विनियम (AIF), 2012 के विनियम 2(1)(बी) में AIF की परिभाषा निर्धारित की गई है।
 - एक कंपनी या एक सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership- LLP) के माध्यम से एक वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित किया जा सकता है।

- ◆ AIF में फंड प्रबंधन गतिविधियों को विनियमित करने के लिये सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996, सेबी (सामूहिक निवेश योजना)
 विनियम, 1999 या बोर्ड के किसी अन्य विनियम के तहत शामिल धन शामिल नहीं है।
 - अन्य छूटों में परिवार ट्रस्ट (Family Trusts), कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट (Employee Welfare Trusts) या ग्रेच्युटी ट्रस्ट (Gratuity Trusts) शामिल हैं।
- ♦ AIF की श्रेणियाँ:
 - श्रेणी-I:
 - इन फंडों का उन व्यवसायों में धन निवेश किया जाता है जिनमें वित्तीय वृद्धि की क्षमता होती है जैसे- स्टार्ट-अप, लघु और मध्यम उद्यम।
 - सरकार इन उपक्रमों में निवेश को प्रोत्साहित करती है क्योंकि उच्च उत्पादन और रोजगार सृजन के संबंध में उनका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
 - उदाहरणों में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (Infrastructure Funds), एंजेल फंड (Angel Funds), वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Funds) और सोशल वेंचर फंड (Social Venture Funds) शामिल हैं।
 - श्रेणी- II:
 - इस श्रेणी के तहत इक्विटी प्रतिभूतियाँ और ऋण प्रतिभूतियाँ में निवेश किये गए फंड शामिल हैं। वे फंड जो पहले से क्रमश: श्रेणी
 I और III के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। श्रेणी II AIF के लिये किये गए किसी भी निवेश के लिये सरकार द्वारा कोई रियायत नहीं दी जाती है।
 - उदाहरणतः रियल एस्टेट फंड (Real Estate Fund), ऋण फंड (Debt Fund), निजी इक्विटी फंड (Private Equity Fund)।
 - श्रेणी- III:
 - श्रेणी-III AIF वे फंड हैं जो कम समय में रिटर्न देते हैं। ये फंड अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये जटिल और विविध व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से सरकार द्वारा इन निधियों के लिये कोई ज्ञात रियायत या प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।
 - उदाहरणतः इसमें हेज कोष (Hedge Fund), सार्वजनिक इक्विटी कोष में निजी निवेश (Private Investment In Public Equity Fund) आदि शामिल हैं।

स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) द्वारा स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज (Spot Gold Exchange) स्थापित करने हेतु एक रूपरेखा का प्रस्ताव रखा गया है।

- स्पॉट एक्सचेंज वह स्थान है जहाँ तत्काल वितरण हेतु वित्तीय साधनों जैसे- वस्तुओं, मुद्राओं और प्रतिभूतियों का कारोबार होता है।
- अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत की गई थी जो कि एक एक वैधानिक निकाय है।

प्रमुख बिंदुः

गोल्ड एक्सचेंज की रूपरेखाः

- पहले चरण में एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर स्थानीय रूप से निर्मित या आयातित सोने की डिलीवरी की इच्छुक इकाई को सेबी के विनियमित वॉल्ट मैनेजर से संपर्क करना होगा और उसे फिजिकल गोल्ड (Physical Gold) को जमा कराना होगा जो गुणात्मक (Quality) और मात्रात्मक (Quantity) दोनों पैरामीटर्स पर खरा उतरे।
- दूसरे चरण में एक्सचेंज पर ट्रेड करने हेतु वाल्ट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (Electronic Gold Receipt- EGR) जारी करेगा ।

- लाभ प्राप्तकर्त्ता मालिक (Beneficial Owner) इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट को वॉल्ट मैनेजर को सौंप देगा और तीसरे चरण में सोने की डिलीवरी लेगा।
- तीनों चरण में जो भी कारोबार होगा, उसे आसान बनाने हेतु वाल्ट मैनेजर्स, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और स्टॉक एक्सचेंज के मध्य
 एक कॉमन इंटरफेस (Common Interface) को विकसित किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स के तहत सोने के विभिन्न प्रस्तावित मूल्य जैसे 1 किलोग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम का होगा तथा कुछ शर्तों के साथ इन्हें 5 और 10 ग्राम में भी रखा जा सकेगा।
- इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट की खरीद के समय प्रतिभूति लेन-देन कर (Security Transaction Tax- STT) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (Integrated Goods and Services Tax-IGST) लगाया जाएगा।

सेबी द्वारा उठाए गए अन्य मुद्देः

- इनमें वॉल्ट मैनेजर्स के मध्य फंगिबिलिटी (Fungibility) और इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability) शामिल हैं।
- फंगिबिलिटी का मतलब है कि ईजीआर 1 के तहत जमा किया गया सोना उसी अनुबंध विनिर्देशों को पूरा करने वाले ईजीआर 2 के अध्यर्पण (Surrender) पर दिया जा सकता है।
- इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि वॉल्ट मैनेजर द्वारा एक स्थान पर जमा किये गए गोल्ड को किसी दूसरे स्थान पर उसी या अलग वॉल्ट मैनेजर से वापस प्राप्त किया जा सकता है। इससे खरीदारों (Buyers) की लागत कम होगी ।

गोल्ड के लिये अलग एक्सचेंज बनाने का कारण:

- भारत में एक जीवंत स्वर्ण पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना (Vibrant Gold Ecosystem) जो वैश्विक स्तर पर स्वर्ण खपत के बड़े हिस्से के अनुरूप कार्य करता हो।
- भारत (चीन के बाद) विश्व स्तर पर सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसकी वार्षिक सोने की मांग लगभग 800-900 टन है, जो वैश्विक बाजारों में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
- गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने के पीछे भारत का उद्देश्य मूल्य चुकाने वाले के बजाय एक मूल्य निर्धारणकर्त्ता बनना है और लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (London Bullion Market Association- LBMA) के समान भारत में अच्छे वितरण मानक स्थापित करना है ।
- नया स्टॉक स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने से सिंगल रेफरेंस प्राइस (Single Reference Price), लिक्विडिटी (Liquidity), बेहतर डिलीवरी स्टैंडर्ड (Good Delivery Standard) जैसे फायदे हैं।

कन्वेंशन सेंटर्स को बुनियादी ढाँचे का दर्जा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा एक्जीबिशन/प्रदर्शनी स्थलों और कन्वेंशन/सम्मेलन केंद्रों (Convention Centres) को 'बुनियादी ढाँचे' का दर्जा दिया गया है।

• वर्ष 2020 में सरकार ने बुनियादी ढाँचे के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की सूची में किफायती किराया आवास योजनाओं (Affordable Rental Housing Project) को शामिल किया था।

प्रमुख बिंदुः

एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर के बुनियादी ढाँचे की स्थिति:

• एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर/प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र को एक नई वस्तु के रूप में सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (Social and Commercial Infrastructure) की श्रेणी में इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों (Infrastructure Sub-Sectors) की सामंजस्यपूर्ण मूल सूची में शामिल किया गया है।

- हालाँकि 'बुनियादी ढाँचा' परियोजनाओं का लाभ केवल उन्ही परियोजनाओं को मिलेगा, जिनका न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र (Minimum Built-Up Floor Area) 1,00,000 वर्ग मीटर का प्रदर्शनी स्थान (Exhibition Space) या कन्वेंशन स्पेस (Convention Space) या दोनों संयुक्त रूप से शामिल हों।
 - ♦ इसमें प्राथिमक सुविधाएँ जैसे- प्रदर्शनी केंद्र/एक्जीबिशन सेंटर, कन्वेंशन हॉल, ऑडिटोरियम, प्लेनरी हॉल, बिजनेस सेंटर, मीटिंग हॉल
 आदि शामिल हैं।
- यह कदम भारत के पर्यटन क्षेत्र में इस प्रकार की और परियोजनाओं को शुरू करने में मदद करेगा।

बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताः

- थाईलैंड जैसे देशों जो कि एक प्रमुख वैश्विक एमआईसीई गंतव्य (MICE destination) हैं, के विपरीत भारत में 7,000 से 10,000 लोगों की क्षमता वाले बड़े कन्वेंशन सेंटर या सिंगल हॉल नहीं हैं।
- भारत के MICE गंतव्य जिसमें मीटिंग (Meetings), इंसेंटिव (Incentive), कॉन्फ्रेंस (Conference) और एक्जीबिशन (Exhibition) शामिल हैं, बनने से देश में सिक्रय कई वैश्विक कंपिनयों से महत्त्वपूर्ण राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है। अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत मूल सूची:
- इस सूची को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसमें निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल हैं:
 - पिरवहन और संचालन: सड़कें और पुल, अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई अड्डा, आदि।
 - ऊर्जा: विद्युत उत्पादन, विद्युत संचरण, आदि।
 - जल और स्वच्छता: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल उपचार संयंत्र, आदि।
 - संचार: दूरसंचार आदि।
 - ◆ सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना: शिक्षा संस्थान (शेयर पूंजी), खेल अवसंरचना, अस्पताल (शेयर पूंजी), पर्यटन अवसंरचना,
 आदि।
- सूची में शामिल करने का तात्पर्य है रियायती निधि तक पहुँच, परियोजनाओं को बढ़ावा देना और निर्दिष्ट उप-क्षेत्रों हेतु निर्माण की निरंतरता का बने रहना।
- हालॉॅंकि इंफ्रास्ट्रक्चर टैग में अब महत्त्वपूर्ण टैक्स ब्रेक (Vital Tax Breaks) शामिल नहीं हैं।

DAP पर सब्सिडी बढ़ी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने किसानों के लिये बिक्री मूल्य को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने हेतु डी-अमोनियम फॉस्फेट (Di-Ammonium Phosphate- DAP) उर्वरक पर सब्सिडी को बढ़ाकर 140 प्रतिशत कर दिया है।

• हाल ही में DAP में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई हैं।

प्रमुख बिंदु

डी-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) के बारे में:

- ullet यूरिया के बाद DAP भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है।
- िकसान आमतौर पर इस उर्वरक का प्रयोग बुवाई से ठीक पहले या शुरुआत में ही करते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस (P) की मात्रा अधिक होती है जो जड़ के विकास में वृद्धि करता है।
- DAP (46% पी, 18% नाइट्रोजन) किसानों के लिये फॉस्फोरस का पसंदीदा स्रोत है। यह यूरिया के समान है, जो उनका पसंदीदा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है जिसमें 46% N होता है।

उर्वरकों के लिये सब्सिडी योजना के बारे में:

- वर्तमान योजना के तहत यूरिया की MRP तय है लेकिन सब्सिडी अलग-अलग हो सकती है, जबकि DAP की MRP नियंत्रणमुक्त है (यानी सब्सिडी तय है लेकिन MRP अलग-अलग हो सकती है)।
- सभी गैर-यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्त्व आधारित सिब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है।
 पोषक तत्त्व आधारित सिब्सिडी (NBS)
- NBS के तहत इन उर्वरकों में निहित पोषक तत्त्वों (N, P, K & S) के आधार पर किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक प्रदान किये जाते हैं।
- साथ ही जिन उर्वरकों को माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों जैसे मोलिब्डेनम (Molybdenum- Mo) और जस्ता के साथ मजबूत किया जाता है, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है।
- फॉस्फेटिक और पोटैसिक (P&K) उर्वरकों पर सिब्सिडी की घोषणा सरकार द्वारा प्रित किलो के आधार पर प्रत्येक पोषक तत्त्व के लिये वार्षिक आधार पर की जाती है जो कि P&K उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, विनिमय दर, देश में सूची स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है।
- NBS नीति का इरादा P&K उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना है ताकि NPK उर्वरक का इष्टतम संतुलन (N:P:K= 4:2:1) हासिल किया जा सके।
 - ◆ इससे मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिणामस्वरूप फसलों की उपज में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी।
 - ♦ साथ ही सरकार को उर्वरकों के तर्कसंगत उपयोग की उम्मीद है, इससे उर्वरक सब्सिडी का बोझ भी कम होगा।
- इसे उर्वरक और रसायन मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा अप्रैल 2010 से क्रियान्वित किया जा रहा है।

NBS से संबंधित मुद्देः

- उर्वरकों की कीमत में असंतुलन:
 - ♦ इस योजना में यूरिया को छोड़ दिया गया है और इसिलये इसका मूल्य नियंत्रण में रहता है क्योंकि केवल अन्य उर्वरकों पर ही NBS लागू किया गया है।
 - ♦ उर्वरकों (यूरिया के अलावा) की कीमत जो कि विनियंत्रित थी, 2010-2020 दशक के दौरान 2.5 से चार गुना तक बढ़ गई है।
 - ♦ हालाँिक वर्ष 2010 के बाद से यूरिया की कीमत में केवल 11% की वृद्धि हुई है। इससे किसान पहले की तुलना में अधिक यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उर्वरक असंतुलन में और अधिक वृद्धि हुई है।
- अर्थव्यवस्था और पर्यावरण लागत:
 - ◆ खाद्य सिंब्सिडी के बाद उर्वरक सिंब्सिडी दूसरी सबसे बड़ी सिंब्सिडी है, NBS नीति न केवल अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही है बिल्क देश की मिट्टी के स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक साबित हो रही है।
- कालाबाजारी: सिब्सिडी वाले यूरिया को थोक खरीदारों/व्यापारियों या यहाँ तक कि गैर-कृषि उपयोगकर्त्ताओं जैसे कि प्लाईवुड और पशु चारा निर्माताओं को दिया जा रहा है।
 - इसकी तस्करी बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में की जा रही है।

DAP पर सब्सिडी बढाने के निहितार्थ:

- चूँिक किसान खरीफ फसलों के लिये बुवाई का कार्य शुरू कर देंगे, इसलिये उनके लिये सब्सिडी दर पर उर्वरक प्राप्त करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखा जा सके।
- राजनीतिक रूप से सरकार चाहती है कि कोविड की दूसरी लहर के समय किसान विरोध को रोका जाए।

कॉर्पोरेट ऋण के लिये व्यक्तिगत गारंटर का दायित्त्व

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा जारी वर्ष 2019 की उस अधिसूचना को बरकरार रखा है जो ऋणदाताओं को व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देता है।

- यह अधिसूचना 'कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया' (CIRP) के समापन के बाद ऋणदाताओं को व्यक्तिगत गारंटर से अपने शेष ऋण की वसुली करने की अनुमति देती है।
- CIRP एक रिकवरी तंत्र है, जो 'इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' 2016 (IBC) के तहत लेनदारों को उपलब्ध कराया गया है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- परिभाषा: व्यक्तिगत गारंटर का आशय एक ऐसे व्यक्ति या एक संस्था से है, जो किसी अन्य व्यक्ति के ऋण का भुगतान करने की गारंटी देता है या वादा करता है, यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है।
- केंद्र सरकार की वर्ष 2019 की अधिसुचना: इस अधिसुचना के माध्यम से दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही कंपनियों के 'व्यक्तिगत गारंटर' को 'दिवाला और दिवालियापन संहिता' (IBC) के दायरे में लाया गया।
 - ♦ 'दिवाला और दिवालियापन संहिता' (IBC) की धारा 1(3) केंद्र सरकार को कोड के विभिन्न प्रावधानों को अधिसूचित करने की अनुमति देती है, ताकि इसे समय के साथ सही ढंग से लागू किया जा सके।
 - ♦ इन नियमों और विनियमों में कॉर्पोरेट देनदारों को व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध दिवाला समाधान और दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने, लेनदारों से दावों को आमंत्रित करने और ऐसे आवेदनों को वापस लेने आदि की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- नए नियम और विनियम लेनदारों को 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण' (NCLT) के समक्ष प्रमुख उधारकर्त्ता, यानी कंपनी और व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध एक साथ कानूनी कार्यवाही की अनुमति देते हैं।
 - ◆ अब तक IBC कोड केवल कॉर्पोरेट देनदारों के दिवाला समाधान और परिसमापन को कवर करता था।
- विपक्षी तर्क: केंद्र सरकार के पास कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिये चुनिंदा IBC प्रावधान लाने की शक्ति नहीं है।
 - गारंटर को अलग करना समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- स्वाभाविक संबंध: व्यक्तिगत गारंटर और उनके कॉर्पोरेट देनदारों के बीच एक 'स्वाभाविक संबंध' है।
 - ◆ IBC कोड की धारा 60 (2) के तहत कॉर्पोरेट देनदारों और उनके व्यक्तिगत गारंटर की दिवालियापन की कार्यवाही को एक सामान्य मंच यानी NCLT के समक्ष आयोजित करने को अनिवार्य बनाया गया है।
- निर्णायक प्राधिकरण: यदि कॉर्पोरेट देनदार, जिसके लिये गारंटी दी गई है, के संबंध में समानांतर समाधान प्रक्रिया लंबित है तो व्यक्तिगत गारंटर के लिये निर्णायक प्राधिकरण NCLT ही होगा।
 - 🔷 इस तरह यदि कॉर्पोरेट देनदारों और उनके व्यक्तिगत गारंटरों दोनों से संबंधित कार्यवाही एक ही स्थान पर होगी तो इससे 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण' (NCLT) के समक्ष स्थित और स्पष्ट हो सकेगी।
 - 'गारंटी' की अवधारणा: 'गारंटी' की अवधारणा को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 से लिया गया है।
- गारंटी संबंधी अनुबंध देनदार, लेनदार और गारंटर के बीच किया जाता है।
- इस स्थिति में यदि देनदार, लेनदार को ऋण चुकाने में विफल रहता है, तो राशि का भुगतान करने का बोझ गारंटर पर आ जाता है।
- यदि 'गारंटर' भी भुगतान करने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में लेनदार के पास व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध दिवाला कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होता है।

संभावित लाभ

- व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने से इस बात की संभावना अधिक बढ़ जाती है कि वे त्वरित निर्वहन के लिये लेनदार बैंक को ऋण के भुगतान की 'व्यवस्था' करेंगे।
- लेनदार बैंक कटौती करने या ब्याज राशि को छोड़ने के लिये तैयार होंगे तािक व्यक्तिगत गारंटर को ऋण का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके।
- इससे संपत्ति का मूल्य अधिकतम होगा और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

नोट

- दिवाला: इसका अर्थ एक ऐसी स्थिति से है, जहाँ एक व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होती है।
- दिवालियापन: यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार द्वारा किसी व्यक्ति या कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और इसके समाधान के लिये तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा के लिये उचित आदेश पारित किया जाता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि दिवालियापन ऋण के भुगतान में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।

खरीफ रणनीति-2021

चर्चा में क्यों?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिये 'खरीफ रणनीति-2021' तैयार की है।

खरीफ सीजन

- इस सीज़न फसलें जून से जुलाई माह तक बोई जाती हैं और कटाई सितंबर-अक्तूबर माह के बीच की जाती है।
- फसलें: इसके तहत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूँग, उड़द, कपास, जूट, मूँगफली और सोयाबीन आदि शामिल हैं।
- राज्य: असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र।

प्रमुख बिंदु

खरीफ रणनीति-2021

- इस रणनीति के तहत खरीफ सत्र-2021 के लिये किसानों को मिनी किट के रूप में बीजों की अधिक उपज वाली किस्मों के मुफ्त वितरण की महत्त्वाकांक्षी योजना शामिल है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तेल बीज और पाम ऑयल) के तहत सोयाबीन और मूँगफली के लिये क्षेत्र और उत्पादकता वृद्धि दोनों के लिये
 रणनीति तैयार की गई है।
- इस रणनीति के माध्यम से तिलहन के अंतर्गत अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा और साथ ही 120.26 लाख क्विंटल तिलहन और 24.36 लाख टन खाद्य तेल के उत्पादन का अनुमान है।

तिलहन से संबंधित बुनियादी जानकारी

- तिलहन फसलें, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण कारक हैं, जो कि फसलों में अनाज के बाद दूसरे स्थान पर हैं।
 - ♦ 1990 के दशक की शुरुआत में 'पीली क्रांति' के माध्यम से प्राप्त तिलहन क्षेत्र में आत्मिनर्भरता लंबी अवधि तक नहीं टिक सकी थी।
- तिलहन की फसलें मुख्य रूप से उनसे वनस्पित तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। उनमें तेल की मात्रा 20 प्रतिशत (सोयाबीन) से लेकर 40 प्रतिशत (सूरजमुखी और कैनोला) तक होती है।
- अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण भारत बड़ी मात्रा में तिलहन का उत्पादन करने में सक्षम है।
 - अरंडी के बीज, तिल, रेपसीड, मूँगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, नाइजर बीज, सूरजमुखी और कुसुम कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण तिलहन फसल हैं, जिनका उत्पादन भारत में किया जाता है।

- तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।
 - ♦ चीन के बाद भारत मूँगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और चीन तथा कनाडा के बाद रेपसीड के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।
- भारत में प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं: राजस्थान, गुजरात, तिमलनाडु, मध्य प्रदेश, हिरयाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन और पाम ऑयल)
- उद्देश्य
 - ◆ तिलहन और पाम ऑयल के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाना और खाद्य तेलों के आयात को कम करना।
- NFSM के तहत NMOOP का विलय
 - ♦ तिलहन और पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन (NMOOP) को वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था और यह वर्ष 2017-18 तक जारी रहा।
 - ◆ वर्ष 2018-19 से NMOOP को NFSM के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन और पाम ऑयल) के रूप में लागू िकया जा रहा है, जिसके तहत NFSM-तिलहन, NFSM-पाम ऑयल और NFSM-ट्री बोर्न तिलहन आदि उप-घटक के रूप में शामिल हैं।
- बहुआयामी नीति
 - ♦ किस्मों के प्रतिस्थापन पर ध्यान देने के साथ 'बीज प्रतिस्थापन अनुपात' (SRR) में बढ़ोतरी करना।
 - बीज प्रतिस्थापन अनुपात (SRR) का आशय कृषि से व्युत्पन्न पारंपिरक बीज की तुलना में प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीजों के साथ बोए गए कुल फसल वाले क्षेत्र के प्रतिशत से होता है।
 - ♦ पानी की बचत करने वाले उपकरणों (स्प्रिंकलर/रेन गन), जीरो टिलेज, इंटर-क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के रणनीतिक अनुप्रयोग और मिट्टी में सुधार करने वाली जलवायु लचीला प्रौद्योगिकियों को अपनाकर उत्पादकता में सुधार करना।
 - कम उपज वाले खाद्यान्नों के विविधीकरण के माध्यम से क्षेत्र का विस्तार करना।
 - क्षमता निर्माण।
 - बेहतर कृषि पद्धितयों को अपनाने के लिये क्लस्टर प्रदर्शनों का समर्थन करना।
 - गुणवत्ता वाले बीजों की अधिक उपलब्धता के लिये क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 36 तिलहन केंद्रों का निर्माण।
 - खेत और ग्राम स्तर पर कटाई उपरांत प्रबंधन।
 - किसान उत्पादक संगठनों का गठन।
- वित्तपोषण पैटर्न
 - ♦ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने का पैटर्न, सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये 60:40 और उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में है।
 - ♦ कुछ हस्तक्षेपों जैसे- राज्य और केंद्रीय बीज उत्पादक एजेंसियों दोनों द्वारा ब्रीडर बीजों की खरीद और किसानों को बीज मिनीकिट की आपूर्ति आदि के लिये भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।

सफेद मिक्खयाँ: कृषि के लिये खतरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, सफेद मिक्खयों की विदेशज प्रजाति (Exotic Invasive Whiteflies) भारत में कृषि, बागवानी और वानिकी फसल पौधों की उपज को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुँचा रही है।

सफेद मिक्खयाँ/व्हाइटफ्लाइज छोटे, रस चूसने वाले कीट हैं जो सिब्जियों तथा सजावटी पौधों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो सकते हैं (विशेष रूप से गर्म मौसम के दौरान)। ये कीट चिपचिपे मधुरस (Honeydew) का उत्सर्जन करते हैं जिसके कारण पित्तयों में पीलापन आ जाता है अथवा वे समाप्त हो जाती हैं।

प्रमुख बिंदुः

सफेद मिक्खयों का प्रसार:

- सर्वप्रथम दर्ज की गई सर्पिल आकार की आक्रामक सफेद मक्खी (Aleurodicus dispersus) अब जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में पाई जाती है।
- इसी तरह, वर्ष 2016 में तिमलनाडु के पोलाची में दर्ज की गई झुर्रीदार सिर्पल सफेद मक्खी (Aleurodicus rugioperculatus) अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपों सिहत पूरे देश में फैल गई है।
- उपरोक्त दोनों प्रजातियों की उपस्थिति क्रमश: 320 और 40 से अधिक पादप प्रजातियों पर दर्ज की गई है।
- सफेद मक्खी की अधिकांश प्रजातियाँ कैरिबियाई द्वीपों या मध्य अमेरिका की स्थानिक हैं।

प्रसार के कारण:

- सभी आक्रामक सफेद मिक्खियों के लिये मेजबान पौधों की संख्या में वृद्धि का कारण इनकी बहुभक्षी प्रकृति (विभिन्न प्रकार के खाद्य से भोजन प्राप्त करने की क्षमता) और विपुल प्रजनन है।
- पौधों के बढ़ते आयात और बढ़ते वैश्वीकरण एवं लोगों के आवागमन ने भी विभिन्न किस्मों के प्रसार तथा बाद में आक्रामक प्रजातियों के रूप में उनके विकास में सहायता की है।

चिंताएँ:

- फसलों को नुकसान:
 - ♦ सफेद मिक्खियाँ उपज को कम करती हैं और फसलों को भी नुकसान पहुँचाती हैं। भारत में लगभग 1.35 लाख हेक्टेयर नारियल और ऑयल पाम क्षेत्र झुर्रीदार सर्पिल सफेद मक्खी (Rugose Spiralling Whitefly) से प्रभावित हैं।
 - ◆ अन्य आक्रामक सफेद मिक्खियों को मूल्यवान पादप प्रजाितयों, विशेष रूप से नािरयल, केला, आम, सपोटा (चीकू), अमरूद, काजू और सजावटी पौधों जैसे- बॉटल पाम, फाल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज, बटरफ्लाई पाम तथा महत्त्वपूर्ण औषधीय पौधों पर अपनी मेजबान सीमा का विस्तार करते हुए पाया गया है।
- कीटनाशकों की प्रभावशीलताः
 - उपलब्ध सिंथेटिक (कृत्रिम/संश्लेषित) कीटनाशकों का उपयोग करके सफेद मिक्खियों को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है।

सफेद मिक्खयों का नियंत्रण:

- नियंत्रण के जैविक तरीके:
 - ◆ इन मिक्खियों को वर्तमान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीट परभक्षी, परजीवी (कीटों के प्राकृतिक शत्रु जो हिरत गृहों और खेतों में कीटों का जैविक नियंत्रण प्रदान करते हैं) और एंटोमोपैथोजेनिक कवक (कवक जो कीटों को मार सकते हैं) द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।
 - व्हाइटफ्लाइज के लिये विशिष्ट एंटोमोपैथोजेनिक कवक पृथक्कृत (आइसोलेटेड), शोधित, प्रयोगशाला में विकसित अथवा बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में पाले गए संभावित शिकारियों (कीट परभक्षी) तथा परजीवियों के साथ संयोजन में सफेद मिक्क्वियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है
 - 🔷 ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य (सुसंगत) हैं।

फसलों पर आक्रमण करने वाले अन्य कीट

फॉल आर्मीवर्म (FAW) हमला:

 यह एक खतरनाक सीमा-पारीय कीट है और प्राकृतिक वितरण क्षमता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्रस्तुत अवसरों के कारण इसमें तेज़ी से फैलने की उच्च क्षमता है। वर्ष 2020 में कृषि निदेशालय ने असम के उत्तर-पूर्वी धेमाजी जिले में खड़ी फसलों पर आर्मीवर्म कीटों के हमले की सूचना दी तथा खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने आर्मीवर्म द्वारा उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय खतरे की प्रतिक्रिया के रूप में FAW नियंत्रण के लिये एक वैश्विक कार्रवाई शुरू की है।

टिड्डियों का हमला:

- टिड्डी (प्रवासी कीट) एक बड़ी, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय तृण-भोजी परिग (Grasshopper) है जिसकी उड़ान क्षमता बहुत मजबूत होती है। ये व्यवहार परिवर्तन में साधारण तृण-भोजी कीटों से अलग होते हैं तथा झुंड बनाते हैं जो लंबी दूरी तक प्रवास कर सकते हैं।
- वयस्क टिड्डियाँ एक दिन में अपने वजन के बराबर (यानी प्रित दिन लगभग दो ग्राम ताजा शाक/वनस्पित) भोजन कर सकती है। टिड्डियों
 का एक बहुत छोटा सा झुंड भी एक दिन में उतना भोजन करता है जितना कि लगभग 35,000 लोग, जो फसलों और खाद्य सुरक्षा के लिये
 विनाशकारी है।

पिंक बॉलवर्म (PBW):

- यह (Pectinophora gossypiella), एक कीट है जिसे कपास की खेती को नुकसान पहुँचाने के लिये जाना जाता है।
- पिंक बॉलवर्म एशिया के लिये स्थानिक है लेकिन विश्व अधिकांश कपास उत्पादक क्षेत्रों में एक आक्रामक प्रजाति बन गई है।

आगे की राह

आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति, उनके मेजबान पौधों और भौगोलिक विस्तार की घटना की निरंतर निगरानी किये जाने की आवश्यकता
 है और यदि ज़रूरी हो तो जैव-नियंत्रण कार्यक्रमों के लिये संभावित प्राकृतिक साधनों का आयात भी किया जा सकता है।

GI प्रमाणित घोलवाड़ सपोटा (चीकू) का निर्यात: महाराष्ट्र

चर्चा में क्यों?

दहानु घोलवाड़ सपोटा (चीकू) की एक खेप महाराष्ट्र के पालघर जिले से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है, इससे भारत के भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI) प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को प्रमुखता से बढ़ावा मिलेगा।

- चीकू को कई राज्यों कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तिमलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है।
 - कर्नाटक को फलों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य माना जाता है, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है।

प्रमुख बिंदु

घोलवाड़ सपोटा के बारे में:

 यह फल अपने मीठे और बेहतरीन स्वाद के लिये जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पालघर जिले (महाराष्ट्र) के घोलवाड़ गाँव की कैल्शियम समृद्ध मिट्टी से इसमें अद्वितीय स्वाद उत्पन्न होता है।

महाराष्ट्र के अन्य GI प्रमाणित उत्पाद:

अल्फांसो आम, पुनेरी पगड़ी, नासिक वैली वाइन, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, वारली पेंटिंग।

भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाणनः

- GI एक संकेतक है इसका उपयोग ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
 - इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं के लिये किया जाता है।
- भारत में वस्तु के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम [Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act], 1999 वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण तथा बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।

- अधिनियम का संचालन महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क द्वारा किया जाता है जो भौगोलिक संकेतकों का पंजीयक (Registrar) है।
- भौगोलिक संकेत रिजस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई (तिमलनाडु) में स्थित है।
- भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अविध के लिये वैध होता है। समय-समय पर इसे 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अविध के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।
- यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS) का भी एक हिस्सा है।
- हाल के उदाहरण: झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग, तेलंगाना का तेलिया रुमाल, तिरूर वेटिला (केरल), डिंडीगुल लॉक और कंडांगी साड़ी (तिमलनाडु), ओडिशा का रसगुल्ला आदि।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) का ध्यान GI उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर है।
 - बिहार से शाही लीची यूनाइटेड किंगडम में निर्यात की गई है।
 - चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
 - इससे पहले आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तौड़ जिलों के किसानों द्वारा उत्पादित GI प्रमाणित बंगनपल्ली और सुवर्णरेखा आम (Banganapalli & Survarnarekha Mangoes) की खेप दक्षिण कोरिया को निर्यात की जाती थी।

FDI अंतर्वाह में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 10 प्रतिशत (82 बिलियन डॉलर तक) की वृद्धि देखी गई है। FDI इक्विटी निवेश 19 प्रतिशत बढ़कर 60 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है।

• वर्ष 2019-20 में भारत को FDI के माध्यम से 74.39 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे, जिसमें लगभग 50 बिलियन डॉलर इक्विटी निवेश के रूप में आए थे।

प्रमुख बिंदु

प्रमुख निवेशक

 सिंगापुर सभी निवेशों के लगभग एक-तिहाई के साथ शीर्ष निवेशक के रूप में उभरा, जिसके बाद 23 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अमेरिका और 9 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मॉरीशस का स्थान है।

सऊदी अरब से सबसे तीव्र वृद्धिः

- शीर्ष 10 FDI-मूल देशों में सबसे तीव्र वृद्धि सऊदी अरब से दर्ज की गई थी।
- विदेशी निवेश वर्ष 2019-20 के 90 मिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 2.8 बिलियन डॉलर हो गया।

FDI इक्विटी

• वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान अमेरिका से FDI-इक्विटी प्रवाह दोगुने से भी अधिक हो गया, जबिक ब्रिटेन से निवेश में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

शीर्ष FDI गंतव्य

- वर्ष 2020-21 में गुजरात शीर्ष FDI गंतव्य था, जिसमें विदेशी इक्विटी प्रवाह का 37 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया गया, जिसके बाद 27 प्रतिशत इक्विटी प्रवाह के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा।
- 13 प्रतिशत इक्विटी प्रवाह हिस्सेदारी के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा।

शीर्ष सेक्टर

• वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 44 प्रतिशत FDI इक्विटी प्रवाह के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र शीर्ष सेक्टर के रूप में उभरा है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- पिरभाषा: FDI एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश (मूल देश) के निवासी किसी अन्य देश (मेजबान देश) में एक फर्म के उत्पादन,
 वितरण और अन्य गितविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करते हैं।
 - यह विदेशी पोर्टफोलियो (FPI) निवेश से भिन्न है, जिसमें विदेशी इकाई केवल एक कंपनी के स्टॉक और बॉण्ड खरीदती है किंतु इससे FPI निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

तीन घटक

- इिक्वटी कैपिटल विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक की अपने देश के अलावा किसी अन्य देश के उद्यम के शेयरों की खरीद से संबंधित है।
- पुनर्निवेशित आय में प्रत्यक्ष निवेशकों की कमाई का वह हिस्सा शामिल होता है जिसे किसी कंपनी के सहयोगियों (Affiliates) द्वारा लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता है या यह कमाई प्रत्यक्ष निवेशक को प्राप्त नहीं होती है। सहयोगियों द्वारा इस तरह के लाभ का पुनर्निवेश किया जाता है।
- इंट्रा-कंपनी लोन या डेब्ट ट्रांज़ेक्शन का आशय प्रत्यक्ष निवेशकों (या उद्यमों) और संबद्ध उद्यमों के बीच वित्त का अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार से होता है।

भारत में FDI संबंधी मार्ग

- स्वचालित मार्ग: इसमें विदेशी इकाई को सरकार या रिज्ञर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- सरकारी मार्ग: इसमें विदेशी इकाई को सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है।
 - ♦ विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आवेदकों को 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' की सुविधा प्रदान करता है।
 - ♦ यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

FDI को बढ़ावा देने हेत् सरकार द्वारा किये गए उपाय

- वर्ष 2020 में कोविड संकट के मुकाबले के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया, अनुकूल जनसांख्यिकी, प्रभावशाली मोबाइल और इंटरनेट उपस्थिति, व्यापक पैमाने पर खपत और प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी जैसे कारकों ने निवेश को आकर्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिये विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आदि शामिल हैं।
 - ♦ सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत पहलों पर जोर दिया है।
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 'मेक इन इंडिया' पहल के एक हिस्से के रूप में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रों के लिये FDI नियमों को और लचीला बनाया है।

बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित नए नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 में संशोधन करते हुए बीमा क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये अंतिम नियमों पर स्पष्टीकरण दिया है।

- संसद ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के लिये बीमा संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया
 था।
- वित्त मंत्रालय ने 'भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2021' को अधिसूचित किया है।

प्रमुख बिंदु

नए नियमों संबंधी मुख्य प्रावधान

- प्रबंधन का निवासी भारतीय होना अनिवार्य
 - ♦ विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय बीमा कंपनी के लिये यह अनिवार्य है कि उसके अधिकांश निदेशक, प्रमुख प्रबंधन, बोर्ड के अध्यक्ष में से कम-से-कम एक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी- निवासी भारतीय नागरिक हों।
- विदेशी निवेश का अर्थ
 - विदेशी निवेश का अर्थ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के विदेशी निवेश से होगा।
 - किसी विदेशी द्वारा किये गए प्रत्यक्ष निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, जबकि एक भारतीय कंपनी (जो किसी विदेशी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है) द्वारा किसी अन्य भारतीय इकाई में निवेश को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है।

महत्त्व

- विदेशी स्वामित्व की सीमा को 74 प्रतिशत तक बढ़ाने से भारत में बीमा उत्पादों के संदर्भ में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भारत में बीमा उत्पादों की लागत को कम करने में भी मददगार साबित होगा।
- यह भारतीय प्रमोटरों की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है, जो उन्हें प्रबंधन और बोर्ड पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करेगा, साथ ही अतिरिक्त पूंजी
 प्रवाह से उन्हें अपने उत्पाद को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
- यह छोटी बीमा कंपनियों या उन लोगों को भी लाभांवित करेगा, हाँ प्रमोटरों के पास अधिक पूंजी लगाने की क्षमता नहीं है, इस तरह ये नियम उन कंपनियों को उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाएंगे।
- इससे स्थानीय निजी बीमा कंपनियों को तेज़ी से बढ़ने और पूरे भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में मदद मिलने की संभावना है।

भारत में बीमा उत्पादों की उपस्थिति

- भारत में बीमा उत्पादों की उपस्थिति वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का तकरीबन 3.7 प्रतिशत है, जबिक विश्व औसत लगभग
 6.31 प्रतिशत है।
- वर्तमान में जीवन बीमा क्षेत्र में वृद्धि 11-12 प्रतिशत तक सीमित हो गई है, जो कि विकास वित्त वर्ष 2020 तक 15-20 प्रतिशत पर था, क्योंकि महामारी ने ग्राहकों को स्टॉक या जीवन बीमा पॉलिसियों पर खर्च करने के बजाय नकदी बचाने के लिये मजबूर किया है।
- 31 मार्च, 2021 तक भारत में केवल 24 जीवन बीमाकर्त्ता और 34 गैर-जीवन प्रत्यक्ष बीमाकर्ता मौजूद थे, जबिक राष्ट्रीयकरण के समय देश में 243 जीवन बीमा कंपिनयाँ (1956) और 107 गैर-जीवन बीमा कंपिनयाँ (1973) मौजूद थीं।
 अन्य संबंधित प्रयास (मॉडल इंश्योरेंस विलेज)
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा संबंधी सेवाओं की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिये 'मॉडल इंश्योरेंस विलेज' (MIV) की अवधारणा को प्रस्तुत किया है।
- इस अवधारणा के तहत ग्रामीणों के समक्ष आने वाले सभी बीमा योग्य जोखिमों के लिये व्यापक बीमा सुरक्षा प्रदान करने तथा रियायती अथवा
 सस्ती दरों पर बीमा कवर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)

- मल्होत्रा सिमित की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद, वर्ष 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित करने और उसका विकास सुनिश्चित करने के लिये एक स्वायत्त निकाय के रूप में 'बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण' (IRDA) का गठन किया गया था।
- अप्रैल 2000 में IRDA को एक सांविधिक निकाय के रूप में निगमित किया गया।
- IRDA के प्रमुख उद्देश्यों में बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता की पसंद और कम प्रीमियम के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के साथ ही प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना भी शामिल है।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।

आगे की राह

- सॉवरेन वेल्थ फंड, ग्लोबल पेंशन फंड और बीमा फर्मों सिहत लंबी अविध के निवेशकों से निवेश के लिये भारत में बीमा की आवश्यक मांग होनी अनिवार्य है, अत: देश में बीमा उत्पादों की आवश्यकता को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- भारत में वैश्विक उत्पादों के विकास और उपलब्धता एवं बेहतर उपस्थित के लिये बीमा क्षेत्र को पूंजी एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदार की बड़ी भागीदारी की आवश्यकता है।

असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिये जाने वाले कल्याणकारी लाभों का लाभ उठा सकें।

प्रमुख बिंदु

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- प्रवासी श्रमिकों का रिकॉर्ड:
 - ♦ इसने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड रखने को कहा है, जिसमें उनके कौशल, उनके पूर्व के रोजगार आदि का विवरण शामिल हो, तािक प्रशासन उन्हें आवश्यक मदद पहुँचा सके।
- कॉमन नेशनल डेटाबेस:
 - विभिन्न राज्यों में स्थित सभी संगठित श्रमिकों के लिये एक समान राष्ट्रीय डेटाबेस होना चाहिये।
 - श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगारों के लिये एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया को राज्यों के सहयोग और समन्वय से पूरा किया जाना चाहिये।
 - यह राज्यों और केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं के विस्तार के लिये पंजीकरण के रूप में काम कर सकता है।
- पर्यवेक्षण के लिये तंत्र:
 - 🔷 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचता है या नहीं यह देखने के लिये एक निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र होना चाहिये।
- असहाय श्रमिकों को राशन:
 - देश भर में असहाय प्रवासी कामगारों को आत्मिनर्भर भारत योजना (AtmaNirbhar Bharat Scheme) या केंद्र और राज्यों द्वारा उपयुक्त किसी अन्य योजना के तहत राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

भारत में प्रवासनः

- प्रवासन (Migration) का अर्थ लोगों का अपने सामान्य निवास स्थान से दूर देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही से है।
- प्रवास पर नवीनतम सरकारी आँकड़े वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त होते हैं।
 - ◆ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 31.5 करोड़ प्रवासी (जनसंख्या का 31%) थे तो वहीं यह संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के समय 45.6 करोड़ (जनसंख्या का 38%) हो गई थी।
- प्रवासी श्रमिक काम की तलाश, अधिक मजदूरी, काम की अविध, काम की निरंतरता आदि के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, इसलिये यह संभव नहीं है कि प्रवासी श्रमिक कार्यबल का रिकॉर्ड/डेटा रखें।
- कोविड-19 के कारण लगाए लॉकडाउन ने शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के पलायन को प्रेरित किया है।
 - ♦ लॉकडाउन के कारण शहरी क्षेत्र बंद होने के कारण लाखों प्रवासी कामगार बेरोज़गार हो गए।
 - स्थानीय अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और उनसे मिलने वाली सहायता अब कम होने लगी है।

पवासी कामगारों से संबंधित प्रावधान:

- सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code of Social Security), 2020 की धारा 112 में असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन पर विचार किया गया।
- इस संहिता की धारा 21 व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की स्थिति पर प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस को बनाए रखने, कौशल मानचित्रण तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करने के प्रावधान को सक्षम बनाती है।
 - यह संहिता सिनिश्चित करती है कि प्रवासी श्रमिकों को वर्ष में एक बार नियोक्ताओं से उनके गृहनगर जाने के लिये यात्रा भत्ता मिले।
- अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम (Inter-State Migrant Workmen Act), 1979 के तहत उन सभी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है, जिन्होंने अंतर्राज्यीय प्रवासियों को काम पर रखा है, साथ ही उन सभी ठेकेदारों को भी लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है जिन्होंने इन श्रमिकों को भर्ती किया है।

प्रवासियों से संबंधित पहलें:

- राशन कार्ड की इंटरऑपरेबिलिटी: वन नेशन-वन राशन कार्ड (One Nation-One Ration Card) के तहत एक राज्य के लाभार्थी अपने हिस्से का राशन दूसरे राज्यों में प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: यह योजना कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Package) का एक हिस्सा है।
- गरीब कल्याण रोजगार अभियान: यह योजना उन प्रवासी कामगारों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करती है जो कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्यों में वापस लौट आए हैं।
- असीम पोर्टल: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) ने कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिये 'आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण (Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping- ASEEM)' पोर्टल लॉन्च किया है।
 - ♦ वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) के तहत भारत लौटे श्रमिक प्रवासियों का स्वदेश स्किल कार्ड (SWADES Skill Card) को असीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
- राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड 'राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली' (National Migrant Information System) को विकसित किया है।
 - ♦ यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष बनाएगा और उनके मूल स्थानों तक उनकी यात्रा को सुचारु बनाने के लिये अंतर्राज्यीय संचार/तालमेल में मदद करेगा।

मुद्रा विनिमय सुविधा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंज़ुरी दी है।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान-प्रदान हेतु किये गए समझौते या अनुबंध से है।
- वर्तमान संदर्भ में मुद्रा स्वैप को प्रभावी रूप से ऋण के रूप में देखा जा सकता है, जो बांग्लादेश द्वारा श्रीलंका को डॉलर के रूप में दिया जाएगा, साथ ही इसमें यह समझौता भी शामिल है कि ऋण और उसके साथ ब्याज का भगतान श्रीलंकाई रुपए में किया जाएगा।

- केंद्रीय बैंक और संबंधित देश की सरकारों द्वारा अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये या भुगतान संतुलन (BoP) संकट से बचने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने हेतु विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा स्वैप समझौता किया जाता है।
 - यह समझौता श्रीलंका के लिये बाजार से उधार लेने की तुलना में काफी सस्ता है, और काफी महत्त्वपूर्ण भी है, क्योंिक श्रीलंका विदेशी ऋणों के साथ-साथ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के लिये संघर्ष कर रहा है।
- इन विनिमय समझौतों में विनिमय दर या अन्य बाजार संबंधी जोखिमों का कोई खतरा नहीं रहता है, क्योंकि लेनदेन की शर्तें अग्रिम रूप से निर्धारित होती हैं।
 - ◆ विनिमय दर जोखिम, जिसे मुद्रा जोखिम के रूप में भी जाना जाता है, का आशय विदेशी मुद्रा के विरुद्ध आधार मुद्रा के मूल्य में उतार-चढाव से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम से है।

बांग्लादेश की असामान्य स्थिति

- बांग्लादेश को अब तक अन्य देशों के लिये वित्तीय सहायता प्रदाता के रूप में नहीं देखा जाता था, यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक रहा है और अभी भी अन्य देशों से अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त करता है।
- लेकिन पिछले दो दशकों में बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुधार करने में कामयाब रहा है और वर्ष 2020 में दक्षिण एशिया में सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सामने आया है।
 - बांग्लादेश ने देश के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में सफलता हासिल की है। इसने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है।
- यह पहली बार है कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिये सामने आया है, इसिलये इस घटना को एक प्रकार से ऐतिहासिक माना जा सकता है।

भारत के लिये श्रीलंका का दृष्टिकोण

- वर्ष 2020 में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट स्वैप का अनुरोध किया था, साथ ही उन ऋणों पर स्थगन की भी मांग की थी, जो श्रीलंका को भारत को चुकाना है।
- लेकिन कोलंबो बंदरगाह पर एक महत्त्वपूर्ण कंटेनर टर्मिनल पिरयोजना को रद्द करने के कोलंबो के फैसले पर भारत-श्रीलंका संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, जिससे भारत ने क्रेडिट स्वैप के निर्णय को टाल दिया है।
- इससे पूर्व जुलाई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने श्रीलंका को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट स्वैप सुविधा प्रदान की थी और इस सौदे को सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने फरवरी माह में निपटा दिया था। इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाया गया।
 सार्क के लिये स्वैप सुविधाओं हेतु रिजर्व बैंक की रूपरेखा
- सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर, 2012 को लागू हुई थी।
- संशोधित रूपरेखा 14 नवंबर, 2019 से 13 नवंबर, 2022 तक वैध है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र कोष के भीतर एक स्वैप व्यवस्था की पेशकश करता है।
- स्वैप व्यवस्था का उपयोग अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में किया जा सकता है। यह रूपरेखा भारतीय रुपए में स्वैप निकासी के लिये कुछ रियायत भी प्रदान करती है।
- यह सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों के लिये उपलब्ध होगी, बशर्ते उन्हें द्विपक्षीय स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर करना होगा।
- अनुमान यह था कि क्षेत्रीय समूह की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में केवल भारत ही ऐसा कर सकता है। हालाँकि बांग्लादेश-श्रीलंका व्यवस्था दर्शाती है कि अब स्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी हैं।

भुगतान संतुलन

परिभाषा

• किसी देश के भुगतान संतुलन (BoP) को आमतौर पर एक वर्ष की विशिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व के साथ किसी देश के सभी आर्थिक लेनदेन के व्यवस्थित विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

- समग्र तौर BoP खाता अधिशेष या घाटा हो सकता है।
 - यदि घाटा होता है तो उसे विदेशी मुद्रा खाते से पैसे लेकर निपटाया जा सकता है।
 - ◆ यदि विदेशी मुद्रा खाते का भंडार कम हो रहा है तो इस परिदृश्य को BoP संकट के रूप में जाना जाता है।

भगतान संतुलन के घटक

- चालु खाता: यह दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं (वस्तुओं और सेवाओं) के निर्यात और आयात को दर्शाता है।
- पूंजी खाता: यह एक देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है। यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों के शुद्ध प्रवाह का सारांश देता है।
- त्रुटि एवं चूक: कभी-कभी भुगतान संतुलन संतुलित नहीं होता है। इस असंतुलन को भुगतान संतुलन में त्रुटियों और चूक के रूप में दिखाया जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार

- विदेशी मुद्रा भंडार एक विदेशी मुद्रा में निहित संपत्ति है, जो एक केंद्रीय बैंक के पास होती है।
- इनमें विदेशी मुद्राएँ, बॉण्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभृतियाँ शामिल हो सकती हैं।
- इन भंडारों का उपयोग देनदारियों को वापस करने और मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिये किया जाता है।

RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2020-21 के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु

विदेशी मुद्रा विनिमयः

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में विदेशी मुद्रा लेन-देन से लाभ 29,993 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,629 करोड़ रुपए हो गया।
 - ◆ विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा बाजार से आशय यह है कि जहाँ एक मुद्रा का दूसरे के लिये कारोबार किया जाता है।

सरकार को अधिशेष स्थानांतरण:

- मार्च 2021 की वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान प्रावधानों में तेज गिरावट (खर्च में कमी न्यून प्रावधानों के कारण थी) और विदेशी मुद्रा लेनदेन से लाभ के पश्चात् आरबीआई इस वर्ष सरकार को अधिशेष के रूप में एक उच्च राशि हस्तांतरित करने में सक्षम है।
 - ◆ RBI ने सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये जिससे सरकार के वित्त को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस प्राप्ति से सरकार को बढ़ते कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी।

सरकार को अधिशेष देने का प्रावधान

 भारतीय रिज्ञर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत खराब और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान बनाने के पश्चात् संपत्ति में मूल्यह्रास, कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति निधि में योगदान और उन सभी मामलों हेतु जिनके लिये प्रावधान अधिनियम द्वारा या उसके तहत किये जाने हैं या बैंकरों द्वारा जो आमतौर पर प्रदान किये जाते हैं, रिज्ञर्व बैंक के लाभ की शेष राशि का भुगतान केंद्र सरकार को करना होता है।

डॉलर के मुकाबले रुपया:

• अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3.5 प्रतिशत मज़बूत हुआ है (मार्च 2020 के अंत से लेकर मार्च 2021 के अंत तक) लेकिन वर्ष 2020-21 के दौरान अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन काफी कमज़ोर रहा है।

बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में कमी

 वर्ष 2020-21 में 1 लाख रुपए और उससे अधिक की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के कुल मूल्य में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह गिरकर 1.38 ट्रिलियन रुपए पर पहुँच गया है, साथ ही धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की संख्या में भी इस दौरान 15 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

डिजिटल भुगतान

- कोविड-19 महामारी ने भुगतान के डिजिटल माध्यमों के प्रसार को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - ♦ वर्ष 2020-21 में कुल डिजिटल लेनदेन की मात्रा 4,371 करोड़ थी, जबिक वर्ष 2019-20 में यह 3,412 करोड़ थी।
- वर्ष 2021-22 में भारत की वित्तीय प्रणाली में फिनटेक की संभावनाएँ काफी हद तक डिजिटल उपयोग के प्रसार पर निर्भर करेंगी।
- वैश्विक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की स्थिति को मजबूत िकये जाने के लिये विभिन्न उपाय जैसे- नवाचार केंद्र, नियामक सैंडबॉक्स और ऑफलाइन भुगतान समाधान जैसी विभिन्न पहलों पर जोर दिया जा रहा है।
- रिज़र्व बैंक देश भर में बैंक शाखाओं और ATMs के स्थान का पता लगाने के लिये लगाए गए जियो-टैगिंग ढाँचे का विस्तार करने पर ज़ोर दे रहा है, जिससे देश भर में उनके सटीक स्थानों का पता लगाया जा सकेगा।
- इसके अलावा सीमा पार लेनदेन की सुविधा के लिये भारत की घरेलू भुगतान प्रणाली का लाभ उठाने की संभावना का पता लगाया जा रहा है और प्रेषण के लिये कॉरिडोर स्थापित करने तथा शुल्क समाप्त करने की भी समीक्षा की जा रही है।

तरलता सुनिश्चित करना

- रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप वर्ष 2021-22 के दौरान वित्तीय प्रणाली में तरलता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
 - सरकारी प्रतिभृति अधिग्रहण कार्यक्रम इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
- वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए मौद्रिक संचरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
 - मौद्रिक संचरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति घटकों (जैसे रेपो दर) को वित्तीय प्रणाली के माध्यम से व्यवसायों और घरों को प्रभावित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आर्थिक विकास

- जैसे-जैसे टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी और संक्रमण के मामलों में गिरावट होगी, वैसे ही आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी, जो कि मजबूत 'बेस इफेक्ट' द्वारा समर्थित होगी।
 - 'बेस इफेक्ट' दो डेटा बिंदुओं के बीच तुलना के परिणाम पर तुलना आधार के प्रभाव को संदर्भित करता है।
- रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिये सकल घरेलू उत्पाद में 10.5 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की है।

GST परिषद की 43वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 43वीं बैठक का आयोजन किया गया।

• वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक थी। इस परिषद की अंतिम बैठक अक्तूबर 2020 में हुई थी।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद

- यह वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिये एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279A) है।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं।
- इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।

प्रमुख बिंदु

कोविड से संबंधित उपकरणों के लिये तदर्थ छूट:

- GST परिषद ने ऐसी कई वस्तुओं के आयात को छूट देने का फैसला किया है।
 - ♦ GST छूट को 31 अगस्त, 2021 तक बढा दिया गया है।
- राहत सामग्री के आयात पर तब तक खरीद पर छूट दी जाएगी, जब तक वे राज्य सरकारों को दान के रूप में न दे दी गई हो।
 - ◆ इससे पूर्व एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST) में केवल मुफ्त आयात पर छूट दी जाती थी।
- ब्लैक फंगस (Black Fungus) के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र, इसके लिये आवश्यक एक विशेष दवा एम्फोटेरिसिन-बी-(Amphotericin-B) को भी छूट की सूची (कर-मुक्त आयात के लिये) में शामिल किया गया है।
- इसने कोविड -19 राहत उपाय के मद्देनजर प्रदान की जा सकने वाली और छूटों पर निर्णय लेने के लिये मंत्रियों के समूह (GoM) सिमिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा।

GST एमनेस्टी (Amnesty) योजनाः

- विलंब शुल्क को कम करने की सिफारिश की गई है। करदाता लंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, कम विलंब शुल्क के साथ योजना का लाभ उठा सकते हैं।
 - ◆ यह छोटे करदाताओं को राहत प्रदान करेगा जिसमें GST दाताओं का 89% भागीदारी है।
- विलंब शुल्क को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। विलंब शुल्क की अधिकतम राशि कम कर दी गई है और भविष्य की कर अविध से लागू होगी।
 - इससे छोटे करदाताओं को लंबी अवधि की राहत मिलेगी।

जीएसटी मुआवज़ा उपकर (राज्यों का बकाया):

- राज्यों की GST राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिये केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 के जैसे फार्मूले का अनुसरण इस वर्ष भी किया जा रहा है । इस वर्ष केंद्र 1.58 लाख करोड़ रुपए का कर्ज़ लेगा जिसे राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में दिया जाएंगा।
- राज्यों को वर्ष 2022 से आगे मुआवज़े के भुगतान पर विचार के लिये जीएसटी परिषद विशेष सत्र का आयोजन करेगी।

वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम भुगतान:

- दो वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम भुगतान के रूप में 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
- देश टीकों के लिये जापानी, यूरोपीय संघ सिंहत आपूर्तिकर्त्ताओं/निर्माताओं के साथ काम कर रहा है।

वार्षिक रिटर्न भरनाः

- इसके अंतर्गत वार्षिक रिटर्न फाइलिंग को सरल बनाया गया है। इस काउंसिल ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम (Central Goods & Services Tax Act), 2017 में संशोधन करने की सिफारिश की है ताकि सुलह बयानों के स्व-प्रमाणन की अनुमित दी जा सके।
- दो करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं की खातिर वार्षिक रिटर्न फाइलिंग वर्ष 2020-21 के लिये वैकल्पिक बनी रहेगी, जबिक वर्ष 2020-21 हेतु सुलह विवरण केवल उन करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिनका टर्नओवर पाँच करोड़ रुपए या उससे अधिक है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर

- जीएसटी क्षितिपूर्ति उपकर जीएसटी अधिनियम, 2017 द्वारा लगाया जाता है। इस उपकर को लगाने का उद्देश्य राज्यों को 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिये पाँच वर्ष की अविध या जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित अविध हेतु क्षितिपूर्ति करना है।
- क्षितपूर्ति उपकर किसी विशेष आपूर्ति के संबंध में लगाए गए जीएसटी की राशि के ऊपर लगाया जाता है। इसकी गणना जीएसटी के समान है जैसे- उपकर देयता के लिये निर्धारित दर सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 15 के तहत किये गए लेनदेन मूल्य पर लागू होती है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

वैश्विक प्रेषण पर रिपोर्ट : विश्व बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के नवीनतम संस्करण के अनुसार, कोविड-19 प्रसार के बावजूद वर्ष 2020 में प्रेषित धन का प्रवाह लचीला रहा, जो पूर्व-अनुमानित आँकड़ो में कमी को प्रदर्शित करता है।

प्रमुख बिंदु

भारत का प्रेषण प्रवाह:

- विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली कोविड महामारी के बावजूद वर्ष 2020 में भारत प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है जिसने प्रेषित धन के रूप में 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष (2019) की तुलना में केवल 0.2 प्रतिशत कम है।
 - ♦ वर्ष 2020 में भारत को प्रेषित धन में केवल 0.2% की गिरावट आई है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात से प्रेषित धन में 17% की कमी के कारण सर्वाधिक गिरावट हुई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य आयोजक देशों से लचीले प्रवाह को परिलक्षित करता है।
 - ♦ वर्ष 2019 में भारत को प्रेषित धन का 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ था।

वैश्विक प्रेषित धन या प्रेषण

- वर्ष 2020 में चीन का वैश्विक प्रेषित धन प्रवाह में दूसरा स्थान है।
 - वर्ष 2020 में चीन को प्रेषित धन के रूप में 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए।
- भारत और चीन के बाद क्रमश: मेक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, फ्राँस तथा बांग्लादेश का स्थान है।

प्रेषित धन का बहिर्वाह:

 संयुक्त राज्य अमेरिका (68 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से प्रेषित धन का बिहर्वाह सर्वाधिक था, इसके बाद यूएई, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा चीन का स्थान है।

प्रेषित धन के स्थिर प्रवाह का कारण:

- राजकोषीय प्रोत्साहन के फलस्वरूप आयोजक देशों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक बेहतर हुई।
- नकद या कैश से डिजिटल की ओर तथा अनौपचारिक से औपचारिक चैनलों के प्रवाह में बदलाव करना।
- तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में चक्रीय उतार-चढ़ाव।

प्रेषित धन या रेमिटेंस (Remittance):

- प्रेषित धन वह धन है जो किसी अन्य पार्टी (सामान्यत: एक देश से दूसरे देश में) को भेजा जाता है।
- प्रेषक आमतौर पर एक अप्रवासी होता है और प्राप्तकर्त्ता एक समुदाय/पिरवार से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में रेमिटेंस से आशय प्रवासी कामगारों द्वारा धन अथवा वस्तु के रूप में अपने मूल समुदाय/पिरवार को भेजी जाने वाली आय से है।
- रेमिटेंस कम आय वाले और विकासशील देशों में लोगों के लिये आय के सबसे बड़े स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यह आमतौर पर प्रत्यक्ष निवेश और आधिकारिक विकास सहायता की राशि से अधिक होता है।
- रेमिटेंस परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं।
- विश्व में प्रेषित धन या रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता भारत है ऐिमिटेंस भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करता है और इसके चालू खाते के घाटे के लिये धन जुटाने में मदद करता है।

विश्व बैंक

परिचय

- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference) के दौरान हुई थी।
 - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) को ही विश्व बैंक कहा जाता है।
- विश्व बैंक समूह गरीबी को कम करने और विकासशील देशों में साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये कार्यान्वित पाँच संस्थानों की एक अनुठी वैश्विक साझेदारी है।

- वर्तमान में 189 देश इसके सदस्य हैं।
- भारत भी इसका एक सदस्य है।

प्रमुख रिपोर्ट्स:

- ईज ऑफ डुइंग बिजनेस।
- ह्यमन कैपिटल इंडेक्स ।
- वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट।

इसकी पाँच विकसित संस्थाएँ

- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) : यह लोन, ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA): यह निम्न आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC): यह कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है।
- बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA): यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है।
- निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID): यह निवेशकों और देशों के मध्य उत्पन्न निवेश-विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिये सुविधाएँ प्रदान करता है।

विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट :

- इसे विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान और डेटा शाखा 'डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स' (Development Economics- DEC) की माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट (Migration and Remittances Unit) द्वारा तैयार किया जाता है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य छह महीनों में माइग्रेशन और रेमिटेंस के प्रवाह तथा संबंधित नीतियों के क्षेत्र में प्रमुख विकास पर एक अद्यतन प्रदान
- यह विकासशील देशों को रेमिटेंस प्रेषण प्रवाह के लिये मध्यम अवधि का अनुमान भी प्रदान करता है।
- यह डेटा वर्ष में दो बार तैयार किया जाता है।

भारत और मंगोलिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री और मंगोलियाई संस्कृति मंत्री के मध्य वर्चुअल माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (Cultural Exchange Programme) के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों और साझा हितों वाले अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदुः

- बैठक की मुख्य विशेषताएँ:
 - वर्ष 2015 में दोनों देशों के मध्य स्थापित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना।
 - भारत और मंगोलिया के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम वर्ष 2023 तक जारी रहेंगे।
 - ◆ वर्ष 2020-2021 से शुरू होने वाले 'तिब्बती बौद्ध धर्म' के अध्ययन हेतु मंगोलियाई लोगों को सीआईबीएस, लेह और सीयूटीएस, वाराणसी के विशेष संस्थानों में अध्ययन करने के लिये 10 प्रतिबद्ध आईसीसीआर छात्रवृत्तियाँ (ICCR Scholarships) आवंटित की गई हैं।
 - भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations- ICCR) भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, जो अन्य देशों और उनके लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से (सांस्कृतिक कूटनीति) संबंध स्थापित करताहै।
 - तिब्बती बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म की आवश्यक शिक्षाओं को तांत्रिक (Tantric) और शामनिक (Shamanic) तथा इसकी सामग्री को प्राचीन तिब्बती धर्म जिसे बॉन (Bon) कहाँ जाता है, से जोड़ता है।
 - ♦ इस बैठक में भारत ने गंदन मठ में बौद्ध पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि भारत वहां संग्रहालय-सह-पुस्तकालय (Museum-Cum-Library) स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिये मंगोलिया के अनुरोध पर भी विचार करेगा।
 - संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंगोलिया में बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्रों में वितरण हेतु वर्ष 2022 तक पवित्र मंगोलियाई कांजूर (Mongolian Kanjur) के लगभग 100 सेटों का पुन:मुद्रण (Reprinting) कार्य पूरा करने की संभावना है।
 - 108 खंडों में संकलित बौद्ध विहित पाठ (Buddhist Canonical Text) 'मंगोलियाई कंजूर' (Mongolian Kanjur) को मंगोलिया में सबसे महत्त्वपूर्ण धार्मिक पाठ माना जाता है। इसका तिब्बती से अनुवाद किया गया है और शास्त्रीय मंगोलियाई में लिखा गया है।
 - मंगोलियाई भाषा में 'कंजूर' का शाब्दिक अर्थ 'संक्षिप्त आदेश' है जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए 'शब्द' को संदर्भित करता है।
 - बैठक में भारत सरकार द्वारा भारत में रहने वाले मंगोलिया के बौद्ध भिक्षुओं की वीजा और यात्रा की सुविधा हेतु उठाए गए प्रयासों के बारे में बताया गया।
- भारत-मंगोलिया संबंध:
 - ऐतिहासिक संबंध:
 - भारत और मंगोलिया अपनी साझा बौद्ध विरासत के कारण आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं।
 - राजनियक संबंध:
 - वर्ष 1955 में भारत ने मंगोलिया के साथ राजनियक संबंध स्थापित किये क्योंिक मंगोलिया ने भारत को 'आध्यात्मिक पड़ोसी' और रणनीतिक साझेदार घोषित किया था, इस तरह भारत, सोवियत ब्लॉक के बाहर उन शुरुआती देशों में पहला देश था, जिन्होंने मंगोलिया के साथ राजनियक संबंध स्थापित किये थे।
 - वर्ष 2015 में पहली बार अपनी 'एक्ट ईस्ट नीति' (India's Act East Policy) के तहत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मंगोलिया की यात्रा की गई।
 - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
 - मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC) की स्थायी सीट के लिये भारत की सदस्यता हेतु अपने समर्थन को एक बार फिर दोहराया है।
 - चीन के कड़े विरोध के बावजूद भारत ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) समेत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मंगोलिया को सदस्यता दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने गुटिनरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement-NAM) में मंगोलिया को शामिल करने का भी समर्थन किया।

- मंगोलिया ने भारत और भूटान के साथ बांग्लादेश की मान्यता के लिये वर्ष 1972 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया
 था।
- अन्य फोरम जिनमें दोनों देश सदस्य हैं: एशिया-यूरोप मीटिंग (Asia-Europe Meeting- ASEM) और विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO) आदि।
- शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) का भारत एक सदस्य देश है, जबिक मंगोलिया एक पर्यवेक्षक देश है।
- आर्थिक संबंध:
 - वर्ष 2020 में भारत-मंगोलिया द्विपक्षीय व्यापार घटकर 35.3 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जबिक वर्ष 2019 में यह 38.3 मिलियन अमरीकी डॉलर था।
 - भारत द्वारा अपने लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) कार्यक्रम के तहत 'मंगोल रिफाइनरी परियोजना' (Mongol Refinery Project) की शरुआत की गई है।
- सांस्कृतिक संबंध:
 - वर्ष 1961 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-मंगोलियाई समझौते के तहत दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
 - समझौते में छात्रवृत्ति, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, सम्मेलनों में भागीदारी आदि के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई है।
- रक्षा सहयोगः
 - दोनों देशों के बीच 'नोमाडिक एलीफैंट' (Nomadic Elephant) नाम से संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जाता है।
 इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और काउंटर टेरिएन ऑपरेशन हेतु सैनिकों को प्रशिक्षित करना है।
- पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोगः
 - दोनों देश बिश्केक घोषणा (Bishkek Declaration) का हिस्सा हैं।

आगे की राहः

- मध्य एशिया, पूर्वोत्तर एशिया, सुदूर पूर्व, चीन और रूस के साथ मंगोलिया की भौगोलिक स्थिति प्रमुख शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंगोलिया भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकास के क्षेत्र के रूप में साबित हो सकता है जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हाई-टेक सुविधाओं और उत्पादन कौशल प्रदान करता है।
- भारत-मंगोलियाई संस्कृति की साझा विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है साथ ही दोनों देशों को भविष्य के सामान्य हितों को पोषित करने और आगे बढ़ाने के आधार के रूप में मिलकर कार्य करना चाहिये।

फरज़ाद-बी गैस फील्ड: ईरान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ईरान ने फरज़ाद-बी गैस फील्ड के विकास हेतु उसे एक घरेलू गैस उत्पादक कंपनी पेट्रोपार्स (Petropars) को सौप दिया।

यह निर्णय ईरान के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों के लिये एक बाधक है क्योंकि वर्ष 2008 में ओएनजीसी (ONGC) विदेश लिमिटेड (OVL) ने इस गैस क्षेत्र की खोज की थी और यह उस मुद्दे पर चल रहे सहयोग का हिस्सा रहा है।

प्रमुख बिंदु

फरज़ाद-बी गैस फील्ड:

- यह फारस की खाडी (ईरान) में स्थित है।
- वर्ष 2002 में इस क्षेत्र की खोज के लिये ओएनजीसी विदेश, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया के भारतीय संघ द्वारा एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- 🕨 गैस क्षेत्र की खोज के आधार पर इस क्षेत्र की व्यावसायिकता की घोषणा के पश्चात् वर्ष 2009 में इसका अनुबंध समाप्त हो गया।
 - इस क्षेत्र में 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक का गैस भंडार है।
 - ओएनजीसी ने इस क्षेत्र में लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
- तब से संघ द्वारा इस क्षेत्र के विकास हेतु अनुबंध को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है।
 - भारत और ईरान के बीच विवाद के मुख्य कारणों में दो पाइपलाइनों की स्थापना और विकास योजना पर दी जाने वाली राशि शामिल
 थी।
 - ◆ मई 2018 तक समझौते के लगभग 75% हिस्से को अंतिम रूप प्रदान किया गया था, जब अमेरिका एकतरफा परमाणु समझौते से हट गया तो उसने ईरान पर प्रतिबंधों की घोषणा कर दी।
- जनवरी 2020 में भारत को यह जानकारी दी गई कि निकट भिवष्य में ईरान स्वयं इस क्षेत्र का विकास करेगा और बाद के कुछ चरणों में
 भारत को उचित रूप से शामिल करना चाहेगा।

अन्य नवीन विकास:

- भारतीय व्यापारियों ने भारतीय बैंकों के साथ ईरान के घटते रुपए के भंडार पर सावधानी बरतते हुए ईरानी खरीदारों के साथ नए निर्यात अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना लगभग बंद कर दिया है।
- वर्ष 2020 में ईरान ने भारत के 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को छोड़ दिया और चाबहार रेलवे लिंक (चाबहार-जाहेदान रेलवे लाइन) को स्वयं बनाने का फैसला किया।

भारत के लिये चिंता:

- चीन का बढ़ता प्रभुत्व:
 - ♦ अप्रैल 2021 में चीन ने ईरान के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसे 25 वर्षीय 'रणनीतिक सहयोग समझौते' के रूप में विर्णित किया गया है। इस समझौते में "राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक" घटक शामिल हैं।
 - चीन ईरान के साथ सुरक्षा और सैन्य साझेदारी में भी सहयोग कर रहा है।
 - चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान में भारतीय प्रवेश मार्गों के लिये चीन-ईरान रणनीतिक साझेदारी एक बाधा हो सकती है और 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर' (INSTC) से आगे की कनेक्टिविटी हो सकती है, हालाँकि ईरान ने इन परियोजनाओं में व्यवधान का कोई संकेत नहीं दिया है।
 - इसके अतिरिक्त ईरान को अमेरिका के साथ भारत के राजनियक संबंधों पर संदेह है।
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा:
 - ♦ भारत इस्लामिक राष्ट्रों से आयात होने वाले कुल तेल का 90% हिस्सा ईरान से आयात करता था, जिसको अब रोक दिया गया है।
 - भारत वर्ष 2018 के मध्य तक चीन के बाद ईरान से तेल आयात करने वाला प्रमुख देश था।
 - भारत को गैस की आवश्यकता है और ईरान भौगोलिक दृष्टि से सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है, ईरान फारस की खाड़ी क्षेत्र के सभी देशों में भारत के सबसे कम दूरी पर स्थित है।
 - इसके अतिरिक्त फरजाद-बी गैस फील्ड भारत-ईरान संबंधों में सुधार कर सकता था क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से कच्चे तेल का आयात प्रभावित रहता है।
- इस क्षेत्र में भारत की भूमिका:
 - भारत के लिये ईरान के साथ संबंध बनाए रखना पश्चिम एशिया में भारत की संतुलन नीति के लिये महत्त्वपूर्ण है फिर चाहे सऊदी अरब और इजराइल के साथ एक नया संबंध स्थापित ही करना हो।
- मध्य एशिया से जुडाव:
 - ◆ चाबहार न केवल दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों की कुंजी है, बिल्क भारत को रूस और मध्य एशिया तक पहुँचने का अवसर भी प्रदान करता है।

- ♦ इसके अतिरिक्त, यह भारत को पाकिस्तान सीमा से दूर स्थित मार्गों से व्यापार करने की अनुमित देता है जिसने अफगानिस्तान को भारतीय सहायता और भूमिगत सभी व्यापार को रोक दिया था।
- शांतिपूर्ण अफगानिस्तानः
 - भारत, अफगानिस्तान में महत्त्वपूर्ण निवेश करने के बाद हमेशा एक अफगान निर्वाचित, अफगान नेतृत्व, अफगान स्वामित्व वाली शांति और सुलह प्रक्रिया तथा अफगानिस्तान में एक लोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकार की उम्मीद करेगा।
 - ♦ हालाँकि भारत को अफगानिस्तान के पड़ोस में विकसित हो रहे ईरान-पाकिस्तान-चीन की धुरी से सावधान रहना होगा, जिसके अंदर आतंकी समूहों के जाल फैले हुए हैं।

आगे की राह

- भारत मध्य पूर्व के तेल और गैस पर सर्वाधिक निर्भर है इसलिये भारत को ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब तथा इराक सहित अधिकांश प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिये।
- भारत को अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।
- विश्व में जहाँ कनेक्टिविटी या संबंधों को नई मुद्रा के रूप में वर्णित किया जाता है, भारत के इन परियोजनाओं के नुकसान से किसी अन्य देश (विशेष रूप से चीन) को लाभ मिल सकता है।

भारत- ओमान समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और ओमान ने सैन्य सहयोग के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन (Memoranda of Understanding-MoUs) का नवीनीकरण किया।

प्रमुख बिंदुः

भारत- ओमान संबंध:

- सल्तनत ऑफ ओमान (ओमान) खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council- GCC), अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association- IORA) के लिये एक महत्त्वपूर्ण वार्ताकार है।
 - भारत IORA का सदस्य है परंतु GCC और अरब लीग का सदस्य नहीं है।
- अरब सागर के दोनों देश एक-दूसरे से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं तथा दोनों के बीच सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जिसका श्रेय ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंधों और भारत के साथ शाही परिवार की घनिष्ठता व ओमान के निर्माण में भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा निभाई गई मौलिक भूमिका जिसे ओमान की सरकार ने स्वीकार किया है, को दिया जाता है।
- संयुक्त आयोग की बैठक (JCM) और संयुक्त व्यापार परिषद (JBC) जैसे संस्थागत तंत्र दोनों के बीच आर्थिक सहयोग की देख-रेख करते हैं।
- रक्षा क्षेत्र सहयोग में प्रमुख द्विपक्षीय समझौते/MoUs में शामिल हैं; बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग; प्रत्यर्पण; नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में कानुनी तथा न्यायिक सहयोग; कृषि; नागरिक उड़डयन; दोहरे कराधान से बचाव; समुद्री मुद्दे आदि।

रक्षा समझौते:

- पश्चिम-एशिया में ओमान, भारत के सबसे पुराने रक्षा भागीदारों में से एक है और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में सहयोगी है।
- भारत ने ओमान को राइफलों की आपूर्ति की है। साथ ही भारत, ओमान में एक रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करने पर विचार कर रहा है।
- भारत और ओमान द्वारा अपनी तीनों सैन्य सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है।
 - सेना अभ्यास: अल नजाह

- वायु सेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज
- नौसेना अभ्यास: नसीम-अल-बहर

समुद्री सहयोग

- ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का पांचवाँ हिस्सा आयात करता है।
- भारतीय जहाजों को ओमान द्वारा दिये गए बर्थ अधिकार (Berth Rights), भारतीय नौसेना के लिये अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- भारत ने ओमान के दुकम बंदरगाह तक पहुँचने के लिये ओमान के साथ वर्ष 2018 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक गहराई बढ़ाने और हिंद महासागर के पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में अपनी इंडो-पैसिफिक पहुँच को बढ़ाने के लिये ओमान के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
- इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती पकड़ का मुकाबला करने के लिये भारत को ओमान के समर्थन की आवश्यकता है।
 - 🔷 भारत, जिब्रुती में पोर्ट ऑफ डोरालेह में अपना आधार स्थापित करने सिहत इस क्षेत्र में चीन द्वारा रणनीतिक संपत्ति के अधिग्रहण से चिंतित है।

चीन का नया सामरिक राजमार्ग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ विवादित सीमा को लेकर दूरदराज़ के क्षेत्रों में अपनी पहुँच को और अधिक मज़बूत करने हेतु सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण राजमार्ग के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया है।

प्रमुख बिंदुः

- इस राजमार्ग के निर्माण कार्य को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था तथा यह तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक बुनियादी ढाँचे को आगे बढाने के हिस्से के रूप में है।
- यह राजमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी (तिब्बत में यारलंग झांग्बो) की घाटी से होकर गुज़रता है।
 - ♦ ब्रह्मपुत्र तिब्बत की सबसे लंबी नदी है और इसकी घाटी विश्व की सबसे गहरी घाटी है, जिसमें सबसे ऊँचे पर्वत शिखर से लेकर सबसे निचले बेसिन (7,000 मीटर) पाए जाते हैं।
- यह राजमार्ग पैड टाउनशिप (Pad Township) को न्यिंगची (Nyingchi) और मेडोग काउंटी (Medog County) से जोड़ता है।
 - ♦ न्यिंगची और मेडोग काउंटी दोनों ही तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (Tibet Autonomous Region- TAR), चीन में स्थित हैं।
 - मेडोग तिब्बत का अंतिम प्रांत है, जो अरुणाचल प्रदेश (भारत) की सीमा के करीब स्थित है।
 - 🔷 चीन दक्षिणी तिब्बत के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है. जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। भारत-चीन सीमा विवाद में 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) शामिल है।
 - इस राजमार्ग से न्यिंगची और मेडोग काउंटी के बीच यात्रा का समय आठ घंटे कम हो जाएगा।

चीन द्वारा अन्य सामरिक निर्माण कार्यः

- रेलवे लाइन:
 - इससे पहले वर्ष 2020 में चीन ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण एक रेलवे लाइन पर काम शुरू किया था जो सिचुआन प्रांत को तिब्बत में न्यिंगची से जोड़ेगा, यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है।
 - वर्ष 2006 में शुरू किये गए चिंगहई-तिब्बत रेलमार्ग (Qinghai-Tibet railway) के बाद यह तिब्बत के लिये दूसरा प्रमुख रेल लिंक है।

- नए गाँवों का निर्माण:
- जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश में बुमला दरें से 5 किलोमीटर दूर चीन द्वारा तीन गाँवों के निर्माण किये जाने की खबरें आई थीं।
 - 🔷 वर्ष 2020 के कुछ उपग्रह चित्रों में भूटान की सीमा के अंतर्गत 2-3 किमी में निर्मित 'पंगडा' नामक एक नया गाँव देखा गया।
 - ◆ वर्ष 2017 में TAR सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मध्यम रूप से संपन्न गाँव बनाने की योजना शुरू की।
 - इस योजना के तहत भारत, भूटान, नेपाल और चीन की सीमाओं के साथ नगारी, शिगात्से, शन्नान और न्यिंगची प्रांतों तथा अन्य दूरदराज के इलाकों में 628 गाँव विकसित किये जाएंगे।

भारत की चिंताएँ:

- 'मेगा यारलुंग जांगबो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट' के सर्वेक्षण और इस संबंध में योजना बनाने हेतु एक राजमार्ग द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसे चीन'मेडोग काउंटी' घाटी में बनाने की योजना बना रहा है, इससे भारत जैसा देश चिंतित है।
- सीमा से संबंधित राजमार्ग से सीमा क्षेत्र में सैन्यकर्मियों, सामग्री परिवहन और रसद आपूर्ति की दक्षता तथा आपूर्ति में काफी सुधार होगा। भारत द्वारा उठाए गए कदम:
- भारत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) के 10 प्रतिशत कोष को केवल चीन सीमा पर बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये खर्च करेगा।
- सीमा सड़क संगठन (BRO) ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनिसरी नदी पर दापोरिजो पुल का निर्माण किया है।
 - ◆ यह भारत और चीन के बीच LAC तक जाने वाली सडकों को जोडता है।
- अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के नेचिफू में एक सुरंग की नींव रखी गई है, जो तवांग से LAC तक सैनिकों हेतु यात्रा के समय को कम कर देगी. जिसे चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है।
- अरुणाचल प्रदेश में 'से ला' दर्रा के नीचे एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो तवांग को अरुणाचल प्रदेश और गुवाहाटी से जोड़ती है।
- अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने भारत-चीन सीमा पर 10 शहरों के बुनियादी विकास के लिये पायलट परियोजनाओं के रूप में चुनने की वकालत की है, ताकि राज्य में दूर शहरी केंद्रों में प्रवास करने वाले विशेष रूप से चीन से आने वाले लोगों को रोका जा सके।
- अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित सिसेरी नदी पुल, दिबांग घाटी और सियांग को जोड़ता है।
- वर्ष 2019 में भारतीय वायु सेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी गाँव-विजयनगर (चांगलांग जिला) में रनवे का उद्घाटन किया।
- वर्ष 2019 में भारतीय सेना ने अपने नव-निर्मित एकीकृत युद्ध समूहों (IBG) के साथ अरुणाचल प्रदेश और असम में 'हिमविजय' अभ्यास किया।
- बोगीबील पुल, जो असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क-रेल पुल है, का उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था।
 - यह भारत-चीन सीमा के पास के क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की त्विरत आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।

आगे की राहः

 भारत को अपने हितों की कुशलता से रक्षा करने के लिये अपनी सीमा के पास चीन द्वारा किसी नए निर्माण के संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसे कुशल तरीके से किमयों और अन्य रसद आपूर्ति की आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु अपने दुर्गम सीमा क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने की आवश्यकता है।

ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य-समूह (BAWG) की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने ब्रिक्स 2021 के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की दिशा में ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य-समूह (BAWG) की 7वीं बैठक की वर्च्अल (online) मेजबानी की ।

• भारत की ओर से इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA) पुणे तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने इस बैठक को संचालित किया।

प्रमुख बिंदु

ब्रिक्स (BRICS):

- ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये एक संक्षिप्त शब्द (Abbreviation) है।
- वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ' नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं के वर्णन करने के लिये
 BRICS शब्द की चर्चा की।
 - ♦ वर्ष 2006 में ब्रिक (BRIC) विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक के दौरान समूह को एक नियमित अनौपचारिक रूप प्रदान किया गया।
 - ◆ दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक (BRIC) में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने चीन में आयोजित तीसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और समूह ने संक्षिप्त रूप ब्रिक्स (BRICS) को अपनाया।
- जनवरी 2021 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है।

संरचना :

- ब्रिक्स कोई संगठन का रूप नहीं है, बिल्क यह पाँच देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है।
- ब्रिक्स शिखर सम्मलेन फोरम की अध्यक्षता प्रतिवर्ष B-R-I-C-S क्रमानुसार सदस्य देशों द्वारा की जाती है।
 सहयोग तंत्र: सदस्यों के बीच निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग किया जाता है:
- ट्रैक I: राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनियक जुड़ाव।
- ट्रैक III: सिविल सोसायटी और पीपल-टू-पीपल कॉन्टेक्ट।

सहयोग के क्षेत्र:

- आर्थिक सहयोग:
 - ♦ ब्रिक्स समझौतों से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिजर्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग आदि सामने आए हैं।
- पीपल-टू-पीपल एक्सचेंज:
 - पीपल-टू-पीपल एक्सचेंज द्वारा नए मित्र स्थापित करना; ब्रिक्स सदस्यों के बीच खुलापन, समावेशिता, विविधता और सीखने की भावना आदि मामलों में संबंधों के मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है।
 - पीपल-टू-पीपल एक्सचेंज में यंग डिप्लोमेट्स फोरम, पार्लियामेंट्री फोरम, ट्रेड यूनियन फोरम, सिविल ब्रिक्स के साथ-साथ मीडिया फोरम भी शामिल हैं।
- राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग:

 - ◆ दिक्षण अफ्रीका की विदेश नीति की प्राथिमकताओं के लिये ब्रिक्स को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है जिसमें अफ्रीकी एजेंडा और दिक्षण-दिक्षण सहयोग शामिल हैं।

ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य-समूह (BAWG) के बारे में:

- यह ब्रिक्स सदस्य देशों को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिये एक मंच प्रदान करता है, साथ ही यह अनुशंसा करता है कि
 प्रत्येक देश में अपने केंद्र-बिंदु में किये जा रहे कार्यों के वैज्ञानिक परिणाम प्रस्तुत करे।
- जब भी ब्रिक्स फंडिंग एजेंसियों द्वारा फंडिंग के अवसरों की घोषणा की जाती है, तो यह फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को साकार करने के लिये फंडिंग सपोर्ट लेने में मदद करेगा।

बैठक में कार्य-समूह के सदस्यों ने इस क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधान की दिशा के बारे में भी संकेत दिये जैसे- इंटेलीजेंट टेलीस्कोप का नेटवर्क और डेटा नेटवर्क का निर्माण, ब्रह्मांड में होने वाली क्षणिक खगोलीय घटनाओं का अध्ययन, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बेहतर मल्टी-वेवलेंथ टेलीस्कोप वेधशाला की वजह से उत्पन्न होने वाले बेहद विशाल आँकडों को संसाधित करने के लिये मशीन लर्निंग एप्लीकेशन आदि।

आगे की राह

- ब्रिक्स ने अपने पहले दशक में सभी सदस्यों के सामान्य हितों के मुद्दों की पहचान करने और इन मुद्दों को हल करने के लिये मंच प्रदान करने
- ब्रिक्स को और अधिक प्रासंगिक बनाए रखने के लिये इसके प्रत्येक सदस्य को अवसरों और इनमें निहित सीमाओं का यथार्थवादी मुल्यांकन करना चाहिये।

चीन के 17+1 से लिथुआनिया का इस्तीफा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लिथुआनिया ने मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच (17+1 Cooperation Forum) को "विभाजनकारी" कहकर छोड दिया, जिसके बाद इसका स्वरूप अब 16+1 हो गया है।

लिथुआनिया ने (बाल्टिक देश) अन्य यूरोपीय संघ (European Union) के सदस्यों से "चीन के साथ अधिक प्रभावी 27+1 दृष्टिकोण (27+1 Approach) अपनाने तथा संवाद जारी रखने' का भी आग्रह किया है।

प्रमुख बिंदु

17+1 के विषय में:

- गठन:
 - 17+1 (चीन और मध्य तथा पूर्वी यूरोप के देश) पहल चीन के नेतृत्व वाला एक प्रारूप है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में बुडापेस्ट में बीजिंग एवं मध्य व पूर्वी यूरोप (Central and Eastern Europe- CEE) के सदस्य देशों के बीच सीईई क्षेत्र में निवेश और व्यापार पर सहयोग बढाने के उद्देश्य से की गई थी।
- सदस्य देश:
 - ◆ इस पहल में यूरोपीय संघ के बारह सदस्य राज्य और पाँच बाल्कन राज्य (अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवािकया और स्लोवेनिया) शामिल हैं।
- लक्ष्य और उद्देश्य:
 - 🔷 यह सदस्य राज्यों में पुलों, मोटरमार्गों, रेलवे लाइनों और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर केंद्रित है।
 - ♦ इस मंच को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (Belt and Road initiative- BRI) के विस्तार के रूप में देखा जाता है।
 - भारत ने लगातार बीआरआई का विरोध किया है क्योंकि इसका एक प्रमुख हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुज़रता है।

घटते संबंधों की पृष्ठभूमि:

- 17+1 पहल पर चीन का पक्ष:
 - ♦ चीन का कहना है कि उसका उद्देश्य इस पहल के माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय राज्यों की तुलना में कम विकसित यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारना है।
 - ◆ चीन और सीईई देशों के बीच व्यापार संबंध साधारण बने रहें, क्योंकि इसकी स्थापना के बाद से सीईई देशों का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है।

- बढ़ती दूरी:
 - वास्तिवक निवेश की कमी का हवाला देते हुए 17+1 पहल के नौवें शिखर सम्मेलन को छोड़ने के चेक गणराज्य के राष्ट्रपित के फैसले ने बीजिंग और प्राग के बीच मतभेदों को प्रदर्शित किया था।
 - कुछ सीईई देशों ने वर्ष 2020 में बीआरआई कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार कर दिया।
- हुआवेई संतुलन:
 - कुछ सीईई देशों ने चीन के 5जी नेटवर्क विस्तार पर प्रतिबंध लगाने के लिये अमेरिका के साथ एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये।

बाल्टिक देश

- बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लातिवया और लिथुआनिया शामिल हैं।
- बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर (Baltic Sea) से घिरे हुए हैं जिसके नाम पर क्षेत्र का नाम रखा गया है।
- बाल्टिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नहीं है। हालाँकि एस्टोनिया खिनज तेल उत्पादक है लेकिन इस क्षेत्र में खिनज और ऊर्जा संसाधनों
 का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है।
- भारत और बाल्टिक देशों के बीच ऐतिहासिक संपर्क और भाषायी मूल की समानता (Common linguistic Roots) विद्यमान हैं। बाल्टिक देशों की अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार परिवेश भारत के विशाल बाजार और इन तकनीकी आवश्यकता के पूरक हैं।

बाल्कन देश

- इस भौगोलिक शब्द का उपयोग दस संप्रभु राज्यों (अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया) के लिये किया जाता है।
- इस क्षेत्र का नाम बाल्कन पर्वत पर पड़ा है जो दक्षिणी यूरोप में स्थित है।
- इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी दक्षिण स्लावों की है।
- इस क्षेत्र में एक बहुत ही विविध जातीय-भाषायी परिदृश्य है। बल्गेरियाई, मैसेडोनियन और स्लोवेनियाई अपनी-अपनी स्लाव भाषा बोलते हैं, जबिक सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना तथा मोंटेनेग्रो के स्लाव सभी सर्बो-क्रोएशियाई बोलियाँ बोलते हैं।

कृषि सहयोग पर भारत-इज़रायल समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और इजरायल ने कृषि सहयोग बढ़ाने के लिये तीन वर्षीयकार्य योजना समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

तीन वर्षीय कार्य समझौता

- इस कार्ययोजना का उद्देश्य मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, उत्कृष्टता केंद्रों की मूल्य शृंखला को बढ़ाना,
 उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मिनर्भर बनाना और निजी क्षेत्र की कंपिनयों को सहयोग के लिये प्रोत्साहित करना है।
- भारत और इज़राइल दोनों 'भारत-इज़रायल कृषि पिरयोजना उत्कृष्टता केंद्र' और 'भारत-इज़रायल उत्कृष्टता गाँव' (IIVOE) को लागू कर रहे हैं।

भारत-इज़राइल कृषि परियोजना

- भारत-इज्ञरायल कृषि सहयोग परियोजना को वर्ष 2008 में गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट समझौते पर आधारित तीन वर्षीय कार्ययोजना पर हस्ताक्षर के बाद शुरू किया गया था।
- दोनों देशों ने 50 मिलियन डॉलर का एक कृषि कोष बनाया है, जो डेयरी, कृषि प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म सिंचाई पर केंद्रित है।

• मार्च 2014 तक पूरे भारत में कुल 10 उत्कृष्टता केंद्र संचालित थे, जो इजरायली तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए कुशल कृषि तकनीकों पर किसानों के लिये मुफ्त प्रशिक्षण सत्र प्रदान कर रहे हैं।

भारत-इज़रायल उत्कृष्टता गाँव (IIVOE)

- यह एक नई अवधारणा है जिसका लक्ष्य आठ राज्यों में कृषि क्षेत्र में एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जिसमें 75 गाँवों में 13 उत्कृष्टता केंद्र भी शामिल हैं।
- यह कार्यक्रम किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि को बढ़ावा देगा और उनकी आजीविका को बेहतर करेगा, साथ ही पारंपिरक खेतों को भारत-इज़रायल कृषिकार्य योजना (IIAP) मानकों के आधार पर आधुनिक-प्रगतिशील कृषि क्षेत्र में बदलेगा।
- इज़रायल की आधुनिक प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणाली के साथ यह मूल्य शृंखला दृष्टिकोण पूर्णत: स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होगा।
- 'भारत-इजरायल उत्कृष्टता गाँव' कार्यक्रम में: (1) आधुनिक कृषि अवसंरचना, (2) क्षमता निर्माण, (3) बाजार से जुड़ाव पर ध्यान दिया जाएगा।

भारत-इज़रायल द्विपक्षीय संबंध:

ऐतिहासिक संबंध:

- दोनों देशों के बीच सामिरक सहयोग 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान शुरू हुआ।
- वर्ष 1965 में इज़रायल ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को M-58 160-mm मोर्टार गोला बारूद की आपूर्ति की।
- यह उन कुछ देशों में से एक था जिन्होंने वर्ष 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षणों की निंदा नहीं करने का फैसला किया था।

आर्थिक सहयोगः

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 1992 के 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में (मुख्य रूप से हीरा व्यापार शामिल है) वर्ष 2018-19 में 5.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) तक पहुँच गया, जिसमें भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
 - कुल द्विपक्षीय व्यापार में हीरों का व्यापार लगभग 40% है।
- भारत एशिया में इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- इज्ञरायल की कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है और भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- इज्ञरायल-भारत औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) से पहले अनुदान प्राप्तकर्ता की घोषणा जुलाई 2018
 में की गई थी, जिसमें कुशल जल उपयोग, संचार बुनियादी ढाँचे में सुधार, सौर ऊर्जा उपयोग के माध्यम से भारतीयों और इज्ञरायिलयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये काम करने वाली कंपनियों को शामिल किया गया है।
 - इस फंड का उद्देश्य इज़रायली उद्यिमयों को भारतीय बाज़ार में प्रवेश कराने में मदद करना है।

रक्षा सहयोगः

- इज्ञरायल लगभग दो दशकों से भारत के शीर्ष चार हिथयार आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है, हर वर्ष लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य बिक्री होती है।
- भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इज्ञरायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल किया है, इसमें फाल्कन AWACS (हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली) तथा हेरॉन, सर्चर-द्वितीय तथा हारोप ड्रोन से लेकर बराक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणालियों और स्पाइडर विमान भेदी मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।
- अधिग्रहण में कई इजरायली मिसाइलें और सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री भी शामिल है, जिसमें 'पायथन' और 'डर्बी' हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर 'क्रिस्टल मैज' तथा स्पाइस-2000 बम शामिल हैं।

कोविड -19 प्रतिक्रियाः

वर्ष 2020 में एक इज़रायली टीम बहु-आयामी मिशन के साथ भारत पहुँची, जिसका कोड नेम 'ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस' था, इसे कोविड
 19 प्रतिक्रिया पर भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने हेत बनाया गया था।

यूरोपीय संघ ने लगाए बेलारूस पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय संघ (EU) ने बेलारूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें उसकी एयरलाइन्स को यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया।

प्रमुख बिंदुः

बेलारूस की राजनीतिक पृष्ठभूमि:

- यूरोप में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक बेलारूस के राष्ट्रपित लुकाशेंको ने वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन के कारण उत्पन्न हुई अराजकता के बीच वर्ष 1994 में पदभार ग्रहण किया।
- इन्हें प्राय: यूरोप के "अंतिम तानाशाह" के रूप में वर्णित किया जाता है, उन्होंने सोवियत साम्यवाद के तत्त्वों को संरक्षित करने का प्रयास किया है।
 - ◆ वह 26 वर्षों से सत्ता में हैं तथा अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा राज्य के हाथों में है और विरोधियों के खिलाफ सेंसरिशप एवं पुलिस कार्रवाई का उपयोग कर रहे हैं।
- वर्ष 2020 में लुकाशेंको को चुनावों में विजेता घोषित किये जाने के बाद राजधानी मिन्स्क में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो हिंसक सुरक्षा कार्रवाई के कारण हुए थे।
 - 🔷 बेलारूस में स्थिर अर्थव्यवस्था और चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह को लेकर सरकार के खिलाफ व्यापक गुस्सा व्याप्त है।

पिछले प्रतिबंधः

- हिंसक कार्रवाई के जवाब में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2020 में बेलारूस के खिलाफ कई दौर के वित्तीय प्रतिबंध लगाए।
- अमेरिका ने नौ राज्यों के स्वामित्व वाली संस्थाओं और राष्ट्रपित लुकाशेंको सिंहत 16 व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध और लिक्षित वित्तीय प्रतिबंध भी लगाए। ये प्रतिबंध पहली बार वर्ष 2006 में लगाए गए थे तथा वर्ष 2008 में इन्हें और अधिक सख्त कर दिया गया।
- कई वर्ष पहले दो विपक्षी राजनेताओं, एक पत्रकार और एक व्यापारी के लापता होने के बाद यूरोपीय संघ ने पहली बार वर्ष 2004 में बेलारूस के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपाय प्रस्तुत किये थे।

हालिया प्रतिबंधों का कारण:

• बेलारूस के राष्ट्रपति ने एक यात्री जेट को जबरन रोककर और एक विपक्षी पत्रकार को गिरफ्तार करने हेतु युद्धक विमान को भेजा। पश्चिमी शक्तियों द्वारा इसकी "स्टेट पाइरेसी" (जिसमें राज्य शामिल है) के रूप में निंदा की गई।

यूरोपीय संघ द्वारा उठाए गए कदम:

- हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध:
 - ♦ बेलारूसी एयरलाइनों को EU के 27-राष्ट्र ब्लॉक के हवाई क्षेत्र से प्रतिबंधित करने का आह्वान किया और यूरोपीय संघ-आधारित वाहकों से पूर्व सोवियत गणराज्य के ऊपर से उड़ान भरने से बचने का आग्रह किया।
- जबरन विमान रोकने की जाँच:
 - EU के देश ऐसे बेलारूसी व्यक्तियों की सूची को विस्तृत करने के लिये सहमत हुए, जिनके यात्रा करने पर पहले ही प्रतिबंध लगया जा चुका है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़डयन संगठन (ICAO) से बेलारूस की इस घटना की तत्काल जाँच करने का आग्रह किया।
 - इसने हिरासत में लिये गए पत्रकार की रिहाई की भी मांग की।

- व्यक्तियों और व्यवसायों पर प्रतिबंध:
 - ♦ अक्तूबर 2020 के बाद से यूरोपीय संघ उत्तरोत्तर यात्रा प्रतिबंध और संपित जब्त करने जैसे उपायों के साथ अधिक से अधिक प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को प्रतिबंधित कर रहा है।
 - ♦ हाल की घटना के संबंध में EU ने 88 व्यक्तियों और सात संस्थाओं की अपनी प्रतिबंध सूची में जोड़ने का निर्णय लिया।
- बिलियन-यूरो आर्थिक पैकेज:
 - यूरोपीय संघ बेलारूस को 3 बिलियन यूरो का निवेश पैकेज देने को तैयार था जिसे अब तब तक फ्रीज किया जाएगा जब तक कि देश लोकतांत्रिक नहीं हो जाता।

निहितार्थः

- बेलारूस यूरोप के भीतर एवं यूरोप और एशिया के बीच मार्गों के उड़ान पथ पर स्थित है। बेलारूस को प्रतिबंधित करने से इदानों में कमी आएगी और एयरलाइंस पर अतिरिक्त आर्थिक भर पड़ेगा।
- बेलारूस को एयरलाइन्स से हर दिन 70,000 यूरो तक आय होती है, इस राशि से वंचित होने से असुविधा होगी लेकिन बेलारूस की अर्थव्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठनः

- यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है, जिसे वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिये मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी।
- दिसंबर 1944 में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन को लेकर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- इसने हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमित देने वाले मूल सिद्धांतों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का भी नेतृत्व किया।

उद्देश्य:

 अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देना तािक दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

सदस्य:

भारत इसके 193 सदस्यों में शामिल है।

मुख्यालय:

• मॉट्रियल, कनाडा

आगे की राहः

- बेलारूस के राष्ट्रपति को एक वैध सरकार का गठन सुनिश्चित करना चाहिये जो देश की महत्त्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सके।
- उन्हें विपक्ष से बात करनी चाहिये और संकट के शांतिपूर्ण समाधान हेतु बातचीत की पेशकश करनी होगी।

इज़रायल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिये स्थायी आयोग

चर्चा में क्यों?

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से इजरायल, गाजा और वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रिपोर्ट करने के लिये एक स्थायी आयोग स्थापित करने का आह्वान कर रहे हैं।

यह कदम इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष में हिंसा में नवीनतम वृद्धि के मद्देनज़र उठाया गया है।

प्रमुख बिंदुः

प्रस्तावित स्थायी आयोग के बारे में:

- यह UNHRC अध्यक्ष द्वारा इजारायल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानविधकार कानून के उल्लंघन की जाँच के लिये नियुक्त एक स्वतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग होगा।
 - ♦ जाँच आयोग (COI) द्वारा की जाने वाली जाँच उच्चतम स्तर की होती है जिसे परिषद अधिकृत कर सकती है।
 - ◆ उदाहरण के लिये एक अन्य COI एक दशक पहले सीरिया युद्ध की स्थापना के बाद से नियमित रूप से रिपोर्टिंग कर रहा है। यह आंशिक रूप से सबत इकट्ठा करते हैं जो एक दिन न्यायालय में प्रयोग किया जा सकते है।
- आयोग भेदभाव और दमन सिंहत बार-बार होने उत्पन्न वाले तनाव के कारण अस्थिरता और संघर्ष के सभी अंतर्निहित मूल कारणों की भी जाँच करेगा।
- इज़रायल, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कई बार समर्थित इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह का आरोप लगाता है और आम तौर पर अपने जाँचकर्ताओं के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है।

इस्लामी सहयोग संगठनः

- OIC संयुक्त राष्ट्र के बाद 57 राज्यों की सदस्यता के साथ दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।
 - भारत OIC का सदस्य नहीं है। हालाँकि वर्ष 2019 में विदेश मंत्री परिषद के 46वें सत्र में भारत को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- यह मुस्लिम जगत की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा के लिये काम करता है।
- यह वर्ष 1969 में मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के निर्णय के आधार पर स्थापित किया गया था।
- मुख्यालयः जेदा, सऊदी अरब।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:

- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिये जिम्मेदार है।
- यह परिषद वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा बनाई गई थी। इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग की जगह ली।
- मानवाधिकार के लिये उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
 - ◆ OHCHR का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- 🔸 यह 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से बना है, जिन्हें समान भौगोलिक वितरण के सिद्धांत के आधार पर UNGA द्वारा चुना जाता है।
 - परिषद के सदस्य तीन साल की अविध के लिये चुने जाते हैं और लगातार दो कार्यकालों की सेवा के बाद तत्काल पुन: चुनाव हेतु पात्र नहीं हैं।
 - भारत को 1 जनवरी 2019 से तीन साल की अविध के लिये परिषद हेतु चुना गया था।
- तंत्र:
 - ♦ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू: UPR संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में मानवाधिकार स्थितियों का आकलन करने का काम करता है।
 - संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रियाएँ: ये विशेष प्रतिवेदक, विशेष प्रतिनिधि, स्वतंत्र विशेषज्ञ और कार्य समूहों से बने होते हैं जो विशिष्ट देशों में विषयगत मुद्दों या मानवाधिकार स्थितियों पर निगरानी, जाँच, सलाह और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करते हैं।
- नव गतिविधियाँ:
 - ♦ संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह UNHRC में फिर से शामिल होगा जिसे उसने वर्ष 2018 में छोड़ा था।
 - 🔷 परिषद ने श्रीलंका में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन की जाँच के लिये एक प्रस्ताव अपनाया है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलनः स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने गुटिनरपेक्ष आंदोलन (NAM) देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में भाग लिया।

प्रमुख बिंदुः

बैठक में भारत का रुख:

- वैक्सीन मैत्री पहल:
 - ♦ अपनी जरूरतों के बावजूद कोविड -19 महामारी के दौरान भारत ने 59 NAM देशों सिहत 123 भागीदार देशों को दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की।
- 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' के प्रयास:
 - सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को यह सुनिश्चित करने हेतु परिभाषित किया गया है कि सभी लोगों के पास पर्याप्त गुणवत्ता की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच होने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि इन सेवाओं का उपयोग उपयोगकर्ता को वित्तीय जोखिम में नहीं डालता है।
 - ◆ आयुष्मान भारत का लक्ष्य 500 मिलियन से अधिक वंचित लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य आश्वासन प्रदान करना है, ताकि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन जाए।
 - यह द्विमुखी दृष्टिकोण अपनाता है:
 - घरों के करीब स्वास्थ्य देखभाल सेवा सुनिश्चित करने के लिये स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण।
 - दूसरा गरीब और कमज़ोर परिवारों को विनाशकारी स्वास्थ्य प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम से बचाने के लिये
 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का निर्माण।
 - ग्राम आधारित सूक्ष्म योजनाओं पर अधिक जोर देने के साथ पूर्ण टीकाकरण कवरेज तीव्र गित से बढ़ रहा है जिसका उद्देश्य एक वर्ष में कवरेज को 90% तक बढ़ाना है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलनः

- पृष्ठभूमिः
 - ◆ यह शीत युद्ध (1945-1991) के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में गठित किया गया था, जो औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका (पूंजीवाद) या सोवियत संघ (समाजवाद) के साथ सेरिखित नहीं करना चाहता था, लेकिन स्वतंत्र या तटस्थ रहने की मांग करता था।
 - वर्ष 1955 के बांडुंग सम्मेलन के छह वर्ष बाद गुटिनरपेक्ष देशों के आंदोलन को बेलग्रेड के पहले शिखर सम्मेलन में व्यापक भौगोलिक आधार पर स्थापित किया गया था, जो सितंबर 1961 में आयोजित किया गया था।
 - ◆ इस सम्मेलन का आयोजन यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज टीटो, मिस्र के जमाल अब्देल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामे नकरुमाह और इंडोनेशिया के सुकर्णों के नेतृत्व में आयोजित किया गया था।
- उद्देश्य:
 - साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद, जाितवाद आदि सभी रूपों के खिलाफ उनके संघर्ष में "राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और गुटिनरपेक्ष देशों की सुरक्षा" सुनिश्चित करने के लिये निर्मित इस संगठन का उद्देश्य वर्ष 1979 की हवाना उद्घोषणा में बताया गया था।
- सदस्य और पर्यवेक्षक:
 - ♦ अप्रैल 2018 तक इसमें 120 सदस्य थे, जिसमें अफ्रीका के 53 देश, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 देश और यूरोप के 2 देश शामिल थे।

- ◆ 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन NAM के पर्यवेक्षक हैं।
- मुख्यालय:
 - ◆ NAM का कोई औपचारिक संविधान या स्थायी सिचवालय नहीं है और इसकी प्रशासिनक व्यवस्था गैर-श्रेणीबद्ध एवं चक्रीय होती
 - निर्णय सर्वसम्मित से किये जाते हैं, जिसके लिये पर्याप्त सहमित की आवश्यकता होती है।
- अंतिम बैठक:
 - 🔷 वर्ष 2020 में अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव (वर्तमान अध्यक्ष 2022 तक) की पहल पर उनकी अध्यक्षता में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक बुलाई गई।



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डेंगू: रोकथाम और पहचान

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में डेंगू के मामलों सामने आते हैं जिस कारण इस बीमारी के बारे में जानना महत्त्वपूर्ण है।

प्रमुख बिंदुः

डेंगृ:

- डेंगू एक मच्छर जितत उष्णकिटबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस (जीनस फ्लेबीवायरस) के कारण होती है, इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज (Genus Aedes) प्रजातियों मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी (Aedes aegypti) द्वारा होता है।
- यह मच्छर चिकनगुनिया (Chikungunya), पीला बुखार (Yellow Fever) और जीका संक्रमण (Zika Infection) का भी वाहक है।
- डेंगू को उत्पन्न करने वाले चार अलग-अलग परंतु आपस में संबंधित सीरोटाइप (सूक्ष्मजीवों की एक प्रजाति के भीतर अलग-अलग समूह जिनमें एक समान विशेषता पाई जाती हैं) DEN-1, DEN-2, DEN-3 और DEN-4 हैं।

लक्षण:

अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों में दर्द, हड्डी, जोड़ और मांसपेशियों में तेज दर्द आदि।

निदान और उपचार:

- डेंगू संक्रमण का निदान रक्त परीक्षण से किया जाता है।
- डेंगू संक्रमण के इलाज हेतु कोई विशिष्ट दवा नहीं है।

डेंगू की स्थिति:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) के अनुसार, हाल के दशकों में वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामलों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है ।
- WHO के अनुसार, प्रतिवर्ष 39 करोड़ लोग डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं, जिनमें से 9.6 करोड़ लोगों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं।
- 'राष्ट्रीय वेक्टर-जिनत रोग नियंत्रण कार्यक्रम' (National Vector-Borne Disease Control Programme-NVBDCP) के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में डेंगू के 1 लाख से अधिक और वर्ष 2019 में 1.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किये गए।
 - ♦ NVBDCP भारत में छह वेक्टर जिनत बीमारियों जिसमें मलेरिया, डेंगू, लिम्फैटिक फाइलेरिया, काला-जार, जापानी इंसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया शामिल हैं, की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

बैक्टीरिया का उपयोग करके डेंगू को नियंत्रित करना:

• हाल ही में वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम (World Mosquito Program) के शोधकर्त्ताओं ने इंडोनेशिया में डेंगू को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने हेतु वोल्बाचिया बैक्टीरिया (Wolbachia Bacteria) से संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया है।

- विधि:
 - वैज्ञानिकों ने कुछ मच्छरों को वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित कर उन्हें शहर में छोड़ दिया, जहाँ उन्होंने स्थानीय मच्छरों के साथ तब
 तक प्रजनन किया, जब तक कि क्षेत्र के लगभग सभी मच्छरों के शरीर में वोल्बाचिया बैक्टीरिया प्रविष्ट नहीं हो गया। इसे जनसंख्या
 प्रतिस्थापन रणनीति (Population Replacement Strategy) कहा जाता है।
 - ◆ 27 माह के अंत में शोधकर्त्ताओं ने पाया कि जिन क्षेत्रों में वोल्बाचिया-संक्रमित मच्छरों को छोड़ा गया था, वहां डेंगू की घटनाएँ उन क्षेत्रों की तुलना में 77% कम थीं जहाँ वोल्बाचिया-संक्रमित मच्छरों को नहीं छोड़ा गया था।

डेंगु का टीका:

- वर्ष 2019 में यूएस फूड एंड ड्रग एडिमिनिस्ट्रेशन (US Food & Drug Administration) द्वारा डेंगू के टीके CYD-TDV या डेंगवाक्सिया (CYD-TDV or Dengvaxia) को अनुमोदित किया गया था, जो अमेरिका में नियामक मंज़ूरी पाने वाला पहला डेंगू का टीका था।
 - डेंगवाक्सिया मूल रूप से एक जीवित, क्षीण डेंगू वायरस से निर्मित टीका है जिसे 9 से 16 वर्ष की आयु के उन लोगों को लगाया जाता है , जिनमें पूर्व में डेंगू संक्रमण की पुष्टि की गई है तथा जो स्थानिक क्षेत्रों में रहते हैं।

मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट : तेलंगाना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी यानी इस प्रकार की पहली पायलट परियोजना 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' के परीक्षण के लिये 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) का चयन किया है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- इस परियोजना में ड्रोन के ज़िरये दवाओं की डिलीवरी करना शामिल है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी के पश्चात् इस परियोजना की शुरूआत की जा रही है।
 - मंत्रालय ने वैक्सीन की डिलीवरी हेतु प्रायोगिक बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट (BVLOS) ड्रोन उड़ानों के संचालन के लिये मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2021 से तेलंगाना सरकार को सशर्त छूट दी है।
- पिरयोजना को तीन चरणों में शुरू िकया जाएगा, जो एक पायलट पिरयोजना के रूप में शुरू होगी और इसके बाद वांछित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन/दवा पहुँचाने हेतु ड्रोन के संचालन के लिये रूट नेटवर्क की मैपिंग निर्धारित होगी।
 सहयोगी
- इस परियोजना को तेलंगाना सरकार, विश्व आर्थिक मंच और हेल्थनेट ग्लोबल के सहयोग से संचालित किया जाएगा।
 - ♦ हेल्थनेट ग्लोबल (HealthNet Global) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो व्यक्तियों, परिवारों, मेडिकेयर और व्यवसायों हेतु
 गुणवत्तापूर्ण किफायती स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करती है।

लक्ष्य:

- दवाओं, कोविड -19 टीकों, लघु ब्लड बैंक और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों जैसी स्वास्थ्य देखभाल वस्तुओं के सुरक्षित, सटीक और विश्वसनीय पिकअप और डिलीवरी प्रदान करने के लिये ड्रोन को स्वास्थ्य वितरण केंद्र से विशिष्ट स्थानों तक और पुन: वापस आने के लिये एक वैकल्पिक लॉजिस्टिक रूट का आकलन करना है।
- साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिये स्वास्थ्य देखभाल में समानता सुनिश्चित करना।

महत्त्व:

• इस मॉडल के सफल परीक्षण के पश्चात् यह जिला मेडिकल स्टोर्स और ब्लड बैंकों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) तथा आगे PHC/CHC से केंद्रीय डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं में डिलीवरी को सक्षम बनाएगा।

• इसमें स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बिना बाधित किये आपातकालीन स्थिति के दौरान तथा दुर्लभ भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने की क्षमता है।

अन्य ड्रोन समर्थित परियोजनाएँ:

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) को भी आईआईटी-कानपुर के सहयोग से ड्रोन का उपयोग करके कोविड -19 वैक्सीन वितरण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिये इसी तरह की अनुमित दी गई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) को कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त, कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिये ड्रोन तैनात करने की अनुमति दी गई थी।

ड्रोन :

- ड्रोन को मानव रहित विमान (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) भी कहा जाता है। मानव रहित विमान के तीन सबसेट हैं- रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट और मॉडल एयरक्राफ्ट।
- रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को उनके वजन के आधार पर पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया है-
 - ♦ नैनो : 250 ग्राम या उससे कम
 - माइक्रो: 250 ग्राम से 2 किलो तक
 - स्मॉल: 2 किलो से 25 किलो तक
 - मीडियम: 25 किलो से 150 किलो तक
 - लार्ज: 150 किलो से अधिक
- ड्रोन नियामक या नीति, 2018 के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर स्पेस को रेड जोन (उड़ान की अनुमित नहीं), येलो जोन (नियंत्रित हवाई क्षेत्र) और ग्रीन जोन (स्वचालित अनुमित) में विभाजित किया है।
 बियॉन्ड विज्ञअल लाइन ऑफ साइट (BVLOS)

परिचय:

- BVLOS मानव रहित विमानों (UAVs) के संचालन से संबंधित है जिसमें ड्रोन पायलट के सामान्य दृश्यमान सीमा के बाहर स्थित होता है।
- BVLOS उड़ानों को आमतौर पर अतिरिक्त उपकरण और अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा प्रमाणन की आवश्यकता होती है जो विमानन अधिकारियों से अनुमति के अधीन है।
 - मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 में यह प्रावधान है कि ड्रोन को BVLOS सीमा में संचालित करने की अनुमित नहीं दी जाएगी,
 जो इन उपकरणों के उपयोग को सर्वेक्षण, फोटोग्राफी, सुरक्षा और विभिन्न सूचना एकत्र करने के उद्देश्यों तक सीमित करता है।

लाभ:

- BVLOS अत्यधिक लागत प्रभावी और दक्षतापूर्ण हैं, क्योंकि यह टेकऑफ़ और लैंडिंग चरण में कम समय लेते हैं, इसलिये मानव रहित
 विमान एक ही मिशन में सर्वाधिक क्षेत्र को कवर करेगा।
- BVLOS विमान न्यून मानवीय हस्तक्षेप वाली प्रणाली है क्योंिक कुछ या सभी मिशन स्वचालित हो सकते हैं। वे रिमोटेड या खतरनाक क्षेत्रों तक आसानी से पहुँच स्थापित करने की अनुमित भी दे सकते हैं।
- BVLOS क्षमता ड्रोन को अधिकतम दूरी तय करने में सक्षम बनाती हैं।

जोख़िम:

- इसके परिचालन में कुछ गतिविधियों के कारण सुरक्षा जोखिम की स्थिति उत्पन्न होती है जैसे- पायलट केवल रिमोट कैमरा फीड के माध्यम से संभावित बाधाओं पर नज़र रख सकता है या स्वचालित उडानों के मामले में कोई मानव अवलोकन नहीं हो सकता है।
- विशेषकर जब उड़ानें गैर-पृथक हवाई क्षेत्र में होती हैं तब अन्य विमानों के साथ टकराव या संपत्ति की हानि तथा व्यक्तियों को क्षिति पहुँचने का खतरा बढ़ जाता है।

तियानवेन-1: चीन का मंगल मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीनी अंतिरक्षियान तियानवेन-1 (Tianwen-1) ने प्रथम मार्स रोवर ज्यूरोंग (Zhurong) के साथ मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया।

- यह अमेरिका और सोवियत संघ के बाद मंगल ग्रह पर उतरने वाला तीसरा देश बन गया।
- इससे पूर्व चीन का 'यिंगहुओ -1'(Yinghuo-1) मंगल मिशन, जो एक रूसी अंतरिक्षयान द्वारा समर्थित था, वर्ष 2012 में अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं निकलने के कारण तथा इसके प्रशांत महासागर के ऊपर विघटित होने के पश्चात् विफल हो गया था।

प्रमुख बिंदुः

तियानवेन-1 मिशन के बारे में:

- लॉन्च:
 - जुलाई 2020 में तियानवेन -1 अंतरिक्षयान को वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से लांग मार्च 5 रॉकेट (Long March 5) द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
- इसके तीन भाग या चरण है :
 - ♦ इस अंतरिक्षयान में तीन भाग हैं ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर जो मंगल की कक्षा में पहुँचने के बाद अलग हो गए।
 - ऑर्बिटर वैज्ञानिक संचालन और संकेतों को रिले करने के लिये मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित है, जबिक लैंडर-रोवर को संयोजित रूप
 से मंगल की सतह पर स्थापित किया गया।
 - तियानवेन-1 का लैंडर मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित, 'यूटोपिया प्लैनिटिया' (Utopia Planitia) नामक एक बड़े मैदान में उत्तरा है।
- उद्देश्य:
 - 🔷 इसका प्रमुख उद्देश्य मंगल ग्रह की मिट्टी, भूवैज्ञानिक संरचना, पर्यावरण, वायुमंडल और पानी की वैज्ञानिक जाँच करना है।
 - यह मंगल ग्रह की सतह पर भू-गर्भीय रडार (ground-penetrating radar) स्थापित करने वाला पहला मिशन होगा,
 जो स्थानीय भूविज्ञान के साथ-साथ चट्टान, बर्फ और धूल कणों (dirt) के वितरण का अध्ययन करने में सक्षम होगा।

चीन के अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम:

- चांग ई-5 (Chang'e-5) : चंद्रमा (Moon)
- तियानहे (Tianhe) : चीन का स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन अन्य मंगल मिशन:
- नासा का 'पर्सिवरेंस' रोवर
- संयुक्त अरब अमीरात का 'होप' मंगल मिशन [संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का पहला इंटरप्लेनेटरी 'होप' मिशन]
- भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन (MOM) या मंगलयान:
 - 🔷 इसे नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
 - यह पीएसएलवी सी-25 रॉकेट द्वारा मंगल ग्रह की सतह और खिनज संरचना के अध्ययन के साथ-साथ मीथेन (मंगल पर जीवन का एक संकेतक) की खोज करने के उद्देश्य से लॉन्च िकया गया था।

मंगल ग्रह (Mars)

- आकार एवं दूरी (Size and Distance):
 - ♦ यह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है।
 - मंगल, पृथ्वी के व्यास या आकार का लगभग आधा है।

- पृथ्वी से समानता (कक्षा और घूर्णन):
 - 🔷 मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है, यह 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जो कि पृथ्वी पर एक दिन (23.9 घंटे) के समान है।
 - ♦ मंगल का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है। यह पृथ्वी के लगभग समान है, जो कि 23.4 डिग्री के अक्षीय झुकाव पर स्थित है।
 - ♦ पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी अलग-अलग मौसम पाए जाते हैं, लेकिन वे पृथ्वी के मौसम की तुलना में लंबी अवधि के होते हैं क्योंकि सुर्य की परिक्रमा करने में मंगल अधिक समय लेता है।
 - मंगल ग्रह के दिनों को सोल (sols) कहा जाता है, जो 'सौर दिवस' का लघु रूप है।
- अन्य विशेषताएँ :
 - 🔷 मंगल के लाल दिखने का कारण इसकी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना और धूल कणों की उपस्थिति है, इसलिये इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है
 - ♦ मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है, जिसे ओलंपस मॉन्स (Olympus Mons) कहते हैं।
 - मंगल के दो छोटे उपग्रह हैं- फोबोस और डीमोस।

कोविसेल्फ : सेल्फ टेस्टिंग किट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कोविड -19 की जाँच के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने भारत के पहले स्व-परीक्षण (सेल्फ-टेस्टिंग) रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) को मंज़्री प्रदान की, जिसे कोविसेल्फ (CoviSelf) नाम दिया गया है।

- इस किट को पुणे स्थित मॉलिक्यूलर कंपनी मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन्स (MyLab Discovery Solutions) ने विकसित किया है।
- ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिये भारत में शीर्ष निकाय है तथा यह दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) उपयोग करने के 15 मिनट के भीतर परिणाम देता है। यह परीक्षण एक मोबाइल एप CoviSelf के साथ समन्वित है, जो ICMR पोर्टल पर सकारात्मक (Positive) मामले की रिपोर्ट को सीधे फीड करने में मदद करेगा।
- ICMR ने यह परीक्षण केवल उन लोगों को करने की सलाह दी है जिनमें लक्षण हैं या वे सकारात्मक रोगियों के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के संपर्क में हैं और जिन्हें घर पर परीक्षण करने की आवश्यकता है।
- इस परीक्षण के तहत फेरीवालों. शो मालिकों या यात्रियों के लिये सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य स्क्रीनिंग की सलाह नहीं दी जाती है।

रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT)

- यह नाक से लिये गए स्वैब (Swab) नमुने का एक परीक्षण है जो एंटीजन (शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने वाले बाहरी पदार्थ) की पहचान करता है जो SARS-CoV-2 वायरस पर या उसके भीतर पाए जाते हैं।
- यह एक प्वाइंट-ऑफ-केयर परीक्षण है, जिसका उपयोग पारंपरिक प्रयोगशाला प्रणाली के बाहर तत्काल नैदानिक परिणाम प्राप्त करने के लिये किया जाता है।
- आरटी-पीसीआर (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) की तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) भी शरीर द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी (Antibodies) के बजाय वायरस का पता लगाने का प्रयास करता है।
 - ♦ जबिक इसकी प्रणाली (Mechanism) भिन्न है, इन दोनों परीक्षण के मध्य सबसे प्रमुख अंतर समय का है।
 - ♦ आरटी-पीसीआर परीक्षण में आरएनए (राइबोन्युक्लिक एसिड) को रोगी से एकत्र किये गए स्वैब (Swab) से निकाला जाता है फिर इसे डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे बाद में परिवर्द्धित (Amplified) किया जाता है।

 अारटी-पीसीआर परीक्षण में न्यूनतम 2-5 घंटे का समय लगता है, जबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट में परीक्षण करने में अधिकतम 30 मिनट का समय लगता है।

सेल्फ-परीक्षण के लाभ:

- प्रभावी लागत:
 - ◆ इस परीक्षण में स्वैब (Swab) को त्वरित एकत्रित करना बहुत सरल होता है और इससे परीक्षण पर होने वाले व्यय तथा 'लैब' में अपॉइंटमेंट आदि का भार कम होता है।
 - ♦ कोविसेल्फ , प्रयोगशाला परीक्षण RT-PCR और RAT से सस्ता है।
- संक्रमण का कम खतराः
 - संक्रमण की जाँच के लिये किसी अस्पताल अथवा 'प्रयोगशाला' में जाने या किसी तकनीशियन को घर पर बुलाने के बजाय किसी व्यक्ति
 द्वारा घर पर स्वयं ही अपनी जाँच करने से दूसरों में वायरस फैलने का जोखिम कम होता है।
 - ◆ स्व-संग्रह की विश्वसनीयता और स्व-परीक्षण लोगों की आवागमन गतिविधियों को कम करने के साथ कोविड -19 के संचरण जोखिम को कम करेगा।
- प्रयोगशालाओं के परीक्षण बोझ में कमी:
 - ◆ स्व-परीक्षण वर्तमान में 24 घंटे कार्यरत रहने वाले उन प्रयोगशालाओं पर से बोझ या दबाव को कम करेगा जिनमें कार्यरत लोग पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।
- समुदाय की निगरानी:
 - ♦ किफायती रैपिड टेस्ट बड़े पैमाने पर जनसमुदाय की निगरानी के उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, फिर चाहे अन्य परीक्षणों की तुलना में सटीक परिणाम प्राप्त करने में इनकी संवेदनशीलता कम हो।

चिंताएँ:

- विश्वसनीयताः
 - ◆ इस प्रकार की गई जाँचों के परिणामों की विश्वसनीयता चिंता का एक प्रमुख विषय बनी हुई है। इसमें सही ढंग से नमूना एकत्र नहीं होने या स्वैब स्टिक के दूषित होने की संभावना अधिक होती है।
- सुरक्षा की गलत धारणा:
 - ◆ इसके अलावा त्वरित एंटीजन परीक्षणों के 'गलत नकारात्मक' (False Negatives) होने की संभावना अधिक होती है। यदि कोई कोविड-संक्रमित व्यक्ति लक्षणहीन (Asymptomatic) है और इसके परीक्षण का परिणाम 'नकारात्मक' आ जाता है, तो इससे उस व्यक्ति के अंदर सुरक्षा की गलत धारणा बन सकती है।
- प्रतिक्रिया उपायों को चुनौती:
 - ◆ स्वास्थ्य पेशेवरों और प्रयोगशालाओं से व्यक्तियों के परीक्षण परिणामों की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी को स्थानांतरित किये जाने से रिपोर्टिंग में कमी आ सकती है जो संक्रमित व्यक्ति की पहचान और संपर्क के बाद संगरोध या क्वारंटाइन (Quarantine) जैसे प्रतिक्रिया उपायों को अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है।

आगे की राह

- यदि रोगी आइसोलेशन के मानदंडों का पालन करता है, सही डेटा फीड करता है तथा पिरणामों की सही व्याख्या करने में सक्षम है तो सेल्फ-टेस्टिंग प्रभावी हो सकता है।
- हालाँकि RTA एक त्वरित जन निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है, लेकिन परीक्षण के लिये इस पर सर्वाधिक निर्भरता ठीक नहीं है। यह व्यक्तिगत के लिये बेहतर हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिये नहीं।

हवाना सिंड्रोम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दो अमेरिकी अधिकारियों में हवाना सिंड्रोम से जुड़ी एक रहस्यमय बीमारी के लक्षण दिखाई दिये हैं।

- वर्ष 2020 की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (National Academies of Sciences) की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण (Directed Microwave Radiation) को हवाना सिंड्रोम' (Havana Syndrome) का संभावित कारण माना गया।
- इस सिंड्रोम की बढ़ती संख्या को एक सामृहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी (MPI) माना जा रहा है। मास साइकोजेनिक इलनेस (Mass Psychogenic Illness)
- जब एक समृह के लोग एक ही समय में बीमार महसुस करना शुरू कर देते हैं, भले ही उनके बीमार होने का कोई शारीरिक या पर्यावरणीय कारण न हो तो उसे मास साइकोजेनिक इलनेस या सामृहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी कहा जाता है। वे सोचते हैं कि वे रोगाणु या विष (जहर) जैसी किसी खतरनाक चीज़ के संपर्क में आ गए हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (NAS)

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित एक गैर-लाभकारी, सरकारी संगठन है।
- वर्ष 1863 में कॉन्प्रेस के एक अधिनियम के परिणामस्वरूप NAS की स्थापना हुई थी, जिसे अब्राहम लिंकन द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- यह संगठन सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करता है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- 2016 के उत्तरार्द्ध में हवाना (क्यूबा) में तैनात संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राजनियकों और उनके कर्मचारियों ने कुछ सामान्य लक्षणों की सूचना दी थी।
- उन सभी ने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनने और अजीब शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव करने के बाद इस बीमारी को महसूस किया।
- अमेरिका ने क्यूबा पर "ध्विन हमला" (Sonic Attacks) करने का आरोप लगाया था लेकिन क्यूबा ने इस बीमारी या सिंड्रोम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया।
- तब से कई निकाय और संस्थान हवाना सिंड्रोम के कारणों पर शोध कर रहे हैं और इन संस्थाओं ने अब तक कई संभावित कारकों की खोज की है।
- इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तीव्र सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या आदि शामिल हैं।
 - ♦ उनमें से कुछ लोग जो अत्यधिक प्रभावित हुए थे, उन्हें वेस्टिबुलर प्रसंस्करण (Vestibular Processing) और संज्ञानात्मक (Cognitive) समस्याओं जैसी चिरकालिक मुद्दों का सामना करना पड़ा।

माइक्रोवेव हथियार (Microwave Weapon):

- प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार (DEW):
 - माइक्रोवेव हथियार एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार होते हैं, जो अपने लक्ष्य को अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा रूपों जैसे- ध्विन, लेजर या माइक्रोवेव आदि द्वारा लक्षित करते हैं।
 - इसमें उच्च-आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा मानव शरीर में संवेदना पैदा की जाती है।
 - विद्युत चुंबकीय विकिरण (माइक्रोवेव) भोजन में पानी के अणुओं को उत्तेजित करता है और उनका कंपन गर्मी पैदा करती है जो व्यक्ति को चक्कर आना और मतली का अनुभव कराती है।

- माइक्रोवेव हथियार वाले देश:
 - ऐसा माना जाता है कि एक से अधिक देशों ने मानव और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रणालियों को लक्षित करने के लिये इन हथियारों को विकसित किया है।
 - ◆ चीन ने पहली बार वर्ष 2014 में एक एयर शो में पॉली डब्ल्यू.बी.-1 (Poly WB-1) नामक "माइक्रोवेव हथियार" का प्रदर्शन किया था।
 - ♦ संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी 'एक्टिव डेनियल सिस्टम' (Active Denial System) नामक 'प्रोटोटाइप माइक्रोवेव हथियार' विकसित किया है जो कि पहला गैर-घातक, निर्देशित-ऊर्जा, काउंटर-कार्मिक प्रणाली है, जिसमें वर्तमान में गैर-घातक हथियारों की तुलना में अधिक विस्तारित क्षमता विद्यमान है।
- निर्देशित ऊर्जा हथियारों के लिये भारत की योजना:
 - ♦ हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने उच्च-ऊर्जा लेजर और माइक्रोवेव का उपयोग करके निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) विकसित करने की योजना की घोषणा की है।
 - भारत के अन्य देशों (विशेष रूप से चीन) के साथ बिगड़ते सुरक्षा संबंधों के संदर्भ में निर्देशित ऊर्जा हथियार के विकास को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
- चिंताएँ:
 - 🔷 इस प्रकार के हथियार देशों की चिंता का कारण बन रहें है, क्योंकि ये मशीनों और इंसानों दोनों को प्रभावित कर सकते हैं।
 - 🔷 ये हथियार मानव शरीर पर बिना किसी निशान के दीर्घकालिक नुकसान पहुँचा सकते हैं।

ज़ेब्राफिश और मानव अंतरिक्षयानों में उसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

जेब्राफिश के संबंध में एक नए शोध ने प्रदर्शित किया है कि 'प्रेरित हाइबरनेशन' (टॉरपोर) अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष के तत्त्वों विशेष रूप से विकिरण से मनुष्यों की रक्षा कैसे कर सकता है।

प्रमुख बिंदुः

अध्ययन:

- शोधकर्त्ताओं ने जेब्राफिश को विकिरण की उपस्थिति में रखकर यह देखा कि मंगल पर छह महीने की यात्रा पर क्या अनुभव होगा।
 - ♦ उन्होंने ऑक्सीडेटिव तनाव (एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल के बीच असंतुलन), डीएनए क्षित, 'स्ट्रेस हार्मोन सिग्निलंग' तथा कोशिका-विभाजन चक्र में परिवर्तन के लक्षण देखे।
- शोधकर्त्ताओं ने फिर जेब्राफिश के दूसरे समूह में 'टॉरपोर' को प्रेरित किया जिन्हें विकिरण की उतनी ही मात्रा में रखा गया।
 - पिरणामों से पता चला कि टॉरपोर ने जेब्राफिश के भीतर चयापचय दर को कम कर दिया और विकिरण के हानिकारक प्रभावों से रक्षा करते हुए 'रेडियो प्रोटेक्टिव' प्रभाव पैदा किया।
 - ◆ टॉरपोर, हाइबरनेशन तथा 'सस्पेंडेड एनीमेशन' का एक संक्षिप्त रूप है। यह आमतौर पर एक दिन से भी कम समय तक रहता है। जब एक जानवर का चयापचय, दिल की धड़कन, श्वास और शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है।

ज़ेब्राफिश:

वैज्ञानिक नामः डेनियो रेरियो

परिवेश:

 यह एक छोटी (2-3 सेंटीमीटर लंबी) मीठे पानी की मछली है जो उष्णकिटबंधीय और उपोष्णकिटबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मछली दक्षिण एशिया के इंडो-गंगा के मैदानों की मूल निवासी है जहाँ वे ज्यादातर धान के खेतों में और यहाँ तक कि स्थिर जल स्रोतों और निदयों में भी पाई जाती हैं। उन्हें IUCN की रेड लिस्ट में कम संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जैव चिकित्सा अनुसंधान में प्रयोग:

- मस्तिष्क, हृदय, आँख, रीढ़ की हृड्डी सहित इसके लगभग सभी अंगों की पर्याप्त पुनर्जनन क्षमता के कारण उनका उपयोग कशेरुकीय विकास, आनुवंशिकी और अन्य बीमारियों का अध्ययन करने के लिये किया जाता है।
- जोब्राफिश में मनुष्यों के समान आनुवंशिक संरचना (लगभग 70%) होती है।
- एक कशेरुकीय के रूप में जेब्राफिश में मनुष्यों के समान ही प्रमुख अंग और ऊतक होते हैं। उनकी मांसपेशियां, रक्त, गुर्दे और आँखें मानव प्रणालियों के साथ कई विशेषताएँ साझा करती हैं।

अध्ययन की आवश्यकता:

हाल की तकनीकी प्रगति ने अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुलभ बना दिया है। हालाँकि लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा मानव स्वास्थ्य के लिये अविश्वसनीय रूप से हानिकारक है।

महत्त्वः

- अध्ययन यह समझने में मदद कर सकता है कि हाइबरनेशन का एक रूप जिसे प्रेरित टॉरपोर (कम चयापचय गतिविधि की स्थिति) के रूप में जाना जाता है, रेडियो-सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदान कर सकता है।
 - हाइबरनेशन कई प्रजातियों में पाई जाने वाली एक शारीरिक स्थिति है।
 - यह उन्हें भोजन की कमी और कम पर्यावरणीय तापमान जैसी कठोर परिस्थितियों से बचाता है।
- इसलिये हाइबरनेशन को दोहराने से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष उड़ान की कठोर परिस्थितियों से बचाया जा सकता है, जिसमें विकिरण जोखिम, हड्डी और मांसपेशियों की बर्बादी, उम्र बढ़ने और संवहनी समस्याओं जैसी चुनौतियाँ शामिल हैं।
- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी न केवल स्वास्थ्य कारणों से हाइबरनेटिंग के अंतरिक्ष यात्रियों पर प्रभावों के संबंध में अनुसंधान कर रही है, यह अंतरिक्ष यात्रा के लिये आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों की मात्रा भी कम कर सकती है और अंतरिक्षयान के द्रव्यमान को एक-तिहाई तक कम करने की अनुमित दे सकती है।

अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियाँ:

विकिरण:

- कोई भी अंतरिक्ष उड़ान पृथ्वी के सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र के बाहर होती है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों की तुलना में विकिरण बहुत अधिक होता है। (अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के सुरक्षात्मक वातावरण के भीतर है फिर भी विकिरण पृथ्वी की तुलना में 10 गुना अधिक है।)
- विकिरण जोखिम कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुँचाता है, संज्ञानात्मक कार्य को बदल सकता है, मोटर फ़ंक्शन को कम कर सकता है और व्यवहार में त्वरित परिवर्तन कर सकता है।

अलगाव की स्थिति:

- लंबे समय तक एक छोटी सी जगह में अंतरिक्ष यात्रियों के बीच व्यवहार संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- नींद की कमी, सर्कैंडियन डिसिंक्रनाइजेशन और काम का अधिभार इस मुद्दे को और अधिक जटिल बनाता है जो प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम पैदा कर सकता है।

पृथ्वी से दूरी:

जैसे-जैसे पृथ्वी से अंतरिक्ष उड़ान की दूरी बढ़ती है, संचार में भी दूरी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिये,मंगल की अंतरिक्ष यात्रा के मामले में संचार में 20 मिनट की देरी होगी।

गुरुत्वाकर्षण:

- अलग-अलग ग्रहों में अलग-अलग गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है, उदाहरण के लिये, अंतिरक्ष यात्रियों को मंगल पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तीन/आठवें हिस्से में रहने और काम करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान खोजकर्त्ता पूर्ण भारहीनता का अनुभव करेंगे।
- समस्या तब और अधिक जटिल हो जाती है जब अंतिरक्ष यात्री एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूसरे में संक्रमण करते हैं।

प्रतिकूल/बंद वातावरणः

नासा को ज्ञात हुआ है कि अंतिरक्षयान के अंदर का पारिस्थितिकी तंत्र अंतिरक्ष यात्री के रोजमर्रा के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाता है।
 सूक्ष्मजीव अंतिरक्ष में अपनी विशेषताओं को बदल सकते हैं और आपके शरीर पर स्वाभाविक रूप से रहने वाले सूक्ष्मजीव अंतिरक्ष स्टेशन जैसे बंद आवासों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अधिक आसानी से स्थानांतिरत हो जाते हैं।

वाहन निर्माण में 'अर्द्धचालक चिप' की कमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपकरणों, विशेष रूप से अर्द्धचालक चिप की असामान्य कमी ने भारत-आधारित वाहन निर्माण (कार निर्माण और प्रीमियम बाइक) की सभी श्रेणियों में उत्पादन को कम कर दिया है।

प्रमुख बिंदुः

अर्द्धचालक चिप:

- अर्द्धचालक चिपएक ऐसी सामग्री है जिसमें सुचालक (आमतौर पर धातु) और कुचालक या ऊष्मारोधी (जैसे- अधिकांश सिरेमिक) के बीच चालन की क्षमता होती है। अर्द्धचालक शुद्ध तत्व हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, या यौगिक जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडिमियम सेलेनाइड।
 - ♦ चालकता उस आदर्श स्थिति की माप है जिस पर विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी सामग्री से होकर गुज़र सकती है।
- सेमीकंडक्टर चिप एक विद्युत परिपथ है, जिसमें कई घटक होते हैं जैसे कि- ट्रांजिस्टर और अर्द्धचालक वेफर पर बनने वाली वायरिंग। इन घटकों में से कई से युक्त एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एकीकृत सर्किट (IC) कहा जाता है और इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, उपकरण, गेमिंग हार्डवेयर और चिकित्सा उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाया जा सकता है।
 - ◆ इन उपकरणों को लगभग सभी उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, खासकर ऑटोमोबाइल उद्योग में।
- इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और कलपुर्जे आज एक नई आंतरिक दहन इंजन कार की कुल लागत का 40% हिस्सा हैं, जो कि दो दशक पहले 20% से भी कम था।
 - अर्द्धचालक चिप का इस वृद्धि में एक बड़ा हिस्सा है।

कमी का कारण:

- कोविड और लॉकडाउन:
 - ◆ कोविड -19 महामारी और दुनिया भर में उसके बाद लॉकडाउन ने जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका सिहत अन्य देशों में महत्त्वपूर्ण चिप बनाने वाली सुविधाओं को बंद कर दिया।
 - ♦ इसकी कमी व्यापक प्रभाव का कारण बन सकती है, क्योंकि मांग में कमी आती इसकी अनुवर्ती कमी का कारण बन सकती है।
- बढ़ी हुई खपत:
 - ♦ आईसी चिप में लगे ट्रांजिस्टर की संख्या हर दो वर्ष में दोगुनी हो गई है। विशेष रूप से पिछले एक दशक में चिप की खपत में वृद्धि आंशिक रूप से कार निर्माण सामग्री में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बढते योगदान के कारण भी है।

प्रभाव:

- कम आपूर्ति:
 - 🔷 अर्द्धचालक चिप के उपभोक्ता, जो मुख्य रूप से कार निर्माता और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता हैं, को उत्पादन जारी रखने के लिये इस महत्त्वपूर्ण इनपुट की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है।
 - चिप की कमी को रिकॉर्ड टाइम में मापा जाता है, जो कि चिप के ऑर्डर करने और डिलीवर होने के बीच का अंतर है।
- ऑटोमोबाइल का कम उत्पादन:
 - ♦ समय पर डिलीवरी के साथ कार निर्माता आमतौर पर कम इन्वेंट्री होल्डिंग रखते हैं और मांग के अनुसार उत्पादन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की आपूर्ति शृंखला पर निर्भर रहते हैं।
- विलंबित आपूर्ति और कम सुविधाएँ:
 - 🔷 इससे वाहन उत्पादन में कमी आई है कुछ कंपनियों ने चिप की कमी से निपटने के लिये अस्थायी आधार पर सुविधाओं और उच्च इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को छोड़ना शुरू कर दिया है।

आगे की राहः

- ऑटोमोबाइल उद्योग में वर्तमान मंदी एक अस्थायी चरण प्रतीत होता है। टीकाकरण अभियान और आर्थिक सुधार एक बहुत ही आवश्यक उत्प्रेरण प्रदान करेगा।
- हालाँकि कम-से-कम कुछ समय के लिये एंट्री लेवल कारों और टू व्हीलर पर 'गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स' (GST) को कम करने की ज़रूरत है। राज्य सरकारों को भी पथ कर कम करने की आवश्यकता है।



पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हेपेटोलॉजिस्टों (Herpetologists) ने कहा है कि आक्रामक रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ (Red-Eared Slider Turtle) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल निकायों की जैव विविधता के लिये एक बड़ा खतरा बन सकता है।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र देश में कछुओं और कछुओं की 72% से अधिक प्रजातियों का घर है।

प्रमुख बिंदु

रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ के विषय में:

- वैज्ञानिक नाम: ट्रेकेमीस स्क्रिप्टा एलिगेंस (Trachemys Sscripta Elegans)
- पर्यावास: अमेरिका और उत्तरी मेक्सिको
- विवरण: इस कछुए का नाम उसके कानों के समीप पाई जाने वाली लाल धारियों तथा किसी भी सतह से पानी में जल्दी से सरक जाने की इसकी क्षमता की वजह से रखा गया है।
- लोकप्रिय पालतू जानवर: यह कछुआ अपने छोटे आकार, आसान रखरखाव और अपेक्षाकृत कम लागत के कारण अत्यंत लोकप्रिय पालतू जानवर है।

चिंता का कारण:

- आक्रामक प्रजातियाँ: चूँिक यह एक आक्रामक प्रजाति है, इसिलये यह तेज़ी से वृद्धि करती है और मूल प्रजातियों के खाने को खा जाती है,
 जिससे उन क्षेत्रों तथा प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जहाँ ये वृद्धि व विकास करते हैं।
- कैच-22 स्थिति: जो लोग कछुए को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं, वे कछुए के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन इन कछुओं के बड़े हो जाने पर इन्हें घर पर बने एक्वेरियम, टैंक या पूल से निकालकर प्राकृतिक जल निकायों में छोड़कर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल देते हैं।
- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: ये प्रजातियाँ अपने ऊतकों में विषाक्त पदार्थों को जमा कर सकती हैं। अत: इन्हें भोजन के रूप में खाने पर मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

भारत की आक्रामक प्रजातियाँ

- आक्रामक प्रजातियाँ नए वातावरण में पारिस्थितिक या आर्थिक नुकसान का कारण बनती हैं।
- भारत में अनेक आक्रामक प्रजातियाँ जैसे- चारु मुसेल (Charru Mussel), लैंटाना झाड़ियाँ (Lantana bushes), इंडियन बुलफ्रॉग (Indian Bullfrog) आदि पाई जाती हैं।

आक्रामक प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, 2000:

 इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना है।

जैविक विविधता पर सम्मलेन:

- यह रियो डी जनेरियो में वर्ष 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) में अपनाए गए प्रमुख समझौतों में से एक था।
 - ♦ जैव विविधता पर रियो डी जनेरियो कन्वेंशन (Rio de Janeiro Convention on Biodiversity), 1992 ने भी पौधों की विदेशी प्रजातियों के जैविक आक्रमण को निवास स्थान के विनाश के बाद पर्यावरण के लिये दूसरा सबसे बडा खतरा माना था।
- इस सम्मेलन का अनुच्छेद 8 (h) उन विदेशी प्रजातियों का नियंत्रण या उन्मूलन करता है जो प्रजातियों के पारिस्थितिकी तंत्र, निवास स्थान आदि के लिये खतरनाक हैं।

प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) या बॉन कन्वेंशन, 1979:

- यह एक अंतर-सरकारी संधि है जिसका उद्देश्य स्थलीय, समुद्री और एवियन प्रवासी प्रजातियों को संरक्षित करना है।
- इसका उद्देश्य पहले से मौजूद आक्रामक विदेशी प्रजातियों को नियंत्रित करना या खत्म करना भी है।
 CITES (वन्यजीव और वनस्पित की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन):
- यह वर्ष 1975 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वन्यजीवों और पौधों के प्रतिरूप को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाना है तथा इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना है।
- यह आक्रामक प्रजातियों से संबंधित उन समस्याओं पर भी विचार करता है जो जानवरों या पौधों के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।

रामसर कन्वेंशन, 1971:

- यह कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के वेटलैंड्स के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- यह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आर्द्र-भूमि पर आक्रामक प्रजातियों के पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को भी संबोधित करता है तथा उनसे निपटने के लिये नियंत्रण और समाधान के तरीकों को भी खोजता है।

10 वर्षों में 186 हाथियों की मौत

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हुई है।

प्रमुख बिंदु

- आँकड़ों का विश्लेषण:
 - ♦ असम में रेल की पटिरियों पर सर्वाधिक संख्या (62) में हाथियों की मौत हुई है, इसके बाद पश्चिम बंगाल (57) और ओडिशा (27) का स्थान है।
 - उत्तर प्रदेश में एक हाथी की मौत हुई थी।
- मौतों को रोकने के लिये उपाय:
 - ♦ रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिये रेल मंत्रालय और MoEFCC के बीच एक स्थायी समन्वय सिमित का गठन किया गया है।
 - लोको पायलटों को स्पष्ट दिखाई देने के लिये रेलवे पटिरयों के किनारे के पेड़-पौधों या वनस्पितयों की सफाई करना, हाथियों के सुरिक्षित आवागमन हेतु अंडरपास/ओवरपास का निर्माण करना, रेलवे पटिरयों के संवेदनशील हिस्सों की नियमित गश्त या पेट्रोलिंग, उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी संकेतक बोर्डों का उपयोग करना आदि।
 - MoEFCC ने 2011-12 और 2020-21 के बीच हाथी परियोजना के तहत हाथी रेंज वाले राज्यों को 212.49 करोड़ रुपए आवंटित किये।

- प्रजातियों द्वारा प्रदान की जाने वाली मूल्यवान पारिस्थितिक सेवाओं पर विचार करते हुए वर्ष 2010 में 'हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु'
 घोषित किया गया था।
 - हाथी, वन और वुडलैंड पारिस्थितिकी तंत्र के वास्तुकार (कीस्टोन प्रजाति) हैं।
 - हाथियों को प्रकृति के माली (Gardener) के रूप में माना जाता है क्योंकि वे भू-आकृतिक को आकार देने, परागण, बीजों के अंकुरण और गोबर के ढेर के साथ वन क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- हाथी परियोजनाः
 - परिचय:
 - इसे वर्ष 1992 में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिये राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था।
 - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है।
 - 🔷 उद्देश्य:
 - हाथियों के साथ-साथ उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना।
 - मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों की पहचान करना।
 - बंदीगृहों में कैद हाथियों का मुक्त करना।
 - कार्यान्वयनः
 - यह परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, तिमलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
- हाथियों की गणनाः
 - हाथी परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार हाथियों की गणना की जाती है। पिछली बार हाथियों की गणना वर्ष 2017 में हुई थी।
 - हाथी जनगणना 2017 के अनुसार, भारत में एशियाई हाथियों की कुल संख्या 27,312 है।
 - यह संख्या वर्ष 2012 में हुए जनगणना अनुमान (29,391 से 30,711 के बीच) से कम है।
 - कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, इसके बाद असम और केरल का स्थान है।
- एलीफेंट रिज़र्वः
 - भारत में लगभग 32 एलीफेंट रिज़र्व हैं। भारत का पहला एलीफेंट रिज़र्व झारखंड का सिंहभूम एलीफेंट रिज़र्व है।
- एशियाई हाथियों की संरक्षण स्थिति
 - ♦ आईयूसीएन रेड लिस्ट: संकटापन्न (Endangered)
 - ♦ CITES: परिशिष्ट-I
 - ♦ भारत का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
- संबंधित वैश्विक पहल:
 - हाथियों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम (Monitoring the Illegal Killing of Elephants MIKE), वर्ष2003 में शुरू किया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो पूरे अफ्रीका और एशिया से हाथियों की अवैध हत्या से संबंधित सूचना के अनुमानों की पहचान (ट्रैक) करता है, तािक क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता से निगरानी की जा सके।
- नवीन गतिविधियाँ:
 - ♦ सीड्स बम या बॉल (Seed Bombs):
 - हाल ही में ओडिशा के अथागढ़ वन प्रभाग ने मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिये जंगली हाथियों हेतु खाद्य भंडार को समृद्ध करने के लिये विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्रों के अंदर बीज गेंदों (या बम) का प्रयोग शुरू कर दिया है।

- जानवरों के प्रवासी मार्ग का अधिकार:
 - हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नीलिगिरि हाथी कॉरिडोर (Nilgiris Elephant Corridor) पर मद्रास उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के एक आदेश को बरकरार रखा जो हाथियों से संबंधित 'राइट ऑफ पैसेज' (Right of Passage) और क्षेत्र में होटल/रिसॉर्ट्स को बंद करने की पुष्टि करता है।

एकल-उपयोग प्लास्टिक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह विवरण दिया गया था कि एकल-उपयोग प्लास्टिक (single-use plastic) को कौन निर्मित करता है और इससे आय अर्जित करता है तथा पिछली गणना के अनुसार प्रतिवर्ष 130 मिलियन टन उत्पादन किया जाता है।

इस रिपोर्ट का प्रकाशन ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन मिंडेरू (Minderoo) ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान के शैक्षणिक (Academics) विभागों के साथ किया था।

प्रमुख बिंदु

प्रमुख उत्पादकः

- विश्व में उत्पादित एकल-उपयोग प्लास्टिक का 50% 20 बड़ी कंपनियों द्वारा बनाया जाता है।
 - इसके उत्पादन में दो अमेरिकी कंपिनयों के पश्चात एक चीनी स्वामित्व वाली पेट्रोकेमिकल्स कंपनी और दूसरी बैंकॉक-स्थित कंपनी का स्थान है।

प्रमुख निवेशक:

- उत्पादन को बैंकों सहित वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
- इस उद्योग में सरकारें भी बड़ी हितधारक हैं। सबसे बड़े एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक निर्माताओं में से लगभग 40% आंशिक रूप से सरकारों (चीन और सऊदी अरब सहित) के स्वामित्व में किया जाता है।

वृद्धि :

एकल-उपयोग वाला प्लास्टिक एक कुशल व्यवसाय के रूप में प्रस्थापित है तथा इसके जारी रहने का अनुमान है। अगले पाँच वर्षों में इसकी उत्पादन क्षमता में 30% वृद्धि होने का अनुमान है।

उपयोग:

- इस मामले में अमीर और गरीब देशों के बीच सर्वाधिक असमानता है:
 - ♦ प्रत्येक वर्ष औसतन एक अमेरिकी द्वारा 50 किलोग्राम सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग करके फेंक दिया जाता है, जबिक औसतन एक भारतीय एक अमेरिकी के बारहवें हिस्से से भी कम का उपयोग करता है।

चिंताएँ:

- न्यून पुनर्चक्रणः
 - 🔷 अमेरिका में प्लास्टिक के केवल लगभग 8% हिस्से का पुनर्चक्रण किया जाता है। पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक की तुलना में नए उत्पादित प्लास्टिक से वस्तुओं को निर्मित करना अधिक किफायती है।
- सीमित प्रयास:
 - ♦ राज्य सरकार और नगरपालिकाओं को प्लास्टिक किराना बैग, फोम कप और पीने के पाइप (straws) जैसी कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने में सफलता मिली है लेकिन अब तक इसके उत्पादन को कम करने के प्रयास सीमित रहे हैं।
 - उपभोक्ताओं द्वारा प्लास्टिक के न्यूनतम उपयोग हेतु किये गए प्रयास विफल रहे हैं।

वैश्विक पहलः

• यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 तक उपभोक्ता ब्रांडों को प्लास्टिक की बोतलों में कम-से-कम 30% पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करने का निर्देश जारी किया।

भारतीय पहलः

- वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु देश भर में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिये एक बहु-मंत्रालयी योजना तैयार की थी।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, उत्पादों से उत्पन्न कचरे को उनके उत्पादकों और ब्रांड मालिकों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (Single-Use Plastics)

परिचय:

- एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक या डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक (Disposable Plastic) ऐसा प्लास्टिक है जिसे फेंकने या पुनर्नवीनीकरण से पहले केवल एक बार ही उपयोग किया जाता है।
 - एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद जैसे- प्लास्टिक की थैलियाँ, स्ट्रॉ, कॉफी बैग, सोडा और पानी की बोतलें तथा अधिकांशत: खाद्य पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक।
- प्लास्टिक बहुत ही सस्ता और सुविधाजनक होने कारण इसने पैकेजिंग उद्योग से अन्य सभी सामग्रियों को परिवर्तित कर दिया है, लेकिन प्लास्टिक धीरे-धीरे विघटित होता है जिसमें सैकडों साल लग जाते हैं।
 - ◆ यह एक गंभीर समस्या है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, भारत में प्रत्येक वर्ष उत्पादित 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे में से 43% सिंगल यूज़ प्लास्टिक है।

उपयोग:

- एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद संक्रमणकारी रोगों के प्रसार को भी रोकते हैं।
 - सिरिंज, एप्लिकेटर, इग टेस्ट, बैंडेज और वार्प जैसे उपकरणों को अक्सर डिस्पोज़ेबल बनाया जाता है।
- इसके अलावा खाद्य-अपिशाष्टों के खिलाफ लड़ाई में भी एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है, जो भोजन और पानी को अधिक समय तक ताजा रखता है और संदूषण की क्षमता को कम करता है।

समस्याएँ:

- पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है और आमतौर पर यह लैंडिफिल में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ यह भूमि एवं जल में प्रवेश कर धीरे-धीरे सागर में घुल जाता है।
- विघटन की प्रक्रिया में यह जहरीले रसायनों (प्लास्टिक को आकार देने और सख्त करने के लिये इस्तेमाल होने वाले एडिटिव्स) को निष्काषित करता है जो हमारे भोजन और पानी की आपूर्ति में अपना स्थान बना लेता है।

आगे की राह

- आर्थिक रूप से किफायती और पारिस्थितिक रूप से अनुकूलित विकल्पों की जरूरत है जो संसाधनों पर बोझ नहीं डालते हैं और समय के साथ उनकी कीमतें भी कम हो जाएंगी तथा मांग में वृद्धि होगी।
 - कपास, खादी बैग और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे विकल्पों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
 - ◆ सतत् रूप से अनुकूलित विकल्पों को तलाशने के लिये अधिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) के साथ-साथ वित्त की आवश्यकता है।
- नागरिकों को अपने व्यवहार में पिरवर्तन लाकर कचरे को फैलने से रोकने के साथ -साथ कचरा पृथक्करण और अपिशष्ट प्रबंधन में मदद करना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

चर्चा में क्यों?

हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (International Day for Biological Diversity- IDB) के रूप में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदुः

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में:

- वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly- UNGA) ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (IDB) के रूप में घोषित किया।
 - वर्ष 2011-2020 की अवधि को UNGA द्वारा संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) के जैव विविधता दशक के रूप में
 घोषित किया गया तािक जैव विविधता पर एक रणनीितक योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही प्रकृति के साथ
 सद्भाव से रहने के समग्र दृष्टि को बढ़ावा दिया जा सके।
 - वर्ष 2021-2030 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत् विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक' (Decade of Ocean Science for Sustainable Development) और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (UN Decade on Ecosystem Restoration) के रूप में घोषित किया गया।

वर्ष 2021 की थीम:

- वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम "हम समाधान का हिस्सा हैं" (We're Part Of The Solution) है। इस वर्ष की थीम वर्ष 2020 की थीम- "हमारे समाधान प्रकृति में हैं" (Our Solutions Are In Nature) की निरंतरता को दर्शाती है।
 - ♦ जैव विविधता द्वारा कई सतत् विकास (Sustainable Development) चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने के लिये यह एक अनुस्मारक (Reminder) के रूप में कार्य करता है।

जैव विविधता के संरक्षण हेतु कुछ वैश्विक पहलें:

- जैव विविधता अभिसमय:
 - यह जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसे वर्ष 1993 से लागू किया गया।
 - भारत सीबीडी का एक पक्षकार (Party) है।
- वन्य जीवों एवं वनस्पितयों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन:
 - यह सार्वजिनक, निजी एवं गैर-सरकारी संगठनों (Non-Governmental Organisations) को ज्ञान तथा युक्तियाँ प्रदान करता है ताकि मानव प्रगति, आर्थिक विकास और प्रकृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
 - भारत इस कन्वेंशन का सदस्य है।

जैव विविधताः

- जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के संदर्भ में किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने हेतु किया जा सकता है। जैव विविधता पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों और मनुष्यों सिहत हर जीवित चीज को संदर्भित करती है।
- इसे अक्सर पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति में विद्यमान आनुवंशिक अंतर भी शामिल होता है।

चिंताएँ:

- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (World Wide Fund for Nature) द्वारा अपनी प्रमुख लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 (Living Planet Report 2020) में इस बात के प्रति चेताया गया है कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता में भारी गिरावट आ रही है।
- इस रिपोर्ट में 50 वर्षों से भी कम समय में 68 प्रतिशत वैश्विक प्रजातियों के नष्ट होने की बात कही गई है जबकि पहले प्रजातियों में इतनी गिरावट नहीं देखी गई।

संरक्षण की आवश्यकताः

- जैव विविधता के संरक्षण से पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होती है जहाँ प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, सभी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
- पौधों की प्रजातियों की एक बड़ी संख्या के होने का अर्थ है, फसलों की अधिक विविधता। अधिक प्रजाति विविधता सभी जीवन रूपों की प्राकृतिक स्थिरता सुनिश्चित करती है।
- जैव विविधता के संरक्षण हेतु वैश्विक स्तर पर संरक्षण किया जाना चाहिये ताकि खाद्य शृंखलाएँ बनी रहें। खाद्य शृंखला में गड़बड़ी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती है।

जैव विविधता के संरक्षण हेतू कुछ भारतीय पहलें:

- जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय योजना
- आर्द्रभृमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002
- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अन्य महत्त्वपूर्ण पहलें:
- 5 जून: विश्व पर्यावरण दिवस
- 22 मार्च: विश्व जल दिवस
- 22 अप्रैल: पृथ्वी दिवस
- मार्च का अंतिम शनिवार: अर्थ ऑवर

सुंदरलाल बहुगुणाः चिपको आंदोलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, की कोविड -19 के कारण मृत्यु हो गई।

प्रमुख बिंदुः

चिपको आंदोलनः

- यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले (अब उत्तराखंड) में शुरू हुआ था।
- इस आंदोलन का नाम 'चिपको' 'वृक्षों के आलिंगन' के कारण पडा, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेडों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिये उनके चारों और मानवीय घेरा बनाया गया।
- जंगलों को संरक्षित करने हेतु महिलाओं के सामृहिक एकत्रीकरण के लिये इस आंदोलन को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इसके अलावा इससे समाज में अपनी स्थिति के बारे में उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आया।
- इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों के वनों पर अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा यह समझाना था कैसे ज़मीनी स्तर पर सिक्रयता पारिस्थितिकी और साझा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती है।
 - ♦ इसने वर्ष 1981 में 30 डिग्री ढलान से ऊपर और 1,000 msl (माध्य समुद्र तल-msl) से ऊपर के वृक्षों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया।

सुंदरलाल बहुगुणा (1927-2021):

- इन्होंने हिमालय की ढलानों पर वृक्षों की रक्षा के लिये चिपको आंदोलन की शुरुआत की।
- इसके अलावा इन्हें चिपको का नारा 'पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है' गढ़ने के लिये जाना जाता है।
 - ♦ 1970 के दशक में चिपको आंदोलन के बाद उन्होंने विश्व में यह संदेश दिया कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। उनका विचार था कि पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को एक साथ चलना चाहिये।
- भागीरथी नदी पर टिहरी बाँध के खिलाफ अभियान चलाया, जो विनाशकारी परिणामों वाली एक मेगा परियोजना है। उन्होंने आज़ादी के बाद भारत में 56 दिनों से अधिक समय तक लंबा उपवास किया।
- पूरे हिमालयी क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करने के लिये 1980 के दशक की शुरुआत में 4,800 किलोमीटर की कश्मीर से कोहिमा तक की पदयात्रा (पैदल मार्च) की।
- उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलनः

नाम	वर्ष	स्थान	प्रमुख	विवरण
बिशनोई आंदोलन	1700	राजस्थान का खेजड़ी, मारवाड़ क्षेत्र	अमृता देवी	
चिपको आंदोलन	1973	उत्तराखंड	सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट	खेजड़ी (जोधपुर) राजस्थान में 1730 के आस-पास अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों से चिपककर उनको बचाने के लिये आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन ने आजादी के बाद हुए चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, जिसमें चमोली, उत्तराखंड में गौरा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया था।
साईलेंट वैली प्रोजेक्ट	1978	केरल में कुंतीपुझा नदी	केरल शास्त्र साहित्य परिषद सुगाथाकुमारी	केरल में साइलेंट वैली मूवमेंट कुद्रेमुख परियोजना के तहत कुंतीपुझा नदी पर एक पनबिजली बाँध के निर्माण के विरुद्ध था।
जंगल बचाओ आंदोलन	1982	बिहार का सिंहभूम ज़िला	सिंहभूम की जनजातियाँ	यह आंदोलन प्राकृतिक साल वन को सागौन से बदलने के सरकार के फैसले के खिलाफ था।
अप्पिको आंदोलन	1983	कर्नाटक	लक्ष्मी नरसिम्हा	प्राकृतिक पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। सागौन और नीलगिरि के पेड़ों के व्यावसायिक वानिकी के खिलाफ।
टिहरी बाँध	1980- 90	उत्तराखंड में टिहरी पर भागीरथी और भिलंगना नदी	टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति, सुंदरलाल बहुगुणा और वीरा दत्त सकलानी	
नर्मदा बचाओ आंदोलन	1980 से वर्तमान तक	गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	मेधा पाटकर, अरुंधती राय, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आम्टे	

नाम	वर्ष	स्थान	प्रमुख	विवरण
क्लाइमेट एक्सन स्ट्राइक	2019	छात्रों द्वारा दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई आदि मेट्रो शहरों में	ग्रेटा थनबर्ग, बिट्टू केआर	
'सांस लेने का अधिकार' आंदोलन	5 नवंबर, 2019	इंडिया गेट, नई दिल्ली	लियोनार्डो डी कैपरियो	नई दिल्ली पिछले दो वर्षों से सबसे प्रदूषित शहर बना है। इसका वायु गुणवत्ता इंडेक्स (AQI) 494 तक गिर गया है।
देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन	अ प्रै ल 2020	तिनसुकिया, असम	बरुआ और जाधव पीयेंग	नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (NBWL) द्वारा नार्थ-ईस्टर कोल फील्ड (NECF) को इस अभयारण्य में कोयला खनन की अनुमति देने
आरे बचाओ आंदोलन	2019-20	आरे राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई		मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRLC) की मेट्रो 3 कार शेड के लिये आरे कॉलोनी में वृक्षों की कटाई के खिलाफ।
सुंदरबन बचाओ अभियान	मई 2020	~	एक ऑनलाइन अभियान #savethesund arbans	मई 2020 में आया चक्रवात अम्फान, वर्ष 1737 के बाद से सबसे भीषण चक्रवात था जो सुंदरबन में विनाश के चिह्न छोड़ गया।

शुद्ध शून्य उत्सर्जन: आईईए

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency's- IEA) द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emissions - NZE) हेतु 'नेट ज़ीरो बाय 2050' (Net Zero by 2050) नाम से अपना रोडमैप जारी किया गया है।

- यह विश्व का पहला व्यापक ऊर्जा रोडमैप है जिसे नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न होने वाले संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कोप-26 सम्मेलन में अपनाया जाएगा।
- 'शुद्ध शून्य उत्सर्जन' का तात्पर्य उत्पादित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण से निकाले गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मध्य एक समग्र संतुलन स्थापित करना है।

प्रमुख बिंदुः

आवश्यकताः

 यदि अभी भी देशों द्वारा जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं जिसमें वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को 'शुद्ध शून्य उत्सर्जन' तक लाना तथा वैश्विक तापन को 1.5 °C तक सीमित करना शामिल है को पूरी तरह से हासिल कर लिया जाए तो उसके बाद भी वे वैश्विक ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने से काफी पीछे होगी ।

रोडमैप का उद्देश्य:

- प्रभाव की जाँच करना:
 - घोषित 'शुद्ध शुन्य उत्सर्जन' लक्ष्यों के प्रभावों की जांच करना तथा ऊर्जा क्षेत्र में उनके महत्त्व को बताना।
- नया ऊर्जा मार्गः
 - वर्ष 2050 तक विश्व स्तर पर NZE प्राप्त करने की दिशा में नया ऊर्जा-क्षेत्र मार्ग (Energy-Sector Pathway) विकसित करना।
- सरकारों को सिफारिशें:
 - ♦ निकट अविध में कार्य करने हेतु सरकारों के लिये प्रमुख नीतिगत सिफारिशों को निर्धारित करना,अन्य सतत् विकास लक्ष्यों तक पहुँचने की दृष्टि से शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक दीर्घकालिक एजेंडा निर्धारित करना।

अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत:

- प्रौद्योगिकी तटस्थताः
 - प्रौद्योगिकी तटस्थता, लागत, तकनीकी तैयारी, देश और बाजार की स्थितियाँ तथा व्यापक सामाजिक विशेषताओं के साथ व्यापार की स्थिति ।
 - प्रौद्योगिकी तटस्थता को सामान्यत सूचना या डेटा के रूप में शामिल ज्ञान पर निर्भरता के बिना, विकास, अधिग्रहण, उपयोग या व्यवसायीकरण हेतु अपनी आवश्यकताओं के लिये सबसे उपयुक्त तथा उचित प्रौद्योगिकी चुनने के लिये व्यक्तियों और संगठनों की स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया जाता है।
- सार्वभौमिक सहयोग:
 - ♦ सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें सभी देश न्यायसंगत पारगमन (Just Transition) दृष्टिकोण से तथा जहाँ उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ नेतृत्व करती हैं, निवल शून्य में योगदान करते हो।
- अस्थिरता को कम करना:
 - जहाँ भी संभव हो क्षेत्र में एक व्यवस्थित पारगमन या ट्रांजिशन हो जो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करे तथा ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता को कम करती हो।

रोडमैप द्वारा निर्धारित महत्त्वपूर्ण कदम: वर्ष 2050 तक वैश्विक लक्ष्य को शून्य उत्सर्जन तक ले जाने हेतु 400 से अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- जीवाश्म ईंधन:
 - नई जीवाश्म ईंधन आपूर्ति परियोजनाओं में कोई निवेश नहीं किया जाएगा तथा नए निर्बाध कोयला संयंत्रों हेतु निवेश से संबंधित कोई और अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा ।
- वाहन बिक्री:
 - वर्ष 2035 तक नई आंतिरक दहन इंजन वाली कारों की बिक्री पर प्रतिबंध।
- विद्युत उत्पादन:
 - 🔷 वर्ष 2040 तक वैश्विक बिजली क्षेत्र को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुँचना।
 - रोडमैप में वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के वार्षिक परिवर्द्धन या वृद्धि को 630 गीगावाट तक पहुँचने और पवन ऊर्जा के 390 गीगावाट तक पहुँचने का आह्वान किया गया है।

- यह 2020 में निर्धारित किये गए रिकॉर्ड स्तर का चार गुना है।
- ◆ वर्ष 2050 तक वैश्विक बिजली उत्पादन को बढ़ाने हेतु रोडमैप में निम्नलिखित सुझाव दिये गए हैं:
 - 714% अधिक नवीकरणीय ऊर्जा।
 - 104% अधिक परमाणु ऊर्जा।
 - 93% कम कोयला (कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) के साथ सभी शेष कोयला)।
 - 85% कम प्राकृतिक गैस (CCS के साथ 73%)।

महत्त्वः

 यह रोडमैप ऊर्जा और उद्योग क्षेत्रों से ग्रीनहाउस गैस (GreenHouse Gas- GHG) उत्सर्जन को कम करने में आदर्श और वास्तविकता के मध्य मौजूदा अंतर को कम करने वाला माना जा रहा है।

आलोचनाः

- सिद्धांत को जरअंदाज करना:
 - ◆ IEA ने 'जलवायु न्याय' के सिद्धांत की अनदेखी करते हुए महत्त्वपूर्ण उत्सर्जकों (Historical Emitters) पर विचार नहीं किया।
 - ♦ विकसित देशों को GHG उत्सर्जन की कीमत पर औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) से लाभ हुआ, जिसने जलवायु परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 - विकसित देशों के पास डीकार्बोनाइज करने हेतु अर्थव्यवस्थाएँ विद्यमान हैं, जिससे गरीब और विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों पर चुनाव करने के लिये वित्तपोषण और नवाचार को व्यवस्थित करने का विकल्प मिल जाता है।
- विनियमों की आवश्यकता:
 - 🔷 संभावित रूप से ऊर्जा की कम खपत हेतु व्यवहार परिवर्तन पर अधिक निर्भर होने की आवश्यकता है।
 - ♦ अर्थव्यवस्थाओं में रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन को सकारात्मक रूप से प्रेरित करने हेतु उन्हें विनियमित करना आवश्यक होगा।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA):

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वर्ष 1974 में पेरिस (फ्राँस) में स्थापित एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है।
- IEA मुख्य रूप से ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं।
 इन नीतियों को 3 E's of IEA के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत मार्च 2017 में IEA का एसोसिएट सदस्य बना था, हालाँकि भारत इससे पूर्व से ही संगठन के साथ कार्य कर रहा था।
 - हाल ही में,भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने हेतु IEA के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है।
- IEA द्वारा प्रतिवर्ष विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है।
 - हाल ही में इसने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की है।
- IEA का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर, कोयले को सतत् विकास लक्ष्यों के अनुकूल ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत बनाने पर स्वतंत्र जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

आगे की राहः

- विश्व को 30 वर्षों के भीतर ऊर्जा क्षेत्र को लागत प्रभावी तरीके से बदलने हेतु एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ेगा, भले ही विश्व अर्थव्यवस्था का आकार दोगुने से अधिक हो और वैश्विक जनसंख्या में 2 अरब लोगों की वृद्धि क्यों न हो।
- वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना कुछ प्रमुख आवश्यकता अंतिरम कदमों पर निर्भर करता है, जैसे- हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को सस्ती करना और वर्ष 2030 तक हिरत ऊर्जा को सभी के लिये सुलभ बनाना।

कोप-28

चर्चा में क्यों?

संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन' (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) के कोप-28 (COP-28) की मेज़बानी करने की पेशकश की घोषणा की है।

COP26 को वर्ष 2020 में स्थिगत कर दिया गया जो नवंबर 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो में होगा।

प्रमुख बिंदुः

UNFCCC के बारे में:

- वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन' (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit), रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।
 - ♦ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने जलवायु परिवर्तन (UNFCCC), जैव विविधता (जैविक विविधता पर सम्मेलन) और भूमि (संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन) पर तीनों रियो सम्मेलनों के COP की मेजबानी की है।
- 21 मार्च, 1994 से UNFCCC लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।
- यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि (Parent Treaty) है। UNFCCC वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) की मूल संधि भी है।
- UNFCCC सचिवालय (यूएन क्लाइमेट चेंज) संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है।

उद्देश्य:

वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना जिससे एक समय-सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके ताकि पारिस्थितिक तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP)

- यह UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है।
- प्रत्येक वर्ष COP की बैठक सम्पन्न होती है, COP की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी।
- यदि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती है तो COP का आयोजन बॉन, जर्मनी में (सचिवालय) में किया जाता है।
- COP अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यत: पाँच संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के मध्य निर्धारित किया जाता है जिनमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, मध्य और पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप शामिल हैं।
- COP का अध्यक्ष आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है। जिसे COP सत्र के उद्घाटन के तूरंत बाद चुना जाता है।

महत्त्वपूर्ण परिणामों के साथ COPs

वर्ष 1995: COP1 (बर्लिन, जर्मनी)

वर्ष 1997: COP 3 (क्योटो प्रोटोकॉल)

- यह कानुनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों हेतू बाध्य करता है।
 - वर्ष 2002: COP 8 (नई दिल्ली, भारत) दिल्ली घोषणा।
- सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवाय परिवर्तन को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है।

वर्ष 2007: COP 13 (बाली, इंडोनेशिया)

पार्टियों ने बाली रोडमैप और बाली कार्ययोजना पर सहमित व्यक्त की, जिसने वर्ष 2012 के बाद के परिणाम की ओर तीव्रता प्रदान की।
 इस योजना में पाँच मुख्य श्रेणियाँ- साझा दृष्टि, शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण शामिल हैं।

वर्ष 2010: COP 16 (कैनकन)

- कैनकन समझौतों के परिणामस्वरूप, जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की सहायता हेतु सरकारों द्वारा एक व्यापक पैकेज प्रस्तुत किया गया।
- हिरत जलवायु कोष, प्रौद्योगिकी तंत्र और कैनकन अनुकूलन ढाँचे की स्थापना की गई।

वर्ष 2011: COP17 (डरबन)

सरकारें 2015 तक वर्ष 2020 से आगे की अवधि हेतु एक नए सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौते के लिये प्रतिबद्ध हैं (जिसके परिणामस्वरूप 2015 का पेरिस समझौता हुआ)।

वर्ष 2015: COP 21 (पेरिस)

- वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक समय से 2.00C से नीचे रखना तथा और अधिक सीमित (1.50C तक) करने का प्रयास करना।
- इसके लिए अमीर देशों को वर्ष 2020 के बाद भी सालाना 100 अरब डॉलर की फंडिंग प्रतिज्ञा बनाए रखने की आवश्यकता है।

वर्ष 2016: COP22 (माराकेश)

- पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका लिखने की दिशा में आगे बढ़ना।
- जलवायु कार्रवाई हेतु माराकेश साझेदारी की शुरुआत की।

2017: COP23, बॉन (जर्मनी)

- देशों द्वारा इस बारे में बातचीत करना जारी रखा गया कि समझौता 2020 से कैसे कार्य करेगा।
- डोनाल्ड ट्रम्प ने इस वर्ष की शुरुआत में पेरिस समझौते से हटने के अपने इरादे की घोषणा की।
- यह एक छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला COP था, जिसमें फिजी ने राष्ट्रपति पद संभाला था।

वर्ष 2018: COP24, काटोवाइस (पोलैंड)

- इसके तहत वर्ष 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिये एक 'नियम पुस्तिका' को अंतिम रूप दिया गया था।
- नियम पुस्तिका में जलवायु वित्तपोषण सुविधाएँ और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अनुसार की जाने वाली कार्रवाइयाँ शामिल हैं।

वर्ष 2019: COP25, मैड्रिड (स्पेन)

- इसे मैड्रिड (स्पेन) में आयोजित किया गया था।
- इस दौरान बढ़ती जलवायु तात्कालिकता के संबंध में कोई ठोस योजना मौजूद नहीं थी।

प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट (Protected Planet Report), 2020 ने वर्ष 2010 में हुए जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Convention on Biological Diversity) में देशों द्वारा सहमत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया।

जैव विविधता पर सम्मेलन

- यह जैव विविधता के संरक्षण के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसे वर्ष 1993 में लागू किया गया था।
- भारत सिंहत लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है (अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है)।
- सीबीडी सिचवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme) के अंतर्गत संचालित है।
- इस सम्मेलन का एक पूरक समझौता जिसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल (COP5, वर्ष 2000 में अपनाया गया) के रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों (LMO) का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्तरण और उपयोग सुनिश्चित करना है जिनका मानव स्वास्थ्य को देखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- नागोया प्रोटोकॉल (COP10) को आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित तथा न्यायसंगत बँटवारा (Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization) के लिये नागोया, जापान में अपनाया गया था।
- COP-10 ने जैव विविधता को बचाने के लिये सभी देशों द्वारा कार्रवाई हेतु दस वर्ष की रूपरेखा को भी अपनाया।
 - ♦ जिसे आधिकारिक तौर पर "वर्ष 2011-2020 के लिये जैव विविधता रणनीतिक योजना" के रूप में जाना जाता है, इसने 20 लक्ष्यों का एक सेट प्रदान किया, जिसे सामूहिक रूप से जैव विविधता हेतु आइची लक्ष्य (Aichi Targets for Biodiversity) के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु

प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट के विषय में:

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP), विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र (World Conservation Monitoring Centre) और प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for the Conservation of Nature- IUCN) द्वारा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी (एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था) के समर्थन से जारी की जाती है।
- इसे दो वर्ष में एक बार जारी किया जाता है जिसके अंतर्गत पूरे विश्व में आरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति का आकलन किया जाता है।
- संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (Other Effective Area-based Conservation Measure- OECM) पर डेटा शामिल करने वाली शृंखला में यह रिपोर्ट पहली है।
 - ओईसीएम उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर इन-सीटू के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करते हैं।
- इस रिपोर्ट का वर्ष 2020 का संस्करण आईची जैव विविधता लक्ष्य 11 की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट प्रदान करता है और भविष्य का मूल्यांकन करता है कि विश्व वर्ष 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढाँचे को अपनाने के लिये कहाँ तक तैयार है ?
 - ♦ आइची जैव विविधता लक्ष्य 11 का उद्देश्य वर्ष 2020 तक 17% भूमि और अंतर्देशीय जल पारिस्थितिकी तंत्र तथा इसके 10% तटीय जल एवं महासागरों का संरक्षण करना है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- संरिक्षत क्षेत्र में वृद्धिः
 - ◆ 82% देशों और क्षेत्रों ने वर्ष 2010 से संरक्षित क्षेत्र तथा अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (OECM) के अपने हिस्से में वृद्धि की है।
 - लगभग 21 मिलियन वर्ग किमी को कवर करने वाले संरक्षित क्षेत्रों को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ा गया है।
- ओईसीएम में वृद्धिः
 - चूँिक ओईसीएम पहली बार वर्ष 2019 में दर्ज किये गए थे, इसलिये इन क्षेत्रों ने वैश्विक नेटवर्क में 1.6 मिलियन वर्ग किमी. और जोड़ा है।

- केवल पाँच देशों और क्षेत्रों तक सीमित होने के बावजूद ओईसीएम पर उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि वे कवरेज और कनेक्टिविटी में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- पिछले दशक में संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम द्वारा कवर किये गए क्षेत्र का 42% हिस्सा जोड़ा गया था।
- प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र:
 - 🔷 ये ऐसे क्षेत्र हैं जो स्थलीय, मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
 - ♦ औसतन इसका 62.6% या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम के साथ ओवरलैप की स्थिति में है।
 - संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम के भीतर प्रत्येक केबीए का औसत प्रतिशत स्थल, जल और समुद्र (राष्ट्रीय जल के भीतर) के लिये क्रमश:
 43.2%, 42.2% और 44.2% है।
 - ♦ वर्ष 2010 के बाद से प्रत्येक मामले में 5% अंक या उससे कम की वृद्धि हुई है, जो समुद्री और तटीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी वृद्धि है।

चुनौतियाँ:

- ये आकलन संरक्षित क्षेत्रों द्वारा कवर किये गए क्षेत्र के केवल 18.29% के आधार पर किये गए हैं जो कई मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
- संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम को पिरदृश्यों तथा समुद्री पिरदृश्यों एवं विकास क्षेत्रों में एकीकृत करना, जैव विविधता की दृढ़ता सुनिश्चित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
 - ♦ प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिये एकीकृत भूमि-उपयोग और समुद्री स्थानिक योजना हेतु मापने योग्य लक्ष्यों की आवश्यकता है।
- प्रभावी संरक्षण में शासन का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम दोनों में विभिन्न प्रकार की (सरकारी, निजी, स्वदेशी लोगों तथा स्थानीय समुदायों की) शासन व्यवस्थाएँ हो सकती हैं।
 - 🔷 संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम के लिये शासन की विविधता तथा गुणवत्ता पर डेटा अभी भी कम है।
 - → नया मार्गदर्शन और बेहतर रिपोर्टिंग स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों तथा निजी अभिनेताओं सिहत विविध समूहों के संरक्षण प्रयासों को बेहतर ढंग से पहचानने एवं समर्थन करने के नए अवसर प्रदान कर सकती है।

भारत में संरक्षित क्षेत्र

- संरक्षित क्षेत्र भूमि या समुद्र के वे क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता और सामाजिक-पर्यावरणीय मूल्यों के संरक्षण के लिये सुरक्षा के कुछ मानक दिये गए हैं। इन क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप तथा संसाधनों का दोहन सीमित है।
- भारत के पास 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% कवर करता है।
- भारत में आईसीयूएन द्वारा परिभाषित निम्नलिखित प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं:
 - राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित और संरक्षित वन, संरक्षण भंडार तथा सामुदायिक भंडार, निजी संरिक्षत क्षेत्र।

आगे की राह

- आरिक्षत और संरिक्षत क्षेत्रों के लिये आईयूसीएन की ग्रीन लिस्ट जैसे वैश्विक मानकों के अधिक से अधिक उपयोग से कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलेगी।
- जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों के लिये प्रकृति-आधारित समाधान के रूप में आरक्षित तथा संरक्षित क्षेत्रों की भूमिका की बढ़ती मान्यता एवं कई सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal) को साकार करने में उनका योगदान अधिक प्रभावी राष्ट्रीय व वैश्विक नेटवर्क में निवेश हेतु एक मजबूत औचित्य प्रदान करता है।
- ओईसीएम की आगे की पहचान और मान्यता कनेक्टिविटी, पारिस्थितिक प्रितिनिधित्व, शासन की विविधता और कवरेज (जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों सिहत) सिहत सभी मानदंडों पर बेहतर प्रदर्शन हेतु महत्त्वपूर्ण योगदान देने की संभावना है।
- एक प्रभावी आरक्षित तथा संरक्षित क्षेत्र का वैश्विक नेटवर्क आने वाली पीढ़ियों एवं पृथ्वी के स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) में भी योगदान देगा।
- यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्यों में मदद करेगा।

लक्ष्य:

• खेत में पराली जलाने (stubble burning) से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करना और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना।

उद्देश्य:

- ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन न्यूट्रल बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा पाने के लिये बायोमास को-फायरिंग (co-firing) के स्तर को वर्तमान 5 प्रतिशत से बढ़ाकर उच्च स्तर तक ले जाना।
 - बायोमास को-फायरिंग उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में ईंधन के एक आंशिक विकल्प के रूप में बायोमास को जोड़ने को संदर्भित करता है।
- बायोमास पेलेट (Pellets) में सिलिका, क्षार की अधिक मात्रा को संभालने के लिये बॉयलर डिजाइन में अनुसंधान एवं विकास (R&D)
 गितविधि शुरू करना।
- बायोमास पेलेट एवं कृषि-अवशेषों की आपूर्ति शृंखला में बाधाओं को दूर करने और बिजली संयंत्रों तक इसके पिरवहन को सुगम बनाना।
- बायोमास को-फायरिंग में नियामक मुद्दों पर विचार करना।

प्रस्तावित संरचनाः

- इस मिशन के अंतर्गत सिचव (विद्युत मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक संचालन सिमिति का गठन किया जाएगा जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) आदि के प्रतिनिधियों सिहत सभी हितधारक शामिल होंगे।
- राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC) प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन में रसद और बुनियादी ढाँचा संबंधी सहायता प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

अवधि:

प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अविध न्यूनतम 5 वर्ष की होगी।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से प्रदूषण कम करने की पहल:

- कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिये कठोर उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया गया है।
 - विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती हेतु फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (Flue Gas Desulphurization-FGD) इकाइयों को स्थापित करने के लिये उत्सर्जन मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिये।
- पुराने के स्थान पर सुपरक्रिटिकल इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये कुछ शर्तों के अधीन अक्षम विद्युत संयंत्रों से नए सुपर क्रिटिकल संयंत्रों को कोयला लिंकेज के स्वचालित हस्तांतरण को मंज़्री दी गई।
- सीवेज उपचार सुविधाओं के 50 किमी. के अंदर स्थापित ताप विद्युत संयंत्र अनिवार्य रूप से उपचारित सीवेज जल का उपयोग करेंगे।

वायु प्रदुषण को कम करने के लिये अन्य पहलें:

- भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानक।
- उजाला (UJALA) योजना।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC)।

बायोमास (Biomass)

परिचय:

- बायोमास वह संयंत्र या पशु सामग्री है जिसका उपयोग बिजली या ऊष्मा का उत्पादन करने के लिये ईंधन के रूप में किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से लकड़ी, ऊर्जा फसलें और वनों, मैदान (Yards) या खेतों से निकलने वाले अपशिष्ट शामिल हैं।
- देश के लिये बायोमास सदैव एक महत्त्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत रहा है, जो इसके द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों को संदर्भित करता है।

लाभ

- बायोमास अक्षय या नवीकरणीय, व्यापक रूप से उपलब्ध और कार्बन-तटस्थ है तथा इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण रोजगार प्रदान करने की क्षमता है।
- इसमें दृढ़ ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है। देश में कुल प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का लगभग 32% अभी भी बायोमास से प्राप्त होता है और देश की 70% से अधिक आबादी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिये इस पर निर्भर है।

बायोमास विद्युत और सह उत्पादन कार्यक्रमः

- परिचय:
 - ◆ इस कार्यक्रम को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू किया गया है।
 - ◆ इस कार्यक्रम के अंतर्गत बायोमास के कुशल उपयोग के लिये चीनी मिलों में खोई (Bagasse) आधारित सह-उत्पादन और बायोमास बिजली उत्पादन शुरू किया गया है।
 - ♦ विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग की जाने वाली बायोमास सामग्री में चावल की भूसी, पुआल, कपास की डंठल, नारियल के गोले, सोया भूसी, डी-ऑयल केक, कॉफी अपशिष्ट, जूट अपशिष्ट, मूँगफली के गोले, धूल आदि शामिल हैं।
- उद्देश्य:
 - ग्रिड विद्युत उत्पादन हेतु देश के बायोमास संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिये प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

वन गुजारों के अधिकार

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 'गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान' से कुछ वन गुज्जर परिवारों को हटाने के लिये राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अधिकारियों द्वारा उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदुः

पृष्ठभूमि:

- वन गुज्जर गर्मियों में उत्तराखंड के तराई-भाबर और शिवालिक क्षेत्र से पश्चिमी हिमालय के ऊँचे बुग्याल और सर्दियों में इसके विपरीत मौसमी प्रवास करते हैं।
 - समुदाय द्वारा अपनाई गई पारगमन की यह घटना कुछ जलवायु अनुकूलित रणनीतियों में से एक है जो सुनिश्चित करती है कि उनकी आजीविका व्यवहार्य में ग्रामीण और टिकाऊ बनी रहे।

• हालाँकि वन गुज्जरों के पास गर्मियों (गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान) और सर्दियों के घरों के लिये वैध परिमट हैं परंतु उन्हें अधिकारियों द्वारा पार्क में प्रवेश करने की अनुमित नहीं दी जाती है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पशुपालकों के अधिकार:

- इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि चरागाहों के पास भी सामुदायिक वन संसाधन तथा चरागाहों तक पहुँचने का अधिकार हो, जिसके वे पात्र हैं।
 - धारा 2 (ए) एक गाँव की पारंपिरक या प्रथागत सीमाओं के भीतर प्रथागत आम वन भूमि पर देहाती समुदायों के अधिकारों को निर्धारित करती है।
- यह देहाती समुदायों के मामले में किसी पिरदृश्य के मौसमी उपयोग को भी निर्धारित करता है, जिसमें अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, गैर-सीमांकित वन, मानित वन, संरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

उच्च न्यायालय का आदेश:

- उच्च न्यायालय गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित बुग्याल (हिमालयी अल्पाइन घास के मैदान) में अपने ग्रीष्मकालीन घरों में
 प्रवास करने के लिये वन गुर्जरों के अधिकार का समर्थन करता है।
- उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) का भी जिक्र किया।

संविधान का अनुच्छेद 21:

- यह घोषणा करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिये उपलब्ध है।
- जीवन का अधिकार केवल अस्तित्व या जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है, बिल्क इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं।

वन गुज्जरः

- वन गुज्जर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों की तलहटी के जंगल में रहने वाले खानाबदोश समुदाय हैं।
- आमतौर पर वे अपनी भैंसों के साथ ऊपरी हिमालय में स्थित बुग्यालों (घास के मैदानों) में चले जाते हैं और केवल मानसून के अंत में तलहटी में अपनी अस्थायी झोपडियों (डेरों) में लौटते हैं।
- वे परंपरागत रूप से भैंस पालन करते हैं। वे आजीविका के लिये भैंस के दूध पर निर्भर हैं, जिसकी उन्हें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाजारों में अच्छी कीमत मिलती है।

गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यानः

अवस्थिति:

यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के उच्च क्षेत्र में स्थित है।

स्थापनाः

 इस उद्यान को वर्ष 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था तथा वर्ष 1990 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था।

वनस्पति एवं प्राणीजातः

- जीवों में हिम तेंदुआ, ब्राउन बीयर, कस्त्ररी मृग, पश्चिमी ट्रैगोपैन आदि शामिल हैं।
- इस अभयारण्य में मौजूद कुछ उल्लेखनीय वृक्षों में देवदार, चीड़ देवदार, चांदी की देवदार, नीली देवदार और कई पर्णपाती प्रजातियाँ शामिल हैं।

अन्य विशेषताएँ:

- इस उद्यान के भीतर हर-की-दून घाटी है जो ट्रेकिंग के लिये एक प्रसिद्ध स्थान है, जबिक 'रुइनसारा' उच्च झील पर्यटन स्थल के रूप में भी लोकप्रिय है।
- यह उद्यान टोंस नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र का निर्माण करता है।
 - टोंस नदी यमुना नदी की एक महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है और गढ़वाल के ऊपरी हिस्सों तक पहुँचती है।
 उत्तराखंड में स्थित अन्य संरक्षित क्षेत्र:
- जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान)।
- फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं।
- राजाजी राष्ट्रीय उद्यान।
- गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान।
- नंधौर वन्यजीव अभयारण्य।

ओडिशा में कृष्णमृग (Blackbuck) की आबादी में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा राज्य वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशुगणना के आँकड़ों के अनुसार, पिछले छह वर्षों में ओडिशा में कृष्णमृग या काले हिरण (Blackbuck) की आबादी दोगुनी हो गई है।

प्रमुख बिंदु

कृष्णमृग के बारे में:

- कृष्णमृग का वैज्ञानिक नाम 'Antilope Cervicapra' है, जिसे 'भारतीय मृग' (Indian Antelope) के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और नेपाल में मूल रूप से निवास करने वाली मृग की एक प्रजाति है।
 - 🔷 ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में (संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में) व्यापक रूप से पाए जाते हैं।
- ये घास के मैदानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं अर्थात् इसे घास के मैदान का प्रतीक माना जाता है।
- इसे चीते के बाद दुनिया का दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाता है।
- कृष्णमृग एक दैनंदिनी मृग (Diurnal Antelope) है अर्थात् यह मुख्य रूप से दिन के समय ज्यादातर सक्रिय रहता है।
- यह आंध्र प्रदेश, हिरयाणा और पंजाब का राज्य पशु है।
- सांस्कृतिक महत्त्व: यह हिंदू धर्म के लिये पवित्रता का प्रतीक है क्योंकि इसकी त्वचा और सींग को पवित्र अंग माना जाता है। बौद्ध धर्म के लिये यह सौभाग्य (Good Luck) का प्रतीक है।

संरक्षण स्थितिः

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
- आईयूसीएन (IUCN) में स्थान : कम चिंतनीय (Least Concern)
- CITES: परिशिष्ट-III

खतगाः

🔸 इनके संभावित खतरों में प्राकृतिक आवास का विखंडन, वनों का उन्मूलन, प्राकृतिक आपदाएँ, अवैध शिकार आदि शामिल हैं।

संबंधित संरक्षित क्षेत्र:

वेलावदर (Velavadar) कृष्णमृग अभयारण्य- गुजरात

- प्वाइंट कैलिमेर (Point Calimer) वन्यजीव अभयारण्य- तिमलनाडु
- वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रयागराज के समीप यमुना-पार क्षेत्र (Trans-Yamuna Belt) में कृष्णमृग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना को मंज़्री दी। यह कृष्णमृग को समर्पित पहला संरक्षण रिजर्व होगा।

ओडिशा में कृष्णमृगः

- काले हिरण को ओडिशा में कृष्णसारा मृगा (Krushnasara Mruga) के नाम से जाना जाता है।
- काला हिरण पुरी जिले में बालुखंड-कोणार्क तटीय मैदान/वन्यजीव अभयारण्य तक ही सीमित है।
- गंजाम (Ganjam) जिले में बालीपदर-भेटनोई और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ।
- नवीनतम गणना के अनुसार, वर्ष 2011 में 2,194 की मृग आबादी की तुलना में 7,358 मृग हैं।
- इनकी आबादी में वृद्धि के प्रमुख कारणों में आवासों में सुधार, स्थानीय लोगों और वन कर्मचारियों द्वारा दी गई सुरक्षा शामिल है।

भारत में पाए जाने वाले अन्य मृग प्रजातियाँ:

• बारहसिंगा या स्वैम्प डियर (Swamp Deer), चीतल/चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, संगाई/बरो-एंटलर्ड हिरण (Brow-Antlered Deer), हिमालयन सीरो, भौंकने वाला हिरण (Barking Deer)/भारतीय काकड़ (Indian Muntjac), नीलगिरि तहर/ नीलगिरि आईबेक्स, तिब्बती मृग, हिमालयी तहर, नीलगाय (Blue Bull), चिंकारा (Indian Gazelle)।

क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व के राष्ट्रों के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (स्टील, शिपिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और प्रकृति सिहत) में प्रगति का प्रदर्शन करने के लिये क्लाइमेट ब्रेकथ्र सिमट की बैठक बुलाई।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मिशन पॉसिबल पार्टनरिशप, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चैंपियंस और यूनाइटेड किंगडम (COP 26 प्रेसीडेंसी)
 के बीच एक सहयोग है।
- 🔸 इसका उद्देश्य ज़ीरो-कार्बन अर्थव्यवस्था के लिये वैश्विक पहुँच बढ़ाने हेतु संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता को प्रदर्शित करना है।
 - ◆ 'ज़ीरो-कार्बन अर्थव्यवस्था' न्यून ऊर्जा खपत और न्यून प्रदूषण के आधार पर हरित पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था को संदर्भित करती है, जहाँ उत्सर्जन की आपूर्ति ग्रीनहाउस गैसों (नेट-ज़ीरो) के अवशोषण और उन्हें हटाने से होती है।
- इसके प्रमुख अभियानों में से एक 'रेस टू ज़ीरो' (Race to Zero) अभियान है जो 708 शहरों, 24 क्षेत्रों, 2,360 व्यवसायों, 163 निवेशकों और 624 उच्च शिक्षण संस्थानों को एक सतत् भविष्य के लिये ज़ीरो-कार्बन रिकवरी की ओर ले जाने के लिये समर्थन जुटाता है।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन को सुरक्षित करने और वर्ष 2050 तक वैश्विक ताप वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व के तापमान स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को पूरा करने हेतु समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया।
- मर्स्क (Maersk), विश्व की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग लाइन और पोत संचालक है जो वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को आधा करने की प्रतिबद्धता के साथ रेस टू जीरो अभियान में शामिल हो गया।
- विश्व भर से 40 स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों ने 2030 तक उत्सर्जन को आधा करने और 2050 तक नेट ज़ीरो तक पहुँचने के लिये स्वयं को प्रतिबद्ध किया है।
 - 🔷 ये 40 संस्थान करीब 18 देशों में 3,000 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- इस तरह की विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के परिवर्तन को क्षेत्रीय-व्यापक योजनाओं (Sector-Wide Plans) द्वारा समर्थित किया जा रहा है, जो संशोधित जलवायु कार्ययोजना के मार्ग (Climate Action Pathways) में परिलक्षित होता है, जिसे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिये मराकेश (Marrakech) पार्टनरिशप के साथ लॉन्च किया गया है।
 - ◆ क्लाइमेट एक्शन पाथवे वर्ष 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक दुनिया की पहुँच स्थापित करने के लिये क्षेत्रीय दृष्टिकोण निर्धारित करते हैं, जो देशों और गैर-राज्य नेतृत्वकत्ताओं को समान रूप से 2021, 2025, 2030 और 2040 तक जीरो-कार्बन वाला विश्व तैयार करने हेतु आवश्यक कार्यों की पहचान करने में मदद करने के लिये एक रोडमैप प्रदान करते हैं।

महत्त्व:

- भारी उद्योग (एल्यूमीनियम, कंक्रीट एवं सीमेंट, रसायन, धातु-खनन, प्लास्टिक तथा स्टील) और हल्के उद्योग (उपभोक्ता वस्तु, फैशन, आईसीटी और मोबाइल तथा खुदरा वस्तु) दोनों को तकनीकी और आर्थिक रूप से डीकार्बोनाइज (Decarbonizing) करना सुनियोजित है।
- जहाँ प्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी नहीं की जा सकती है वहाँ इसकी सामग्री और ऊर्जा के उपयोग में कमी करके उत्सर्जन को कम किया जा सकता है जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी और प्राकृतिक जलवायु समाधान जैसे परिवर्तनशील समाधानों को लागू करते हुए उत्पादन प्रक्रियाओं को डीकार्बोनाइज किया जा सकेगा।

ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिये मराकेश (Marrakech) पार्टनरिशप

- यह जलवायु परिवर्तन पर कार्यरत रहने वाली सरकारों और शहरों, क्षेत्रों, व्यवसायों तथा निवेशकों के बीच सहयोग स्थापित करके पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
- 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के लक्ष्य को प्राप्त करने और जलवायु-तटस्थ तथा लचीले विश्व बनाने के लिये सभी हितधारकों की उच्च महत्त्वाकांक्षा को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक रूप से प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

रेस टू ज़ीरो अभियान (Race to Zero Campaign)

- संयुक्त राष्ट्र समर्थित रेस टू जीरो अभियान में गैर-राज्य अभिनेताओं (कंपिनयां, शहर, क्षेत्र, वित्तीय और शैक्षणिक संस्थान) को शामिल किया गया है। इसके अंर्तगत वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने और एक स्वस्थ, निष्पक्ष, जीरो-कार्बन विश्व प्रदान करने के लिये कठोर और तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- रेस टू ज़ीरो राष्ट्रीय सरकारों के बाहरी नेतृत्वकर्त्ताओं को जलवायु महत्त्वाकांक्षी गठबंधन (Climate Ambition Alliance) में शामिल होने के लिये एकत्रित करता है।

जलवायु महत्त्वाकांक्षी गठबंधन (Climate Ambition Alliance)

- जलवायु महत्त्वाकांक्षी गठबंधन (CAA) में वर्तमान में 120 राष्ट्र और कई अन्य निजी भागीदार शामिल हैं जो वर्ष 2050 तक नेट-ज़ीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र या निजी भागीदार दुनिया भर में वर्तमान में उत्सर्जित ग्रीनहाउस-गैस के 23% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 53% के लिये जिम्मेदार हैं।
- भारत इस गठबंधन का अंग नहीं है।

जयंती: झींगुर की नई प्रजाति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं (Kurra Cave) में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम 'इंडिमिमस जयंती' (Indimimus Jayanti) रखा गया है। • इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्त्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास (Professor Jayant Biswas) के नाम पर रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

झींगुर की नई प्रजाति के विषय में:

- इस नई प्रजाति की पहचान जीनस अरकोनोमिमस सॉस्योर (Genus Arachnomimus Saussure), 1897 के तहत की गई है।
- इस नई प्रजाति की खोज से झींगुर की एक नई उपजाति 'इंडिमिमस' का जन्म हुआ है।
- इस नई प्रजाति के नर ध्विन उत्पन्न नहीं कर सकते और इनकी मादाओं के कान नहीं होते।

नई उपजाति के विषय में:

- यह उपजाित पुरुष जननांग संरचना के कारण दो उपजाितयों यथा अरकोनोिममस (Arachnomimus) और यूराक्नोिममस (Euarachnomimus) से अलग है।
- कीड़ों में एक लॉक-एंड-की मॉडल जननांग संरचना (Lock-and-Key Model Genitalia Structure) होती है जो प्रत्येक उपजाति के लिये अद्वितीय होती है। जीनस अरकोनोमिमस सॉस्योर. 1897:
- अरकोनोमिमस नाम वर्ष 1878 में स्विस एंटोमोलॉजिस्ट हेनरी लुई फ्रेडिरिक डी सॉस्योर (Swiss Entomologist Henri Louis Frédéric de Saussure) द्वारा इस प्रजाति के मकडियों के समान होने के कारण दिया गया नाम है।
- इस समूह के झींगुर को आमतौर पर उनके छोटे शरीर के आकार और लंबे पैरों के कारण स्पाइडर क्रिकेट (Spider Cricket) कहा जाता है।

इस खोज का महत्त्वः

- यह मनुष्यों के लिये श्रवण यंत्र डिजाइन करने में मदद कर सकता है।
 - नई प्रजाति गुफा की दीवारों पर अपने पेट या शरीर के किसी अन्य अंग को टकराकर संचार (Communication) कर सकती है।
 - कंपन संचार सिग्नल ट्रांसिमशन के सबसे साधारण लेकिन सबसे तेज तरीकों में से एक है।
 - कंपन संचार को पर्यावरण के भौतिक गुणों, एक कीट की शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान तथा व्यवहार के बीच बातचीत के रूप में समझा जा सकता है।
 - ♦ कंपन संचार के इस प्रकार के कौशल पर आगे के अध्ययन से मनुष्यों को श्रवण यंत्रों को डिजाइन करने में मदद मिल सकती है जो सबसे शांत संकेतों को पकड़ सकते हैं और श्रव्य श्रवण सीमा बढ़ा सकते हैं।
- जयंती की खोज के बाद अरकोनोमिमस जाति अब कुल 12 प्रजातियों के नाम से जाना जाएगी। इन प्रजातियों का वितरण (ब्राजील से लेकर मलेशिया तक) बहुत व्यापक है।
- भारत में स्पाइडर क्रिकेट की विविधता अभी भी अस्पष्ट है। हालाँकि भारत में चार जैव विविधता हॉटस्पॉट (Biodiversity Hotspot),
 साथ ही सभी हॉटस्पॉट में खाली गुफाएँ होने के कारण यहाँ कई और महत्त्वपूर्ण खोजों की गुंजाइश है।

झींगुर के विषय में:

- झींगुर छलाँग लगाने वाले कीड़ों की लगभग 2,400 प्रजातियों में से एक है जो पूरे विश्व में कहीं भी पाए जाते हैं , जिनमें नर संगीतमय आवाज निकालते हैं।
- इनके पास मुख्य रूप से बेलनाकार शरीर, गोल सिर और लंबे एंटीना जैसे आगे दो बाल होते हैं।
- इन्हें विशेष रूप से रात में जोरदार आवाज करते हुए सुना जा सकता है। इस समय नर झींगुर मादाओं को आकर्षित करने के लिये अपने पंखों को एक दूसरे से रगडकर यह ध्विन उत्पन्न करते हैं।
- मादाएँ अपने पैरों पर स्थित कानों का उपयोग करके इन आवाजों को सुनती हैं और संभोग तथा प्रजनन के लिये नर झींगुर के पास जाती हैं।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

चक्रवात ताउते

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चक्रवात ताउते (Cyclone Tauktae) के कारण गुजरात में लैंडफॉल' (LandFall) की स्थिति देखी गई है।

केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों से गुजरते हुए इस चक्रवात ने वहाँ भारी तबाही मचाई है।

प्रमुख बिंदुः

ताउते के बारे में:

- नामकरणः
 - ♦ ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone) है, जिसका नाम म्याँमार द्वारा रखा गया है। बर्मीज भाषा में इसका अर्थ है 'गेको', एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली (Highly Vocal Lizard)।
 - सामान्यत: उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र (बंगाल की खाड़ी और अरब सागर) में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व-मानसून (अप्रैल से जून माह) और मानसून के बाद (अक्तूबर से दिसंबर) की अविध के दौरान विकसित होते हैं।
 - मई-जून और अक्तूबर-नवंबर के माह गंभीर तीव्र चक्रवात उत्पन्न करने के लिये जाने जाते हैं जो भारतीय तटों को प्रभावित करते
 हैं।
- वर्गीकरणः
 - यह "अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तुफान" से कमज़ोर होकर " अधिक गंभीर चक्रवाती तुफान" के रूप में परिवर्तित हो गया है।
 - ♦ भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) चक्रवातों को उनके द्वारा उत्पन्न अधिकतम निरंतर सतही हवा की गित (Maximum Sustained Surface Wind Speed- MSW) के आधार पर वर्गीकृत करता है।
 - चक्रवातों को गंभीर (48-63 किमी/घंटे), बहुत गंभीर (64-89 किमी/घंटे), अत्यंत गंभीर (90-119 किमी/घंटे) और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म (120 किमी/घंटे) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक नॉट (knot) 1.8 किमी प्रति घंटे (किलोमीटर प्रति घंटा) के बराबर होता है।
- अरब सागर में उत्पत्तिः
 - ताउते पूर्व-मानसून अविध (अप्रैल से जून) में अरब सागर में विकसित होने वाला लगातार वर्षों में चौथा चक्रवात है।
 - वर्ष 2018 में ओमान में आए मेकानू चक्रवात (Mekanu Cyclone) के बाद वर्ष 2019 में वायु चक्रवात (Vayu Cyclone) ने गुजरात को तथा उसके बाद बाद 2020 में निसर्ग चक्रवात (Nisarga Cyclone) ने महाराष्ट्र को प्रभावित किया था।
 - ◆ वर्ष 2018 के बाद से इन सभी चक्रवातों को या तो 'गंभीर चक्रवात' (Severe Cyclone) या उससे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है।

अरब सागर बना चक्रवातों का प्रमुख क्षेत्र:

 प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में औसतन पाँच चक्रवात विकसित होते हैं। इनमें से चार बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में विकसित होते हैं, जो अरब सागर से भी गर्म है।

- वर्ष 2018 में बंगाल की खाड़ी में एक वर्ष में औसतन चार चक्रवात विकसित हुए वहीँ अरब सागर में तीन चक्रवात निर्मित हुए जबिक वर्ष 2019 में अरब सागर में पाँच चक्रवात विकसित हुए और बंगाल की खाड़ी में तीन का निर्माण हुआ जिस कारण अरब सागर में बीते दो वर्षों में बंगाल की खाड़ी की तुलना में 3 अधिक चक्रवातों का निर्माण हुआ।
- वर्ष 2020 में बंगाल की खाड़ी ने तीन चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुए, जबिक अरब सागर ने दो चक्रवाती तूफान आए।
- हाल के वर्षों में मौसम विज्ञानियों ने देखा है कि अरब सागर भी गर्म हो रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) से जुड़ी एक घटना है।
- यह देखा गया है कि अरब सागर में समुद्र की सतह का तापमान लगभग 40 वर्षों से बढ़ रहा है। तापमान में वृद्धि 1.2-1.4 डिग्री सेल्सियस तक हुई है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात:

- उष्णकिटबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकिटबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएँ और भारी बारिश इसकी विशेषताएँ है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशिष्ट विशेषताओं में एक चक्रवातों की आंख (Eye) में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है।
- इस प्रकार के तूफानों को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन (Hurricanes) तथा दक्षिण-पूर्व एशिया एवं चीन में टाइफून (Typhoons) कहा जाता है। दक्षिण-पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones) और उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विलीज (Willy-Willies) कहा जाता है।
- उत्तरी गोलार्द्ध में इनकी गति घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अर्थात् वामावर्त (Counter Clockwise) और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त (Clockwise) होती है।
- उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और उनके तीव्र होने हेतु अनुकूल पिरस्थितियाँ निम्निलिखित हैं:
 - 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह।
 - कोरिओलिस बल की उपस्थित।
 - ऊर्ध्वाधर/लम्बवत हवा की गित में छोटे बदलाव।
 - पहले से मौजूद कमजोर निम्न-दबाव क्षेत्र या निम्न-स्तर-चक्रवात पिरसंचरण।
 - ♦ समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन (Divergence)।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरणः

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर क्षेत्र के देश चक्रवातों को नाम देते हैं।
- उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने उष्णकिटबंधीय चक्रवातों को कवर करता है।
 - ♦ इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 सदस्य बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD), विश्व के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों (Regional Specialised Meteorological Centres- RSMC) में से एक है, जिसे सलाह जारी करने और उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखने का अधिकार है।
 - यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।

A-76: विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड

चर्चा में क्यों?

अंटार्कटिका में वेडेल सागर में स्थित रॉन आइस शेल्फ (Ronne Ice Shelf) के पश्चिमी हिस्से से एक विशाल हिमखंड/हिमशैल 'ए-76' (A-76) का खंडन हुआ है।

इसका आकार लगभग 4320 वर्ग किमी है तथा यह वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है।

प्रमुख बिंदुः

A-76 के संदर्भ में:

- हाल ही में कोपरनिकस सेंटिनल-1 मिशन द्वारा कैप्चर की गई उपग्रह छवियों में 'A-76' को देखा गया था।
 - ♦ सेंटिनल-1, कोपरनिकस पहल (एक पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम) के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के मिशनों में से एक है।
- यह अब दूसरे स्थान पर मौजूद A-23A से आगे निकल गया है, जो आकार में लगभग 3,380 वर्ग किमी है और वेडेल सागर में तैर रहा
 है।

हिमशैल/आईसबर्ग (Iceberg):

- एक हिमशैल वह बर्फ होती है जो ग्लेशियरों या आइसशेल्फ से टूटकर खुले जल में तैरती है।
- आईसबर्ग समुद्र की धाराओं के साथ तैरते हैं और या तो उथले पानी में फँस जाते हैं या स्थल के समीप रुक जाते हैं।
- यूएस नेशनल आइस सेंटर (US National Ice Center- USNIC) एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिक आइसबर्ग का नामकरण करता है और उन्हें टैक करता है।
 - ♦ आईसबर्ग का नाम अंटार्कटिक चतुर्थांश (Antarctic Quadrant) के अनुसार रखा गया है जिसमें उन्हें देखा जाता है।

आइसशेल्फ (Ice Shelves):

- आइसशेल्फ एक प्रकार का लैंड आइस का तैरता हुआ विस्तार है। अंटार्कटिक महाद्वीप आइसशेल्फ से घिरा हुआ है।
- यह अंटार्कटिक प्रायद्वीप के किनारे पर 'रॉन आइस शेल्फ' बर्फ की कई विशाल तैरती हुई परतों में से एक है, जो महाद्वीप को भूभाग से जोड़ती है और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

हिमनद का खंडन

- अर्थ
 - ♦ खंडन (Calving) एक ग्लेशियोलॉजिकल शब्द है, जिसका आशय ग्लेशियर के किनारे की बर्फ के टूटने से है।
 - ◆ जब कोई ग्लेशियर पानी (यानी झीलों या समुद्र) में बहता है तो हिमनद का खंडन सबसे आम होता है, लेकिन यह शुष्क भूमि पर भी हो सकता है, जहाँ इसे 'शुष्क खंडन' के रूप में जाना जाता है।
- खंडन हालिया मामले
 - ♦ 20वीं सदी के अंत तक 'लार्सन आइस शेल्फ' (पश्चिम अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर) लगभग बीते 10000 से अधिक वर्षों से स्थिर था।
 - हालाँकि वर्ष 1995 में इसका एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसके बाद वर्ष 2002 में इसका दूसरा हिस्सा टूटा।
 - इसके पास स्थित विल्किंस आइस शेल्फ (Wilkins Ice Shelf) का खंडन वर्ष 2008 और वर्ष 2009 में तथा A68a का खंडन वर्ष 2017 में हुआ।

चिंताएँ

- शेल्फ के बड़े हिस्से को समय-समय पर खंडित करना प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रक्रिया में तेज़ी आई है।
 - ◆ वर्ष 1880 के बाद से औसत समुद्र स्तर में लगभग नौ इंच की बढ़ोतरी हुई है और इस वृद्धि का लगभग एक-चौथाई हिस्सा ग्रीनलैंड और अंटार्किटका की बर्फ की परतों के पिघलने से हुआ है।

- एक हालिया अध्ययन की मानें तो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और हाल ही में निर्धारित जलवायु परिवर्तन को धीमा करने संबंधी महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्य समुद्र के स्तर को बढ़ने से रोकने के लिये पर्याप्त नहीं है।
- वास्तव में यदि सभी देश पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को पूरा भी करते हैं तो ग्लेशियरों और बर्फ की परतों के पिघलने से समुद्र का स्तर दोगुना तेज्ञी से बढ़ेगा।

पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपरमून

चर्चा में क्यों?

26 मई, 2021 को दो खगोलीय घटनाएँ यथा- पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) और सुपरमून (Supermoon) घटित हुईं।

प्रमुख बिंदु

सुपरमून:

- यह उस स्थिति को दर्शाता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट और साथ ही पूर्ण आकार में होता है।
 - चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान एक समय दोनों के मध्य सबसे कम दूरी हो जाती है जिसे उपभू (Perigee) कहा जाता है
 और जब दोनों के मध्य सबसे अधिक दूरी हो जाती है तो इसे अपभू (Apogee) कहा जाता है।
- चूँिक पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी से कम-से-कम दूरी के बिंदु पर दिखाई देता है और इस समय यह न केवल अधिक चमकीला दिखाई देता है, बल्कि यह सामान्य पूर्णिमा के चंद्रमा से भी बड़ा होता है।
- नासा के अनुसार, सुपरमून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा दिया गया था। एक सामान्य वर्ष में दो से चार पूर्ण सुपरमून और एक पंक्ति में दो से चार नए सुपरमून हो सकते हैं।

चंद्र ग्रहणः

- परिचय:
 - चंद्रग्रहण तब होता है,जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है।
 - ♦ इस दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे की बिल्कुल सीध में होते हैं और यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है।
 - सर्वप्रथम चंद्रमा पेनुम्ब्रा (Penumbra) की तरफ चला जाता है-पृथ्वी की छाया का वह हिस्सा जहाँ सूर्य से आने वाला संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध नहीं होता है। चंद्रमा के भू-भाग का वह हिस्सा नियमित पूर्णिमा की तुलना में धुँधला दिखाई देगा।
 - ♦ और फिर चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा या प्रतिछाया (Umbra) में चला जाता है, जहाँ सूर्य से आने वाला प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी से अवरुद्ध हो जाता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के वायुमंडल में चंद्रमा की डिस्क द्वारा परावर्तित एकमात्र प्रकाश पहले ही वापस ले लिया गया है या परिवर्तित किया जा चुका है।
- पूर्ण चंद्रग्रहणः
 - ◆ इस दौरान चंद्रमा की पूरी डिस्क पृथ्वी की कक्षा या प्रतिछाया (Umbra) में प्रवेश करती है, इसलिये चंद्रमा लाल (ब्लड मून) दिखाई देता है। हालाँकि यह हमेशा के लिये नहीं रहेगा।
 - लगभग 14 मिनट के पश्चात्, चंद्रमा पृथ्वी के कक्षा या प्रतिछाया (Umbra) से बाहर निकलकर वापस अपने पेनुम्ब्रा में आ जाएगा।
 कुल मिलाकर यह चंद्र ग्रहण कुछ घंटों तक चलेगा।
 - ♦ लाल प्रकाश में नीले प्रकाश की तुलना में लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, जो चंद्र ग्रहण को अपना विशिष्ट लाल रंग प्रदान करता है।
 - पृथ्वी पर हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय समान प्रभाव देखते हैं, जब आकाश दिन की तुलना में अधिक लाल होता है।

पूर्ण सूर्य ग्रहण

पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसके कारण पृथ्वी के
एक भाग पर पूरी तरह से अँधेरा छा जाता है।

- इस घटना के दौरान चंद्रमा सूर्य की पूरी सतह को ढक लेता है। आंशिक और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढकता है।
- जब चंद्रमा सूर्य की सतह को पूरी तरह से ढक लेता है तो इस समय केवल सूर्य का कोरोना (Sun Corona) दिखाई देता है।
- इसे पूर्ण ग्रहण इसलिये कहा जाता है क्योंकि इस समय आकाश में अंधेरा हो जाता है और तापमान गिर सकता है।

चक्रवात यास (Yaas)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चक्रवात यास (Yaas) ने ओडिशा में बालासोर के दक्षिण में दस्तक दी।

इससे पूर्व ' चक्रवात ताउते' (Tauktae) नामक एक अन्य चक्रवाती तुफान ने दो केंद्रशासित प्रदेशों (दमन एवं दीव तथा) लक्षद्वीप) और भारतीय राज्यों केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक को प्रभावित किया था।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- इस चक्रवात को यास नाम ओमान द्वारा दिया गया है, जो एक फारसी भाषा का शब्द है। अंग्रेज़ी में इसका अर्थ 'जैस्मीन' (Jasmin) होता है।
- सामान्यत: उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र (बंगाल की खाड़ी और अरब सागर) में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व-मानसून (अप्रैल से जून माह) और मानसून पश्चात् (अक्तूबर से दिसंबर) की अवधि के दौरान विकसित होते हैं।
 - ♦ मई-जून और अक्तूबर-नवंबर के माह गंभीर तीव्र चक्रवात उत्पन्न करने के लिये जाने जाते हैं जो भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं।

वर्गीकरण:

- इसे अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा गया है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चक्रवातों को उनके द्वारा उत्पन्न अधिकतम निरंतर सतही हवा की गित (Maximum Sustained Surface Wind Speed- MSW) के आधार पर वर्गीकृत करता है।
 - चक्रवातों को गंभीर (48-63 समुद्री मील का MSW), बहुत गंभीर (64-89 समुद्री मील का MSW), अत्यंत गंभीर (90-119 समुद्री मील का MSW) और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म (120 समुद्री मील का MSW) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक नॉट (knot) 1.8 किमी. प्रति घंटे (किलोमीटर प्रति घंटा) के बराबर होता है।

प्रभावित क्षेत्र:

इसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रभावित किया और पूर्वी तट पर विनाश के निशान छोड़ते हुए यह चक्रवाती तूफान कमज़ोर हो गया।

बंगाल की खाडी का गर्म होना:

- बंगाल की खाड़ी में जहाँ चक्रवात यास का निर्माण हुआ, वर्ष के इस समय में यह क्षेत्र सामान्य से कम-से-कम दो डिग्री अधिक गर्म है।
- इस साल बंगाल की खाड़ी का उत्तरी भाग असाधारण रूप से अधिक गर्म है और यहाँ का तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातः

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और कम वायमंडलीय दुबाव. तेज़ हवाएँ और भारी बारिश इसकी विशेषताएँ हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशिष्ट विशेषताओं में एक चक्रवातों की आंख (Eye) या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है।

- इस प्रकार के तूफानों को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन (Hurricanes) तथा दक्षिण-पूर्व एशिया एवं चीन में टाइफून (Typhoons) कहा जाता है। दक्षिण-पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones) और उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विलीज (Willy-Willies) कहा जाता है।
- इन तूफानों या चक्रवातों की गित उत्तरी गोलार्द्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अर्थात् वामावर्त (Counter Clockwise) और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त (Clockwise) होती है।
- उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और उनके तीव्र होने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ निम्निलिखित हैं:
 - ♦ 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह।
 - कोरिओलिस बल की उपस्थित।
 - ऊर्ध्वाधर/लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव।
 - पहले से मौजूद कमजोर निम्न-दबाव क्षेत्र या निम्न-स्तर-चक्रवात परिसंचरण।
 - ♦ समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन (Divergence)।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण:

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र के देश चक्रवातों को नाम देते हैं।
- उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र बंगाल की खाडी और अरब सागर के ऊपर बने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर करता है।
- इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 सदस्य बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) विश्व के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों (Regional Specialised Meteorological Centres- RSMC) में से एक है, जिसे सलाह जारी करने और उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखने का अधिकार है।
 - यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।

बंगाल की खाड़ी बनाम अरब सागर (चक्रवात)

बंगाल की खाड़ी:

- चूँिक यह अवतल या उथला है, जहाँ तेज हवाएँ जल को आगे धकेलती हैं जिसके कारण यह तूफान के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
- बंगाल की खाड़ी का आकार एक गर्त (Trough) की भाँति है, जो तूफानों को मजबूत करने के लिये इसे और अधिक अनुकूल बनाता है। समुद्रीय सतह का उच्च तापमान होने की वजह से खाड़ी में उत्पन्न होने वाले तूफानों की तीव्रता और अधिक बढ़ जाती है।
- बंगाल की खाड़ी में इसके चारो ओर धीमी ओर गर्म हवाओं सिंहत अधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से पूरे वर्ष अपेक्षाकृत अधिक तापमान बना रहता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा जैसी वर्ष भर प्रवाहित होने वाली निदयों से ताजे गर्म जल का निरंतर प्रवाह होता रहता है, जिसकी वजह से खाड़ी की निचली सतह के ठंडे पानी के साथ ऊपरी सतह के पानी का मिश्रण लगभग असंभव हो जाता है।
- प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच भू-भाग की कमी के कारण चक्रवाती हवाएँ तटीय क्षेत्रों तक सीधे, बिना किसी रुकावट के पहुँच जाती हैं और भारी वर्षा करती हैं।
- मानसून के बाद उत्तर-पश्चिमी भारत से खाड़ी की ओर हवाओं का प्रवाह रुक जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आने की संभावना का एक अन्य कारण भी है।

अरब सागरः

- अरब सागर काफी शांत रहता है क्योंिक इसके ऊपर चलने वाली तेज हवाएँ इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को नष्ट करने में मदद करती हैं।
- अरब सागर में लगातार ताजे पानी का प्रवाह काफी कम होता है, जिससे सतही गर्म पानी और निचली सतह के ठंडे पानी को परस्पर मिश्रित होने में आसानी होती है, परिणामस्वरूप सतह का तापमान कम हो जाता है।
- अरब सागर को अपनी अवस्थिति का लाभ भी मिलता है, क्योंकि प्रशांत महासागर से आने वाली हवाएँ पश्चिमी घाट और हिमालय से टकराती हैं तथा इनकी तीव्रता कम हो जाती है एवं कभी-कभी ये हवाएँ अरब सागर तक पहुँच ही नहीं पाती हैं।

सामाजिक न्याय

पोस्ट-कोविड शिक्षा हेतु नया दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के कारण पूरे देश में छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है।

प्रमुख बिंदुः

चिंताएँ:

- ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता:
 - ♦ ऑनलाइन शिक्षा की कल्पना शिक्षा के प्रसार के वैकल्पिक साधन के रूप में की गई थी, लेकिन भारतीय छात्रों के लिये वर्तमान पिरिस्थितियों को देखते हुए यह भी विफल हो जाती है।
 - इस प्रणाली की उपलब्धता और वहनीयता अब एक बाधा के रूप में उभरी है।
 - ∳ 'ई-शिक्षा' उच्च और मध्यम वर्ग के छात्रों हेतु एक विशेषाधिकार के रूप में उभरी है, यह निम्न मध्यम वर्ग के छात्रों और गरीबी रेखा
 से नीचे रहने वाले लोगों के लिये एक बाधा सिद्ध हुई है।
- इंटरनेट पर दीर्घकालिक निर्भरता:
 - छोटे बच्चों के लिये इंटरनेट पर लंबे समय तक संपर्क के अन्य निहितार्थ भी हैं।
 - ♦ यह युवा पीढ़ी की सोचने की क्षमता संबंधी प्रक्रिया के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- विश्लेषणात्मक क्षमता में कमी:
 - अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनलाइन शिक्षा से सीखने के परिणामों के संबंध में उत्पन्न हुए हैं।
 - गूगल सभी प्रश्नों के उत्तर के लिये प्रमुख और एकमात्र मंच है, इसके परिणामस्वरूप छात्रों की स्वयं की सोचने की क्षमता प्रभावित हो रही है।
 - भारत में आधुनिक शिक्षा की स्थापना के समय से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रमुख मानदंड पर बल दिया गया था।
- छात्र अलगाव में वृद्धिः
 - ◆ महामारी और भौतिक कक्षा शिक्षण की कमी के कारण छात्रों के मन में अलगाव की एक अजीबोगरीब भावना विकसित हो रही है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरी लहर का आघात छात्रों के मन पर गहरी छाप छोड़ेगा।
 - शारीरिक संपर्क और गतिविधियाँ पूरी तरह से अनुपस्थित रही हैं और यह भी नई समस्याओं में योगदान दे सकती है।

संभावित समाधानः

- अवसंरचनात्मक उपयोग:
 - ♦ बुनियादी ढाँचे का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो शिक्षा प्रदान करने हेतु कई अन्य उपायों पर निवेश
 करना चाहिये।
 - कक्षा के माध्यम से शिक्षण हमें सूचना के अलावा और भी बहुत कुछ प्रदान करने का अवसर देता है।
- नई सामग्री:
 - संस्थानों के मौजूदा पाठ्यक्रम के ढाँचे के भीतर कक्षा शिक्षण की अनुपस्थिति को दूर करने के लिये प्रत्येक विषय हेतु नई सामग्री निर्माण पर विचार करना चाहिये।
 - ♦ यह सामग्री एक नए प्रकार की होगी जो आत्म-व्याख्यात्मक होगी, और कक्षा के निम्नतम IQ को देखते हुए इसे आकर्षक होना चाहिये।
 - सामग्री का छात्रों के दिमाग पर वही प्रभाव पैदा होना चाहिये. जैसे कि अच्छी किताबें सोचने की क्षमता प्रदान करती है।

- व्यक्तिगत पर्यवेक्षणः
 - ◆ शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को काम की निगरानी के लिये साप्ताहिक आधार पर छात्रों से संबंधित क्षेत्रों (स्कूल क्षेत्र में और आसपास) का दौरा करना चाहिये।
 - ♦ उन्हें पठन सामग्री को समझने में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये और यह भी कि क्या संबंधित सामग्री उन तक समय पर पहुँच रही है।
- नई मूल्यांकन प्रणाली:
 - मूल्यांकन विश्लेषण की क्षमता पर आधारित होना चाहिये और प्रश्नों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिये कि छात्रों को प्रत्येक विषय
 पर प्रश्नों के उत्तर देने हेतु दिमाग लगाने की आवश्यकता हो।
- टीकाकरण को प्राथमिकता देना:
 - इसके अलावा सरकार को इस सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये जितनी जल्दी हो सके पूरे शिक्षण समुदाय का टीकाकरण करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिये।

ई-लर्निंग से संबंधित सरकारी पहलें:

- E-PG पाठशालाः
 - अध्ययन हेतु ई-सामग्री प्रदान करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल।
- स्वयम् (SWAYAM):
 - यह ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिये एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।
- नीट (NEAT):
 - इसका उद्देश्य सीखने वाले की आवश्यकताओं के अनुसार सीखने को अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है
- प्रज्ञाता दिशा-निर्देश:
 - ♦ मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने प्रज्ञाता (PRAGYATA) शीर्षक से डिजिटल शिक्षा पर दिशा-निर्देश जारी किये।
 - ◆ PRAGYATA दिशा-निर्देशों के तहत किंडरगार्टन, नर्सरी और प्री-स्कूल के छात्रों के माता-पिता के साथ बातचीत करने के लिये प्रतिदिन केवल 30 मिनट स्क्रीन टाइम की सिफारिश की जाती है।
- प्रौद्योगिकी वर्द्धन शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPTEL):
 - NPTEL भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलूरू के साथ सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) द्वारा शुरू की गई MHRD की एक परियोजना है।
 - 🔷 इसे वर्ष 2003 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन में वेब और वीडियो कोर्स कराना था।

आगे की राहः

- कोविड -19 ने दर्शाया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली किस हद तक असमानताओं से ग्रस्त है।
- इस प्रकार निजी और सार्वजिनक शिक्षा क्षेत्र के बीच तालमेल के लिये नई प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता है। इस संदर्भ में शिक्षा को एक सामान्य वस्तु बनाने की आवश्यकता है और डिजिटल नवाचार इस उपलिब्ध को हासिल करने में मदद कर सकता है।

ज़बरन या अनैच्छिक विलुप्ति

चर्चा में क्यों?

म्याँमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से जबरन या अनैच्छिक विलुप्ति होने पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह (WGEID) को पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से अपहरण होने की सूचना मिली है। कई एशियाई देश लोगों को विद्रोह से हटाने के लिये जबरन अपहरण का उपयोग एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- जबरन विलुप्ति या अपहरण का आशय से जब किसी व्यक्ति को किसी राज्य या राजनीतिक संगठन द्वारा या किसी राज्य या राजनीतिक संगठन के प्राधिकरण के समर्थन से किसी तीसरे पक्ष द्वारा गुप्त रूप से अपहरण या कैद किया जाता है, जिसके बाद पीड़ित को कानून के संरक्षण से बाहर रखने के इरादे से उस व्यक्ति से संबंधित सूचना और ठिकाने के बारे में जानकारी से इनकार कर दिया जाता है।
 - ◆ 1970 के दशक और 1980 के दशक की शुरुआत में अर्जेंटीना में 'डर्टी वॉर' (Dirty War) के दौरान लोगों की जबरन विलुप्ति या अपहरण की घटनाओं के बारे में दुनिया को व्यापक रूप से जानकारी मिली।
 - ◆ डर्टी वॉर, जिसे प्रोसेस ऑफ नेशनल रिऑर्गनाइजेशन भी कहा जाता है, यह संदिग्ध वामपंथी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अर्जेंटीना के सैन्य तानाशाह द्वारा चलाया गया एक कुख्यात अभियान था।

ज़बरन विलुप्ति के घटक:

- व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे स्वतंत्रता से वंचित करना।
- सरकारी अधिकारियों की सहमितपूर्ण भागीदारी।
- स्वतंत्रता से वंचित या सूचना या ठिकाने की जानकारी के अभाव को स्वीकार करने से इनकार करना।

हालिया घटनाएँ:

- म्याँमार:
 - सेना जन आंदोलन को रोकने के लिये प्रतिबद्ध है और पुलिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की बहाली की मांग करने वालों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के अकल्पनीय कृत्यों को अंजाम दे रही है।
- चीन:
 - ♦ आतंकवाद को रोकने के लिये पुन: शिक्षा को बढ़ावा देना जैसे- उइगर अल्पसंख्यक जातीय समूह के सदस्यों को जबरन भेजा जाता है जिसे चीनी अधिकारी 'व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र' कहते हैं, उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं होती है।
- श्रीलंकाः
 - श्रीलंका ने तीन दशकों से अधिक समय से विभिन्न प्रकार के जबरन गायब होने की समस्याओं के कारण घरेलू संघर्ष का सामना किया है।
- पाकिस्तान एवं बांग्लादेश:
 - आतंकवाद-विरोधी उपायों के नाम पर लोगों को ज़बरन गायब किया जा रहा है।

वैश्विक उपाय:

- जबरन या अनैच्छिक विलुप्ति होने पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह (WGEID):
 - परिचय:
 - 1980 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (जिसे अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नाम से जाना जाता है) ने "एक वर्ष की अविध के लिये इसके पाँच सदस्यों के साथ एक कार्य समूह की स्थापना करने का निर्णय लिया, जो व्यक्तियों के जबरन या अनैच्छिक गायब होने संबंधी उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के संबंध में विशेषज्ञों के रूप में सेवा तथा प्रश्नों की जाँच करेगा।
 - कार्यप्रणाली:
 - परिवारों की सहायता:
 - यह परिवारों को उनके परिवार के सदस्यों के भिवष्य या पुनर्वास का निर्धारण करने में सहायता करता है जो कथित तौर पर गायब हो गए हैं।
 - उपकृत राज्य:

- इसे घोषणा से प्राप्त अपने दायित्वों को पूरा करने में राज्यों की प्रगति की निगरानी करने और इसके कार्यान्वयन में सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिये सौंपा गया है।
- एनजीओ की उपस्थिति :
- यह घोषणा के विभिन्न पहलुओं पर सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का ध्यान आकर्षित करता है तथा इसके प्रावधानों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों की सिफारिश करता है।
- 2006 में विलुप्ति से सभी व्यक्तियों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:
 - ज्ञाबरन विलुप्ति से मुक्त होने के अधिकार की रक्षा के लिये वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सभी व्यक्तियों के विलुप्त होने से सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाया।
 - यह 2010 में प्रभावी हुआ और ज़बरन विलुप्ति की घटनाओं पर एक समिति (CED) की स्थापना की गई।
 - CED और WGEID साथ-साथ रहते हुए विलुप्तियों को रोकने और हटाने के संयुक्त प्रयासों को मज़बूत करने के उद्देश्य से अपनी गितविधियों में सहयोग और समन्वय करना चाहते हैं।
 - इसमें अन्य संधियों की तुलना में भाग लेने वाले राज्यों की संख्या अभी भी बहुत कम है।
 - ♦ संधि के 63 सदस्य देशों में से एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के केवल आठ राज्यों ने संधि की पुष्टि की है या स्वीकार किया है।
 - केवल चार पूर्वी एशियाई राज्यों ने (कंबोडिया, जापान, मंगोलिया और श्रीलंका) इसकी पुष्टि की है।
 - भारत ने हस्ताक्षर किये हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है।

संबंधित भारतीय कानून:

 भारत में जबरन गायब होने के लिये कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन अत्याचार, अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं और जबरन गायब करने पर अंतरराष्ट्रीय, संवैधानिक कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है जैसे- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958, अत्याचार निवारण विधेयक, 2017, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आदि

आगे की राह

- अपहरण करना एक गंभीर अपराध है जिसे मानवता के खिलाफ माना जाता है। परिवार के सदस्यों का दर्द और पीड़ा तब तक खत्म नहीं होती जब तक वे अपने प्रियजनों के कुशल होने या आवासित स्थान का पता नहीं लगा लेते।
- एशियाई देशों को अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों पर अधिक गंभीरता से विचार करना चाहिये और जबरन विलुप्तियों की समाप्ति के लिये दंड से मुक्ति करने की प्रवृति को अस्वीकार करना चाहिये।
- घरेलू आपराधिक कानून प्रणाली अपहरण के अपराध से निपटने के लिये पर्याप्त नहीं है। ये निरंतर घटित होने वाले अपराध हैं जिनके खिलाफ लड़ने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जल्द-से-जल्द जबरन विलुप्तियो को समाप्त करने के लिये अपने प्रयासों को मजबूत करना चाहिये।

जेल की भीड़भाड़ संबंधी समस्या

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कोविड-19 महामारी की अनियंत्रित वृद्धि को देखते हुए पात्र कैदियों की अंतरिम रिहाई का आदेश दिया है।

• न्यायालय के इस आदेश का उद्देश्य जेलों में भीड़ कम करना और कैदियों के जीवन तथा स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करना है।

प्रमुख बिंदु

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य बिंदुः

• न्यायालय ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (Arnesh Kumar vs State of Bihar) 2014 मामले में निर्धारित मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

- इस मामले के तहत न्यायालय ने पुलिस को अनावश्यक गिरफ्तारी नहीं करने के लिये कहा था, खासकर उन मामलों में जिनमें सात वर्ष से कम जेल की सजा होती है।
- देश के सभी ज़िलों के अधिकारी आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- Cr.P.C) की धारा 436ए को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।
 - ◆ Cr.P.C की धारा 436A के तहत अपराध के लिये निर्धारित अधिकतम जेल अविध का आधा समय पूरा करने वाले विचाराधीन कैदियों को व्यक्तिगत गारंटी पर रिहा किया जा सकता है।
- न्यायालय ने जेलों में भीड़भाड़ से बचने के लिये दोषियों को उनके घरों में नजरबंद रखने पर विचार करने के लिये विधायिका को सुझाव दिया है।
 - वर्ष 2019 में जेलों में कैदियों के रहने की दर बढ़कर 118.5% हो गई थी। इसके अलावा जेलों के रखरखाव के लिये बजट की एक बहुत बड़ी राशि का उपयोग किया जाता है।
- सभी राज्यों को एक निश्चित अविध के लिये जमानत या पैरोल पर रिहा किये जा सकने वाले कैदियों की श्रेणी का निर्धारण करने हेतु निवारक कदम उठाने के साथ-साथ उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन करने का आदेश दिया गया।

भारतीय जेलों की स्थिति:

- भारतीय जेलों को लंबे समय से चली आ रही तीन संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है:
 - ♦ अतिरिक्त भीड़
 - स्टाफ और फंडिंग में कमी और
 - हिंसक संघर्ष
- वर्ष 2019 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया' 2016 में भारत में कैदियों की दुर्दशा
 पर प्रकाश डाला गया है।
 - ◆ विचाराधीन जनसंख्या: भारत की विचाराधीन कैदियों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 में सभी विचाराधीन कैदियों में से आधे से अधिक को छह महीने से भी कम समय के लिये हिरासत में लिया गया था।
 - रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2016 के अंत में 4,33,033 लोग जेल में थे, जिनमें से 68% विचाराधीन थे।
 - इससे पता चलता है कि जेल की संपूर्ण आबादी में विचाराधीन कैदियों का उच्च अनुपात सुनवाई के दौरान अनावश्यक गिरफ्तारी और अप्रभावी कानूनी सहायता का परिणाम हो सकता है।
 - ◆ निवारक हिरासत में रखे गए लोग: जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक (या 'निवारक') निरोध कानूनों के तहत पकड़े गए लोगों की संख्या
 में वृद्धि हुई है।
 - वर्ष 2015 के 90 की तुलना में वर्ष 2016 में 431 बंदियों के साथ 300% की वृद्धि हुई।
 - प्रशासिनक या 'निवारक', निरोध का उपयोग अधिकारियों द्वारा बिना किसी आरोप या मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने और नियमित आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं को दरिकनार करने के लिये किया जाता है।
 - ◆ C.R.P.C की धारा 436A के बारे में अनिभज्ञता: आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत रिहा होने के योग्य और वास्तव में रिहा किये गए कैदियों की संख्या के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है।
 - वर्ष 2016 में धारा 436ए के तहत रिहाई के योग्य पाए गए 1,557 विचाराधीन कैदियों में से केवल 929 को ही रिहा किया गया था।
 - साथ ही एमनेस्टी इंडिया के एक शोध में पाया गया है कि जेल अधिकारी अक्सर इस धारा से अनजान होते हैं और इसे लागू करने के इच्छक नहीं होते हैं।
 - 🔷 जेल में अप्राकृतिक मौतें: जेलों में "अप्राकृतिक" मौतों की संख्या वर्ष 2015 और 2016 के बीच 115 से बढ़कर 231 हो गई है।
 - कैदियों के बीच आत्महत्या की दर में भी 28% की वृद्धि हुई, यह संख्या वर्ष 2015 के 77 आत्महत्याओं से बढ़कर वर्ष 2016 में 102 हो गई।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने वर्ष 2014 में कहा था कि औसतन एक बाहर के व्यक्ति की तुलना में जेल में आत्महत्या करने की संभावना डेढ़ गुना अधिक होती है। यह भारतीय जेलों में मानिसक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की भयावहता का एक संभावित संकेतक है।
- मानिसक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी: वर्ष 2016 में प्रत्येक 21,650 कैदियों पर केवल एक मानिसक स्वास्थ्य पेशेवर मौजूद था, वहीं केवल छह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक मौजूद थे।
 - साथ ही NCRB ने कहा था कि वर्ष 2016 में मानसिक बीमारी से ग्रसित लगभग 6,013 व्यक्ति जेल में थे।
 - जेल अधिनियम, 1894 और कैदी अधिनियम, 1900 के अनुसार, प्रत्येक जेल में एक कल्याण अधिकारी और एक कानून अधिकारी होना चाहिये लेकिन इन अधिकारियों की भर्ती अभी भी लंबित है। यह पिछली शताब्दी के दौरान जेलों को मिली राज्य की कम राजनीतिक और बजटीय प्राथमिकता की व्याख्या करता है।

जेल सुधार संबंधी सिफारिश

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अमिताभ रॉय सिमिति ने जेलों में सुधार के लिये निम्नलिखित सिफारिशें की हैं।
- भीड़-भाड़ संबंधी
 - तीव्र ट्रायल: सिमिति की सिफारिशों में भीड़भाड़ की अवांछित घटनाओं को कम करने के लिये तीव्र ट्रायल को सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना गया है।
 - ♦ वकील व कैदी अनुपात: प्रत्येक 30 कैदियों के लिये कम-से-कम एक वकील होना अनिवार्य है, जबिक वर्तमान में ऐसा नहीं है।
 - ◆ विशेष न्यायालय: पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित छोटे-मोटे अपराधों से निपटने के लिये विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिये।
 - इसके अलावा जिन अभियुक्तों पर छोटे-मोटे अपराधों का आरोप लगाया गया है और जिन्हें जमानत दी गई है, लेकिन जो जमानत की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें व्यक्तिगत पहचान (PR) बॉण्ड पर रिहा किया जाना चाहिये।
 - स्थगन से बचाव: उन मामलों में स्थगन नहीं दिया जाना चाहिये, जहाँ गवाह मौजूद हैं और साथ ही प्ली बारगेनिंग की अवधारणा, जिसमें आरोपी कम सजा के बदले अपराध स्वीकार करता है, को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- कैदियों के लिये
 - अनुकूल ट्रांजीशन: प्रत्येक नए कैदी को जेल में अपने पहले सप्ताह के दौरान सहज महसूस करने के लिये परिवार के सदस्यों के साथ दिन में एक मुफ्त फोन कॉल की अनुमित दी जानी चाहिये।
 - कानूनी सहायता: कैदियों को प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करने और उनको व्यावसायिक कौशल तथा शिक्षा प्रदान करने संबंधी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।
 - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग: परीक्षण के लिये वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग।
 - ◆ वैकिल्पिक सजा: अपराधियों को जेल भेजने के बजाय न्यायालयों को अपनी 'विवेकाधीन शक्तियों' का उपयोग करने और यदि संभव हो तो 'जुर्माना और चेतावनी' जैसे दंड देने के लिये प्रेरित किया जा जा सकता है।
 - इसके अलावा न्यायालयों को पूर्व-परीक्षण चरण में या योग्य मामलों में परीक्षण चरण के बाद भी प्रोबेशन पर अपराधियों को रिहा करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- रिक्तियों को भरना
 - सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश पारित करते हुए अधिकारियों को तीन माह के भीतर स्थायी रिक्तियाँ भरने संबंधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिये कहना चाहिये और प्रक्रिया एक वर्ष में पूरी की जानी चाहिये।
- भोजन संबंधी
 - 🔷 आवश्यक वस्तुओं को खरीदने, आधुनिक विधि से खाना पकाने की सुविधा और कैंटीन आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- वर्ष 2017 में भारतीय विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि सात वर्ष तक की कैद वाले अपराधों के लिये अपनी अधिकतम सज्जा का एक-तिहाई समय पूरा करने वाले विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा किया जाए।

संवैधानिक प्रावधान

- राज्य सूची का विषय: 'कारागार/इसमें रखा गया व्यक्ति' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य सूची का विषय है।
 - जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है।
 - ♦ हालाँिक गृह मंत्रालय जेलों और कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन तथा सलाह देता है।
- अनुच्छेद 39A: संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जिसके अनुसार किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये और राज्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।
 - 🔷 मुफ्त कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी सेवा का अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत एक आवश्यक मौलिक अधिकार है।
 - यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण स्वतंत्रता का आधार बनाता है, जिसमें कहा गया है कि
 "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"।

प्रमुख शब्दावलियाँ

- विचाराधीन कैदी: इसके अंतर्गत उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें अभी तक उन पर लगाए गए अपराधों के लिये दोषी नहीं पाया गया है।
- निवारक निरोध: इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संभावित अपराध करने से रोकने या सार्वजिनक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हिरासत में लिया जाता है।
 - संविधान का अनुच्छेद 22 (3) (बी) राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक निरोध तथा प्रतिबंध लगाने की अनुमित देता है।
 - ◆ इसके अलावा अनुच्छेद 22 (4) में कहा गया है कि निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिये जाने का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा,
 - ◆ एक सलाहकार बोर्ड द्वारा विस्तारित निरोध हेतु पर्याप्त कारणों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
 - ♦ ऐसे व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जा सकता है।
- व्यक्तिगत पहचान बॉण्ड: इसे स्वयं के पहचान (Own Recognizance) बॉण्ड के रूप में जाना जाता है और कभी-कभी इसे "नो कॉस्ट बेल" (No Cost Bail) भी कहा जाता है। इस प्रकार के बॉण्ड के साथ एक व्यक्ति को हिरासत से रिहा कर दिया जाता है तथा उसे जमानत लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
 - ♦ हालाँिक वह निर्दिष्ट अदालत की तारीख को दिखाने के लिये जिम्मेदार हैं और उसे इस वादे को लिखित रूप में बताते हुए एक रिलीज फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा।
 - ♦ फिर व्यक्ति को अदालत में पेश होने और अदालत द्वारा निर्धारित रिहाई की किसी भी शर्त का पालन करने के उनके वादे के आधार पर हिरासत से रिहा कर दिया जाता है।

कोविड से अनाथ हो रहे बच्चों पर तस्करी का संकट

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में भारत कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जिससे बच्चों के अपने माता-पिता को खोने के मामले भी बढ़ रहे हैं।

• इस स्थिति में अनाथ बच्चों को गोद लेने की आड़ में बाल तस्करी (Child Trafficking) की आशंका भी बढ़ गई है।

प्रमुख बिंदु

बच्चों की तस्करी के विषय में:

 अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट उन बच्चों का विवरण दे रहे हैं, जिन्होंने इस महामारी में अपने माता-िपता को खो दिया है और उन्हें गोद लेने की गुहार लगा रहे हैं।

- किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act), 2015 की धारा 80 और 81 के तहत ऐसे पोस्ट साझा करना अवैध है, साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के बाहर बच्चों को देने या प्राप्त करने पर रोक लगाता है।
 - इस तरह के कृत्यों में तीन से पाँच वर्ष की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।
- कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन में बाल विवाह (Child Marriage) के मामले भी बढ़े हैं।

अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिये प्रावधान:

- िकशोर न्याय अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनाथ हो चुके बच्चों के लिये किया जाना चाहिये।
- यदि किसी को ऐसे बच्चे के विषय में जानकारी है जिसे देखभाल की आवश्यकता है, तो उसे चार एजेंसियों यथा- चाइल्ड लाइन 1098, जिला बाल कल्याण समिति (CWC), जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हेल्पलाइन में से किसी एक पर संपर्क करना चाहिये।
- इसके बाद सीडब्ल्यूसी बच्चे का आकलन करेगी और उसे तत्काल एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (Specialised Adoption Agency) की देखभाल में रखेगी।
 - ♦ इस प्रकार राज्य ऐसे सभी बच्चों की देखभाल करता है जिन्हें 18 वर्ष की आयु तक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है।
- एक बार जब सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिये कानूनी रूप से वैध घोषित कर दिया जाता है, तब उसे भारतीय भावी दत्तक माता पिता या अनिवासी भारतीय या विदेशियों द्वारा गोद लिया जा सकता है।
 - भारत ने अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन (Hague Convention on Intercountry Adoption), 1993
 की पुष्टि की है।
- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority), महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है, जो गोद लेने संबंधी मामलों की नोडल एजेंसी है।
 - यह अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया का अपनी संबद्ध या मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से विनियमन करता है।
- हालिया पहल (संवेदना):
 - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचार के माध्यम से परामर्श प्रदान कर रहा है।

भारत में बाल तस्करी:

- डेटा विश्लेषण:
 - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी तस्करी पीड़ितों में से 51% बच्चे थे, जिनमें से 80% से अधिक लड़कियाँ थीं।
 - ♦ वर्तमान में सबसे अधिक प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल है जिसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और असम हैं।
 - ◆ इन क्षेत्रों में बंधुआ मज़दूरी के लिये बच्चों की तस्करी और घरेलू कामों तथा यौन शोषण हेतु महिलाओं की तस्करी सबसे अधिक होती है।
- संवैधानिक प्रावधान
 - ♦ अनुच्छेद-21: सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जीवन जीने का अधिकार केवल एक शारीरिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसके दायरे में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
 - अनुच्छेद-23: मानव तस्करी/दुर्व्यापार और बेगार का निषेध।
 - ◆ अनुच्छेद-24: 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिये या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा।
 - ♦ अनुच्छेद-39: यह राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीतिगत सिद्धांत प्रदान करता है, तािक:
 - अनुच्छेद-39 (e): पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों

- अनुच्छेद-39 (f): बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ एवं शोषण तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से बालकों तथा युवाओं की रक्षा की जाए।
- ♦ अनुच्छेद-45: छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध।
- कानुनी संरक्षण
 - ♦ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (IPTA), 1986
 - 🔷 बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 और किशोर न्याय अधिनियम
 - भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (A) और धारा 372
 - कारखाना अधिनियम. 1948
- अन्य संबंधित पहलें
 - भारत ने 'यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम' (UNCTOC) की पुष्टि की है, जिसमें मानव, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की अवैध तस्करी को रोकने, कम करने और दंडित करने संबंधी प्रोटोकॉल (पालेमों प्रोटोकॉल) शामिल है।
 - भारत ने वेश्यावृत्ति के लिये महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने तथा उसका मुकाबला करने के लिये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) कन्वेंशन की पृष्टि की है।
 - ♦ बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत वर्ष 2007 में 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (NCPCR) की स्थापना की गई थी।
 - भारत ने 'बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UNCRC) की भी पुष्टि की है

आगे की राह

- 'बच्चे' एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति हैं और राष्ट्र का भिवष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ बच्चों का विकास किस प्रकार हो रहा है।
 बच्चों को गोद देने संबंधी प्रावधानों को बढ़ावा देने का प्राथिमक उद्देश्य उनके कल्याण और परिवार के उसके अधिकार को बहाल करना है।
- संविधान का अनुच्छेद-39 बच्चों की कम उम्र के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है। अतः अनाथ बच्चों, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है या जिन्हों कोविड-19 महामारी के कारण छोड़ दिया है, को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिये और अनिश्चित भविष्य का सामना करने के लिये नहीं छोड़ना चाहिये। किशोर न्याय अधिनियम के तहत उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा उनकी देखभाल की जानी चाहिये।

जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिये पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (Eklavya Model Residential School) और आश्रम (Ashram) जैसे स्कूलों में डिजिटलीकरण बढ़ाने हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

इसका उद्देश्य समावेशी, कौशल आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।

प्रमुख बिंदु

समझौता ज्ञापन के विषय में:

- माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) सिंहत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को सभी ईएमआरएस स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आदिवासी छात्रों तथा शिक्षकों को हुनरमंद बनाने के लिये पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा।
- इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 250 ईएमआरएस स्कूलों को माइक्रोसॉफ्ट ने गोद लिया है, जिसमें से 50 ईएमआरएस स्कूलों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले चरण में 500 मास्टर ट्रेनर्स (Master Trainer) को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- भारत में राज्यों के शिक्षकों को शिक्षण में ऑफिस 365 और एआई एप्लीकेशन जैसी उपयोगी तकनीकों का उपयोग करने के लिये चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा।

- यह प्रोग्राम शिक्षकों को माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन सेंटर से पेशेवर ई-बैज और ई-सर्टिफिकेट अर्जित करने का अवसर भी प्रदान करेगा।
- इन स्कूलों के छात्रों को उन परियोजनाओं पर सलाह दी जाएगी जिनमें सामाजिक कल्याण और संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) के लिये एआई एप्लीकेशन शामिल हैं।

अपेक्षित लाभ:

- यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि आदिवासी छात्रों को अपना भविष्य, अपना पर्यावरण, अपना गाँव और समग्र समुदाय बदलने का मौका मिले।
- यह पहल शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को भी सक्षम बनाएगी, जिससे वे कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकेंगे।
- यह डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता में मदद करेगा।
- यह प्रोग्राम आदिवासी छात्रों और अन्य लोगों के बीच की खाई को पाटने में सक्षम होगा।

आदिवासियों के लिये अन्य शैक्षिक योजनाएँ:

- राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना: इस योजना को वर्ष 2005-2006 में अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता और वर्तमान बाजार के रुझान के आधार पर उनके कौशल का विकास करना है।
- राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना: यह योजना पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन के लिये विदेश में उच्च अध्ययन करने हेतु चुने गए 20 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

- इस विद्यालय की शुरुआत वर्ष 1997-98 में दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी।
- ये स्कूल न केवल अकादिमक शिक्षा पर बिल्क छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- इसके अंतर्गत न केवल उन्हें उच्च एवं पेशेवर शैक्षिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में रोजगार हेतु सक्षम बनाने पर बल दिया जा रहा है, बल्कि गैर-अनुसूचित जनजाति की आबादी के समान शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।
- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 480 छात्रों की क्षमता वाले EMRS की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के अंतर्गत अनुदान द्वारा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (Special Area Programme- SAP) के तहत की जा रही है।
- इनका वित्तपोषण जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- इसको गति देने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक तथा कम-से-कम 20,000 जनजातीय जनसंख्या वाले प्रखंडों में एक ईएमआरएस होगा।
- एकलव्य विद्यालय लगभग नवोदय विद्यालय के समान होते हैं, जहाँ खेल तथा कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिये विशेष सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।
 - इस योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालय सिमिति (Navodaya Vidyalaya Samiti) शिक्षा मंत्रालय के अधीन देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना करती है।
 - ये आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति के बच्चों सिहत सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं।

आश्रम विद्यालय

 आश्रम विद्यालय आवासीय विद्यालय होते हैं, जिनमें छात्रों को नि:शुल्क रहने-खाने के साथ-साथ अन्य सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं।

- यहाँ औपचारिक शिक्षा के अलावा ध्यान, दृष्टि-दर्शन, खेल, शारीरिक गतिविधियों आदि पर जोर दिया जाता है।
- इन विद्यालयों की निर्माण लागत जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रदान करता है और इन विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के चयन सिंहत विद्यालयों के संचालन तथा समग्र रखरखाव के लिये राज्य सरकार जिम्मेदार होती है।
- अब तक इस मंत्रालय ने जनजाति बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये पूरे देश में 1,205 आश्रम विद्यालयों को वित्तपोषित किया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिभा पलायन

चर्चा में क्यों?

भारत खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों, यूरोप और अन्य अंग्रेज़ी भाषी देशों के लिये स्वास्थ्यकर्मियों का एक प्रमुख निर्यातक रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे प्रतिभा पलायन/ब्रेन ड्रेन को वर्तमान महामारी के दौरान डॉक्टरों और नर्सों की मौज़ूदा कमी का कारण माना जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

प्रतिभा पलायन

- प्रतिभा पलायन/ब्रेन ड्रेन का आशय व्यक्तियों खासतौर पर शिक्षित युवाओं के पर्याप्त उत्प्रवास या प्रवास से होता है।
 - ♦ प्रतिभा पलायन के प्रमुख कारणों में एक राष्ट्र के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल, अन्य देशों में अनुकूल पेशेवर अवसरों की मौजूदगी और उच्च जीवन स्तर एवं बेहतर अवसरों की तलाश आदि शामिल हो सकता है।
- अधिकांश पलायन विकासशील देशों से विकसित देशों में होता है। विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों पर इसके प्रभाव के कारण यह दुनिया भर में एक महत्त्वपूर्ण विषय है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के आँकड़ों की मानें तो वर्ष 2017 में लगभग 69,000 भारतीय प्रशिक्षित डॉक्टरों ने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कार्य किया था। इन चार देशों में इसी अविध में लगभग 56,000 प्रशिक्षित भारतीय नर्सें कार्य कर रही थीं।
- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) में शामिल देशों में भी भारतीय स्वास्थ्यकर्मियों का व्यापक पैमाने पर प्रवासन होता है, किंतु इन देशों में ऐसे श्रीमकों के उत्प्रवास या प्रवास से संबंधित विश्वसनीय आँकड़ों की कमी है।
 - ♦ इसके अलावा कम कुशल और अर्द्ध-कुशल प्रवास के मामलों के विपरीत भारत से उच्च कुशल प्रवास पर कोई वास्तविक समय डेटा
 मौजूद नहीं है।

कारण

- महामारी के दौरान आवश्यकता
 - ♦ महामारी की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर में विशेष रूप से विकसित देशों में स्वास्थ्यकर्मियों की मांग तेज़ी से बढ़ गई है।
 - ♦ स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने और उन्हें देश में बनाए रखने के लिये प्रवासी-अनुकूल नीतियाँ अपनाई गई हैं।
 - ब्रिटेन ने उन योग्य विदेशी स्वास्थ्यकर्मियों और उनके आश्रितों को एक वर्ष के लिये मुफ्त वीजा विस्तार प्रदान किया है, जिनकी वीजा अविध अक्तूबर 2021 से पहले समाप्त होने वाली थी।
 - फ्राँस ने महामारी के दौरान फ्रंटलाइन प्रवासी स्वास्थ्यकर्मियों को नागरिकता देने की पेशकश की है।
- उच्च वेतन और बेहतर अवसर
 - 🔷 गंतव्य देशों में उच्च वेतन और बेहतर अवसर स्वास्थ्यकर्मियों के प्रवास से संबंधित सबसे प्रमुख कारक माने जा सकते हैं।
- कम मज़दुरी और भारत में निवेश की कमी
 - ♦ प्रतिभा पलायन/ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिये सरकार की नीतियाँ प्रतिबंधात्मक प्रकृति की हैं और समस्या का वास्तविक दीर्घकालिक समाधान नहीं देती हैं।

- ♦ वर्ष 2014 में भारत ने अमेरिका में प्रवास करने वाले डॉक्टरों को 'भारत वापसी अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी करना बंद कर दिया था।
 - 'भारत वापसी अनापत्ति प्रमाण-पत्र' उन डॉक्टरों के लिये एक अनिवार्य दस्तावेज है, जो J1 वीजा पर अमेरिका में प्रवास करते हैं
 और अपने प्रवास को तीन वर्ष से आगे बढ़ाना चाहते हैं।
- वहीं सरकार ने नर्सों को 'इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड' (ECR) श्रेणी में शामिल किया है। यह कदम नर्सिंग भर्ती में पारदर्शिता लाने और गंतव्य देशों में नर्सों के शोषण को कम करने के लिये उठाया गया है।

भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी चिंताएँ

- मानव संसाधन का अभाव
 - भारत में प्रति 1,000 जनसंख्या पर 1.7 नर्स हैं और डॉक्टर- रोगी अनुपात लगभग 1:1,404 है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
 के प्रति 1,000 जनसंख्या पर तीन नर्सों के मानदंड और 1:1,100 के डॉक्टर-रोगी अनुपात से काफी नीचे है।
- असमान वितरण
 - भारत के विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी काफी विषम है। कुछ शहरी क्षेत्रों में डॉक्टरों और नर्सों की संख्या काफी अधिक है, जबिक ग्रामीण इलाकों में यह संख्या काफी कम है।
- स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव
 - ◆ मानव विकास रिपोर्ट-2020 के मुताबिक, भारत में प्रति 10,000 लोगों पर केवल पाँच हॉस्पिटल बेड ही उपलब्ध हैं, जो कि विश्व में सबसे कम है।

आगे की राह

- स्वास्थ्य सेवा में विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाना वर्तमान समय में काफी महत्त्वपूर्ण है। इससे स्वास्थ्यकर्मियों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- भारत को एक समग्र वातावरण के निर्माण के लिये व्यवस्थित परिवर्तनों की आवश्यकता है, जो स्वास्थ्यकर्मियों के लिये फायदेमंद साबित हों और उन्हें देश में रहने के लिये प्रेरित कर सकें।
- सरकार को ऐसी नीतियाँ बनाने पर ध्यान देना चाहिये जो 'रिवर्स माइग्रेशन' को बढ़ावा दें, ऐसी नीतियाँ जो स्वास्थ्यकर्मियों को उनके प्रशिक्षण या अध्ययन के पूरा होने के बाद घर लौटने के लिये प्रोत्साहित कर सकें।
- भारत ऐसे द्विपक्षीय समझौतों की दिशा में भी काम कर सकता है जो 'ब्रेन-शेयर' की नीति को आकार देने में मदद कर सकें।

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020

चर्चा में क्यों?

अनौपचारिक कार्यबल की मदद करने में सामाजिक सुरक्षा संहिता (SS Code) 2020 की प्रभावशीलता पर कई लोगों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है।

- सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के साथ दो अन्य संहिताएँ पारित की गई जो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (Occupational Safety, Health & Working Conditions Code), 2020 तथा औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), 2020 हैं।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में सामाजिक सुरक्षा, सेवानिवृत्ति और कर्मचारी लाभ से संबंधित नौ नियमों को शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रमुख प्रावधानः

- कवरेज बढाया गया:
 - संहिता ने असंगठित क्षेत्र के श्रिमकों, निश्चित अविध के कर्मचारियों और गिग श्रिमकों, प्लेटफॉर्म श्रिमकों, अंतर-राज्य प्रवासी श्रिमकों
 आदि को शामिल करके कवरेज क्षेत्र को व्यापक बना दिया है।

- राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण:
 - असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से इन सभी श्रिमकों का पंजीकरण एक ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा और यह पंजीकरण एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से स्व-प्रमाणन के आधार पर किया जाएगा।
 - सभी रिकॉर्ड और रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखने होंगे।
- सामाजिक सुरक्षा निधि:
 - ♦ इसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिये वित्तीय की व्यवस्था हेतु बनाया जाएगा।
- समान परिभाषाएँ:
 - सामाजिक सुरक्षा लाभों का उद्देश्य मजदूरी निर्धारित करने में एकरूपता है।
 - इसने मज़दुरी की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान की है।
 - सामाजिक सुरक्षा लाभों को कम करने वाले वेतन की अनुचित संरचना को हतोत्साहित करने हेतु उच्चतम सीमा के साथ विशिष्ट बहिष्करण (Specific Exclusions) हेतु प्रावधान किये गए हैं।
- परामर्श का दृष्टिकोण:
 - ◆ इसके लिये अधिकारियों द्वारा एक सुविधाजनक दृष्टिकोण अपनाया गया है। निरीक्षकों की मौजूदा भूमिका के विपरीत संहिता निरीक्षक-सह-सुविधाकर्त्ता की एक बढ़ी हुई भूमिका प्रदान करती है जिससे नियोक्ता अनुपालन के लिये समर्थन और सलाह की तलाश प्राप्त कर सकते हैं।
- व्यवसाय केंद्र:
 - मानव संसाधन की मांग को पूरा करने और रोजगार सूचना की निगरानी के लिये व्यवसाय केंद्र (Career Centre) की स्थापना की जाएगी।
- कठोर दंड:
 - कर्मचारियों के योगदान के विफल होने पर न केवल 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगता है, बल्कि एक से तीन वर्ष की कैद भी हो सकती है। बार-बार अपराध के मामले में कठोर दंड का प्रावधान भी है और बार-बार अपराध के मामले में कोई समझौता करने की अनुमित नहीं है।

चिंताएँ:

- ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
 - अनौपचारिक कार्यकर्त्ताओं पर लाभार्थियों के रूप में पंजीकरण करने की जिम्मेदारी है, इसके अलावा उनके पास डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी नहीं होती है।
 - ♦ साथ ही अनौपचारिक कार्यकर्ताओं में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर जागरूकता का भी अभाव है।
- अंतर-राज्यीय व्यवस्था और सहयोग का अभाव:
 - असंगठित श्रिमिक भारत के कोने-कोने में फैले हुए हैं। इस संहिता के निहितार्थ इतने विविध होंगे कि राज्यों द्वारा इन्हें प्रशासित नहीं किया
 जा सकेगा।
- जटिल प्रक्रियाएँ और अतिव्यापी क्षेत्राधिकार:
 - असंगठित कार्यबल के लिये एक सरल और प्रभावी तरीके से समग्र सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने का विचार केंद्र-राज्य की प्रक्रियात्मक जटिलताओं तथा इनके क्षेत्राधिकार या संस्थागत अतिव्यापन लुप्त हो जाता है।
- मातृत्व लाभ:
 - ♦ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) के दायरे से बाहर रहती हैं।
- कर्मचारी भविष्य निधि:
 - अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये कर्मचारी भिवष्य निधि तक पहुँच की व्यवस्था भी नई संहिता में अधूरी है।

- ग्रेच्युटी का भुगतान:
 - ♦ हालाँकि नई संहिता में ग्रेच्युटी के भुगतान का विस्तार किया गया था, फिर भी यह अनौपचारिक श्रमिकों के एक विशाल बहुमत के लिये दुर्गम बना हुआ है।

आगे की राह

- सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों का विलय करता है और अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रशासन
 के दायरे में शामिल करने का प्रयास करता है। हालाँकि संहिता की जाँच से पता चलता है कि सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण की
 आकांक्षा अभी भी अधूरी बनी हुई है।
- एक ऐसे समय में जब भारत श्रम के मुद्दों विशेष रूप से अनौपचारिकता पर केंद्रित ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, स्वयं के बारे यह
 मानने में भी विफल है कि भारत सामाजिक सुरक्षा के बिना ही प्रौढ़ (Ageing) हो रहा है और युवा कार्यबल का जनसांख्यिकीय लाभांश
 जो प्रौढ़ावस्था का समर्थन कर सकता है, 15 वर्षों में समाप्त हो जाता है।
- सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान का उपयोग कार्यबल को कुछ हद तक औपचारिक बनाने के लिये किया जा सकता है।
- नियोक्ताओं को अपने कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिये।
 - चूँिक यह राज्य की जिम्मेदारी है लेकिन प्राथिमक जिम्मेदारी अभी भी नियोक्ताओं के पास है क्योंिक वे श्रिमकों की उत्पादकता का लाभ उठा रहे हैं।

ट्रांसजेंडर को तत्काल निर्वाह सहायता

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

प्रमुख बिंदु

सहायता के बारे में:

 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तत्काल निर्वाह सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से दी जाएगी, जिसके लिये लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (National Institute of Social Defence) में पंजीकरण करा सकते हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD):

- NISD एक स्वायत्त निकाय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory- NCT) दिल्ली सरकार के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI (Societies Act XXI of 1860) के तहत पंजीकृत है।
- यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए एक केंद्रीय सलाहकार निकाय है।
- यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है।
- यह वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, विरष्ठ नागिरकों के कल्याण, भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।

ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रमुख पहल:

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले:
 - ♦ राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority- NALSA) बनाम भारत संघ, 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'थर्ड जेंडर' घोषित किया था।
 - भारतीय दंड संहिता (2018) की धारा 377 के प्रावधानों में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:
 - 🔷 एक टांसजेंडर व्यक्ति वह होता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है। इसमें टांसमेन और टांस-महिला (Transmen and Trans-Women), इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग-क्वीर (Gender-Queers) और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे- किन्नर और हिजडा शामिल हैं।
 - यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये एक राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender persons-NCT) की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार देता है।
 - माता-पिता और पिरवार के सदस्यों के साथ निवास का अधिकार प्रदान करता है।
 - शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को रोकता है।
 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करने पर जुर्माना के अलावा, छह महीने से दो वर्ष तक का कारावास की सजा हो सकती है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल और 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह' की योजना है।

क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज (Kyasanur Forest Disease- KFD) के तीव्रता से निदान में एक नया 'पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण' (Point-Of-Care Test) अत्यधिक संवेदनशील पाया गया है।

इस रोग को मंकी फीवर (Monkey Fever) के नाम से भी जाना जाता है।

प्रमुख बिंदुः

पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण' के बारे में:

- इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research-ICMR)- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है।
- पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण में बैटरी से चलने वाला पॉलीमर चैन रिएक्शन (Polymerase Chain Reaction- PCR) एनालाइजर शामिल है, जो एक पोर्टेबल, हल्का और युनिवर्सल कार्ट्जि-आधारित सैंपल प्री-ट्रीटमेंट किट और न्युक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन डिवाइस (Nucleic Acid Extraction Device) है जो देखभाल के स्तर पर सैंपल प्रोसेसिंग में सहायता करता है।
- लाभ:
 - 🔷 यह क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ के निदान में फायदेमंद साबित होगा क्योंकि इसका प्रकोप मुख्य रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में होता है, जहाँ परीक्षण हेत् अच्छी तरह से सुसज्जित लैब सुविधाओं का अभाव होता है।
 - यह त्वरित रोगी प्रबंधन और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में उपयोगी होगा।

क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़:

- यह क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ वायरस (Kyasanur Forest disease Virus- KFDV) के कारण होता है, जो मुख्य रूप से मनुष्यों और बंदरों को प्रभावित करता है।
- वर्ष 1957 में इस रोग की पहचान सबसे पहले कर्नाटक के क्यासानूर जंगल (Kyasanur Forest) के एक बीमार बंदर में की गई थी। तब से प्रतिवर्ष 400-500 लोगों के इस रोग से प्रसित होने के मामले सामने आए हैं।
- परिणामस्वरूप KFD परे पश्चिमी घाट में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरी है।

- संचरण:
 - ♦ यह वायरस मुख्य रूप से हार्ड टिकस (हेमाफिसालिस स्पिनिगेरा), बंदरों, कृन्तकों (Rodents) और पिक्षयों में उपस्थित होता है।
 - ◆ मनुष्यों में, यह कुटकी/टिक नामक कीट के काटने या संक्रमित जानवर (एक बीमार या हाल ही में मृत बंदर) के संपर्क में आने से फैलता है।

लक्षण:

- ठंड लगना, सिरदर्द, शरीर में दर्द और 5 से 12 दिनों तक तेज बुखार का आना आदि। इनके कारण होने वाले मृत्यु की दर 3-5% है।
- निदान:
 - ◆ रक्त से वायरस को अलग करके या पॉलीमर शृंखला अभिक्रिया द्वारा आणिवक परीक्षण (Molecular Detection) से बीमारी के प्रारंभिक चरण में निदान किया जा सकता है।
 - ♦ बाद में सेरोलॉजिकल परीक्षण (Serologic Testing) में एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट सेरोलॉजिक ऐसे-एलिसा (Enzyme-linked Immunosorbent Serologic Assay- ELISA) का उपयोग किया जा सकता है।

उपचार और रोकथामः

- मंकी फीवर का कोई विशेष इलाज नहीं है।
- केएफडी हेतु फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड केएफडीवी वैक्सीन मौजूद है जिसका उपयोग भारत के स्थानिक क्षेत्रों में किया जाता है।
 - ♦ हालाँकि इस रोग में यह देखा गया कि जब एक बार व्यक्ति बुखार से संक्रमित हो जाता है तो वैक्सीन कारगर साबित नहीं होती है।

एनजीटी ने बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने छह महीने के भीतर गुजरात के बन्नी घास के मैदानों (Banni Grassland) से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।

• इस अधिकरण ने यह भी कहा कि मालधारी (Maldhari- पशुपालक) वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act), 2006 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इस क्षेत्र में सामुदायिक वनों के संरक्षण का अधिकार जारी रखेंगे।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- यह पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (National Green Tribunal Act), 2010 के अंतर्गत स्थापित एक विशेष निकाय है।
- एनजीटी के लिये यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जबिक अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।
- एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

बन्नी घास के मैदान के विषय में:

- अवस्थितिः
 - यह मैदान गुजरात में कच्छ के रण के पास स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है।
 - ♦ यह 2,618 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत गुजरात का लगभग 45% चरागाह क्षेत्र आता है।
- पारिस्थितिकी तंत्र और वनस्पित:
 - बन्नी में दो पारिस्थितिकी तंत्र (आर्द्रभृमि और घास के मैदान) एक साथ पाए जाते हैं।

- बन्ती में वनस्पित कम सघन रूप में मिलती है और यह वर्षा पर अत्यधिक निर्भर होती है।
 - बन्नी घास के मैदान परंपरागत रूप से चक्रीय चराई (Rotational Grazing) की एक प्रणाली के बाद प्रबंधित किये गए
 थे।
- बन्ती में कम उगने वाले पौधों (फोर्ब्स और ग्रामीनोइड्स) का प्रभुत्व है, जिनमें से कई हेलो फाइल (नमक सिहष्णु) हैं, साथ ही यहाँ पेड़ों और झाड़ियों का आवरण भी है।
- यह क्षेत्र वनस्पितयों और जीवों से समृद्ध है, जिसमें पौधों की 192 प्रजातियाँ, पिक्षयों की 262 प्रजातियाँ और स्तनधारियों, सरीसृप तथा उभयचरों की कई प्रजातियाँ रहती हैं।
- आरिक्षत वन:
 - न्यायालय ने वर्ष 1955 में अधिसूचित किया कि घास का मैदान एक आरक्षित वन होगा (भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अनुसार वर्गीकृत सबसे प्रतिबंधित वन)।
 - राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वर्ष 2019 में ने बन्नी घास के मैदान की सीमाओं का सीमांकन करने और गैर-वन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया।
 - ◆ इस घास के मैदान को भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India- WII) ने भारत में चीता (Cheetah)

 के अंतिम शेष आवासों में से एक और इन प्रजातियों के लिये संभावित पुनरुत्पादन स्थल के रूप में पहचाना है।

मालधारी के विषय में:

- मालधारी बन्नी में रहने वाला एक आदिवासी चरवाहा समुदाय है।
- मूल रूप से इस खानाबदोश जनजाति को जूनागढ़ (मुख्य रूप से गिर वन) में बसने के बाद से मालधारी के रूप में जाना जाने लगा।
- मालधारी का शाब्दिक अर्थ पशु भंडार (माल) का रखवाला (धारी) होता है।
 - इनके पालतू पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, भैंस और ऊंट शामिल हैं।
- गिर वन राष्ट्रीय उद्यान (Gir Forest National Park) लगभग 8,400 मालधारियों का घर है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006:

- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत वनवासियों को तब तक विस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके दूसरे स्थान पर बसाने की प्रक्रिया संबंधित अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जाता।
- इसके अलावा अधिनियम में प्रजातियों के संरक्षण के लिये 'महत्त्वपूर्ण वन्यजीव आवास' (Critical Wildlife Habitat) स्थापित करने हेतु एक विशेष प्रावधान है।
- यह वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (Forest Dwelling Scheduled Tribe- FDST) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (Other Traditional Forest Dweller- OTFD) की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के प्रबंधकीय शासन को मजबूत करता है।
- यह अधिनियम चार प्रकार के अधिकारों को मान्यता देता है:
 - शीर्षक अधिकार: यह एफडीएसटी और ओटीएफडी द्वारा की जा रही खेती वाली भूमि पर इन्हें स्वामित्व का अधिकार देता है लेकिन यह सीमा अधिकतम 4 हेक्टेयर तक ही होगी।
 - 🔷 उपयोग संबंधी अधिकार: गौण वन उत्पादों, चरागाह क्षेत्रों, चरागाही मार्गों आदि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है।
 - राहत और विकास संबंधी अधिकार: वन संरक्षण हेतु प्रतिबंधों के अध्ययन, अवैध ढंग से उन्हें हटाने या बलपूर्वक विस्थापित करने के मामले में पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार प्रदान किया गया है।
 - ◆ वन प्रबंधन संबंधी अधिकार: इसमें वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जिसे वे परंपरागत रूप से संरक्षित करते रहे हैं।

30 जनवरी: विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस

चर्चा में क्यों?

वर्तमान ७४वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को 'विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) दिवस' के रूप में घोषित किया।

- इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मित से अपनाया गया।
- पहला विश्व NTD दिवस वर्ष 2020 में अनौपचारिक रूप से मनाया गया था।

प्रमुख बिंदुः

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD):

- NTD संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिये पर रहने वाले समुदायों में सबसे सामान्य है। ये रोग विभिन्न प्रकार के रोगजनकों जैसे-वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी के कारण होते हैं।
 - NTD विशेष रूप से उष्णकिटबंधीय क्षेत्रों में सामान्य है, जहाँ लोगों के पास स्वच्छ पानी या मानव अपिशष्ट के निपटान के सुरिक्षत तरीकों तक पहुँच नहीं है।
- इन बीमारियों को आमतौर पर तपेदिक, एचआईवी-एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में अनुसंधान और उपचार के लिये कम धन मिलता है।
- NTD के उदाहरण हैं: सर्पदंश का जहर, खुजली, जम्हाई, ट्रेकोमा, लीशमैनियासिस और चगास रोग आदि।

NTDs पर लंदन उदघोषणाः

- इसे NTDs के वैश्विक भार को वहन करने के लिये 30 जनवरी, 2012 को अपनाया गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), विश्व बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अधिकारी, प्रमुख वैश्विक दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कई राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिनिधियों ने लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन में इन बीमारियों को समाप्त करने का संकल्प लिया।

वर्ष 2021-2030 के लिये WHO का नया रोडमैप:

- प्रक्रिया को मापने से लेकर प्रभाव को मापने तक।
- रोग-विशिष्ट योजना और प्रोग्रामिंग से लेकर सभी क्षेत्रों में सहयोगात्मक कार्य तक।
- बाह्य रूप से संचालित एजेंडे से लेकर देश के स्वामित्व वाले और सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों तक।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की स्थिति

- वैश्विक स्तर पर एक बिलियन से अधिक लोग उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से प्रभावित हैं।
 - ये रोग रोके जाने व उपचार योग्य हैं, हालाँकि इसके बावजूद ये रोग- गरीबी एवं पारिस्थितिक तंत्र के साथ उनके जटिल अंतर्संबंध-विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों का कारण बने हुए हैं।
- कुल 20 उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं, जो दुनिया भर में 1.7 बिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं।
- कालाजार और लसीका फाइलेरिया जैसे परजीवी रोगों समेत भारत में कम-से-कम 11 उपेक्षित उष्णकिटबंधीय रोग मौजूद हैं, जिससे देश भर में लाखों लोग प्रभावित होते हैं, इनमें प्राय: अधिकतर लोग गरीब एवं संवेदनशील वर्ग से होते हैं।

NDTs के उन्मूलन हेतु भारतीय पहल:

- NDTs के उन्मूलन की दिशा में गहन प्रयासों के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में 'लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग के तीव्र उन्मूलन की कार्य-योजना' (APELF) शुरू की गई थी।
- वर्ष 2005 में भारत, बांग्लादेश और नेपाल की सरकारों द्वारा सबसे संवेदनशील आबादी के शीघ्र निदान और उपचार में तेजी लाने और रोग निगरानी में सुधार एवं कालाजार को नियंत्रित करने के लिये WHO-समर्थित एक क्षेत्रीय गठबंधन का गठन किया गया है।
- भारत पहले ही कई अन्य NDTs को समाप्त कर चुका है, जिसमें गिनी वर्म, ट्रेकोमा और यॉज शामिल हैं।

कला एवं संस्कृति

विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल छ: स्थल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छ: भारतीय स्थानों को यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची (Tentative List) में जोड़ा गया है।

• इसकी संस्तुति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) द्वारा दी गई थी, जो भारतीय स्मारकों के संरक्षण और सरक्षा के लिये जिम्मेदार है।

प्रमुख बिंदु

अस्थायी सूची:

- यूनेस्को के संचालनात्मक दिशा-निर्देश (Operational Guidelines), 2019 के अनुसार किसी भी स्मारक/स्थल को विश्व विरासत स्थल (World Heritage Site) की सूची में अंतिम रूप से शामिल करने से पहले उसे एक वर्ष के लिये इसके अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है।
 - ♦ इसमें नामांकन हो जाने के बाद इसे विश्व विरासत केंद्र (World Heritage Centre) को भेज दिया जाता है।
- इस सूची में भारत के अब तक कुल 48 स्थल शामिल किये गए हैं।

विश्व विरासत स्थल:

- यूनेस्को की विश्व विरासत सूची (World Heritage List) में विभिन्न क्षेत्रों या वस्तुओं को अंकित किया गया है।
- यह सूची यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई 'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है।
 - विश्व विरासत केंद्र वर्ष 1972 में हुए कन्वेंशन का सचिवालय है।
- यह पूरे विश्व में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- इसमें तीन प्रकार के स्थल शामिल हैं: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित।
 - ♦ सांस्कृतिक विरासत (Cultural Heritage) स्थलों में ऐतिहासिक इमारत, शहर स्थल, महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थल, स्मारकीय मृर्तिकला और पेंटिंग कार्य शामिल किये जाते हैं।
 - प्राकृतिक विरासत (Natural Heritage) में उत्कृष्ट पारिस्थितिक और विकासवादी प्रक्रियाएँ, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएँ, दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास स्थल आदि शामिल किये जाते हैं।
 - ♦ मिश्रित विरासत (Mixed Heritage) स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के महत्त्वपूर्ण तत्त्व शामिल होते हैं।
- भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 38 विरासत धरोहर स्थल (30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं। इनमें शामिल जयपुर शहर (राजस्थान) सबसे नया है।

अस्थायी सूची में शामिल छ: नए स्थलों के विषय में:

- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश):
 - ◆ यह सरीसृप सिंहत हिमालयी क्षेत्र की 26 प्रजातियों और नीलिगिरि क्षेत्रों की 42 प्रजातियों का घर है, जहाँ बाघों के लिये अरिक्षत सबसे बढ़ा क्षेत्र है और बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है।

- वाराणसी के घाट (उत्तर प्रदेश):
 - 🔷 ये घाट 14वीं शताब्दी के हैं, लेकिन अधिकांश का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों के सहयोग से किया गया।
 - 🔷 इन घाटों का हिंदू पौराणिक कथाओं में (विशेष रूप से स्नान और हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में) विशेष महत्त्व है।
- हायर बेनकल का महापाषाण स्थल (कर्नाटक):
 - यह लगभग 2,800 वर्ष पुराना सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक महापाषाण बस्तियों में से एक महापाषाणिक स्थल है जहाँ कुछ अंत्येष्टि स्मारक अभी भी मौजूद हैं।
 - इस स्थान पर ग्रेनाइट के ताबूतों वाले स्मारक हैं। इस स्थान को नवपाषाण (Neolithic) कालीन स्मारकों के अत्यंत मूल्यवान संग्रह के कारण विश्व विरासत स्थल की मान्यता के लिये प्रस्तावित किया गया था।
- मराठा सैन्य वास्तुकला (महाराष्ट्र):
 - महाराष्ट्र में 17वीं शताब्दी के मराठा राजा छत्रपित शिवाजी के समय के 12 किले (शिवनेरी, रायगढ़, तोरणा, राजगढ़, साल्हेर-मुल्हेर, पन्हाला, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, विजयदुर्ग और कोलाबा) हैं।
 - ये किले रॉक-कट सुविधाओं, पहाड़ियों और ढलानों पर परतों में पिरिध की दीवारों के निर्माण, मंदिरों, महलों, बाजारों, आवासीय क्षेत्रों
 तथा मध्ययुगीन वास्तुकला के लगभग हर रूप सिंहत वास्तुकला के विभिन्न रूपों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
- नर्मदा घाटी में भेड़ाघाट-लमेताघाट, जबलपुर (मध्य प्रदेश):
 - ♦ भेड़ाघाट, जिसे भारत का ग्रांड कैन्यन कहा जाता है, जबलपुर जिले का एक शहर है।
 - नर्मदा नदी के दोनों ओर संगमरमर की सौ फीट ऊँची चट्टानें और उनके विभिन्न रूप भेड़ाघाट की खासियत है।
 - ♦ नर्मदा घाटी में विशेष रूप से जबलपुर के भेड़ाघाट-लमेताघाट क्षेत्र में डायनासोर के कई जीवाश्म पाए गए हैं।
 - नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से होकर गुज़रती संकरी होती जाती है और अंत में एक झरने के रूप में नीचे गिरती है, जिसका नाम धुआँधार जलप्रपात है।
- कांचीपुरम के मंदिर (तमिलनाडु):
 - ♦ कांचीपुरम अपनी आध्यात्मिकता, शांति और रेशम के लिये जाना जाता है।
 - यह वेगावती नदी के तट पर स्थित है।
 - इस ऐतिहासिक शहर में कभी 1,000 मंदिर थे, जिनमें से अब केवल 126 (108 शैव और 18 वैष्णव) ही शेष बचे हैं।
 - इसे पल्लव राजवंश ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच अपनी राजधानी बनाया। ये मंदिर द्रविड़ (Dravidian) शैलियों का एक अच्छा उदाहरण है।

वेसाक समारोह

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल 'वेसाक वैश्विक समारोह' को संबोधित किया।

• यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमे दुनिया भर के बौद्ध संघों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया।

प्रमुख बिंदु

बुद्ध पूर्णिमा

- इसका आयोजन धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में किया जाता है।
 - ◆ इसे वेसाक के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक समाज में बौद्ध धर्म के योगदान को देखते हुए वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई थी।

- तथागत गौतम बृद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण के रूप में इसे 'तिहरा-धन्य दिवस' माना जाता है।
- बुद्ध पूर्णिमा आमतौर पर अप्रैल और मई माह के बीच पूर्णिमा को पड़ती है और यह भारत में एक राजकीय अवकाश है।
- इस अवसर पर कई भक्त बिहार के बोधगया में स्थित युनेस्को की विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार जाते हैं।
 - बोधि विहार वह स्थान है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC)

- यह सबसे बडा धार्मिक बौद्ध संघ है।
- इस निकाय का उद्देश्य वैश्विक मंच पर बौद्ध धर्म की भूमिका का निर्माण करना है, ताकि बौद्ध धर्म की विरासत को संरक्षित करने, ज्ञान साझा करने और मुल्यों को बढावा देने में मदद मिल सके तथा वैश्विक वार्ता में सार्थक भागीदारी के साथ बौद्ध धर्म का संयुक्त प्रतिनिधित्व किया जा सके।
- नवंबर 2011 में नई दिल्ली में 'वैश्विक बौद्ध मण्डली' (GBC) की मेजबानी की गई थी, जहाँ उपस्थित लोगों ने सर्वसम्मित से एक अंतर्राष्ट्रीय अम्ब्रेला निकाय- अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के गठन के प्रस्ताव को अपनाया।
- मुख्यालय: दिल्ली (भारत)

गौतम बुद्ध के विषय में

- बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व लुंबिनी में हुआ था और वे शाक्य वंश के थे।
- गौतम ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि (ज्ञानोदय) प्राप्त किया था।
- बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ गाँव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन (कानून के पहिये का घूमना) के रूप में जाना जाता है।
- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता
- उन्हें भगवान विष्णु के दस अवतारों में से आठवाँ अवतार माना जाता है।

बौद्ध धर्म

परिचय

- भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुई थी।
- बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएँ चार महान आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं।
 - दुख (पीड़ा) और उसका विलुप्त होना बुद्ध के सिद्धांत के केंद्र में है।
- बौद्ध धर्म का सार आत्मज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति में है, जिसे इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है।
- बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च देवता या देवी नहीं है।

बौद्ध परिषद

बौद्ध परिषद	संरक्षक	स्थान	अध्यक्ष	वर्ष
पहली	अजातशत्रु	राजगृह	महाकस्यप	483 ई.पू.
दूसरी	कालाशोक	वैशाली	सुबुकामि	383 ई.पू.
तीसरी	अशोक	पाटलिपुत्र	मोगालिपुत्र	250 ई.पू.
चौथी	कनिष्क	कुण्डलवन	वसुमित्र	72 ई.

बौद्ध धर्म की शाखाएँ

- महायान (मूर्ति पूजा), हीनयान, थेरवाद, वज्रयान (तांत्रिक बौद्ध धर्म), ज्ञेन।
 बौद्ध धर्म ग्रंथ (त्रिपिटक)
- विनयपिटक (मठवासी जीवन पर लागू नियम), सुत्तपिटक (बुद्ध की मुख्य शिक्षाएँ या धम्म), अभिधम्मपिटक (एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थापन)।

भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान

- अहिंसा की अवधारणा बौद्ध धर्म का प्रमुख योगदान है। बाद के समय में यह हमारे राष्ट्र के पोषित मूल्यों में से एक बन गई।
- भारत की कला एवं वास्तुकला में इसका योगदान उल्लेखनीय है। सांची, भरहुत और गया के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं।
- इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- पाली और अन्य स्थानीय भाषाओं की भाषा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से विकसित हुई।
- इसने एशिया के अन्य हिस्सों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को भी बढ़ावा दिया था।
 बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थल
- नालंदा, बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्त्विक स्थल
- साँची, मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक
- बोधगया, बिहार में महाबोधि विहार परिसर
- अजंता गुफाएँ, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

बेगम सुल्तान जहाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बेगम सुल्तान जहाँ की पुण्यतिथि मनाई गई।

 वह एक परोपकारी, विपुल लेखिका, नारीवादी तथा महिला सशक्तीकरण का प्रतीक होने के साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर भी थीं।

प्रमुख बिंदु

• जन्म: ९ जुलाई, 1858 (भोपाल)।

भोपाल की शासक:

- 🔸 वह भोपाल की आखिरी बेगम थीं। उन्होंने वर्ष 1909 से 1926 तक शासन किया जिसके बाद उनका पुत्र उत्तराधिकारी बना।
 - वह भोपाल की चौथी बेगम (मिहला शासक) थीं।
- उन्होंने नगर पालिका प्रणाली की स्थापना की, नगरपालिका चुनावों की शुरुआत की और अपने लिये एक किलेबंद शहर तथा एक महल का निर्माण करवाया।
- किलेबंद शहर में उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल की आपूर्ति में सुधार हेतु कदम उठाए तथा इस शहर के निवासियों के लिये व्यापक टीकाकरण अभियान लागू किया।

नारीवाद का प्रतीकः

• उन्होंने एक ऐसे समय में महिलाओं के लिये प्रगतिशील नीतियों की शुरुआत की जब महिलाएँ पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं के अधीन थी। इसके चलते आज भी उन्हें नारीवाद का प्रतीक माना जाता है।

- वर्ष 1913 में उन्होंने लाहौर में महिलाओं के लिये एक मीटिंग हॉल (Meeting Hall for Ladies) का निर्माण करवाया।
- महिलाओं को प्रोत्साहित करने और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिये उन्होंने भोपाल में 'नुमाइश मस्रुआत ए हिंद' (Numaish Masunuaat e Hind) नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया।

परोपकारी:

- जारूरतमंद छात्रों की मदद के लिये उन्होंने तीन लाख रुपए की निधि के साथ 'सुल्तान जहाँ एंडोमेंट ट्रस्ट' (Sultan Jahan Endowment Trust) की स्थापना की।
- उन्होंने देवबंद (उत्तर प्रदेश) में एक मदरसा, लखनऊ में नदवतुल उलूम और यहाँ तक कि मक्का, सऊदी अरब में मदरसा सुल्तानिया को भी निधि/वित्त प्रदान किया।
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली जैसे संस्थानों और बॉम्बे और कलकत्ता के कुछ प्रसिद्ध कॉलेजों ने उनसे प्रचुर अनुदान प्राप्त किया।

शिक्षाविद:

- उन्होंने 41 किताबें लिखीं तथा अंग्रेजी भाषा की कई पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया।
- उनके द्वारा लिखी गई दर्स-ए-हयात (Dars-e-Hayat) नामक पुस्तक में युवा लड़िकयों की शिक्षा और पालन-पोषण के बारे में बताया गया है।
- उन्होंने स्वयं शुरू किये गए सुल्तानिया स्कूल में पाठ्यक्रम को नया रूप दिया और अंग्रेज़ी, उर्दू, अंकगणित, गृह विज्ञान तथा शिल्प जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया।
- उन्होंने लेडी मिंटो नर्सिंग स्कूल (Lady Minto Nursing School) नाम से एक नर्सिंग स्कूल भी शुरू किया।
- वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की पहली महिला कुलाधिपति थीं।
 - दिसंबर 2020 में AMU के शताब्दी समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री द्वारा बेगम सुल्तान जहाँ तथा इस ऐतिहासिक संस्थान में उनके योगदान को श्रद्धांजिल दी गई थी।
- मृत्युः 12 मई 1930

चर्चा भें

बसव जयंती

भारतीय प्रधानमंत्री ने बसव जयंती के अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

नवंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने लंदन की थेम्स नदी (लैम्बेथ) के किनारे बसवेश्वर की प्रतिमा का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

जन्म

उनका जन्म कर्नाटक में 1131 ई. में हुआ था।

परिचय

- वह 12वीं सदी के एक महान भारतीय दार्शनिक, राजनेता और समाज सुधारक थे।
- वह शिव-केंद्रित भिक्त आंदोलन में 'लिंगायत संत' और कल्याणी चालुक्य/कलचुरी वंश के शासनकाल के दौरान हिंदू शैव समाज सुधारक
 थे।
 - ♦ लिंगायत भारत में एक हिंदू संप्रदाय है, जो शिव को एकमात्र देवता के रूप में पूजता है। दक्षिण भारत में लिंगायत समुदाय का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है।
- उन्हें 'भिक्त भंडारी' (शाब्दिक रूप से 'भिक्त के कोषाध्यक्ष') या बसवेश्वर (भगवान बसव) के रूप में भी जाना जाता है।

योगदान

- बसवन्ना ने 'वचन' नामक अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई।
- विभिन्न महत्त्वपूर्ण लिंगायत कार्यों का श्रेय बसवन्ना को दिया जाता है, जिनमें शत-स्थल-वचन, कला-ज्ञान-वचन, मंत्र-गोप्य, घटना चक्र-वचन और राज-योग-वचन आदि शामिल हैं।
- गौतम बुद्ध की तरह बसवन्ना ने भी आम जनमानस को एक तर्कसंगत सामाजिक व्यवस्था में आनंदपूर्वक जीने का तरीका सिखाया, जिसे बाद में 'शरण आंदोलन' के रूप में जाना जाने लगा।
- शरण आंदोलन ने सभी जातियों के लोगों को आकर्षित किया और भक्ति आंदोलन के अधिकांश प्रकारों की तरह इसके तहत भी काफी महत्त्वपूर्ण साहित्य और वचनों की रचना की गई, जिसने 'वीरशैव संतों' के लिये आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया।
- बसवा द्वारा स्थापित 'अनुभव मंडप' ने सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी।
- बसव का मानना था कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बिल्क समाज में अपने आचरण से महान बनता है।
- उन्होंने 'कार्य' को पूजा और उपासना के रूप में रेखांकित करते हुए शारीरिक श्रम की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया।

मृत्यु

• उनकी मृत्यु 1167 ई. में हुई।

भक्ति आंदोलन

- भक्ति आंदोलन तिमल क्षेत्र में शुरू हुआ और इसने अलवार (विष्णु के भक्त) तथा नयनार (शिव के भक्त), वैष्णव और शैव किवयों की किवताओं के माध्यम से काफी लोकप्रियता हासिल की।
- ये संत धर्म को एक औपचारिक पूजा के रूप में नहीं देखते थे बिल्क वे पूजा करने वाले व्यक्ति और भगवान के बीच प्रेम पर आधारित एक प्रेम बंधन के रूप में देखते थे।

भक्ति आंदोलन मूल रूप से 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शंकराचार्य के साथ शुरू हुआ और भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला तथा 16वीं शताब्दी तक कबीर, नानक और श्री चैतन्य के साथ एक महान आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरा।

पीएम किसान

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की है।

प्रमुख बिंद्

- इस योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष तीन समान किस्तों में 6,000 रुपए की राशि सीधे सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, भले ही उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
 - इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
- वित्तपोषण और क्रियान्वयन
 - यह योजना, भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
 - इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- लाभार्थियों की पहचान
 - लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करने का समग्र दायित्त्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को दिया गया है।
- - प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद में छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना।
 - िकसानों को कृषि संबंधी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साहकारों के चंगूल में पडने से बचाना और खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।
- पीएम किसान मोबाइल एप
 - ♦ बीते दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से 'राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र' (NIC) द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया 'पीएम-किसान मोबाइल एप' लॉन्च किया गया है।
 - ♦ इस एप के माध्यम से किसान अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं तथा अपने आधार कार्ड में सुधार कर सकते हैं, साथ ही इसके माध्यम से बैंक खातों में क्रेडिट की भी जाँच की जा सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस

संग्रहालयों के संदर्भ में लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (International Museums Day) मनाया जाता है।

वर्ष 2021 की थीम: "संग्रहालयों का भविष्य: पुनर्प्राप्ति और पुन: कल्पना" (The Future of Museums: Recover and Reimagine) |

प्रमुख बिंदु

इतिहास: इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद (International Council of Museums- ICOM) द्वारा की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद (ICOM):

ICOM एक सदस्यता संघ और एक गैर-सरकारी संगठन है जो संग्रहालय संबंधी गतिविधियों के लिये पेशेवर एवं नैतिक मानक स्थापित करता है। संग्रहालय क्षेत्र में यह एकमात्र वैश्विक संगठन है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में है।
- यह संग्रहालय पेशेवरों (138 से अधिक देशों में 40,000 से अधिक सदस्य) के एक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।
- ICOM की रेड लिस्ट (खतरे में रहने वाले सांस्कृतिक वस्तुओं से संबंधी), सांस्कृतिक वस्तुओं के अवैध यातायात को रोकने के लिये
 व्यावहारिक उपकरण है।
 - ♦ रेड लिस्ट सांस्कृतिक वस्तुओं की उन श्रेणियों को प्रस्तुत करती है जिनके चोरी होने या किसी अन्य खतरे का डर रहता है।

भारत में संग्रहालयों का प्रशासन:

- विभिन्न संग्रहालयों का प्रभार अलग-अलग मंत्रालयों के पास है अर्थात् सभी संग्रहालय केवल संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रशासित नहीं हैं।
- कुछ संग्रहालयों को ट्रस्टी बोर्ड के तहत मुट्ठी भर लोगों द्वारा सरकारी समर्थन के बिना प्रशासित किया जाता है।
- संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
 - ♦ अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने का प्रावधान है।

संग्रहालय से संबंधित पहलें:

- संग्रहालय अनुदान योजनाः
 - संस्कृति मंत्रालय नए संग्रहालयों की स्थापना के लिये सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत राज्य सरकारों और सिमितियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों तथा ट्रस्टों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
 - ♦ इसका उद्देश्य क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मौजूदा संग्रहालयों को मजबूत तथा आधुनिक बनाना है।
- भारतीय संग्रहालयों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल और डिजिटल रिपोजिटरी (संस्कृति मंत्रालय के तहत) को संग्रहालयों के संग्रह के डिजिटलीकरण के लिये शुरू किया गया है।

भारत में उल्लेखनीय संग्रहालय

- राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली (संस्कृति मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालय)
- राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली
- सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
- भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण साइट संग्रहालय, गोवा
- प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय (NMNH), नई दिल्ली

ई-वे बिल

हाल ही में केंद्र सरकार ने फास्टैग (FASTag) और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (Radio Frequency Identification-RFID) के साथ ई-वे बिल (E-Way Bill) प्रणाली को एकीकृत किया है।

प्रमुख बिंदु

इलेक्ट्रॉनिक वे (ई-वे) बिल:

- ई-वे बिल, जी.एस.टी. के तहत एक बिल प्रणाली है जो वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी किया जाता है।
- इसे अप्रैल 2018 से 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के माल के अंतर्राज्यीय परिवहन पर आरोपित करना अनिवार्य बना दिया गया है, जिसमें सोने जैसी कीमती वस्तुओं को छूट दी गई है।
- यह माल का पिरवहन जीएसटी कानून के अंतर्गत करने और इसकी आवाजाही को ट्रैक करने तथा कर चोरी की जाँच सुनिश्चित करने वाला एक उपकरण है।

फास्टैग:

- यह एक पुन: लोड करने योग्य (Reloadable) टैग है जो स्वचालित रूप से टोल शुल्कों को काट लेता है और वाहनों को बिना रुके टोल शुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करता है, जिसे सिक्रय करके वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा दिया जाता है।
 - आरएफआईडी के तहत किसी ऑब्जेक्ट से जुड़े टैग पर संग्रहीत जानकारी को पढ़ने और कैप्चर करने के लिये रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।
 - ◆ यह टैग कई फीट दूर से वस्तु की पहचान कर सकता है और इसे ट्रैक करने के लिये वस्तु का प्रत्यक्ष लाइन-ऑफ-साइट (Line-of-Sight) के भीतर होने की आवश्यकता नहीं है।
 - ◆ इसके इस्तेमाल को 15 फरवरी, 2021 से पूरे देश में सभी वाहनों के लिये अनिवार्य बना दिया गया है।
- यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India- NHAI) द्वारा संचालित है।

एकीकरण का महत्त्व:

- माल वाहनों की बड़ी संख्या में आवाजाही: ई-वे बिल प्रणाली में प्रतिदिन औसतन 25 लाख माल वाहनों की आवाजाही 800 से अधिक टोलों से होती है।
- लाइव सतर्कताः आरएफआईडी और फास्टैग के एकीकरण से कर अधिकारी व्यवसायों द्वारा ईडब्ल्यूबी अनुपालन के संबंध में लाइव सतर्कता बरत सकेंगे।
 - ♦ कर अधिकारी अब उन वाहनों की रिपोर्ट देख सकेंगे जिन्होंने पिछले कुछ मिनटों में बिना ई-वे बिल के टोलों को पार किया है।
- राजस्व लीकेज पर रोक: यह पुनर्चक्रण और/या ईडब्ल्यूबी के गैर-उत्पादन के मामलों की रियल टाइम पर पहचान करके राजस्व रिसाव को रोकने में सहायता करेगा।

व्हाइट फंगस

केंद्र सरकार ने राज्यों को 'ब्लैक फंगस' या 'म्युकरमाइकोसिस' को महामारी घोषित करने का आदेश दिया है, हालाँकि इसी बीच 'व्हाइट फंगस' या 'कैंडिडिआसिस' नामक संक्रमण से संबंधित कुछ मामले भी दर्ज किये गए हैं।

- कोविड-19 रोगियों में 'व्हाइट फंगस' होने का खतरा अधिक होता है, क्योंिक यह फेफड़ों को प्रभावित करता है और इसी तरह के लक्षण कोरोना वायरस के दौरान भी देखे जाते हैं।
- 'ब्लैक फंगस' एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है, जो 'म्युकरमायिसिटिस' नामक फफूँद (Molds) के कारण होता है, जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- 'व्हाइट फंगस' या 'कैंडिडिआसिस' एक कवक संक्रमण है, जो 'कैंडिडा' नामक खमीर (एक प्रकार का कवक) के कारण होता है।
- 'कैंडिडा' आमतौर पर त्वचा और शरीर के आंतरिक हिस्सों जैसे- मुँह, गला, आँत और योनि जैसी जगहों पर मौजूद रहता है।
- हालाँकि यदि यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है या शरीर में और अधिक आंतरिक हिस्सों में पहुँच जाता है तो कैंडिडा गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है।
 - संक्रमण का कारण बनने वाले सबसे सामान्य प्रजाति में शामिल है- कैंडिडा एिल्बिकान।

कारण

 यह संक्रमण कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है या फिर ऐसे लोगों को जो ऐसी चीजों के संपर्क में आते हैं जिनमें ये फफूँद मौजूद हैं जैसे पानी आदि।

- बच्चों और महिलाओं में फंगल इंफेक्शन होने का खतरा अधिक होता है।
- 'ब्लैक फंगस' की तरह 'व्हाइट फंगस' भी कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, पहले से मौजूद चिकित्सा समस्याओं, एड्स, हाल ही में गुर्दा प्रत्यारोपण या मधुमेह आदि से पीडित लोगों को अधिक प्रभावित करता है।

लक्षण

- फेफड़ों में पहुँचने पर लोगों को कोविड-19 के समान लक्षणों का अनुभव होता है, जैसे- छाती का संक्रमण आदि, हालाँकि इस दौरान संक्रमित
 व्यक्ति का कोविड-19 परीक्षण नकारात्मक हो सकता है।
- 'व्हाइट फंगस' फेफडों के साथ-साथ शरीर के अन्य हिस्सों जैसे नाखुन, त्वचा, पेट, किडनी, मस्तिष्क और मुँह को भी प्रभावित करता है।

निदान और उपचार

- सीटी स्कैन या एक्स-रे से संक्रमण का पता चल सकता है।
- वर्तमान में 'व्हाइट फंगस' से संक्रमित लोगों का इलाज ज्ञात एंटी-फंगल दवा से किया जा रहा है।

निवारण

- पानी में मौजूद फफुँदों से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिसके कारण संक्रमण हो सकता है।
- यथोचित स्वच्छता काफी महत्त्वपूर्ण है।

कार्बन प्रौद्योगिकी के पुनर्चक्रण के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार

बंगलूरू स्थित एक स्टार्टअप को कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को रसायनों और ईंधन में बदलने के लिये एक वाणिज्यिक समाधान विकसित करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) से राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है।

इस स्टार्टअप को नैनो मिशन के तहत फंडिंग मिली है।

प्रमुख बिंदुः

- स्टार्टअप ने कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को मेथनॉल और अन्य रसायनों में बदलने के लिये कुशल उत्प्रेरक और कार्य प्रणाली विकसित की।
- इसने कोयला और प्राकृतिक गैस बिजली उत्पादन क्षेत्रों, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग तथा रासायनिक उद्योगों सिहत विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न मानवजनित CO2 से रसायनों और ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये इंजीनियरिंग प्रक्रिया में सुधार किया है।
- इसने ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरणीय मुद्दों के लिये एक संपूर्ण समाधान विकसित करने हेतु CCUS (कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और सीक्वेस्ट्रेशन) में शामिल कई घटकों को एकीकृत किया है।
- पुनर्चक्रण कार्बन प्रौद्योगिकी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR) को हस्तांतरित किया जाएगा।
- कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड सीक्वेस्ट्रेशन (CCUS):
 - यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों जैसे स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को अवशोषित करती है
 और इसका पुनः उपयोग या भंडारण करती है तािक यह वातावरण में प्रवेश न करे।
 - भूगर्भीय संरचनाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भंडारण में तेल और गैस जलाशय, अखाद्य कोयला तथा गहरे खारे जलाशय शामिल हैं -संरचनाएँ जिन्होंने लाखों वर्षों से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, नमक और कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहीत किया है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड:

- TDB प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह वर्ष 1996 में स्थापित किया गया था और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग के तहत कार्य करता है।
- यह स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और घरेलू अनुप्रयोगों के लिये आयातित प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन हेतु काम करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

• राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (11 मई) के हिस्से के रूप में TDB उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है जिन्होंने स्वदेशी तकनीक का सफलतापूर्वक व्यावसायीकरण किया है।

नैनो मिशन:

- भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक 'क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के रूप में नैनो मिशन शुरू किया।
- इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

WHO 'बायो हब' इनीशिएटिव

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और स्विट्जरलैंड ने एक 'बायो हब' इनीशिएटिव शुरू किया है जो पैथोजंस को प्रयोगशालाओं के बीच साझा करने और उनके विरुद्ध "विश्लेषण और तैयारी" की सुविधा प्रदान करेगा।

प्रमुख बिंदुः

'बायो हब' सुविधाः

- यह सुविधा अन्य प्रयोगशालाओं में वितरण के लिये जैविक सामग्री के सुरक्षित अनुक्रमण, भंडारण और तैयारी में मदद करेगी तािक इनके खिलाफ पैथोजंस के लिये वैश्विक तैयारी को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- यह सदस्य राज्यों को पूर्व-सहमत शर्तों के तहत जैव सुरक्षा और अन्य लागू नियमों सिहत बायो हब तथा उसके माध्यम से जैविक सामग्री साझा करने में सक्षम बनाएगा।
- इसके समानांतर WHO देशों को उचित आवंटन के लिये चिकित्सा उप-उत्पादों के विकास हेतु योग्य संस्थाओं, जैसे निर्माताओं द्वारा जैविक सामग्री के उपयोग के लिये अपने बायो हब सिस्टम को व्यापक बनाएगा।

महत्त्वः

- कोविड -19 महामारी और अन्य प्रकोपों तथा महामारियों ने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को जोखिम का आकलन करने और निदान करने तथा
 चिकित्सीय टीके आदि विकसित करने में मदद के लिये पैथोजंस को तेज़ी से साझा करने के महत्त्व को रेखांकित किया है।
 - पैथोजंस संबंधी जानकारी को देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से साझा किया गया है।
- यह महामारी विज्ञान और नैदानिक डेटा के साथ-साथ जैविक सामग्री का समय पर साझाकरण सुनिश्चित करेगा।
- यह कदम नोवल कोरोनावायरस SARS-CoV-2 और अन्य उभरते पैथोजंस के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय प्रणाली की स्थापना में योगदान करने में मदद करेगा।

पैथोजंस:

परिभाषा:

 पैथोजन एक जैविक एजेंट होता है जो बीमारी का कारण बनता है। ज़ूनोटिक पैथोजन जानवरों और मनुष्यों के बीच स्वाभाविक रूप से संचिरत पैथोजन को संदर्भित करता है।

पैथोजंस के प्रकार:

- वायरसः
 - वायरस आनुवंशिक कोड के एक टुकड़े से बने होते हैं, जैसे- डीएनए या आरएनए और प्रोटीन के एक लेप द्वारा संरक्षित होते हैं। वायरस शरीर के भीतर मेजबान कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। फिर वे मेजबान कोशिकाओं के घटकों का उपयोग पुनर्निर्माण और अधिक वायरस पैदा करने में करते हैं।
 - ◆ वायरस के कारण होने वाली बीमारियाँ: चिकनपॉक्स, फ्लू (इन्फ्लूएंजा), कोविड-19, ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (HIVवी/ एड्स), कंठमाला, खसरा और रूबेला।

- बैक्टीरियाः
 - ♦ बैक्टीरिया एक कोशिका से बने सूक्ष्मजीव हैं। ये बहुत विविध हैं, इनके विभिन्न प्रकार के आकार और विशेषताएँ हैं तथा शरीर के अंदर और बाहर लगभग किसी भी वातावरण में रहने की क्षमता रखते हैं।
 - ♦ बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के उदाहरण: हैजा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, प्लेग, सिफलिस, एंथ्रेक्स आदि।
- कवकः
 - ◆ कवक पर्यावरण में लगभग हर जगह पाया जाता है, जो कि घर के अंदर, बाहर और मानव त्वचा पर भी हो सकता है। अधिक होने पर ये संक्रमण का कारण बनते हैं।
 - फंगल संक्रमण के उदाहरण: म्युकोर्मिकोसिस, सफेद कवक, पीला कवक।
- परजीवी:
 - परजीवी ऐसे जीव हैं जो छोटे जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, ये एक मेजबान में या उस पर आश्रित रहते हैं। परजीवी संक्रमण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक आम है, हालाँकि वे कहीं भी हो सकते हैं।
 - 🔷 परजीवी के कारण होने वाले रोग: मलेरिया, अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, बेबियोसिस, लीशमैनियासिस और टोक्सोप्लाज्मोसिस आदि।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध:

यह किसी भी सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी, आदि) द्वारा रोगाणुरोधी दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइरियल और एंटीहेल्मंटिक्स) के विरुद्ध प्राप्त प्रतिरोध है जिन्हें संक्रमण के इलाज के लिये उपयोग किया जाता है।

22 डिग्री सर्कुलर हेलो

हाल ही में बंगलूरू में कुछ क्षणों के लिये सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा गया, जो कि एक दुर्लभ ऑप्टिकल और वायुमंडलीय घटना थी, जिसे '22 डिग्री सर्कुलर हेलो' कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु

- यह घटना लोकप्रिय रूप से '22 डिग्री सर्कुलर हेलो' (जिसे मून रिंग या विंटर हेलो भी कहा जाता है) के रूप में जानी जाती है और यह मुख्यत: तब देखी जाती है जब सूर्य या चंद्रमा की किरणें पक्षाभ मेघों में मौजूद हेक्सागोनल बर्फ के क्रिस्टल के माध्यम से विक्षेपित/अपवर्तित होती हैं।
 - ♦ इसे 'कलाइडोस्कोप प्रभाव' (Kaleidoscopic Effect) के रूप में जाना जाता है।
- इन्हें '22 डिग्री हेलो' कहा जाता है, क्योंकि हेलो या वलय में सूर्य/चंद्रमा के चारों ओर 22 डिग्री की स्पष्ट त्रिज्या होती है।
- सर्कुलर हेलो विशेष रूप से पक्षाभ मेघों द्वारा निर्मित होते हैं। इन बादलों का निर्माण 20,000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर वातावरण में बहुत ऊपर होता है।
- हेलो भी एक इंद्रधनुष की तरह समकोण से देखने पर दिखाई देता है, कभी-कभी यह सिर्फ सफेद दिखाई देता है, लेकिन अक्सर इसमें स्पेक्ट्रम के रंग भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं।
 - वृत्ताकार डिस्क के भीतरी किनारे पर हेलो सबसे चमकीला होता है और डिस्क के अंदर कोई प्रकाश नहीं होता है, क्योंिक छोटे कोणों
 पर कोई प्रकाश अपवर्तित नहीं होता है।
 - लाल प्रकाश, प्रकाश के अन्य रंगों की तुलना में कम अपवर्तित होता है, इसलिये हेलो का भीतरी किनारा लाल रंग का होता है। अन्य रंग आमतौर पर आपस में मिक्स होते रहते हैं।

ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद 'यलो फंगस' के बढ़ते मामले चिंता का विषय बन गए हैं।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- यलो फंगस, जिसे 'म्यूकर सेप्टिक' भी कहा जाता है, प्राय: शुरू में वातावरण में फफूँद (एक प्रकार का कवक) की उपस्थिति से विकसित होता है।
 - इसकी उपस्थिति में अनावश्यक थकान, चकत्ते, त्वचा पर जलन आदि समस्याएँ हो सकती हैं।
 - ♦ 30-40% से कम आर्द्रता का स्तर कवक के विकास को बढ़ावा दे सकता है।
- इसकी शुरुआत प्राय: फेफड़ों से नहीं होती है, किंतु यह शरीर के आंतरिक अंगों पर हमला करता है और शरीर की संपूर्ण कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है।

संभावित कारण

- स्टेरॉयड का लंबे समय तक उपयोग, दूषित वातावरण, अनियंत्रित मधुमेह, अस्वास्थ्यकर आदतें, कम प्रतिरक्षा, सहरुग्णताएँ।
- कोविड-19 के उपचार में स्टेरॉयड और इम्यूनोसप्रेसेन्ट शामिल हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करते हैं।

- वजन कम होना, भूख कम लगना, सुस्ती 'यलो फंगस संक्रमण' के सामान्य लक्षण हैं।
- यदि समय पर पता नहीं लगाया जाए तो मवाद रिसाव, धँसी हुई आँखें, अंग विफलता, घावों का धीमा उपचार और नेक्रोसिस (जीवित ऊतकों में कोशिकाएं समय से पहले मर जाती हैं) सहित लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं।

उपचार:

अब तक यलो फंगस संक्रमण के लिये एकमात्र ज्ञात उपचार एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है, जो एक एंटिफंगल दवा है जिसका उपयोग ब्लैक फंगस संक्रमण के इलाज के लिये भी किया जा रहा है।

बचाव:

स्वच्छता बनाए रखना, बासी भोजन का सेवन न करना, कमरे में नमी को नियंत्रण में रखना आदि।

ब्लैक फंगस:

म्यूकोर्मिकोसिस, जिसे पहले जाइगोमाइकोसिस के रूप में जाना जाता था और कभी-कभी ब्लैक फंगस के रूप में जाना जाता है। यह आम तौर पर सांस लेने, दूषित भोजन खाने या खुले घाव के माध्यम से फैलता है।

व्हाइट फंगस:

व्हाइट फंगस या कैंडिडिआसिस एक कवक संक्रमण है जो कैंडिडा नामक खमीर (एक प्रकार का कवक) के कारण होता है।



मृणाल सेन

14 मई, 2021 को देश के मशहूर फिल्म निर्माता मृणाल सेन की 98वीं जयंती मनाई गई। मृणाल सेन का जन्म 14 मई, 1923 को अविभाजित भारत के फरीदपुर शहर (वर्तमान बांग्लादेश) में हुआ था। मृणाल सेन ने कलकत्ता के एक फिल्म स्टूडियो में ऑडियो टेक्नीशियन के रूप में की थी। मृणाल सेन ने अपनी पहली फीचर फिल्म वर्ष 1953 में बनाई थी। वर्ष 1958 में निर्मित उनकी फिल्म 'नील आकाशेर नीचे' (अंडर द ब्लू स्काई) स्वतंत्र भारत में प्रतिबंधित पहली भारतीय फिल्म थी। उन्होंने अधिकांशत: बंगाली और हिंदी में फिल्मों का निर्देशन किया। कला और फिल्म के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मभूषण से, फ्राँस की सरकार द्वारा 'ऑई डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स' से और रूस की सरकार द्वारा उन्हें 'ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप' से सम्मानित किया गया। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। भारतीय सिनेमा में 'न्यू सिनेमा' आंदोलन को शुरू करने वाले मृणाल सेन स्वयं को 'निजी मार्क्सवादी' के रूप में परिभाषित करते थे। 30 दिसंबर, 2018 को हृदय आघात के चलते 95 वर्ष की आयु में कोलकाता में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख फिल्मों में- भुवन शोम, एक दिन प्रतिदिन, मृगया और आकाश कुसुम आदि शामिल हैं।

शहीद सुखदेव

15 मई, 2021 को देश भर में प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी शहीद सुखदेव की जयंती मनाई गई। सुखदेव (1907-1931) उन प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ;महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुखदेव का जन्म 15 मई, 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। अपने बचपन के दिनों में ही सुखदेव ने भारत पर ब्रिटिश राज द्वारा किये गए क्रूर अत्याचारों को देखा था, जिसने उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिये प्रेरित किया। सुखदेव, हिंदुस्तान सोशितस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य थे। उन्होंने अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के साथ लाहौर में 'नौजवान भारत सभा' की भी शुरुआत की, जिसका प्राथमिक लक्ष्य युवाओं के बीच सांप्रदायिकता को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिये प्रेरित करना था। सुखदेव, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के सहयोगी थे, जो कि वर्ष 1928 में पुलिस उपाधीक्षक, जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे। नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल बम विस्फोट (8 अप्रैल, 1929) के बाद, सुखदेव और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके अपराध के लिये उन्हें दोषी ठहराया गया एवं मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च, 1931 को तीन बहादुर क्रांतिकारियों- भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फॉर्सी दे दी गई। हालाँकि उनके जीवन ने अनिगनत युवाओं को प्रेरित किया और उनकी मृत्यु ने इन्हें एक मिसाल के रूप में कायम किया।

विश्व कृषि-पर्यटन दिवस

16 मई, 2021 को देश भर में 14वें विश्व कृषि-पर्यटन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विश्व कृषि-पर्यटन दिवस का लक्ष्य कृषि और पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत कर किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। इस वर्ष विश्व कृषि-पर्यटन दिवस की थीम है- 'कृषि पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण महिला सतत् उद्यमिता के अवसर'। कृषि पर्यटन का आशय पर्यटन के उस रूप से है, जिसमें ग्रामीण संस्कृति को पर्यटक आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह पारिस्थितिकी पर्यटन के समान ही होता है, यद्यिप इसमें प्राकृतिक परिदृश्य के बजाय सांस्कृतिक परिदृश्य को शामिल किया जाता है। विशेषज्ञों की मानें तो कृषि पर्यटन में कृषि आय बढ़ाने और एक गतिशील, विविध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करने की महत्त्वपूर्ण क्षमता है। कई विकसित देशों में कृषि पर्यटन, पर्यटन उद्योग का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसे कृषि तथा संबद्ध व्यवसाय के मूल्यवर्द्धन के रूप में देखा जा सकता है, जो किसानों और ग्रामीण समुदायों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की बहु-क्रियाशील प्रकृति के इष्टतम लाभों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। महाराष्ट्र, देश में कृषि पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र में वर्ष 2005 में कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कृषि पर्यटन विकास निगम (ATDC) का गठन किया गया था।

'कोवैक्स' पहल में शामिल होगा पंजाब

हाल ही में पंजाब सरकार ने कोविड-19 टीकों की कमी को देखते हुए वैश्विक 'कोवैक्स' (Covax) सुविधा में शामिल होने की घोषणा की है, हालाँकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पंजाब, 'कोवैक्स' के माध्यम से वैक्सीन प्राप्त करने के लिये पात्र है अथवा नहीं। 'कोवैक्स' की शुरुआत कोविड-19 महामारी से निपटने और सुभेद्य तथा वंचित वर्ग तक वैक्सीन की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय आयोग और फ्राँस के सहयोग से की गई थी। 'कोवैक्स' का सह-नेतृत्व गावी, WHO और 'कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशन्स' (CEPI) द्वारा किया जा रहा है। 'कोवैक्स' पहल के तहत वैक्सीन के विकास के पश्चात् इस पहल में शामिल सभी देशों तक इसकी समान पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही इसके तहत वर्ष 2021 के अंत तक 2 बिलियन खुराक के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो अनुमानत: उच्च जोखिम और सुभेद्य लोगों तथा इस महामारी से निपटने के लिये तैनात स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त होगा। 'कोवैक्स' पहल के तहत अब तक 122 देशों को 59 मिलियन वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस

प्रतिवर्ष 16 मई को विश्व भर में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। प्रकाश हमारे जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सबसे बुनियादी स्तर पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश ही जीवन के मूल में है। प्रकाश के अध्ययन ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, नैदानिक प्रौद्योगिकी और उपचार में जीवन रक्षक चिकित्सा पद्धित एवं लाइट-स्पीड इंटरनेट और इसी प्रकार की अन्य खोजों से समाज में क्रांति ला दी है तथा ब्रह्मांड के प्रति हमारी समझ को महत्त्वपूर्ण आकार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस एक वार्षिक पहल है, जिसका उद्देश्य आम जनमानस के दैनिक जीवन में प्रकाश-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन वर्ष 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन को चिह्नित करने के लिये मनाया जाता है। पहला सफल लेजर संचालन 'थियोडोर मैमन' नामक एक अमेरिकी इंजीनियर एवं भौतिक विज्ञानी द्वारा किया गया था। यह दिवस वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने और शांति एवं सतत् विकास को बढ़ावा देने हेतु 'प्रकाश' की क्षमता के दोहन का आह्वान करता है। इस दिवस को यूनेस्को के 'इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम' (IBSP) से प्रशासित किया जाता है। प्रकाश विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों की उपलब्धियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने सर्वप्रथम वर्ष 2015 में 'प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का अंतर्राष्ट्रीय' वर्ष मनाया था, इसके पश्चात् वर्ष 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आयोजित किया गया।

'सिमोर्ग' सुपर कंप्यूटर

ईरान ने अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर 'सिमोर्ग' (Simorgh) का अनावरण किया है, जिसे तेहरान के अमीरकबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ATU) द्वारा घरेलू रूप से विकसित किया गया है। ईरान ने अपने इस सुपर कंप्यूटर का नाम एक पौराणिक फारसी पक्षी के नाम पर रखा है और इस कंप्यूटर में वर्तमान में 0.56 पेटाफ्लॉप की प्रदर्शन क्षमता मौजूद है, वहीं आगामी दो माह में इसकी क्षमता 1 पेटाफ्लॉप तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा यह सुपर कंप्यूटर विकास के अगले चरण में 10 पेटाफ्लॉप की क्षमता तक पहुँच सकेगा। ईरान के मुताबिक, इस सुपर कंप्यूटर को पूरी तरह से ईरान के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा डिज्ञाइन और निर्मित किया गया था, जिन्होंने एक दशक पूर्व भी देश के पहले सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। इस सुपर कंप्यूटर का उद्देश्य ईरान की कंपनियों को एक विश्वसनीय डिजिटल बुनियादी अवसंरचना प्रदान करना है, जिसमें विशेष तौर पर निजी फार्मों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही इस कंप्यूटर का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैफिक स्वचालन, मौसम संबंधी डेटा और इमेज प्रोसेसिंग आदि के लिये भी किया जाएगा।

विश्व दुरसंचार और सूचना समाज दिवस

प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व भर में 'विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (ITC) के उपयोग से समाज तथा अर्थव्यवस्थाओं में लाए जाने वाले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को 'विश्व सूचना समाज दिवस' और 'विश्व दूरसंचार समाज दिवस' के समामेलन के रूप में आयोजित किया जाता है। 'विश्व दूरसंचार समाज दिवस' अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की स्थापना तथा वर्ष 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर को चिह्नित करता है, जबिक 'विश्व सूचना समाज दिवस' 'वर्ल्ड सिमट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसायटी' (WSIS) द्वारा रेखांकित ITC के महत्त्व और सूचना समाज से संबंधित व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने दोनों दिवसों को संयुक्त तौर पर प्रतिवर्ष एक साथ आयोजित करने का निर्णय किया था। वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम है- 'चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को गित देना', जो कि मौजूदा कोरोना वायरस महामारी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अवसंरचना में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने पर केंद्रित है।

नीरा टंडन

भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिज्ञ नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपित जो बाइडेन की विरष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीरा टंडन वर्तमान में अमेरिका के प्रगतिशील थिंक-टैंक, सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस (CAP) की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यरत हैं। नीरा टंडन इससे पूर्व अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग में स्वास्थ्य सुधारों हेतु विरष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। नीरा टंडन ने अपने राजनीतिक कॅरियर की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपित बिल क्लिंटन के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में घरेलू नीति के लिये एक सहयोगी निदेशक और अमेरिका की 'फर्स्ट लेडी' की विरष्ठ नीति सलाहकार के रूप में की थी। नीरा टंडन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और येल लॉ स्कुल से कानून की पढ़ाई की है।

संवेदना' हेल्पलाइन

कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (NCPCR) द्वारा 'संवेदना' हेल्पलाइन के माध्यम से बच्चों को टेली-परामर्श की सुविधा प्रदान की जा रही है। 'संवेदना' (SAMVEDNA) का आशय 'सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेससरी एक्सप्टेंस' से है। इस टोल-फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को मनो-सामाजिक मानसिक सहायता प्रदान करने के लिये की गई है। 'संवेदना' टेली-परामर्श सेवा महामारी के दौरान बच्चों का तनाव, चिंता, भय और अन्य समस्याओं को दूर कर उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से गठित की गई है। बच्चों को कुल तीन श्रेणियों में टेली-परामर्श की सुविधा प्रदान की जाती है: (1) जो बच्चे क्वारंटाइन/आइसोलेशन/कोविड केयर सेंटर में हैं, (2) जिन बच्चों के माता-पिता या परिवार के सदस्य या अन्य कोई करीबी जो कोविड-19 से संक्रमित है अथवा (3) जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी की वजह से अपने माता-पिता को खो दिया है। यह टोल-फ्री टेली-परामर्श सुविधा देश भर के बच्चों को तिमल, तेलुगू, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करती है। 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' एक वैधानिक इकाई है और भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करती है।

वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021

17 मई, 2021 को 'वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021' को लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम 'संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सहयोग' द्वारा समन्वित और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित किये जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गित प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस दुनिया भर के व्यक्तियों, सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, निगमों और अन्य संगठनों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऐसे बदलाव करने के लिये एक साथ लाता है तािक सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या में कमी की जा सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2007 में की गई थी। इस सप्ताह के दौरान वर्ष 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों की संख्या को आधा करने के लक्ष्य के साथ 'सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक 2021-2030' की भी आधिकारिक शुरुआत की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, सड़क दुर्घटनाओं के कारण विश्व भर में होने वाली कुल मौतों में से 11% मौतें भारत में होती हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है।

कृषि निर्यात सुविधा केंद्र

'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' (नाबार्ड) के सहयोग से 'महराट्टा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (MCCIA) द्वारा भारत के पहले 'कृषि निर्यात सुविधा केंद्र' को लॉन्च गया है। यह सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिये वन-स्टॉप-शॉप के रूप में काम करेगा। यह केंद्र संभावित निर्यातकों को कीटनाशक अवशेष प्रबंधन, संभावित आयात करने वाले देशों को वरीयता, उनके उत्पाद की पसंद, गुणवत्ता मानकों, निर्यात उन्मुख उत्पादन हेतु बाग प्रबंधन, कटाई के समय और तरीके, उत्पादन तकनीक, ग्रीनहाउस उत्पादन, पैकेजिंग तथा हवाई अड्डे एवं बंदरगाह पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया आदि के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साथ ही यह केंद्र कृषि निर्यात से संबंधित पहलुओं पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का भी आयोजन करेगा। यह केंद्र एक 'नॉलेज बैंक' भी विकसित करेगा, जहाँ निर्यात के विभिन्न पहलुओं और गतिविधियों से संबंधित ज्ञान, सूचना एवं डेटा आदि को एकत्र किया जाएगा। यह संभावित निर्यातकों को 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (एपीडा) की योजनाओं के बारे जागरूक करेगा तथा एपीडा की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही यह कृषि निर्यात प्रोत्साहन संबंधी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जागरूकता बढ़ाएगा।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस

प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों में उच्च रक्तचाप के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना और इसकी गंभीरता को देखते हुए लोगों को इसे नियंत्रित करने के लिये प्रोत्साहित करना है। विदित हो कि शरीर में ऑक्सीजन और ऊर्जा के प्रवाह के लिये रक्त शोधन करना हृदय का प्रमुख कार्य है और धमनियों के ज़रिये रक्त के प्रवाह के लिये दबाव की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि रक्त प्रवाह का यह दबाव सामान्य से अधिक होता है, तो यह धमनियों की दीवार पर अतिरिक्त तनाव डालता है। इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) कहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में प्रत्येक पाँच में से दो वयस्क उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं। उच्च रक्तचाप दुनिया भर में असामयिक मृत्यू का एक प्रमुख कारण है। उच्च रक्तचाप की गंभीरता को देखते हुए इसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है।

तरल ऑक्सीजन का कम दबाव वाले ऑक्सीजन में परिवर्तन

हाल ही में सेना के इंजीनियरों ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की सहायता के लिये तरल ऑक्सीजन को कम दबाव वाले ऑक्सीजन में परिवर्तित करने हेतु एक नई विधि खोजी है। वर्तमान में ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक टैंकों में तरल रूप में ले जाया जाता है, जिसकी वजह से तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस में बदलने और रोगियों के बेड तक उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना सभी अस्पतालों के लिये एक प्रमुख चुनौती थी। ऐसे में भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा की गई खोज इस चुनौती से निपटने में काफी मददगार साबित होगी। यह प्रणाली आर्थिक रूप से कम लागत वाली है और संचालित करने के लिये सुरक्षित है क्योंकि यह पाइपलाइन या सिलेंडर में उच्च गैस दबाव को कम करती है और इसे संचालित करने के लिये किसी प्रकार की बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता भी नहीं होती है। ज्ञात हो कि भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा यह विधि 'वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद' (CSIR) तथा 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (DRDO) के सहयोग से विकसित की गई है। सीधे कोविड-19 संक्रमित रोगी के बेड पर अपेक्षित दबाव और तापमान पर ऑक्सीजन की निरंतर पहुँच सनिश्चित करने के लिये समूह ने छोटी क्षमता (250 लीटर) के एक स्व-दबाव वाले तरल ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया और इसे विशेष रूप से डिजाइन किये गए वेपोराइजर के माध्यम से संसाधित किया, जिसे प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जा सकता है।

राजस्थान में 'म्युकरमाइकोसिस' महामारी घोषित

राजस्थान में 'ब्लैक फंगस' यानी 'म्युकरमाइकोसिस' को महामारी (Epidemic) घोषित किया गया है। राज्य में इस बीमारी के मामलों की संख्या लगातार बढ रही है। यह मुख्य रूप से कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 के तहत 'ब्लैक फंगस' को एक महामारी और गंभीर बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और अधिकारियों के लिये राज्य में 'ब्लैक फंगस' अथवा 'म्युकरमाइकोसिस' के प्रत्येक मामले की रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। यह कदम 'ब्लैक फंगस' और कोरोना वायरस के एकीकृत एवं समन्वित उपचार को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। 'ब्लैक फंगस' यानी 'म्युकरमाइकोसिस' एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है। यह म्युकरमायसिटिस (Mucormycetes) नामक फफूँद (Molds) के कारण होता है, जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हैं या वे ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं, जो कीटाणुओं और बीमारी से लडने की शरीर की क्षमता को कम करती हैं। इसके अलावा डायबिटीज/मधुमेह से पीडित लोगों को भी 'ब्लैक फंगस' संक्रमण का खतरा अधिक होता है।

COP26 पीपल्स एडवोकेट

इस वर्ष नवंबर में ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में 'संयुक्त राष्ट्र जलवाय परिवर्तन शिखर सम्मेलन' के दौरान ब्रिटेन की अध्यक्षता के लिये विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को 'COP26 पीपल्स एडवोकेट' नामित किया गया है। प्रसिद्ध संरक्षणवादी सर डेविड एटनबरो को वैश्विक नेताओं, प्रमुख निर्णय निर्माताओं और आम जनता को जलवायु कार्रवाई के महत्त्व के प्रति जागरूक करने, मौजूदा प्रगति पर वार्ता करने और COP26 के दौरान लिये जाने वाले निर्णयों और कार्रवाइयों को उजागर करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा 'COP26 पीपल्स एडवोकेट' के रूप में 95 वर्षीय डेविड एटनबरो आगामी छह माह में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे, जिसमें जून में कॉर्नवल (इंग्लैंड) में आयोजित होने वाला G7 शिखर सम्मेलन भी शामिल है, ताकि जलवायु और प्रकृति की रक्षा संबंधी मुद्दे को वैश्विक एजेंडे में प्राथमिक स्थान दिया जा सके।

नीलम संजीव रेड्डी

19 मई, 2021 को उपराष्ट्रपित एम. वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपित नीलम संजीव रेड्डी को उनकी पुण्यितिथ पर श्रद्धांजिल अर्पित की। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई, 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले के इलूर गाँव में हुआ था। वे महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। वर्ष 1937 में वे आंध्र प्रांतीय कॉन्ग्रेस सिमित (APCC) के सबसे कम उम्र के सिचव बने। वर्ष 1940-45 के दौरान उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिये कई बार कारावास भेजा गया। रेड्डी का विधायी कॅरियर वर्ष 1946 में तब शुरू हुआ जब वे मद्रास विधानसभा के लिये चुने गए और मद्रास कॉन्ग्रेस विधायक दल के सिचव बने। उन्होंने वर्ष 1956-60 और 1962-64 में नवगठित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 25 जुलाई, 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध रूप से देश का छठा राष्ट्रपित चुन लिया गया, और इसी के साथ वे देश के सबसे कम आयु (64 वर्ष) के राष्ट्रपित भी बने। वर्ष 1996 में 83 वर्ष की आयु में डॉ. नीलम संजीव रेड्डी का उनके पैतृक स्थान पर निधन हो गया।

विश्व मेट्रोलॉजी दिवस

अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली की आवश्यकता और महत्त्व को रेखांकित करने के लिये प्रतिवर्ष 20 मई को वैश्विक स्तर पर विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का आयोजन किया जाता है। ज्ञात हो कि विश्व के कुल 17 देशों के प्रतिनिधियों ने 20 मई, 1875 को 'मीटर कन्वेंशन' या 'कन्वेंशन ड्यू मेत्रे' पर हस्ताक्षर किये थे, जिसके परिणामस्वरूप 'इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर' (BIPM) का गठन किया गया था। इस कन्वेंशन ने मेट्रोलॉजी और इसके औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सामाजिक अनुप्रयोगों में वैश्विक सहयोग के लिये रूपरेखा निर्धारित की। वर्ष 2021 के लिये विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की थीम है- 'मीजरमेंट ऑफ हेल्थ'। यह थीम स्वास्थ्य मापन की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। मेट्रोलॉजी जिसे माप का विज्ञान भी कहा जाता है, वैज्ञानिक खोज और नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं औद्योगिक निर्माण, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने तथा वैश्वक पर्यावरण की रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस को 'इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर' (BIPM) और 'इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी' (OIML) द्वारा संयुक्त तौर पर आयोजित किया जाता है।

'ए-76' आइसबर्ग

हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ का एक विशाल टुकड़ा अलग होकर दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल बन गया है। 'ए-76' नामक लगभग 1,700 वर्ग मील लंबा यह हिमखंड रोड आइलैंड (अमेरिका) से भी बड़ा है। यह आइसबर्ग अब वेडेल सागर में मौजूद है। वैज्ञानिकों की मानें तो इस तरह बनने वाले हिमखंड एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं हुआ है। किंतु वैज्ञानिकों के लिये इस आइसबर्ग को ट्रैक करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह वेडेल सागर में नेविगेट करने वाले जहाजों के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है और अंटार्कटिका को अधिक व्यापक रूप से समझने में भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। यह लगभग 1,668 वर्ग मील (4,320 वर्ग किलोमीटर) लंबा है, जो इसे 'A23a' हिमखंड से भी बड़ा बनाता है। 'A23a' हिमखंड का निर्माण वर्ष 1986 में हुआ था और जनवरी में इसका कुल क्षेत्रफल 1,500 वर्ग मील (4,000 वर्ग किलोमीटर) से अधिक था। हिमशैल का आशय बर्फ के उस टुकड़े से होता है जो ग्लेशियरों या शेल्फ बर्फ से टूटकर पानी में तैरने लगता है। नए हिमखंड का अध्ययन करके शोधकर्त्ता अंटार्कटिका की बर्फ की समग्र स्थित को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होंगे। 'B15' नामक अब तक का सबसे बड़ा हिमशैल मार्च 2000 में रॉस आइस शेल्फ से टूटा था, जिसकी कुल लंबाई लगभग 4,200 वर्ग मील (11,000 वर्ग किलोमीटर) से अधिक थी।

आईएनएस राजपूत

तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा निर्मित काशीन-श्रेणी (Kashin-Class) के विध्वंसक जहाज 'आईएनएस राजपूत' को हाल ही में डि-कमीशन किया गया है। रूसी निर्मित इस जहाज को 4 मई, 1980 को कमीशन किया गया था। जहाज ने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कई राष्ट्रीय अभियानों में हिस्सा लिया है। इसने श्रीलंका में लिट्टे के विरुद्ध 'भारतीय शांति सेना' अभियानों में, इसके अलावा इसने मालदीव तट पर वर्ष 1988 में ऑपरेशन 'कैक्टस' में भी हिस्सा लिया था। 'आईएनएस राजपूत' तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा निर्मित काशीन-श्रेणी के विध्वंसक जहाजों में से एक है, जिसे 4 मई, 1980 को कमीशन किया गया था और इसने भारतीय नौसेना को 41 वर्षों से अधिक समय तक सेवा प्रदान की।

रूस-चीन परमाणु परियोजना

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग को बढ़ावा देते हुए चीन में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से चार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण हेतु अब तक की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना को लॉन्च किया है। तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्वी जियांगसू प्रांत के लियानयुंगंग शहर में स्थित है। चीन और रूस ने संयुक्त रूप से चार परमाणु ऊर्जा इकाइयों का निर्माण करने के लिये जून 2018 में परमाणु ऊर्जा पर समझौतों के एक रणनीतिक पैकेज पर हस्ताक्षर किये थे, जो दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका कुल मूल्य 20 बिलियन युआन (लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक है। परियोजना पूरी हो जाने पर पर चारों इकाइयों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम करने की उम्मीद है।

एंटी-टेररिज़्म दिवस

प्रतिवर्ष 21 मई को देश भर में एंटी-टेरिएन्म दिवस अथवा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को स्मरण करना है। इस वर्ष राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। एंटी-टेरिएन्म दिवस का लक्ष्य आम लोगों में हिंसा और आतंकवाद के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर युवाओं को आतंकवाद के विरुद्ध जागरूक करने तथा उन्हें मानव पीड़ा एवं मानव जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। एंटी-टेरिएन्म दिवस के अवसर पर देश भर के विभिन्न हिस्सों में उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवत: दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में किसी सरकार का नेतृत्व किया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, 1944 को बम्बई (मुंबई) में हुआ था। विज्ञान में रुचि रखने वाले राजीव गांधी वर्ष 1984 में अपनी माँ की हत्या के पश्चात् कॉन्प्रेस अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने और वर्ष 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 21 मई, 1991 को चेन्नई में एक रैली के दौरान अलगाववादी संगठन लिट्टे की महिला सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी।

'कॉर्प्स फ्लावर'

अमेरिका के 'सैन फ्रांसिस्को' में तकरीबन 10 वर्ष बाद 'कॉर्प्स फ्लावर' नामक दुर्लभ फूल खिला है। 'कॉर्प्स फ्लावर' को इसके वैज्ञानिक नाम अमोर्फोफैलस टाइटेनम से भी जाना जाता है और यह अति-दुर्लभ पौधा प्रत्येक सात से दस वर्ष में केवल एक बार खिलता है। 'कॉर्प्स फ्लावर' को दुनिया में सबसे बड़ा भी माना जाता है। 'कॉर्प्स फ्लावर' मूलतः इंडोनेशिया में सुमात्रा के वर्षावनों में पाया जाता है। लगभग एक दशक में 'कॉर्प्स फ्लावर' 10 फीट तक लंबा हो सकता है और इसमें दो प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें पहली गहरे लाल रंग की पंखुड़ी जिसे 'स्पैथ' के रूप में जाना जाता है और दूसरी एक पीले रंग की छड़, जिसे 'स्पैडिक्स' के रूप में जाना जाता है। इसे वर्तमान मौजूद पौधों में सबसे बड़ा माना जाता है और कभी-कभी इसका वजन लगभग 100 किलोग्राम तक हो सकता है। औसत 'कॉर्प्स फ्लावर' का जीवनकाल लगभग तीन-चार दशकों का होता है। यद्यपि इंडोनेशियाई 'कॉर्प्स फ्लावर' की खेती वर्षों से दुनिया भर में की जाती रही है, किंतु फसलों और लकड़ी के लिये वनों की कटाई के कारण इसकी संख्या सुमात्रा के अपने मूल स्थान तक सीमित होती जा रही है। इसे 'इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर' (IUCN) द्वारा वर्ष 2018 में लुप्तप्राय पौधे के रूप में सुचीबद्ध किया गया था।

निधि4कोविड2.0

देश में कोविड-19 महामारी की चुनौतीपूर्ण दूसरी लहर से निपटने के लिये स्टार्टअप-संचालित समाधानों का समर्थन करने के लिये त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में केंद्र सरकार ने नई तकनीकों और नवीन उत्पादों के विकास हेतु भारतीय स्टार्टअप तथा कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा इस संबंध में 'निधि4कोविड2.0' (NIDHI4COVID2.0) पहल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये योग्य भारत-पंजीकृत स्टार्टअप और ऑक्सीजन नवाचार, पोर्टेबल समाधान, प्रासंगिक चिकत्सा सहायक उपकरण, नैदानिक, सूचना विज्ञान या किसी अन्य समाधान के प्रमुख क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण समाधान पेश करने वाली कंपनियों का वित्तपोषण करना है। यह पहल 'राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड' (NSTEDB), 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' (DST) तथा भारत सरकार का एक विशेष अभियान है, जो वर्तमान स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिये स्वदेशी समाधानों का समर्थन करता है।

मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 'मिशन ऑक्सीजन आत्मिनर्भरता' योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इस पहल का लक्ष्य राज्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, धुले, नंदुरबार, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग क्षेत्रों में स्थापित इकाइयाँ अपने अचल पूंजी निवेश के 150 प्रतिशत तक प्रोत्साहन के लिये पात्र होंगी और शेष महाराष्ट्र में स्थापित इकाइयाँ 100 प्रतिशत तक सामान्य प्रोत्साहन के लिये पात्र होंगी। इन प्रोत्साहनों के साथ जल्द ही ऑक्सीजन आत्मिनर्भर राज्य बनने के लिये विनिर्माण और भंडारण को बढ़ाकर महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत किये जाने की उम्मीद है।

एम. एस. नरसिम्हन

हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ 'मुटुंबई शेषचुलु नरिसम्हन' का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे एक विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्होंने विविध गणितीय क्षेत्रों जैसे- बीजगणितीय ज्यामिति, डिफरेंशियल ज्यामिति, रिप्रजेंटेशन ध्योरी और पार्शियल डिफरेंशियल समीकरणों में मौलिक योगदान दिया। 07 जून, 1932 में उत्तरी तिमलनाडु के तंदराई गाँव में जन्मे एम. एस. नरिसम्हन को अपने स्कूल के दिनों से ही गणित में गहरी दिलचस्पी थी। प्रोफेसर एम. एस. नरिसम्हन को नरिसम्हन-शेषाद्री ध्योरम के प्रमाण के लिये जाना जाता था। एम. एस. नरिसम्हन ने वर्ष 1953 में 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च' (TIFR) से गणित में पी.एच.डी की और वे अपने कॅरियर में लंबे समय तक 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च' के गणित विभाग से जुड़े रहे। इसके पश्चात् वे वर्ष 1992-1999 तक इटली के 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स' में गणित समूह के प्रमुख थे और फिर वे बंगलुरू चले गए। उन्होंने वर्ष 1975 में एस.एस. भटनागर पुरस्कार, वर्ष 1987 में गणित के लिये 'थर्ड वर्ड अकादमी' पुरस्कार, वर्ष 1990 में पद्म भूषण, वर्ष 2006 में रॉयल सोसाइटी के फेलो और विज्ञान के लिये 'किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार' जीता था।

विश्व कछुआ दिवस

प्रतिवर्ष 23 मई को 'विश्व कछुआ दिवस' (World Turtle Day) का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य कछुओं एवं उनके आवास के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 2000 के बाद से प्रत्येक वर्ष एक अमेरिकी गैर-लाभकारी संगठन 'अमेरिकन टारटाईज रेसक्यु' (ATR) द्वारा 'विश्व कछुआ दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस गैर-लाभकारी संगठन को वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था। इस वर्ष 'विश्व कछुआ दिवस' की 21वीं वर्षगाँठ है। माना जाता है कि यह जीव 200 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर के समय से मौजूद है। पूरी दुनिया में कछुओं की कुल 300 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 129 प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं। वे दुनिया के सबसे पुराने सरीसृप समूहों में से एक हैं, जो साँपों और मगरमच्छों से भी पुराने हैं। ज्ञात हो कि कछुए मीठे पानी या खारे पानी दोनों में रह सकते हैं। भारत में कछुए की कुल पाँच प्रजातियाँ मौजूद हैं, ये हैं- ओलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदरबैक। IUCN की रेड सूची में 'हॉक्सबिल' कछुए को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' तथा ग्रीन टर्टल को 'लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना

उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को उन बच्चों की देखभाल के लिये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता या परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। इस योजना के तहत सरकार इन बच्चों के लिये 21 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। योजना के प्रावधानों के अनुसार उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि जब तक वे बच्चे वयस्क नहीं हो जाते, तब तक पैतृक संपत्ति में उनका हिस्सा नहीं बेचा जा सकता है। साथ ही ऐसे बच्चों को उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अधिकारियों को ऐसे बच्चों की जल्द-से-जल्द सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड से पहले कई अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, जिनमें आंध्र प्रदेश, पंजाब और दिल्ली आदि शामिल हैं, ने भी ऐसी योजनाओं की घोषणा की है।

पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने-माने संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। संस्कृत के विद्वान और किव पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी का जन्म 22 अगस्त, 1935 को मध्य प्रदेश में हुआ था और संस्कृत के क्षेत्र में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वाराणसी से पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा प्रणालियों दोनों में संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन किया तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्याचार्य की उपाधि एवं संस्कृत में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात् उन्होंने वर्ष 1965 में रिवशंकर विश्वविद्यालय (रायपुर) से पी.एच.डी. की डिग्री हासिल की। उनकी प्रमुख रचनाओं में दो संस्कृत महाकाव्य-सीताचिरतम एवं स्वातंत्र्यसंभवम् शामिल हैं। उन्हें उनके दूसरे महाकाव्य 'स्वातंत्र्यसंभवम्' के लिये वर्ष 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह महाकाव्य झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समय से लेकर स्वतंत्रता के बाद की घटनाओं तक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को चित्रित करता है। संस्कृत भाषा और साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए उन्हां भारतीय राष्ट्रपति से सम्मान प्रमाण पत्र, भारतीय भाषा परिषद द्वारा कल्पावली पुरस्कार (1993), के.के. बिरला फाउंडेशन द्वारा वाचस्पित पुरस्कार (1997) और आर.जे. डालिमया श्रीवेणी ट्रस्ट द्वारा 'श्रीवेणी पुरस्कार' (1999) से सम्मानित किया गया।

नासा का 'वाईपर' रोवर

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ तथा अन्य संसाधनों की तलाश के लिये वर्ष 2023 के अंत में चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट को भेजने की घोषणा की है। 'आर्टेमिस मिशन' के हिस्से के रूप में 'वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर' (VIPER) को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, जिससे प्राप्त डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का मानचित्र तैयार करने में मदद मिलेगी, जो कि भविष्य में चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव अन्वेषण मिशनों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण होगा। इस मोबाइल रोबोट के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सटीक स्थानों और बर्फ की सांद्रता का निर्धारण करने तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पर्यावरण एवं संभावित संसाधनों का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। यह रोवर वातावरण एवं मिट्टी के विभिन्न प्रकारों का पता लगाने के लिये विशिष्ट प्रणाली का उपयोग कर चंद्रमा के क्रेटरों का अध्ययन करेगा। इस रोवर का डिजाइन चंद्रमा पर अन्वेषण संबंधी 'रिसोर्स प्रॉस्पेक्टर' नामक एक पूर्व रोबोटिक अवधारणा का ही उन्नत रूप है, जिसे नासा ने वर्ष 2018 की शुरुआत में रद्द कर दिया था। ज्ञात हो कि 'आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम' के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दिक्षणी ध्रुव सिहत चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है।

दिल्ली में साँपों की आठ नई प्रजातियाँ

दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किये गए पाँच वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद साँपों की सूची में आठ और प्रजातियों को शामिल किया गया है। इस शोध के माध्यम से वर्ष 1997 की 'फौना ऑफ दिल्ली' नामक पुस्तक में उल्लिखित सूची को अपडेट किया गया है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दिल्ली की मूल प्रजातियों को ट्रैक करने के लिये किया जाता है। इस शोध के साथ राजधानी में मौजूद साँपों की प्रजातियों की संख्या 23 तक पहुँच गई है। इस अध्ययन में 23 प्रजातियों और नौ परिवारों में कुल 329 साँप दर्ज किये गए। सूची में शामिल किये गए नए साँपों में- कॉमन ब्रोंजबैक ट्री स्नेक, कॉमन ट्रिकेट स्नेक, कॉमन कैट स्नेक, बैरड वुल्फ स्नेक, कॉमन कुकरी, स्ट्रीक्ड कुकरी, कॉमन सैंडबोआ और सॉ-स्केल्ड वाइपर शामिल हैं। दिल्ली जीव-जंतुओं के संरक्षण की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ प्राचीन अरावली पहाड़ों के अंतिम हिस्से मौजूद हैं। इस लिहाज से दिल्ली अपनी घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र के बीच देशी वनस्पतियों, जीवों और जैव विविधता के संरक्षण का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

नरिंदर बत्रा

हॉकी की वैश्विक संस्था 'अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ' (FIH) की 47वीं कॉन्ग्रेस के दौरान भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) प्रमुख निरंदर बत्रा को लगातार दूसरी बार 'अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ' के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। निरंदर बत्रा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सिमित के सदस्य भी हैं। निरंदर बत्रा वर्ष 2024 तक 'अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ' के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। ज्ञात हो कि वर्ष 2016 में महासंघ की 45वीं कॉन्ग्रेस के दौरान शीर्ष पद के लिये चुने जाने के बाद निरंदर बत्रा 'अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ' के पहले गैर-यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। अनुभवी भारतीय खेल प्रशासक निरंदर बत्रा इस वैश्विक महासंघ के 92 वर्ष पुराने इतिहास में शीर्ष पद हासिल करने वाले एकमात्र एशियाई बने हुए हैं। 'अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ' (FIH) की स्थापना 07 जनवरी, 1924 को पेरिस में हुई थी। यह महासंघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को विनियमित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय है।

रास बिहारी बोस

25 मई, 2021 को उपराष्ट्रपित ने क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजिल दी। 25 मई, 1886 को बंगाल प्रांत के सुबलदाहा गाँव में जन्मे रास बिहारी बोस ने गदर आंदोलन का नेतृत्व करने से लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना तक स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रास बिहारी बोस वर्ष 1789 की फ्राँसीसी क्रांति से खासा प्रभावित थे। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन और उसके बाद की घटनाओं ने रास बिहारी बोस को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिये प्रेरित किया। उन्होंने प्रख्यात क्रांतिकारी नेता जितन बनर्जी के मार्गदर्शन में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। गदर आंदोलन में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका तो निभाई किंतु यह अल्पकालिक थी, क्योंकि जल्द ही ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह की उनकी योजना का खुलासा हो गया था, जिसने अंतत: उन्हें जापान जाने के लिये मजबूर कर दिया, जहाँ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का नया अध्याय उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वर्ष 1942 में जापान के टोक्यो में रासबिहारी बोस ने 'आजाद हिंद फौज' को स्थापना की। 'आजाद हिंद फौज' को स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। जापान ने 'आजाद हिंद फौज' के गठन में सहयोग दिया था। बाद में 'आजाद हिंद फौज' की कमान सुभाषचंद्र बोस के हाथों में सौंप दी गई। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जापान की सरकार ने उन्हें 'सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन' से सम्मानित किया था।

मेकेदतु बाँध परियोजना

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कर्नाटक के मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक सिमिति का गठन किया है। यह निर्देश ट्रिब्यूनल द्वारा एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेने के बाद आया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक ने कावेरी नदी पर एक बाँध निर्माण का प्रस्ताव किया है और यह प्रस्ताव कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दो बार स्थिगत कर दिया गया था। ज्ञात हो कि मेकेदतु, कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती नदी के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है। इस परियोजना के तहत कर्नाटक सरकार द्वारा मेकेदतु के निकट कावेरी नदी पर एक जलाशय का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य बंगलूरू शहर के लिये पीने के पानी की आपूर्ति करना तथा एक जल विद्युतस्टेशन के लिये पानी का प्रयोग करना है। यह कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के बीच में स्थित है। आलोचकों का मत है कि इस परियोजना के कारण कावेरी वन्यजीव अभयारण्य का 63 प्रतिशत वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तिमिलनाडु ने भी इस परियोजना को लेकर आपित्त जाहिर की है, क्योंकि इससे तिमलनाडु में कावेरी नदी का प्रवाह प्रभावित होगा।

हॉकी इंडिया

भारत में हॉकी के विकास में योगदान देने हेतु 'हॉकी इंडिया' को प्रतिष्ठित एटियेन ग्लिचच पुरस्कार के लिये चुना गया है। पुरस्कार की घोषणा हॉकी के वैश्विक शासी निकाय 'अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ' (FIH) द्वारा 47वीं कॉन्ग्रेस के दौरान की गई है। यह पुरस्कार व्यक्तियों, टीमों और संगठनों को हॉकी के खेल तथा इसे बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा बेहतर अवसंरचना निर्माण के लिये 'उज्बेकिस्तान हॉकी महासंघ' ने 'पाब्लो नेग्ने पुरस्कार' और स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिये 'पोलिश हॉकी संघ' ने 'थियो इकेमा पुरस्कार' जीता है। 'हॉकी इंडिया' भारत में पुरुष और महिला हॉकी गतिविधियों को संचालित करने की शीर्ष संस्था है। इसे युवा मामलों और खेल मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा देश में हॉकी को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है। 20 मई, 2009 को स्थापित 'हॉकी इंडिया' वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH), भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और एशियाई हॉकी महासंघ (AHF) से भी संबद्ध है।

एड्डू शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में मालदीव के एड्डू शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषायी, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यक संबंध हैं। भारत की पड़ोसी को तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिये सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मालदीव में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से मालदीव में भारत की राजनियक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मालदीव में दूसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 22,000 है। इसके अतिरिक्त मालदीव में लगभग 25 प्रतिशत डॉक्टर और शिक्षक भारतीय हैं। भारत वर्तमान में मालदीव में 2 अरब डॉलर की बड़ी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं को लागू कर रहा है, जिसमें बंदरगाह, सड़क, पुल, पानी और स्वच्छता आदि शामिल हैं। राष्ट्रपित इब्राहिम सोलिह की 'इंडिया फर्स्ट' नीति से भी द्विपक्षीय संबंधों को फायदा हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने 'निवेश कोष' के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। 'कोटक महिंद्रा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड' के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह की अध्यक्षता में गठित यह समिति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निवेश संबंधी वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश करेगी। इस समिति में प्रौद्योगिकी, वितरण, कानूनी, अनुपालन और संचालन जैसे क्षेत्रों सिहत समग्र फंड प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं।। यह समिति वैश्विक वित्तीय गतिविधियों की समग्र समीक्षा और उद्योगों की कार्ययोजना के बारे में सिफारिशें करने के लिये गठित की गई है। IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के तहत की गई थी। IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की 'गिफ्ट सिटी' में स्थित है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास तथा विनियमन के लिये एक एकीकृत प्राधिकरण है। इसकी स्थापना IFSC में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढावा देने और एक विश्व स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करने के लिये की गई है।

नासा का नया 'अर्थ ऑब्ज़र्वेटरी सिस्टम'

नासा जलवायु परिवर्तन, आपदा शमन, वनाग्नि का मुकाबला करने और वास्तिविक समय की कृषि प्रक्रियाओं में सुधार से संबंधित प्रयासों का मार्गदर्शन करने हेतु महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिये पृथ्वी-केंद्रित मिशानों को शुरू करेगा। इस नए 'अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम' के तहत प्रत्येक उपग्रह को दूसरे उपग्रह के पूरक के रूप में विशिष्ट रूप से डिजाइन किया जाएगा, जो पृथ्वी की सतह से लेकर वायुमंडल तक का एक 3D एवं समग्र दृश्य प्रदान करने में सक्षम होगा। यह नई ऑब्जर्वेटरी 'नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग और मेडिसिन' (NASEM) द्वारा वर्ष 2017 में की गई सिफारिशों के आधार पर गठित की गई है, जिसके तहत महत्त्वाकांक्षी किंतु गंभीर रूप से आवश्यक अनुसंधान एवं अवलोकन पर जोर दिया गया था। इस ऑब्जर्वेटरी का प्राथमिक लक्ष्य इस तथ्य का अध्ययन करना है कि एरोसोल वैश्विक ऊर्जा संतुलन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, जो कि जलवायु परिवर्तन संबंधी भविष्यवाणी में अनिश्चितता का एक प्रमुख स्रोत है। यह ऑब्जर्वेटरी सूखे का आकलन एवं पूर्वानुमान, कृषि हेतु पानी के उपयोग संबंधी योजना निर्माण के लिये आवश्यक तथ्य प्रदान करने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया का भी समर्थन करेगी।

अफ्रीकी वायलेट

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER), भोपाल के वैज्ञानिकों ने मिजोरम में अफ्रीकी वायलेट के एक नए प्रकार की खोज की है। 'डिडिमोकार्पस विकिफंकिया' नामक यह नई प्रजाति वर्तमान में म्याँमार के साथ उत्तर-पूर्वी राज्यों की सीमा के पास केवल तीन स्थानों में ही मौजूद है और इसे एक लुप्तप्राय प्रजाति माना जाता है। यह एक एपिफाइट है यानी एक ऐसा पौधा जो पेड़ों पर उगता है और इसमें मानसून के दौरान हल्के गुलाबी रंग के फूल आते हैं। इस प्रजाति का नाम विख्यात वनस्पतिशास्त्री 'विकी एन फंक' के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अमेरिका में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में काम किया था। आमतौर पर 'अफ्रीकी वायलेट' के रूप में प्रसिद्ध प्रजाति 'डिडिमोकार्पस' मूल रूप से तंजानिया और केन्या से है और यह बागवानी के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है, जिसे प्राय: यूरोपीय देशों में घरेलू पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस खोज ने पूर्वोत्तर की पुष्प विविधता के महत्त्व और उसे संरक्षित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

विश्व थायराइड दिवस

थायराइड के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और इसके उपचार हेतु लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व थायराइड दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। इस दिवस की स्थापना मुख्य रूप से थायराइड के नए उपचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा तथा रोकथाम कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये विश्व स्तर पर अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन (ATA) और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन (ETA) के नेतृत्व में चल रहे अभियान के एक हिस्से के रूप में की गई थी। थायराइड ग्रंथि, गर्दन के सामने वाले हिस्से में पाई जाती है। आँकड़ों के अनुसार, प्रत्येक 10वाँ वयस्क हाइपोथायरॉयडिज्म (Typothyroidism) रोग से ग्रसित है, इस रोग में थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन नहीं कर पाती है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू

27 मई, 2021 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। भारत से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1912 में वे भारत लौटे और राजनीति से जुड़ गए। वर्ष 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं वर्ष 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के महासचिव बने। वर्ष 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें वर्ष 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कई अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। नेहरू जी सर्वप्रथम वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और गांधी जी से काफी अधिक प्रभावित हुए। नेहरू जी बच्चों से काफी अधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण देश भर में प्रत्येक वर्ष नेहरू जी के जन्म दिवस (14 नवंबर) को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू को कॉन्ग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालने के लिये चुना गया। चीन से युद्ध के बाद नेहरू जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और 27 मई, 1964 को उनकी मृत्यु हो गई।

स्मार्ट विंडो मैटेरियल

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-गुवाहाटी (IIT-G) के शोधकर्त्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिये स्मार्ट विंडो मैटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मैटेरियल इमारतों के लिये कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफी मददगार होगा। हाल के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिये सतत् आर्किटेक्चर डिजाइनों पर ध्यान दिया गया है और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। शोधकर्ताओं ने दो अल्ट्रा-थिन मेटल लेयर्स से बने इलेक्ट्रो-ट्यून करने योग्य ग्लास का निर्माण किया है, जिसके 'अपवर्तनांक' (Refractive Index) को कम वोल्टेज के माध्यम से भी बदला जा सकता है और जो दृश्य एवं अवरक्त विकिरण को फिल्टर करता है। IIT-गुवाहाटी की टीम ने उत्कृष्ट धातुओं का उपयोग करके स्मार्ट विंडो 'ग्लास' तैयार किया है, जो मौसम/जलवायु की स्थित के आधार पर सौर विकिरण की तीव्रता को नियंत्रित कर सकता है। यह स्मार्ट ग्लास वाहनों, लोकोमोटिव, हवाई जहाज और ग्रीनहाउस आदि में कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

एरिक कार्ले

हाल ही में विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी बाल साहित्यकार, चित्रकार और डिजाइनर 'एरिक कार्ले' का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 25 जून, 1929 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में जन्मे एरिक कार्ले ने कई प्रसिद्ध बाल पुस्तकें प्रकाशित कीं, जिसमें उनकी सबसे प्रमुख पुस्तक 'द वैरी हंगरी कैटरिपलर' (1969) भी शामिल है, जिसकी वर्ष 2018 तक लगभग 50 मिलियन प्रतियाँ बिक चुकी थीं और 60 से अधिक भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है। एरिक कार्ले ने जर्मनी से ग्राफिक आर्ट की पढ़ाई की और वे वर्ष 1950 में ग्रेजुएट हुए, जिसके बाद एरिक कार्ले वर्ष 1952 में पुन: न्यूयॉर्क (अमेरिका) आ गए। यहाँ उन्होंने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम किया और बाद में उन्हों कोरियाई युद्ध के दौरान सेना में शामिल कर लिया गया। सेना से लौटने पर वे 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में पुन: शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध बाल साहित्यकार बिल मार्टिन जूनियर के साथ कार्य किया और वर्ष 1967 में उन्होंने 'ब्राउन बियर, व्राट डू यू सी ?' नामक पुस्तक प्रकाशित की, जो उस समय की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बनी और जिसने कई पुरस्कार भी जीते। एरिक कार्ले ने अपने कॅरियर में 75 से अधिक पुस्तकें लिखी और/या उनमें चित्रकारी की।

पेन्पा त्सेरिंग

53 वर्षीय पेन्पा त्सेरिंग को धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार यानी 'केंद्रीय तिब्बती प्रशासन' का अध्यक्ष चुना गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर 'सिक्योंग' कहा जाता है। ज्ञात हो कि पेन्पा त्सेरिंग तिब्बत की निर्वासित संसद के पूर्व अध्यक्ष हैं। वर्ष 1967 में कर्नाटक के बाइलाकुप्पे रिफ्यूजी कैंप में जन्मे त्सेरिंग ने बाइलाकुप्पे में तिब्बती केंद्रीय स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चयन कॉलेज, चेन्नई से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की। पेन्पा त्सेरिंग ने अपने कॉलेज के दौरान तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन और नाइजीरियाई-तिब्बत मैत्री संघ के महासचिव के रूप में कार्य किया तथा बाद में वर्ष 2001-08 तक दिल्ली में तिब्बती संसदीय एवं अनुसंधान केंद्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। नियमों के मुताबिक, दुनिया भर के किसी भी देश में रह रहे 18 वर्ष से अधिक आयु के तिब्बती सरकार या 'केंद्रीय तिब्बती प्रशासन' को भारत समेत विश्व भर के तमाम देशों में 1.3 लाख से अधिक शरणार्थी मौजूद हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार या 'केंद्रीय तिब्बती प्रशासन' को भारत सहित विश्व स्तर पर किसी भी देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस

प्रतिवर्ष 28 मई को 'एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस' का आयोजन किया जाता है। 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' (Amnesty International) लंदन स्थित एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 28 मई, 1961 को 'पीटर बेन्सन' नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य मानवाधिकारों की रक्षा और उनकी वकालत करना है। पीटर बेन्सन ने एक जनांदोलन के रूप में इस संगठन की स्थापना मुख्य तौर पर दुनिया भर में उन कैदियों को रिहा कराने के उद्देश्य से की थी, जिन्हें अपनी राजनीतिक, धार्मिक या अन्य धर्मिनरपेक्ष मान्यताओं की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिये जेल में कैद किया गया हो, भले ही उन्होंने न कभी हिंसा का इस्तेमाल किया और न ही इसकी वकालत की। विश्व भर में इस संस्था के तीस लाख से अधिक सदस्य और समर्थक हैं। संगठन का उद्देश्य मानवाधिकारों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाना और प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाना है। यह संगठन ऐसी दुनिया के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम हो। साथ ही यह संगठन मानवाधिकारों के मुद्दे पर शोधकार्य भी करता है। संगठन को वर्ष 1977 में शांति के लिये नोबेल पुरस्कार और वर्ष 1978 में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।

विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस

प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व भर में 'विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत जर्मनी स्थिति एक गैर-लाभकारी संगठन 'वॉश यूनाइटेड' द्वारा वर्ष 2013 में की गई थी। 'मासिक धर्म स्वच्छता दिवस' एक वैश्विक अभियान है, जो विश्व भर की महिलाओं और लड़िकयों के लिये बेहतर मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिये गैर-लाभकारी संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र और मीडिया आदि को एक साथ- एक मंच पर लाता है। इस दिवस का प्राथमिक लक्ष्य मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना और मासिक धर्म से संबंधित नकारात्मक धारणाओं को समाप्त करना है। साथ ही यह दिवस वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर नीति निर्माताओं को मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिये भी प्रेरित करता है। मासिक धर्म एक महिला के शरीर की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है, हालाँकि इस महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्राय: महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में मासिक स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि फंगल या जीवाणु संक्रमण जैसी कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। भारत में यूनिसेफ द्वारा किये गए एक अध्ययन के मुताबिक, मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में अपर्याप्त जागरूकता के कारण 23 प्रतिशत लड़िकयाँ मासिक धर्म शुरू होने के बाद स्कूल छोड़ने के लिये मजबूर होती हैं।

नामीबिया नरसंहार

जर्मनी ने पहली बार लगभग एक सदी पूर्व अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्तमान नामीबिया में हेरेरो और नामा लोगों के विरुद्ध नरसंहार में अपनी भूमिका को स्वीकार किया था और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र को एक अरब यूरो से अधिक की वित्तीय सहायता का भी वादा किया है। वर्ष 1904 और वर्ष 1908 के बीच जब हेरो और नामा जनजातियों के लोगों द्वारा जर्मन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह किया गया तो औपनिवेशिक शासकों ने हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला था। उस समय इस क्षेत्र को 'जर्मन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका' के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1884 से वर्ष 1890 के बीच जर्मनी ने औपचारिक रूप से वर्तमान नामीबिया के कुछ हिस्सों का उपनिवेश बनाया , जो यूरोपीय राष्ट्र (जर्मनी) से लगभग दोगुना बड़ा था, लेकिन घनी आबादी वाला नहीं था। वर्ष 1903 तक लगभग 3,000 जर्मन लोगों ने इस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जर्मन लोगों की संख्या बढ़ने के साथ तनाव भी बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ की स्थानीय जनजातियों ने जर्मन लोगों को अपनी भूमि और संसाधनों के लिये खतरे के रूप में देखा। इसके बाद वर्ष 1904 में हेरेरो और नामा जनजातियों ने जर्मनी के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष कर शुरू कर दिया। आगामी तीन वर्षों में, हजारों नामा और हेरेरो पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों को मार दिया गया और कई लोगों को कई कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया एवं उन्हें जबरन श्रम के लिये इस्तेमाल किया गया। जर्मनी ने वर्ष 1915 तक इस क्षेत्र पर शासन करना जारी रखा, जिसके बाद यह क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के नियंत्रण में आ गया और अंतत: वर्ष 1990 में नामीबिया को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

माउंट एवरेस्ट दिवस

नेपाल द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को 'माउंट एवरेस्ट दिवस' के रूप में आयोजित किया जाता है। ध्यातव्य है कि 29 मई, 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी (Edmund Hillary) और उनके तिब्बती गाइड तेनिजंग नोर्गे (Tenzing Norgay) द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। इस पर्वत को तिब्बत में 'चोमोलुंग्मा' (Chomolungma) और नेपाल में 'सागरमाथा' (Sagarmatha) के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस नेपाल के पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने का भी एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। नेपाल और तिब्बत (चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र) के बीच स्थित तकरीबन 8,848 मीटर (29,035 फीट) ऊँचा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत शृंखला की एक चोटी है, जिसे पृथ्वी का सबसे ऊँचा बिंदु माना जाता है। इसकी वर्तमान आधिकारिक ऊँचाई 8,848 मीटर है, जो कि 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' (PoK) में स्थित विश्व के दूसरे सबसे ऊँचे पर्वत के-2 (K-2) से 200 मीटर अधिक है। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित के-2 पर्वत की आधिकारिक ऊँचाई 8,611 मीटर है। इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक 'जॉर्ज एवरेस्ट' के नाम पर रखा गया था।

हिंदी पत्रकारिता दिवस

देश भर में प्रत्येक वर्ष 30 मई को 'हिंदी पत्रकारिता दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय पत्रकारों खासतौर पर हिंदी भाषी पत्रकारों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, साथ ही यह दिवस समाज के विकास में पत्रकारों के योगदान और पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्त्व निर्धारण में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। 30 मई, 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' के प्रकाशन का शुभारंभ किया था। 'उदंत मार्तण्ड' का शाब्दिक अर्थ है 'समाचार-सूर्य'। 'उदंत मार्तण्ड' का प्रकाशन प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को किया जाता था। पुस्तकाकार में छपने वाले 'उदंत मार्तण्ड' के केवल 79 अंक ही प्रकाशित हो सके और दिसंबर, 1827 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इस समाचार पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषाओं के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था, जिसे इस पत्र के संचालक 'मध्यदेशीय भाषा' कहते थे। कानपुर के रहने वाले पंडित युगल किशोर शुक्ल पेशे से एक वकील थे और औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में वकील के तौर पर कार्य कर रहे थे। इतिहासकार पंडित युगल किशोर शुक्ल को भारतीय पत्रकारिता का जनक मानते हैं। वहीं बंगाल से हिंदी

पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता ने इतिहास में एक लंबा सफर तय किया है। 1826 ई. में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तब यह कल्पना करना मुश्किल था कि भारत में पत्रकारिता भविष्य में इतना लंबा सफर तय करेगी।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और वैश्विक साझेदारों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस (WNTD) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक उपयोग एवं प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना तथा किसी भी रूप में तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना है। सर्वप्रथम 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल, 1988 को 'विश्व धूम्रपान निषेध दिवस' के रूप में आयोजित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया था। इसके पश्चात् वर्ष 1988 में प्रतिवर्ष 31 मई को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' मनाने का आह्वान करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। इस वार्षिक उत्सव के आयोजन का उद्देश्य न केवल तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूकता करना है, बल्कि तंबाकू कंपनियों की व्यावसायिक प्रथाओं के विकास को भी हतोत्साहित करना है। वर्ष 2021 के लिये इस दिवस की थीम है- 'किमट टू क्विट'। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो धूम्रपान करने वाले लोगों में कोविड-19 से गंभीर संक्रमण और मृत्यु का खतरा 50 प्रतिशत तक अधिक होता है। इसके अलावा तंबाकू गंभीर और घातक स्थितियों जैसे कि हृदय रोग एवं फेफड़ों में कैंसर आदि के मुख्य कारणों में से एक है।

'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन' के नाम में परिवर्तन

जल्द ही प्रसारकों की सर्वोच्च संस्था 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन' (IBF) का नाम बदलकर 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन' (IBDF) किया जाएगा। ज्ञात हो कि सभी डिजिटल ओवर-द-टॉप स्ट्रीमिंग फर्मों को विनियमित करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिये 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन' के दायरे का विस्तार किया जा रहा है। 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन' द्वारा डिजिटल मीडिया से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिये एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी का निर्माण किया जाएगा। सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थाओं हेतु दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार फाउंडेशन एक स्व-नियामक निकाय का भी गठन किया जाएगा। वर्षों से 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन' ने एक मजबूत प्रसारण क्षेत्र का निर्माण करने के लिये सरकार को अनुसंधान-आधारित नीति और नियामक प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। सरकार ने इस वर्ष फरवरी माह में डिजिटल और ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म के विनियमन के लिये त्रिस्तरीय तंत्र की शुरुआत कर अपने नियंत्रण को मजबूत किया था।

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को 'संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिये शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उनका सम्मान करना है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक, बीते वर्ष विभिन्न अभियानों में संयुक्त राष्ट्र के 130 शांति सैनिकों ने अपनी जान गँवाई थी और वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों की शुरुआत से अब तक 4000 लोग मारे जा चुके हैं। ज्ञात हो कि पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का गठन 29 मई, 1948 को किया गया था जब 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की एक छोटी टुकड़ी की तैनाती को अधिकृत किया था। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वैश्विक शांति के लिये अपने संबंधित हिस्से का भुगतान करने के लिये कानूनी रूप से बाध्य है। स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के साथ-साथ शांति सैनिकों को कोविड-19 महामारी के प्रभावों से भी जूझना पड़ा रहा है।